

**भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
का प्रतिवेदन  
31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए**



**लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा**  
Dedicated to Truth in Public Interest

**संघ सरकार (वाणिज्यिक)  
2021 की संख्या 14  
(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां)**



# भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)  
2021 की संख्या 14  
(अनुपालन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां)



## विषय सूची

| अध्याय/<br>पैराग्राफ                        | विषय   | सीपीएसई   | पृष्ठ<br>संख्या |
|---|--|---|-----------------|
|   | प्राकवचन   |   | ix              |
|   | कार्यकारी सार  |   | xi              |
| <b>ऊर्जा समूह</b>                           |  |   |                 |
| <b>अध्याय I</b>                             | <b>कोयला मंत्रालय</b>  |   |                 |
| 1.1   | आठ वर्षों से अधिक के लिए निष्क्रिय रहें हेलीकाप्टर और विमानों के अवधारण के कारण हैंगर किराए के प्रति परिहार्य भुगतान | कोल इंडिया लिमिटेड  | 1               |
| 1.2   | सीआईएसएफ के तैनाती प्रभारों के विलंबित भुगतान के कारण दण्डात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान                             | सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड और वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड | 3               |
| 1.3   | सीवीसी के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन से निजी ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ  | नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड  | 5               |
| 1.4   | क्षतिपूर्ति प्रभारों का परिहार्य भुगतान  | एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड  | 7               |
| <b>अध्याय II</b>                            |  |   |                 |
| <b>पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b> |  |   |                 |
| 2.1   | उपभोक्ताओं से टर्नओवर कर की वसूली के माध्यम से अनुचित संवर्धन  | इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड   | 10              |

|     |   |                                       |    |
|-----|---|---------------------------------------|----|
| 2.2 | प्रदूषण मंजूरी की सांविधिक अपेक्षा का पालन न करने के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ   | इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड         | 13 |
| 2.3 | नापथा स्प्लटर यूनिट के संस्थापन के प्रति निष्क्रिय निवेश  | नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड            | 15 |
| 2.4 | उच्च दबाव गैस के प्रज्वलन के कारण हानि  | ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 18 |
| 2.5 | निचाई पर स्थित दलदली भूमि के अधिग्रहण और इसके अभिप्रेत उपयोग के लिए भूमि को लेने में विलंब के कारण हानि                                 | ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 24 |
| 2.6 | नियमित केसिंग पाइपों की अधिप्राप्ति में विलंब के कारण परिहार्य व्यय   | ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 26 |
| 2.7 | महानदी-बंगाल-अंडमान बेसिन, कोलकाता में विभागीय रिग की निष्क्रियता और त्रिपुरा एसेट में एक और रिग को किराए पर लेने के कारण परिहार्य व्यय | ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 30 |
| 2.8 | पर्याप्त सुविधाओं का सृजन न करने के परिणामस्वरूप कम दबाव वाली गैस का परिहार्य प्रज्वलन  | ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड | 33 |
| 2.9 | भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित ऋण-इक्विटी अनुपात का रखरखाव न होने के कारण दण्डात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान                        | ओएनजीसी पेट्रो एडिंशंस लिमिटेड        | 36 |

|  |  |  |    |
|--|--|--|----|
| 2.10   | सीवीसी के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में कार्य देने के द्वारा निजी पार्टियों को दिया गया अनुचित लाभ | ओएनजीसी विदेश लिमिटेड                        | 38 |
| <b>अध्याय III ऊर्जा मंत्रालय</b>                       |  |  |    |
| 3.1  | संविदाकार को अनुचित लाभ  | एनएचपीसी लिमिटेड                             | 42 |
| <b>उद्योग समूह</b>                                     |  |  |    |
| <b>अध्याय IV वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)</b> |  |  |    |
| 4.1  | ऋण और ब्याज की संदिग्ध वसूली   | इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड | 45 |
| 4.2  | उधारकर्ताओं से बकाया की वसूली न होना   | आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड          | 48 |
| 4.3  | पुनर्बीमा स्वीकृतियों के तहत अन्य बीमाकर्ताओं से सेवाकर की वसूली न होना                            | नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड                | 58 |
| 4.4  | स्टॉप लॉस पुनर्बीमा कवर प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप हानि हुई                           | दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       | 60 |
| 4.5  | प्रीमियम दर के कम निर्धारण और उच्च दावा अनुपात के कारण हानि  | दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड       | 63 |
| 4.6  | बीमा प्रीमियम का कम संग्रह   | दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड           | 65 |
| <b>अध्याय V भारी उद्योग मंत्रालय</b>                   |  |  |    |
| 5.1  | वैकल्पिक करंट इलेक्ट्रिकल मल्टीपल इकाईयों की आपूर्ति में शिथिलता के कारण परिहार्य हानि             | भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड              | 69 |

|                                   |   |                                     |     |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------|-----|
| 5.2                               | वित्तीय हित की सुरक्षा न करने के परिणामस्वरूप सुरक्षा शुल्क के भुगतान के प्रति अतिरिक्त भार                     | भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड     | 72  |
| 5.3                               | ड्रेगलाइनों की गारंटीकृत उपलब्धता सुनिश्चित करने में हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड की विफलता के कारण हानि | हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड | 78  |
| 5.4                               | तकनीकी लेखापरीक्षा पर निष्फल व्यय   | हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड | 82  |
| <b>अध्याय VI खान मंत्रालय</b>     |   |                                     |     |
| 6.1                               | कॉपर ओर टेलिंग्स (सीओटी) बेनीफिसिएशन प्लांट के निर्माण के प्रति अलाभप्रद व्यय                                   | हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड            | 87  |
| 6.2                               | खनन पट्टे के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के प्रति परिहार्य व्यय  | नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड    | 89  |
| <b>अध्याय VII इस्पात मंत्रालय</b> |   |                                     |     |
| 7.1                               | अविवेकपूर्ण वित्तपोषण के परिणामस्वरूप प्राप्य राशि का उगाही न होना  | एमएसटीसी लिमिटेड                    | 93  |
| 7.2                               | बेनीफिसिएशन और पेलेटाइजेशन प्लांटों के परिचालन और रखरखाव के प्रति परिहार्य अतिरिक्त व्यय                        | एनएमडीसी लिमिटेड                    | 96  |
| 7.3                               | खनन पट्टे के लिए पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क का दो बार भुगतान   | एनएमडीसी लिमिटेड                    | 101 |



|                                       |  |   |     |
|---------------------------------------|--|---|-----|
| 7.4                                   | निर्णय लेने में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय   | राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड           | 104 |
| 7.5                                   | चिकित्सा दावों के अस्वीकारण के कारण हानि   | स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड        | 109 |
| 7.6                                   | स्टांप शुल्क और पंजीकरण प्रभार के भुगतान के प्रति परिहार्य व्यय                              | दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड       | 112 |
| 7.7                                   | शास्तिक ब्याज के कारण परिहार्य व्यय  | दि उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड | 116 |
| <b>अध्याय VIII वस्त्र मंत्रालय</b>    |  |   |     |
| 8.1                                   | सामरिक साझेदार की समूह कंपनियों को वस्त्र व्यापार कारोबार में अनुचित लाभ देने के कारण हानि   | इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल लिमिटेड   | 119 |
| 8.2                                   | हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की वसूली न होना   | नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड      | 122 |
| <b>अवसंरचना समूह</b>                  |  |   |     |
| <b>अध्याय IX नागर विमानन मंत्रालय</b> |  |   |     |
| 9.1                                   | विद्युत् भार का अपर्याप्त निर्धारण होने से राजस्व की हानि                                    | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण             | 127 |
| 9.2                                   | उचित अनुवर्ती कार्रवाई और अनुसरण की कमी के कारण विद्युत् प्रभारों की प्रतिपूर्ति न होना      | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण             | 130 |
| 9.3                                   | रॉयल्टी की एकतरफा वृद्धि के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय                                      | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण             | 134 |
| 9.4                                   | एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा हटाए गए घटकों को लौटाने में देरी के कारण शास्ति का परिहार्य भुगतान | एयर इंडिया लिमिटेड                      | 136 |

| अध्याय X  |   | सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय   |     |
|-----------|---|--|-----|
| 10.1      | चार लेन की बीओटी (टोल) परियोजनाओं के रियायत करारों में असंगत खंड का अवधारण  | भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  | 139 |
| 10.2      | सीवीसी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए करार में क्षति गणना खंड में पश्च संविदा संशोधन का सहारा लेकर रियायतग्राही को अनुचित लाभ देना | भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण  | 142 |
| अध्याय XI |   | लेखापरीक्षा में बताए जाने पर सीपीएसई द्वारा वसूली और सुधार/परिशोधन   |     |
| 11.1      | लेखापरीक्षा में बताए जाने पर वसूली  | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयर इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल रिफ्रेक्टरी कंपनी लिमिटेड, दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | 146 |

|                   |  |  |            |
|-------------------|--|--|------------|
| 11.2              | लेखापरीक्षा में बताए जाने पर सुधार/परिशोधन               | एयर इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियां, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड | 146        |
| <b>अध्याय XII</b> |  |  |            |
|                   | लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्रवाई |  | <b>148</b> |
|                   | अनुलग्नक   |  | 151        |



1. कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत स्थापित सरकारी कंपनियों के लेखाओं की (कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सरकारी कंपनी मानी जाने वाली कंपनियों सहित) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा की जाती है। कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखापरीक्षकों (चार्टर्ड एकाउंटेंट्स) द्वारा प्रमाणित लेखे सीएजी की पूरक लेखापरीक्षा के अधीन हैं, जिनकी टिप्पणियां वैधानिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की पूरक होती हैं। इसके अलावा, ये कंपनियां सीएजी द्वारा नमूना लेखापरीक्षा के भी अधीन हैं।
2. कुछ निगमों और प्राधिकरणों को शासित करने वाली संविधियाँ उनके लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षित किये जाने को आवश्यक बनाती है। पांच ऐसे निगमों यथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम और दामोदर घाटी निगम के संबंध में प्रासंगिक संविधियों में सीएजी को अपना एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में नामित किया गया है। एक निगम अर्थात् केंद्रीय भंडारण निगम के संबंध में, सीएजी को निगम को शासित करने वाली संविधि के अन्तर्गत नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखापरीक्षा किए जाने के बाद पूरक और नमूना लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।
3. किसी सरकारी कंपनी या निगम के लेखाओं के संबंध में रिपोर्ट नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का (कर्तव्य, शक्तियां और सेवा शर्तें) अधिनियम, 1971, 1984 में यथा संशोधित, की धारा 19-ए के प्रावधानों के अन्तर्गत सीएजी द्वारा सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं।
4. वर्ष 31 मार्च, 2020 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 10 मंत्रालयों/विभागों के नियंत्रण के अधीन 32 सीपीएसई से संबंधित 42 अलग-अलग लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां शामिल हैं। इन मंत्रालयों/विभागों को ऊर्जा, उद्योग और अवसंरचना जैसे तीन समूहों के तहत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में वर्गीकृत किया गया है। ऊर्जा समूह के तहत 15, उद्योग समूह के तहत 21 और अवसंरचना समूह के तहत 06 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां हैं। इस रिपोर्ट में उल्लिखित उदाहरण उन में से हैं जो 2019-20 के दौरान लेखापरीक्षा करते समय ध्यान में आये थे और साथ ही साथ उन में से भी हैं जो पूर्व के वर्षों में देखे गए थे। कुछ मामलों में मार्च 2020 के बाद के लेन-देन की लेखापरीक्षा के परिणामों का भी उल्लेख किया गया है।
5. इस प्रतिवेदन में 'कंपनियों/निगमों या सीपीएसई' के सभी संदर्भों को 'केंद्र सरकार की कंपनियों/निगमों' के संदर्भ में माना जा सकता है जब तक कि संदर्भ में अन्यथा सुझाव ना दिया हो।
6. यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षण मानकों के अनुरूप की गई है।



## कार्यकारी सार

### I प्रस्तावना

1. इस प्रतिवेदन में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) या विशेष निगमों को शासित करने वाली संविधियों के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार की कंपनियों और निगमों के लेखाओं और अभिलेखों की की गयी नमूना जांच के परिणामस्वरूप देखे गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष शामिल हैं।
2. रिपोर्ट में 10 मंत्रालयों/विभागों के अधीन 32 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) से संबंधित 42 विशिष्ट अभ्युक्तियां शामिल हैं। लेखापरीक्षा रिपोर्ट में इन मंत्रालयों/विभागों को ऊर्जा, उद्योग और अवसंरचना जैसे तीन समूहों के अंतर्गत आगे वर्गीकृत किया गया है। ऊर्जा समूह के तहत 15, उद्योग समूह के तहत 21 और अवसंरचना समूह के तहत 06 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां हैं। अभ्युक्तियों का मसौदा उन संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिवों को भेजा गया था जिनके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन सीपीएसई कार्य कर रहे हैं जिनको छह सप्ताह की अवधि के भीतर प्रत्येक मामले में अपने उत्तर/टिप्पणियां प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इस प्रतिवेदन को अंतिम रूप दिये जाने तक 21 टिप्पणियों के प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुए थे जैसा कि नीचे पैरा 3 में दर्शाया गया है। इससे पहले, अभ्युक्तियों का मसौदा संबंधित सीपीएसई के प्रबंधनों को भेजा गया था, जिनके उत्तरों को रिपोर्ट में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।
3. इस रिपोर्ट में शामिल पैराग्राफ भारत सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रण में सीपीएसई से संबंधित हैं:

| क्र. सं.          | मंत्रालय/विभाग (शामिल सीपीएसई)   | पैराग्राफ की संख्या | उन पैराग्राफों की संख्या जिनके सम्बन्ध में मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था |
|-------------------|--|---------------------|--|
| <b>ऊर्जा समूह</b> |  |                     |  |
| 1.                | कोयला<br>(कोल इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, नेवेली उत्तर प्रदेश) | 4                   | 0  |

| क्र. सं.           | मंत्रालय/विभाग (शामिल सीपीएसई)  | पैराग्राफ की संख्या | उन पैराग्राफों की संख्या जिनके सम्बन्ध में मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था |
|--------------------|---|---------------------|--|
|                    | पावर लिमिटेड, एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड)   |                     |  |
| 2.                 | पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस<br>(इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओएनजीसी पेट्रो एडिंशंस लिमिटेड, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड)                                      | 10                  | 4  |
| 3.                 | विद्युत<br>(एनएचपीसी लिमिटेड)   | 1                   | 0  |
| <b>उद्योग समूह</b> |   |                     |  |
| 4.                 | वित्त - वित्तीय सेवाएं विभाग<br>(इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंडस लिमिटेड, दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) | 6                   | 4  |
| 5.                 | भारी उद्योग<br>(भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड)   | 4                   | 4  |
| 6.                 | खान<br>(हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड)   | 2                   | 1  |
| 7.                 | इस्पात<br>(एमएसटीसी लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, दि उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड)                                    | 7                   | 3  |
| 8.                 | वस्त्र<br>(इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल लिमिटेड, नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड)   | 2                   | 1  |



| क्र. सं.             | मंत्रालय/विभाग (शामिल सीपीएसई)                                   | पैराग्राफ की संख्या | उन पैराग्राफों की संख्या जिनके सम्बन्ध में मंत्रालय/विभाग का उत्तर प्रतीक्षित था |
|----------------------|--|---------------------|--|
| <b>अवसंरचना समूह</b> |  |                     |  |
| 9.                   | नागर विमानन<br>(भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयर इंडिया लिमिटेड) | 4                   | 4  |
| 10.                  | सड़क परिवहन और राजमार्ग<br>(भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) | 2                   | 0  |
| <b>कुल</b>           |  | <b>42</b>           | <b>21</b>  |

4. विशिष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का कुल वित्तीय निहितार्थ ₹4,779.99 करोड़ है।
5. इस रिपोर्ट में विशिष्ट लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां मोटे तौर पर निम्नलिखित स्वरूप की हैं:

- नौ लेखापरीक्षा पैराग्राफों में शामिल ₹453.62 करोड़ के नियमों, निर्देशों, क्रियाविधि, संविदा के निबंधन और शर्तों आदि का गैर-अनुपालन।
- 20 लेखापरीक्षा पैराग्राफों में संगठनों के ₹3,103.45 करोड़ रुपये के वित्तीय हितों की सुरक्षा न करना।
- नौ लेखापरीक्षा पैराग्राफों में ₹376.33 करोड़ का दोषपूर्ण/त्रुटिपूर्ण नियोजन।
- चार लेखापरीक्षा पैराग्राफों में ₹846.59 करोड़ की अपर्याप्त/त्रुटिपूर्ण मॉनिटरिंग।

6. रिपोर्ट में लेखापरीक्षा के बताने पर सीपीएसई द्वारा "वसूली और सुधार/संशोधन" पर एक अध्याय शामिल है। अध्याय में दो पैराग्राफ हैं, यथा (क) लेखापरीक्षा के बताने पर 15 सीपीएसई द्वारा किए गए ₹2,771.14 करोड़ की वसूली, और (ख) लेखापरीक्षा के बताने पर चार सीपीएसई द्वारा किए गए सुधार/ संशोधन।

## II रिपोर्ट में शामिल कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 के कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन में आंध्र प्रदेश में उपभोक्ताओं से टर्नओवर टैक्स का ₹262.60 करोड़ एकत्र किया और बाद में ₹262.60 करोड़ की लगायी गयी कुल शास्ति के प्रति, ₹65.65 करोड़ (25 प्रतिशत) का भुगतान करके तेलंगाना सरकार के साथ कानूनी

मामले का निपटान किया, जिसके परिणामस्वरूप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ₹196.95 करोड़ का अनुचित संवर्धन हुआ।

(पैरा 2.1)

दो पुराने और कम कुशल ऑयल फायर्ड बॉयलरों को बदलने के लिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपनी गुवाहाटी रिफाइनरी (रिफाइनरी) के लिए ₹132.58 करोड़ (मार्च 2018 में ₹163.09 करोड़ तक संशोधित) की अनुमानित लागत पर एक पेटकोक फायर्ड बॉयलर (बॉयलर) स्थापित करने का निर्णय लिया (जून 2015)। नए बॉयलर से रिफाइनरी के विद्युत उत्पादन और भाप लागत में प्रति वर्ष ₹79.40 करोड़ तक कमी आने की उम्मीद थी। बॉयलर के निर्माण से पहले संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 'स्थापना की सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करना अपेक्षित था। हालांकि अप्रैल 2018 में, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम को 'स्थापना की सहमति/अनापत्ति प्रमाणपत्र' के लिए आवेदन किया था, जबकि परियोजना पहले ही 70-80 प्रतिशत तक पूरी हो चुकी थी। तत्पश्चात, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम ने बॉयलर परियोजना के संबंध में सभी गतिविधियों को तत्काल प्रभाव से रोकने के निर्देश के साथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को कारण बताओ नोटिस जारी किया (अगस्त 2018)। इस प्रकार, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा सांविधिक अपेक्षा का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप अब तक परियोजना पर किए गए ₹120.38 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया जबकि बॉयलर के चालू न होने के कारण प्रति वर्ष ₹79.40 करोड़ के लागत लाभ को छोड़ दिया गया।

(पैरा 2.2)

मुंबई उच्च अपतटीय क्षेत्रों के अपतटीय प्रक्रिया प्रणाली में तेल, पानी और गैस को अलग करने की प्रक्रिया में विकसित उच्च दबाव गैस को प्रोसेस गैस कम्प्रेसर में संपीड़ित किया जाता है और गैस को उठाने के उद्देश्य से कुओं में भरी जाती है। इस प्रक्रिया में, शेष गैस को आगे की प्रक्रिया और उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए उरण में ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के गैस प्रसंस्करण संयंत्र में पहुँचाया जाता है। संपीड़न में किसी भी व्यवधान से मूल्यवान उच्च दबाव गैस का प्रज्वलन होता है जिसका पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। 2012-13 से 2019-20 की अवधि के दौरान, स्टैंडबाय प्रोसेस गैस कम्प्रेसर की अनुपलब्धता, बिजली की खराबी और प्रोसेस गैस कम्प्रेसर के बार-बार

ट्रिपिंग के कारण मुंबई उच्च क्षेत्रों में ₹816.08 करोड़ मूल्य की उच्च दबाव गैस प्रज्वलित हो गई थी।

(पैरा 2.4)

ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुंबई हाई एसेट एंड बेसिन एंड सैटेलाइट एसेट्स ने निगमित सामग्री प्रबंधन समूह को वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए केसिंग पाइप की अधिप्राप्ति के लिए मांगपत्र भेजे। निगमित सामग्री प्रबंधन ने दोनों वर्षों के मांगपत्रों को इक्टठा कर दिया और एक निविदा जारी की और 176 दिनों के निर्धारित समय के प्रति निविदा को अंतिम रूप देने में 782 दिन से अधिक का समय लिया। खरीद आदेश देने और सामग्री की प्राप्ति में विलम्ब के परिणामस्वरूप महंगे (2 से 2.5 गुना) केसिंग पाइपों का उपयोग हुआ जिसके कारण कंपनी ने ₹21.56 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैरा 2.6)

कोलकाता में ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के महानदी-बंगाल-अंडमान बेसिन ने टाइप-I विभागीय रिग (3,050 मीटर तक की ड्रिलिंग गहराई क्षमता) का उपयोग करके ड्रिलिंग गतिविधियों को पूरा किया। बैरकपुर कुएं में न्यूनतम कार्य कार्यक्रम को पूरा करने के लिए रिग-III को अगरतला से कोलकाता लाने का निर्णय लिया गया क्योंकि यह कुआं उपलब्ध टाइप-I विभागीय रिग की क्षमता से अधिक गहरा था। इसलिए, टाइप-III रिग को मई 2020 में त्रिपुरा एसेट से निर्मुक्त किया गया और जनवरी 2020 में शुरू किया गया। चूंकि महानदी-बंगाल-अंडमान बेसिन, कोलकाता में तैयार स्थान उपलब्ध नहीं था, रिग 213 दिनों तक बेकार पड़ी रही। इसके अलावा, त्रिपुरा एसेट में अपना परिचालन जारी रखने के लिए, ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने एक और रिग किराए पर लिया। इस प्रकार अनुचित नियोजन के कारण, ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने ₹29.69 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

(पैरा 2.7)

ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की मेहसाणा एसेट संबद्ध और मुक्त गैस का उत्पादन करती है जिसे या तो आंतरिक उपयोग के लिए उपभोग किया जाता है, या उपभोक्ताओं को बेचा जाता है या प्रज्वलन किया जाता है। मेहसाणा एसेट में पर्याप्त सुविधाओं में देरी और गैर-सृजन के परिणामस्वरूप 193 लाख मानक क्यूबिक मीटर गैस

का परिहार्य प्रज्वलन हुआ, जिसके कारण ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड को अप्रैल 2016 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान ₹15.13 करोड़ के राजस्व की परिहार्य हानि हुई।

(पैरा 2.8)

ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड की एक संयुक्त उद्यम कंपनी ओएनजीसी पेट्रो एडिंशंस लिमिटेड (ओपीएएल) ने ₹21,396 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ एक परियोजना शुरू की और भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व वाले बैंकों के संघ के साथ रुपये ऋण करार (जनवरी 2013) पर हस्ताक्षर किए और बाद में (जुलाई 2014) परियोजना की लागत को संशोधित कर के ₹27,011 करोड़ कर दिया। ओपीएएल ने तदनुसार एसबीआई और बैंकों के संघ के साथ एक संशोधन करार पर हस्ताक्षर किए और अनुसूचित वाणिज्यिक संचालन तिथि 30 जून 2015 निर्धारित की और सहमति दी कि समग्र परियोजना लागत को 31 दिसंबर 2015 तक 66:34 के ऋण-इक्विटी अनुपात के साथ और उसके बाद 58:42 के रूप में वित्त पोषित किया जाएगा, जिसके विफल होने पर बैंकों द्वारा 01 जून 2015 से 1 प्रतिशत प्रतिवर्ष का अतिरिक्त ब्याज प्रभारित किया जाएगा। ओपीएएल विस्तारित समय अवधि के भीतर भी आवश्यक इक्विटी भाग को जोड़ नहीं सका और ₹25.81 करोड़ का परिहार्य शास्तिक ब्याज लगाया गया।

(पैरा 2.9)

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों की अवहेलना में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने ₹10.60 करोड़ के मूल्य वाले अपने तेल और गैस भंडारों का नामांकन के आधार पर निजी पार्टियों को लेखापरीक्षण का कार्य दिया, जिससे निजी पार्टियों को अनुचित लाभ मिला।

(पैरा 2.10)

एनएचपीसी ने संविदा करार में गारंटीकृत न्यूनतम उत्पादन से कम विद्युत उत्पादन के लिए ₹11.61 करोड़ की शास्ति नहीं लगाई जिसके परिणामस्वरूप संविदाकार को अनुचित लाभ हुआ।

(पैरा 3.1)

इंडिया इन्फ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने, संघीय ऋण देने के तहत, उचित परिश्रम किए बिना एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड को एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट के निर्माण के लिए,

₹470 करोड़ का ऋण वितरित किया। चालू होने के बावजूद, ईंधन आपूर्ति करार के तहत सहमत दरों पर कोयले की आपूर्ति न होने के कारण परियोजना को व्यवहार्य रूप से नहीं चलाया जा सका और इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की संपूर्ण ऋण परिसंपत्ति ₹400.49 करोड़ के लिए गैर-निष्पादित परिसंपत्ति बन गई (अप्रैल 2018)। इसके परिणामस्वरूप 31 दिसंबर 2020 तक ₹400.49 करोड़ की ऋण राशि और ₹269.43 करोड़ के ब्याज की वसूली होना संदिग्ध है।

**(पैरा सं. 4.1)**

आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड ने अगस्त 2018 और मई 2016 में क्रमशः आशापुरा इंटीमेट्स फैशन लिमिटेड (₹10 करोड़) और आर्कोटेक लिमिटेड (₹15 करोड़) को ऋण संस्वीकृत किए। कंपनी दोनों ऋणों को संस्वीकृत/ संवितरित करते समय अपनी ऋण नीति और ऋण करारों की शर्तों से विचलित हो गई और बकाया देयों की वसूली के लिए दोनों उधारकर्ताओं के गिरवी शेयरों की बिक्री के लिए शेयर गिरवी करारों के अनुपालन में समय पर कार्रवाई करने में भी विफल रही। इसके कारण आशापुरा इंटीमेट्स फैशन लिमिटेड (₹12.55 करोड़) और आर्कोटेक लिमिटेड (₹14.79 करोड़) से ₹27.34 करोड़ के बकाया देयों की वसूली नहीं हुई।

**(पैरा 4.2)**

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड पुनर्बीमा संधि और करार के तहत अन्य सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा बीमा की गयी बीमा पॉलिसियों के अन्डरराईटिंग के हिस्से की स्वीकृति के लिए, पुनर्बीमा के तहत प्रीमियम प्राप्त करती है। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड इस प्रकार प्राप्त कुल प्रीमियम पर सेवा कर का भुगतान करता है। इसके बाद नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड उन बीमाकर्ताओं को चालान जारी करती है जिनसे इस प्रकार सेवाकर की वसूली के लिए प्रीमियम प्राप्त किया गया था। वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बीमाकर्ता वार मिलान किए बिना इस प्रकार प्राप्त कुल प्रीमियम पर सेवा कर का भुगतान किया। अभिलेखों का रख-रखाव न करने और प्राप्त पार्टी-वार पुनर्बीमा के प्रीमियम का मिलान करने में विफलता के कारण, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ₹23.81 करोड़ के सेवा कर की वसूली करने में विफल रही।

**(पैरा 4.3)**

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक फसल बीमा योजना, 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों

की पहचान के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लिया और चयनित हुई (अगस्त 2016)। कंपनी ने बीमा की गयी राशि के 80 प्रतिशत के लिए पुनर्बीमा लिया और शेष 20 प्रतिशत के लिए स्वयं जोखिम उठाने का फैसला किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि कंपनी 'हानि रोकने की संधि व्यवस्था' लेकर 20 प्रतिशत का अपना ऋण जोखिम भी सुरक्षित कर सकती थी लेकिन कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई लागत-लाभ विश्लेषण नहीं किया गया था। कंपनी ने इस योजना के लिए ₹501.96 करोड़ का प्रीमियम अर्जित किया (जिसमें सह-बीमाकर्ताओं जैसे नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में प्रत्येक का हिस्सा 25 प्रतिशत प्रीमियम पर शामिल है) जिसके प्रति कुल दावा व्यय ₹1,496.21 करोड़ था। जबकि अंतर का 80 प्रतिशत पुनर्बीमा के माध्यम से कवर किया गया था, 20 प्रतिशत, जो ₹299.24 करोड़ बनता है, को कवर नहीं किया गया था। यदि कंपनी ने हानि रोकने का पुनर्बीमा कवर लिया होता, तो इस तरह के हानि रोकने के बीमा कवर की लागत ₹16.56 करोड़ (लगभग) के रूप में मानने के बाद, यह आंशिक रूप से ₹63.76 करोड़ की हानि को कवर कर सकती थी।

(पैरा 4.4)

तेलंगाना राज्य में लागू किए गए वर्ष 2016-17 के लिए पशुधन बीमा का राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत बीमा करते हुए समाप्त हो रही पॉलिसी के उपगत दावा अनुपात का पता लगाने में दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप प्रीमियम का कम निर्धारण हुआ और बाद में उच्च दावा अनुपात के कारण ₹10.31 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा 4.5)

गुजरात में 75 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की संविदा मार्च 2018 में गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड द्वारा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को दी गई थी। इस संविदा के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को फोटो वोल्टिक मॉड्यूल की आपूर्ति भी करनी थी। इन फोटो वोल्टिक मॉड्यूल पर डंपिंग रोधी/ सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो, की प्रतिपूर्ति तभी की जानी थी यदि आपूर्ति निर्धारित समय के भीतर पूरी की गयी हो। फोटो वोल्टिक मॉड्यूल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड द्वारा तीन आपूर्तिकर्ताओं से अधिप्राप्त किए गए थे, जिसमें से दो से आपूर्ति सुपुर्दगी शुल्क प्रदत्त आधार पर थी, अर्थात् परियोजना स्थल तक सभी कर और शुल्क आपूर्तिकर्ताओं द्वारा वहन किए जाने

थे और एक विक्रेता से आपूर्ति लागत, बीमा, भाड़ा आधार पर न्हावाशेवा, मुंबई बंदरगाह पर थी। चूंकि आपूर्तिकर्ता से डिलीवरी, जिसने लागत, बीमा, भाड़ा आधार पर आपूर्ति की, को निर्धारित समय के भीतर सुनिश्चित नहीं किया गया था, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने आयात की निकासी के लिए सुरक्षा शुल्क के भुगतान के लिए ₹11.58 करोड़ की अतिरिक्त देयता को वहन किया।

(पैरा 5.2)

हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड को नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड से इलेक्ट्रिक वॉकिंग ड्रैगलाइन की आपूर्ति, उत्थापन और शुरू करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ (30 सितंबर 2009)। बाद में एक ही दर पर ड्रैगलाइन के दो और सेट जोड़कर इसमें संशोधन किया गया। हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड को तीन ड्रैगलाइन की आपूर्ति की जो मई 2014, जनवरी 2016 और मई 2019 में शुरू की गई थीं। हालांकि, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पहले दो ड्रैगलाइन की गारंटी उपलब्धता सुनिश्चित करने में असमर्थ था। नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड ने परिणामस्वरूप ₹32.74 करोड़ मूल्य की चार बैंक गारंटियों का नकदीकरण किया (25 सितंबर 2019)। इस प्रकार, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड को आपूर्ति की गई दो ड्रैगलाइनों की गारंटीकृत उपलब्धता सुनिश्चित करने में विफलता के कारण क्रेता द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी का नकदीकरण करने के कारण ₹32.74 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा 5.3)

हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड (कंपनी) ने खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स में एक प्रायोगिक संयंत्र को चालू करने और परिचालित करने के लिए स्टार ट्रेस प्राइवेट लिमिटेड को लगाया, जो प्रतिदिन ₹6.98 करोड़ के कुल मूल्य पर 200 टन कॉपर ओर टेलिंग्स ट्रीट करने की क्षमता रखता है। कंपनी ने जून, 2016 में प्रायोगिक परियोजना के चालू होने से पहले ही मलांजखंड कॉपर परियोजना में एक पूर्ण पैमाने पर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया था (मई 2016), जिसमें प्रति दिन 10,000 एमटी कॉपर ओर टेलिंग्स की प्रक्रिया की क्षमता है। कंपनी ने मलांजखंड कॉपर परियोजना में 3.29 मिलियन टन प्रति वर्ष कॉपर ओर टेलिंग्स बेनेफिसिएशन प्लांट की स्थापना के लिए स्टार ट्रेस प्राइवेट लिमिटेड को संविदा दी। प्रायोगिक परियोजना परिचालन के 33 महीने के बाद भी अपने परिकल्पित मापदंडों

को प्राप्त करने में विफल रही और वाणिज्यिक और तकनीकी पहलुओं पर भी अव्यवहार्य पाया गया। मलांजखंड कॉपर परियोजना संयंत्र के लिए परीक्षण जांच और विश्वसनीयता परीक्षण जांच वांछित परिणाम प्राप्त करने में विफल रही। इसलिए, प्रौद्योगिकी, जिसे अभी प्रमाणित किया जाना था, को अपनाकर, कंपनी ने न केवल अपने संसाधनों को व्यर्थ किया, बल्कि प्रायोगिक संयंत्र के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना इसे अपस्केलिंग करके ₹158.05 करोड़ का अनुचित और अविवेकपूर्ण निवेश निर्णय भी लिया, जो विफल साबित हुआ।

(पैरा 6.1)

एमएसटीसी लिमिटेड (एमएसटीसी) ने फैसिलिटेटर मोड के तहत लो एश मेटालार्जिकल कोक, कोयला और मैलटिंग स्क्रैप के आयात/ अधिप्राप्ति के वित्तपोषण के लिए एक प्राइवेट पार्टी कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ 12 दिसंबर 2012 से एक करार किया। करार के अनुसार, सामग्री को एमएसटीसी के नाम प्रतिभूत रखा जाना था और एक अभिरक्षक की अभिरक्षा में कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के संयंत्र के भीतर स्थित एक नामित गोदाम में संगृहीत किया जाना था। हालांकि, कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड की खराब वित्तीय स्थिति से अवगत होने के बावजूद एमएसटीसी ने क्रेडिट लिमिट ऋण जोखिम बढ़ाकर समय-समय पर कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड का वित्तपोषण जारी रखा। एमएसटीसी को कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के फरवरी 2021 तक कुल बकाया देय ₹220.84 करोड़ थे और इसके प्रति कोई वसूली नहीं की जा सकी। चूंकि, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने एमएसटीसी को कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के हितधारकों की सूची में अप्रतिभूत परिचालन क्रेडिटर के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए वसूली की संभावना कम प्रतीत होती है और एमएसटीसी ने वर्ष 2018-19 के लिए लेखा पुस्तकों में कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के पूरे बकाया देयों के लिए भी प्रावधान किया। इस प्रकार, कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड को फैसिलिटेटर मोड के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रति एमएसटीसी के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप ₹220.84 करोड़ की प्राप्य राशियों की वसूली नहीं हुई।

(पैरा 7.1)

एनएमडीसी लिमिटेड ने एक ही खान (डिपाज़िट 13) को एक वर्ष के भीतर दो बार पंजीकृत करने के लिए, पहले एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा और फिर दूसरी बार इसकी संयुक्त उद्यम कंपनी एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क के



भुगतान के कारण ₹48.36 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। शेयरधारकों सह संयुक्त उद्यम करार में पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क के भुगतान से छूट के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से विशिष्ट आश्वासन प्राप्त करने में एनएमडीसी लिमिटेड की विफलता के कारण, एनएमडीसी लिमिटेड को अतिरिक्त भार वहन करना पड़ा।

**(पैरा 7.3)**

दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी) ओडिशा में स्थित छह लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क खनन पट्टों का संचालन करती है। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय (अगस्त 2017) ने फैसला सुनाया कि पर्यावरण मंजूरी और वन मंजूरी के बिना/से अधिक उत्पादन जैसी अवैध खनन गतिविधियों के लिए पट्टेदारों पर शास्ति लगायी जाए। तदनुसार, ओडिशा सरकार ने पर्यावरण मंजूरी के उल्लंघन के लिए ओएमडीसी से ₹643.27 करोड़ और 'खनन योजना में निर्धारित अनुमोदित सीमा से अधिक खनिजों के उत्पादन और परिचालन की सहमति' के लिए ₹58.91 करोड़ की शास्ति की मांग की (सितंबर/अक्टूबर 2017)। केंद्रीय शक्ति प्राप्त समिति, ओडिशा सरकार, भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार द्वारा भुगतान के लिए स्पष्ट निर्देशों और कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी सलाह (दिसंबर 2017/मई 2018/दिसंबर 2018) के बावजूद, ओएमडीसी ने निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रतिपूर्ति का पूर्ण भुगतान नहीं किया। विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹174.04 करोड़ के शास्तिक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ।

**(पैरा 7.7)**

नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा 51 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग और सामरिक साझेदार द्वारा शेष 49 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग के साथ निजी भागीदारी के माध्यम से इंडिया यूनाइटेड मिल नंबर 1, एक बीमार इकाई के पुनरुद्धार के लिए इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल लिमिटेड (आईयूटीएमएल) को निगमित किया गया था (नवंबर 2007)। फरवरी से अप्रैल 2019 के दौरान, आईयूटीएमएल ने लिखित संविदा, प्रतिभूति और ब्याज शर्तों के बिना सामरिक साझेदार की एक समूह कंपनी को कुल ₹109.34 करोड़ (30 अलग-अलग भुगतान) का अग्रिम प्रदत्त किया। आईयूटीएमएल ने आज तक (मार्च 2021) न तो कपड़े की सामग्री प्राप्त की है और न ही अग्रिम और उस पर ब्याज की वसूली की है। आईयूटीएमएल के कपड़ा व्यापार कारोबार में 90 से 120 दिनों की क्रेडिट अवधि की अनुमति थी, लेकिन भुगतान में किसी भी देरी के लिए कोई ब्याज नहीं लगाया गया था।

अग्रिमों का अनियमित भुगतान और सामरिक साझेदार की समूह कंपनियों से बिक्री आय की देरी से प्राप्त के परिणामस्वरूप ₹109.34 करोड़ की अग्रिम राशि को अवरुद्ध करने के अलावा ₹29.70 करोड़ की हानि हुई।

(पैरा 8.1)

इंडिया यूनाइटेड मिल नंबर 6 मुंबई में स्थित नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) की एक बंद कपड़ा मिल थी और महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) ने डॉ बीआर अम्बेडकर के स्मारक के निर्माण के लिए इस भूमि (लगभग 12 एकड़) के हस्तांतरण के लिए अनुरोध किया था। जीओएम ने भूमि के मूल्य के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकारों के रूप में एनटीसी की क्षतिपूर्ति करने की पेशकश की (मार्च 2016) जिसे ₹1,413 करोड़ के रूप में निकाला गया था और हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री की सुविधा के लिए भी पेशकश की गई थी। एनटीसी के निदेशक बोर्ड ने हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री के लिए एक समिति का गठन किया (जनवरी 2018), लेकिन बाद में एनटीसी की ओर से हस्तांतरणीय विकास अधिकारों को इस आधार पर बेचने के लिए जीओएम से अनुरोध करने का निर्णय लिया (अगस्त 2018) कि एनटीसी द्वारा प्राप्त प्रतिफल की राशि तय की गई थी और जीओएम हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री को सुविधाजनक बनाने के लिए सहमत हो गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जीओएम की ओर से कोई पूर्व करार या सहमति नहीं थी कि वे हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री करेंगे और एनटीसी को सहमत राशि सौंप देंगे। एनटीसी द्वारा हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री के लिए सकारात्मक कार्रवाई के अभाव के परिणामस्वरूप चार वर्षों के लिए ₹1,413 करोड़ की वसूली नहीं हुई और ₹268 करोड़ के ब्याज की परिणामी हानि हुई।

(पैरा 8.2)

एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एएआई) ने गोवा विमानपत्तन पर खाद्य एवं पेय (एफएंडबी) आउटलेट के विकास, विक्रय सेटअप, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए मेसर्स ट्रेवल फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स टीएफएस) के साथ एक रियायती करार किया (24 सितंबर 2018)। प्रारंभ में, गोवा विमानपत्तन ने लगभग 2,600 किलोवाट की वास्तविक खपत के प्रति 4,000 किलोवाट के बिजली भार को संस्वीकृति दी थी, चूंकि पुराने टर्मिनल भवन से परिचालन बंद कर दिया गया था। इसलिए शास्तिक प्रभारों से बचने के लिए लगभग 1,000 किलोवाट के अप्रयुक्त भार को अभ्यर्पित कर दिया गया था

(जून 2015)। इसलिए, एएआई को इस बात की जानकारी थी कि वर्तमान स्वीकृत भार केवल परिचालनात्मक आवश्यकता के लिए था और वाणिज्यिक संचालन शुरू करने के लिए अतिरिक्त स्वीकृत भार (लगभग 827 किलोवाट) की आवश्यकता थी। एएआई ने 1,500 किलोवाट के अतिरिक्त स्वीकृत लोड के लिए आवेदन किया (12 नवंबर 2018), जिसे गोवा बिजली विभाग द्वारा 3 जनवरी 2019 को इस शर्त पर संस्वीकृति किया गया था कि संविदा की मांग को बढ़ाने के लिए ₹5.67 करोड़ की लागत एएआई द्वारा वहन की जाएगी। हालांकि आज तक इलेक्ट्रिकल का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है और एएआई डीजी सेट के माध्यम से गोवा विमानपत्तन पर उपलब्ध भार से मेसर्स टीएफएस को बिजली की आपूर्ति कर रहा है। पूर्ण लोड की उपलब्धता न होने के कारण, मेसर्स टीएफएस ने नवंबर 2019 में एएआई द्वारा उठाई गई मांग के प्रति ₹17.30 करोड़ की और छूट का दावा किया। अतः अपर्याप्त निर्धारण तथा गोवा विमान पत्तन पर अपेक्षित विद्युत भार की व्यवस्था में विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹15.66 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

**(पैरा 9.1)**

एयर इंडिया लिमिटेड (एआईएल) ने 6 जुलाई 2016 से प्रभावी रोटेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मेसर्स बोइंग के साथ एक करार किया, जिसके अनुसार एआईएल बोइंग के सेवायोग्य घटक के साथ एक अनुपयोगी हटाए गए घटक का आदान-प्रदान कर सकता है। मेसर्स बोइंग आदान-प्रदान घटकों के लिए संबंधित मरम्मत, ओवरहाल और संशोधन सेवा प्रदान करता है। करार के अनुसार, एआईएल को 10 कैलेंडर दिनों के भीतर बोइंग के प्राथमिक केंद्र में प्रत्येक हटाए गए घटक को वापस/वितरित करना था, जिसमें विफल होने पर एआईएल विलंब प्रतिफल प्रभारों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। इसके अलावा, यदि घटक 20 दिनों के भीतर सुपुर्द नहीं किया गया, तो एआईएल अतिरिक्त शास्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी था। जुलाई 2016 से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान हटाए गए घटक की वापसी में लगातार देरी के कारण एआईएल ने मेसर्स बोइंग को ₹43.85 करोड़ का शास्तिक भुगतान किया।

**(पैरा 9.4)**

'पूर्ववर्ती शर्त' से संबंधित मॉडल रियायत करार के अनुच्छेद 4 के अनुसार, रियायत करार के तहत एनएचएआई और रियायतग्राही के अधिकार और दायित्व, निर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों से पूर्णतः संतुष्टि के अधीन होंगे। एनएचएआई द्वारा पूर्ववर्ती शर्तों में से एक 'फीस

अधिसूचना जारी करना' है। इसके अलावा, मॉडल रियायत करार के अनुच्छेद 4.2 और 4.3 में बताया गया है कि यदि, एनएचएआई या रियायतग्राही, रियायत करार की किसी भी पूर्ववर्ती शर्त को पूर्ण करने में विफल रहे, तो वे क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। एनएचएआई ने मध्य प्रदेश राज्य में 15 जून 2015 और 27 अगस्त 2015, को क्रमशः शिवपुरी-गुना खंड के 236.00 किमी से 332.100 किमी तक चार लेन और ब्यावरा से देवास खंड के 426.100 किमी से 566.450 किमी तक चार लेन करने के लिए दो रियायत करार किए। लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएचएआई करारों में फीस अधिसूचना जारी करने से संबंधित रियायती करार में पूर्ववर्ती शर्त के पूर्व खंड को बनाए रखने के कारण रियायतग्राहियों पर पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने में उनके विलंब के लिए ₹12.36 करोड़ की क्षतिपूर्ति के उदग्रहण करने में विफल रहा, जो वास्तव में इस परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन की तिथि प्राप्त करने पर सड़क उपयोगकर्ताओं से फीस के संग्रहण के लिए आवश्यक था।

**(पैरा 10.1)**

एनएचएआई ने राजमार्गों को चौड़ा करने के लिए वेस्ट गुजरात एक्सप्रेसवे लिमिटेड (डब्ल्यू जीईएल) के साथ एक रियायती करार (मार्च 2005) किया। डब्ल्यूजीईएल को नियत तारीख से 20 साल की रियायत अवधि की अनुमति दी गई थी और रियायत अवधि के दौरान उपयोगकर्ताओं से टोल के संग्रहण की अनुमति दी गई थी। डब्ल्यूजीईएल ने आवधिक रखरखाव को पूरा करने में विलम्ब किया तथा करार के अनुसार ₹21.94 करोड़ की राशि क्षतिपूर्ति के रूप में उदग्रहण थी। हालांकि, सीवीसी दिशानिर्देशों के उल्लंघन में, एनएचएआई ने फरवरी 2018 की एनएचएआई के 'नीतिगत दिशानिर्देशों/आवधिक रखरखाव और क्षतियों के लिए गणना' के अनुसार क्षतिपूर्ति की गणना पद्धति को संशोधित करके रियायती करार में निर्दिष्ट से कम क्षतिपूर्ति लगाकर रियायतग्राही को ₹10.94 करोड़ का अनुचित लाभ दिया जो करार पर लागू नहीं था।

**(पैरा 10.2)**

ऊर्जा समूह



## अध्याय I: कोयला मंत्रालय

### कोल इंडिया लिमिटेड

#### 1.1 आठ वर्षों से अधिक के लिए निष्क्रिय रहें हेलीकाप्टर और विमानों के अवधारण के कारण हैंगर किराए के प्रति परिहार्य भुगतान

कोल इंडिया लिमिटेड ने एक हेलीकॉप्टर (1991) और एक विमान (1993) खरीदे, जो क्रमशः मार्च 2009 और फरवरी 2012 से निष्क्रिय रहे। हेलीकॉप्टर और विमान की उड़यन-योग्यता क्रमशः जुलाई 2010 और सितंबर 2013 तक वैध थी और इसका नवीनीकरण नहीं किया गया था। कार्यात्मक निदेशकों द्वारा हेलीकॉप्टर और विमान के सर्वेक्षण और निपटान के निर्णय (अक्टूबर 2012/ जनवरी 2013) के बावजूद कोल इंडिया लिमिटेड समय पर कार्रवाई करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2014 से मार्च 2021 तक ₹9.02 करोड़ की हैंगर किराए का परिहार्य भुगतान हुआ।

कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) ने तात्कालिक आवश्यकता/आपात स्थिति के दौरान उपयोग के लिए क्रमशः ₹2.87 करोड़ और ₹13 करोड़ की लागत पर मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) से एक हेलीकॉप्टर (1991) और एक विमान (1993) की खरीद की। सीआईएल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय विमानपत्तन, कोलकाता में मासिक किराया आधार पर उन्हें तैनात करने के लिए हैंगर स्थान किराए पर लिया।



लेखापरीक्षा में पाया गया कि हेलीकॉप्टर और विमान क्रमशः मार्च 2009 और फरवरी 2012 तक ही सक्रिय रहे थे। इसके अलावा, हेलीकॉप्टर और विमान की उड़यन-योग्यता क्रमशः जुलाई 2010 और सितंबर 2013 में समाप्त हो गई, जिसका नवीनीकरण उसके बाद नहीं किया गया था। हेलीकॉप्टर और विमान दोनों ही एयरपोर्ट हैंगर में निष्क्रिय रहे, जिसके लिए सीआईएल ने अप्रैल 2014 से मार्च 2021 की अवधि के दौरान ₹7.88 लाख और ₹13.39 लाख के बीच मासिक किराए का भुगतान किया।

कंपनी के कार्यात्मक निदेशकों ने देखा (अक्टूबर 2012) कि हेलीकॉप्टर का निपटान करने के लिए सर्वेक्षण करने की आवश्यकता थी क्योंकि नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) मानदंडों के अनुसार इसे उड़ने योग्य बनाने के प्रयासों में, जो व्यय करना होगा, वह इसके परिचालन पर विचार करते हुए किफायती नहीं था। इसके बाद, कार्यात्मक निदेशकों ने राय दी (जनवरी 2013) कि विमान की आयु 20 वर्ष से अधिक होने के कारण इसकी मरम्मत और कलपुर्जों की खपत की आवृत्ति अधिक होने की उम्मीद थी। इसलिए कार्यात्मक निदेशकों ने सिफारिश की कि विमान का सर्वेक्षण किया जाए और अंततः उसका निपटान किया जाए। सीआईएल की लेखापरीक्षा समिति ने भी सिफारिश की (अप्रैल 2016) कि विमान और हेलीकॉप्टर को जुलाई 2016 तक निपटान करने की आवश्यकता थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्यात्मक निदेशकों और लेखापरीक्षा समिति के विचारों/ मतों के बावजूद, दोनों विमानों को उड़ने/परिचालन योग्य बनाने के लिए व्यवहार्यता का पता लगाने और विमानपत्तन के हैंगर से इन विमानों को स्थानांतरित करने के लिए वैकल्पिक खुली जगह की पहचान करने के लिए बार-बार कई समितियों का गठन किया गया था, जो अंततः फलीभूत नहीं हुआ।

यह भी देखा गया कि इन विमानों के आरक्षित मूल्य और निपटान की विधि निश्चित करने के लिए फिर से एक समिति का गठन किया गया (जनवरी 2019)। समिति ने नोट किया कि हैंगर किराए के लिए पहले ही बड़ी राशि का भुगतान किया जा चुका था और सिफारिश की (अगस्त 2019) कि बिना किसी अन्य विकल्प का पता लगाए, इन विमानों का शीघ्रतिशीघ्र निपटान किया जाए।

विमानों के निपटान के लिए लेखापरीक्षा द्वारा बताए जाने पर, सीआईएल ने मार्च 2020 में वैल्यूअर नियुक्त किया, जिसने दोनों विमानों के लिए कुल आरक्षित मूल्य ₹74 लाख<sup>1</sup> निर्धारित किया। वैल्यूअर ने यह भी पाया कि 2012 के बाद से लंबी अवधि के लिए इन विमानों का उपयोग किए बिना समय बीत जाने के कारण इन दोनों विमानों के उपयोगी कार्यकाल का अवमूल्यन हुआ।

इस प्रकार, 8 वर्षों से 11 वर्षों तक अपने परिचालन के बिना विमानों को रोके रखने के परिणामस्वरूप अप्रैल 2014 से मार्च 2021 तक की अवधि के लिए हैंगर किराए के प्रति ₹9.02 करोड़ का परिहार्य भुगतान हुआ, जो इन विमानों के अवशिष्ट मूल्य का क्षरण होने के अलावा था।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2021) कि इन विमानों के निपटान के लिए विभिन्न कदम उठाए गए थे लेकिन वे फलित नहीं हुए। उनके पास हैंगर किराया देने के अलावा कोई

<sup>1</sup> हेलीकॉप्टर के लिए मूल्य: ₹9 लाख और विमान के लिए ₹65 लाख



विकल्प नहीं था। इसमें यह भी बताया गया है कि उन्होंने एमएसटीसी लिमिटेड के माध्यम से स्क्रेप के रूप में दोनों विमानों के निपटान के लिए नीलामी की प्रक्रिया शुरू कर दी है और डीजीसीए द्वारा इन विमानों को विपंजीकृत कराने की प्रक्रिया भी साथ साथ शुरू की गई है। मंत्रालय (मई 2021) ने प्रबंधन के मत की पुष्टि करते हुए बताया कि इन विमानों के निपटान में जानबूझकर विलम्ब नहीं हुआ। इसमें यह भी बताया गया है कि दोनों विमानों का मार्च 2021 में की गई नीलामी में अंतिम रूप से निपटान<sup>2</sup> कर दिया गया है और सफल बोलीदाता को अप्रैल 2021 में बिक्री मंजूरी आदेश जारी किया गया है।

मंत्रालय/प्रबंधन के उत्तर को इस तथ्य के साथ देखा जाना है कि प्रबंधन की ओर से इन विमानों के निपटान में विलंब इस तथ्य से स्पष्ट है कि सीआईएल ने अक्टूबर 2012 में दिए गए कार्यात्मक निदेशकों के सुझावों पर समय पर कार्रवाई नहीं की थी। इसके अलावा, इसने मार्च 2020 में (कार्यात्मक निदेशकों द्वारा दिए गए सुझावों के 88 महीने बीत जाने के बाद) एक वैल्यूअर को लगाया। कार्यात्मक निदेशकों और लेखापरीक्षा समिति के सुझावों के बावजूद, सीआईएल ने आठ वर्षों से अधिक के लिए उन विमानों के लिए हैंगर स्थान पर कब्जा करने के लिए किराया प्रदत्त किया जो निष्क्रिय थे और दोनों विमानों को उड़ाने/परिचालन योग्य बनाने के लिए व्यवहार्यता का पता लगाने में स्वयं को लगाए रखा, जो अंततः फलीभूत नहीं हुआ।

इस प्रकार, निष्क्रिय हेलीकाप्टर और विमान के निपटान में विलंब के कारण, सीआईएल ने ₹9.02 करोड़ की राशि के हैंगर किराए का परिहार्य भुगतान किया।

सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड, साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड और वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड

### **1.2 सीआईएसएफ के तैनाती प्रभारों के विलंबित भुगतान के कारण दण्डात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान**

सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (सीसीएल), वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (एसईसीएल) लिमिटेड समय पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के तैनाती प्रभारों का भुगतान करने में विफल रहे और परिणामस्वरूप मार्च 2005 से दिसंबर 2019 के दौरान ₹6.19 करोड़ के दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान किया गया।

सेंट्रल कोलफील्डस लिमिटेड (सीसीएल), वेस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) और साउथ ईस्टर्न कोलफील्डस लिमिटेड (एसईसीएल) तैनाती प्रभारों के भुगतान पर विभिन्न कोयला खनन परियोजनाओं की सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केंद्रीय

<sup>2</sup> ₹2.19 करोड़ की कीमत पर निपटान किया गया

औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की तैनाती करते हैं जिसमें वेतन, भत्ते और अन्य खर्च शामिल होते हैं। सीआईएसएफ की तैनाती गृह मंत्रालय (एमएचए), सीआईएसएफ इंडक्शन एंड पॉलिसी मैनुअल, 2000 के दिशानिर्देशों और समय-समय पर कंपनियों और सीआईएसएफ के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन (एमओयू) द्वारा शासित होती है।

एमएचए ने समय पर भुगतान और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में सीआईएसएफ को शामिल करने की लागत की वसूली की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए दिशानिर्देश (मई 2005) जारी किए। दिशा-निर्देशों के अनुसार, यदि कोई पीएसयू मासिक देयों के भुगतान में एक महीने से अधिक का चूक करता है तो प्राइम लेंडिंग रेट, जैसाकि समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित किया जाता है, के अतिरिक्त दो प्रतिशत की दर पर दंडात्मक ब्याज वसूल किया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने सीआईएसएफ के मासिक देयों का समय पर भुगतान करने में सीसीएल<sup>3</sup>, डब्ल्यूसीएल<sup>4</sup> और एसईसीएल<sup>5</sup> द्वारा बार-बार चूक देखी जो नियत तिथि के बाद 1 दिन से 366 दिनों के बीच थी। परिणामस्वरूप, सीआईएसएफ ने मासिक देयों के विलंबित भुगतान के लिए सीसीएल (₹4.26 करोड़), डब्ल्यूसीएल (₹1.10 करोड़) और एसईसीएल (₹0.83 करोड़) से दंडात्मक ब्याज की मांग की।

सीसीएल और एसईसीएल द्वारा शास्तिक ब्याज माफ करने के लिए एमएचए/ सीआईएसएफ (मई 2014 और जनवरी 2020) को अभ्यावेदन दिए गए थे लेकिन इसे अस्वीकार (अगस्त 2014 और अगस्त 2020) कर दिया गया। सीसीएल, एसईसीएल और डब्ल्यूसीएल ने अंततः जून 2019, दिसंबर 2020 और अप्रैल 2021 में सीआईएसएफ को क्रमशः ₹4.26 करोड़, ₹0.83 करोड़ और ₹1.10 करोड़ के दंडात्मक ब्याज का भुगतान किया।

इस प्रकार, सीसीएल, एसईसीएल और डब्ल्यूसीएल ने सीआईएसएफ के तैनाती प्रभारों का समय पर भुगतान न करने के कारण मार्च 2005 से दिसंबर 2019 के दौरान ₹6.19 करोड़ के दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान किया।

तथ्यों को स्वीकार करते हुए, सीसीएल ने बताया (दिसंबर 2020) कि उसने सीआईएसएफ को केंद्रीकृत भुगतान करना शुरू किया था (मार्च 2019) और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही थी। तथ्यों को स्वीकार करते हुए एसईसीएल ने बताया (दिसंबर 2020) कि प्रक्रियात्मक विलंब, जीएसटी के कार्यान्वयन और सीआईएसएफ से बाद में स्पष्टीकरण के कारण प्रारंभिक वर्षों में प्रमुख विलंब

<sup>3</sup> मार्च 2005 से नवंबर 2018

<sup>4</sup> जून 2010 से दिसंबर 2019

<sup>5</sup> अक्टूबर 2010 से जुलाई 2018

हुआ। हालांकि, वर्तमान में विलंब से भुगतान का कोई मामला नहीं था। तथ्यों को स्वीकार करते हुए डब्ल्यूसीएल ने अप्रैल 2021 में दंडात्मक ब्याज के प्रति भुगतान किया।

मंत्रालय ने प्रबंधन के मतों का समर्थन किया (फरवरी 2021)।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि एसईसीएल नियमित रूप से सीआईएसएफ को समय पर भुगतान करने में चूक कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप दंडात्मक ब्याज का भुगतान किया गया। विलंबित भुगतान के लिए जीएसटी कार्यान्वयन का एसईसीएल का तर्क भी इस तथ्य के कारण मान्य नहीं है कि जीएसटी केवल 2017 में अस्तित्व में आया था जबकि एसईसीएल 2010 से चूक रहा है। दंडात्मक ब्याज के भुगतान में माफी/छूट की मांग करने के लिए उपरोक्त कारणों को भी सीआईएसएफ को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन सीआईएसएफ द्वारा यह कहते हुए उन्हें स्वीकार नहीं किया गया था कि एसईसीएल ने 2010-11 से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान कई बार भुगतान में विलंब किया और दंडात्मक ब्याज को माफ करने के लिए प्रक्रियात्मक विलंब पर विचार नहीं किया जाएगा।

इस प्रकार, एमएचए के दिशानिर्देशों का पालन किए बिना सीआईएसएफ बकाया के देयों के विलम्बित भुगतान विलंब के कारण, सीसीएल, एसईसीएल और डब्ल्यूसीएल ने ₹6.19 करोड़ (₹4.26 करोड़, ₹0.83 करोड़ और ₹1.10 करोड़) के दंडात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान किया था।

### नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड

#### 1.3 सीवीसी के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन से निजी ठेकेदारों को अनुचित लाभ हुआ

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में समयबद्ध वसूली के बिना संविदाकारों को लाभबंदी अग्रिम के प्रदान करने के परिणामस्वरूप नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड को ₹5.47 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के दिशा-निर्देशों (10 अप्रैल 2007) में अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित किया गया था कि संविदाकार को ब्याज मुक्त लाभबंदी अग्रिम के भुगतान को हतोत्साहित किया जाना चाहिए और यदि प्रबंधन विशिष्ट मामलों में इसकी आवश्यकता महसूस करता है, तो वसूली समयबद्ध होनी चाहिए और कार्य की प्रगति के साथ सम्बद्ध नहीं होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना था कि यदि संविदाकार कार्य को क्रियान्वित नहीं कर रहा था अथवा धीमी गति से उसका निष्पादन कर रहा था, तब भी अग्रिम की वसूली शुरू हो सकती थी और ऐसे अग्रिम के दुरुपयोग की गुंजाइश को कम किया जा सकता था।

नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड ने घाटमपुर, कानपुर (उत्तर प्रदेश) में 1,980 मेगावाट (3x660 मेगावाट) की क्षमता के साथ कोयला आधारित सुपरक्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट स्थापित करने के लिए 2016-17 के दौरान ₹7,378.10 करोड़ पर तीन प्रमुख पैकेज<sup>6</sup> दिए। इन संविदा में अन्य बातों के साथ-साथ कुल प्रदान की गई लागत के 10 प्रतिशत की सीमा तक ब्याज मुक्त लाभबंदी अग्रिम जारी करने का प्रावधान किया गया था।

नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड ने 09 सितंबर 2016 और 09 मार्च 2018 के बीच संविदाकारों को ₹767.90 करोड़ का ब्याज मुक्त लाभबंदी अग्रिम जारी किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ब्याज मुक्त लाभबंदी अग्रिम की वसूली के लिए कोई विशिष्ट समय अनुसूची को निर्धारित नहीं किया गया था। इसके बजाय, वसूली सीवीसी के दिशा निर्देशों के उल्लंघन में प्रगति भुगतानों (काम की प्रगति से जुड़ी हुई) से जुड़ी हुई थी।

संविदा में ऐसी कमियों के कारण अग्रिम भुगतान के एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद अर्थात् नवम्बर 2017 में भुगतान के लिए प्रस्तुत किए गए संविदाकारों के सम्बन्धित प्रथम रनिंग बिलों से अग्रिम की पहली वसूली की गई थी। इस प्रकार, अनुसूचित वसूली समय सीमा के अभाव में, नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड के ब्याज को इस अवधि के दौरान संरक्षित नहीं किया जा सका और संविदाकार द्वारा कार्य की अधिक प्रगति के बिना अग्रिम राशि को बनाए रखने की अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप संविदाकारों को ₹5.47 करोड़<sup>7</sup> के अनुचित लाभ की वृद्धि हुई। इसके अलावा, चूंकि वसूली कार्य की प्रगति से जुड़ी हुई थी, डाउन पेमेंट अभी तक पूरी तरह से वसूल नहीं किया गया है (दिसंबर 2020)।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2021) कि:

- यदि संविदाकार संविदा की संविदात्मक सुपुर्दगी अवधि का पालन करने में विफल रहता है, तो ब्याज उदग्रहित किया जाएगा और संविदा शर्तों के अनुसार राशि की कटौती समायोजन के लिए किसी भी/स्रोत के अभाव में निर्धारित तरीके से अग्रिम की वसूली संभव नहीं हो सकती। इसलिए, यह कार्य की प्रगति से जुड़ा हुआ था और संबंधित प्रथम रनिंग बिलों से अग्रिम की वसूली शुरू की गयी।

<sup>6</sup> मेसर्स एलएंडटी-एमएचपीएस बॉयलर प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स अलस्टॉम इंडिया फोर्ज पावर प्राइवेट लिमिटेड (जीई) और मेसर्स बीजीआरएन जीसिस्टमस लिमिटेड के साथ क्रमशः स्टीम जेनरेटर पैकेज (जीए 1), टरबाइनजेनरेटरपैकेज (जीए 2) औरबैलेंसऑफप्लांटपैकेज (जीए 3)

<sup>7</sup> अग्रिम की अर्धवार्षिक किस्त की वसूली (यदि अनुसूची सीवीसी द्वारा जोर दिए जाने पर अग्रिम रूप से निर्धारित की गई है) ब्याज की  $x$  दर (9.35 प्रतिशत) जैसा कि नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड से बैंकों द्वारा प्रभारित किया गया  $x$  (अग्रिम के जारी करने और वसूली के शुरू होने के बीच समय अंतराल -प्रथम रनिंग बिल को जमा करने के लिए 6 महीने)

- भावी निविदाओं में शामिल करने के लिए लाभबंदी अग्रिम की समयबद्ध वसूली की समीक्षा की जाएगी जिसके लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर का समर्थन किया (मार्च 2021)।

हालांकि प्रबंधन/मंत्रालय लाभबंदी अग्रिम की समयबद्ध वसूली की समीक्षा करने पर सहमत हुआ, लेकिन इस तथ्य के प्रति उत्तर पर विचार किया जाना है कि सीवीसी के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया कि लाभबंदी अग्रिम के प्रति बैंक गारंटी प्रस्तावित वसूली किस्तों में उतने ही संख्या में ली जानी चाहिए और प्रत्येक किस्त के बराबर होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसी भी समय यदि किए गए कार्य के कारण संविदाकार का धन संगठन के पास उपलब्ध नहीं होता है, तो बैंक गारंटी को नकदीकरण करके ऐसे अग्रिम की वसूली की जाती है।

इस प्रकार, सीवीसी के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में निर्धारित वसूली समयसीमा के बिना संविदाकारों को लाभबंदी अग्रिम प्रदान करने के परिणामस्वरूप नेवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड को ₹5.47 करोड़ के ब्याज की हानि हुई।

#### एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड

#### 1.4 क्षतिपूर्ति प्रभारों का परिहार्य भुगतान

एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड ने कोयले के परिवहन के लिए लॉजिस्टिक संविदा को अंतिम रूप दिए बिना एक कोयला आपूर्ति करार किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹12.58 करोड़ के क्षतिपूर्ति प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

एनएलसी इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड (एनटीपीएल) ने तूतीकोरिन, तमिलनाडु में कोयला आधारित विद्युत संयंत्र की प्रत्येक 500 मेगावाट की क्षमता की दो इकाइयां चालू कीं (जून 2015 और अगस्त 2015)। संयंत्र को स्वदेशी और आयातित कोयले दोनों का उपयोग करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। स्वदेशी कोयले के लिए एनटीपीएल ने प्रति वर्ष 3.0 मिलियन टन (एमटी) कोयले की आपूर्ति के लिए कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) की सहायक कंपनी मेसर्स महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के साथ दीर्घावधि करार (25 वर्ष) किया था। अपनी शेष कोयला आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, एनटीपीएल ने अलग करारों के माध्यम से आवश्यकता के आधार पर कोयले का आयात किया।

भारत सरकार के निर्देशानुसार कोयले के आयात को कम करने के लिए एनटीपीएल ने अतिरिक्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति के लिए सीआईएल से संपर्क किया। चूंकि एमसीएल अतिरिक्त मात्रा में कोयले की आपूर्ति करने की स्थिति में नहीं था, सीआईएल ने ईस्टर्न

कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) को 0.3 एमटी उच्च श्रेणी के कोयले की आपूर्ति, जिसे एमसीएल द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले 3.0 एमटी कोयले के प्रति समायोजित किया जाना था और साईड करार के अनुसार 1.0 एमटी कोयले की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति करने का निर्देश दिया (सितंबर 2016)।

तदनुसार, ईसीएल ने एनटीपीएल के साथ 0.3 एमटी की वार्षिक संविदागत मात्रा के लिए एक कोयला आपूर्ति करार पर हस्ताक्षर किए (14 सितंबर 2016) जिसमें कोयले की सहमत मात्रा को नहीं उठाने के लिए शास्ति खंड शामिल था। एनटीपीएल के निदेशक मंडल ने शास्ति के उदग्रहण से बचने के लिए कोयले की प्रतिबद्ध मात्रा के उठाने को सुनिश्चित करने के निर्देश के साथ करार के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया (अक्टूबर 2016)। हालांकि एनटीपीएल के पास सितंबर 2016 में करार करने के समय ईसीएल से कोयले के परिवहन के लिए लॉजिस्टिक संविदा नहीं थी। एनटीपीएल ने केवल जून 2017 में लॉजिस्टिक संविदा को दिया और जुलाई 2017 से कोयले को उठाना शुरू किया।

करार के अनुसार, कोयले को तत्काल उठाया जाना था अर्थात् करार करने की तिथि से, हालांकि, लॉजिस्टिक सहयोग के अभाव में एनटीपीएल कोयले की सहमत मात्रा को नहीं उठा सका। इसलिए, शास्ति खंड को लागू करके, ईसीएल ने सितंबर 2016 से मार्च 2017 की अवधि के लिए ₹12.58 करोड़ का क्षतिपूर्ति प्रभार लगाया (दिसंबर 2017)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनटीपीएल ने कोयला आपूर्ति करार किया, जबकि यह पता था कि लॉजिस्टिक सहयोग उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा, एनटीपीएल ने करार पर हस्ताक्षर करने के समय अपने हितों की रक्षा के लिए संविदात्मक प्रावधान में संशोधन करने के लिए ईसीएल को सहमत नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹12.58 करोड़ के क्षतिपूर्ति प्रभार का परिहार्य भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (फरवरी 2020) कि 14 सितंबर 2016 को सीआईएल मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक में एनटीपीएल को कोयले का आयात रोकने के लिए सूचित किया गया था और आयात विकल्प के रूप में ईसीएल उच्च श्रेणी कोयले की आपूर्ति करेगा। उसी दिन सीआईएल ने ईसीएल को एनटीपीएल के साथ ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) पर हस्ताक्षर करने का निर्देश दिया था, तदनुसार, ईसीएल ने 14 सितंबर 2016 को एनटीपीएल के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर किए। ये सभी बातें एक ही दिन हुईं, जबकि एनटीपीएल के पास ईसीएल खदानों से कोयले को उठाने के लिए कोई लॉजिस्टिक सहयोग नहीं था और एफएसए के अनुसार कोयले को उठाने की समय-सीमा तुरंत अर्थात् 14 सितंबर 2016 को शुरू हो गई थी। तत्कालीन मामले में एफएसए पर हस्ताक्षर करने की सामान्य प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, क्योंकि एफएसए को आयात विकल्प के रूप में हस्ताक्षरित किया गया था। राशि वापस प्राप्त करने के लिए सीआईएल के साथ मामला उठाया गया है।

मंत्रालय ने प्रबंधन के मत का समर्थन करते हुए बताया (फरवरी 2021) कि शास्ति खंड सभी एफएसए धारकों के लिए लागू है और ईसीएल से कोयला आयात का विकल्प था और विदेशी मुद्रा की बचत हो रही थी।

प्रबंधन का उत्तर इस बात की पुष्टि करता है कि एनटीपीएल ने करार के खंडों, इसके प्रभाव और लॉजिस्टिक संविदा को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक समय का विश्लेषण किए बिना शीघ्रता में करार किया था। इसके अलावा, सीआईएल से किसी उत्तर के अभाव में एनटीपीएल ने 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में व्यय के रूप में प्रदत्त क्षतिपूर्ति की पूर्ण राशि को प्रभारित किया। मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के प्रति विचार किया जाए कि अन्य एफएसए में लॉजिस्टिक की व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाता है। शास्ति खंड केवल तभी लागू होगा जब लॉजिस्टिक सहयोग की उपलब्धता के बावजूद कोयले को कम उठाया गया हो। तत्कालीन मामले में, हालांकि एनटीपीएल को इस तथ्य का भली-भांति पता था कि लॉजिस्टिक सहयोग उपलब्ध नहीं था, लेकिन उसने न तो लॉजिस्टिक सहयोग की व्यवस्था करने के लिए अधिक समय के लिए जोर दिया और न ही संविदात्मक प्रावधान में संशोधन के लिए सहमत किया। इसके अलावा, मंत्रालय का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि ईसीएल से 0.3 एमटी कोयले की आपूर्ति आयात विकल्प नहीं थी बल्कि इसे एमसीएल द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले 3.0 एमटी कोयले के प्रति समायोजित किया गया था। साइड करार के अनुसार, ईसीएल द्वारा आपूर्ति की जाने वाली कोयले की अतिरिक्त मात्रा अन्य 1.0 एमटी आयात विकल्प था।

इस प्रकार, एनटीपीएल करार करते समय अपने हितों की रक्षा करने में विफल रहा, जिसके परिणामस्वरूप ₹12.58 करोड़ के क्षतिपूर्ति प्रभारों का परिहार्य भुगतान हुआ।

## अध्याय II: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

### इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

#### 2.1 उपभोक्ताओं से टर्नओवर कर की वसूली के माध्यम से अनुचित संवर्धन

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 के कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन में आंध्र प्रदेश में उपभोक्ताओं से टर्नओवर कर का ₹262.60 करोड़ का संग्रहण किया और बाद में ₹262.60 करोड़ की कुल लगायी गयी शास्ति के प्रति, ₹65.65 करोड़ (25 प्रतिशत) का भुगतान करके तेलंगाना सरकार के साथ कानूनी मामले का निपटान किया। जिसके परिणामस्वरूप इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ₹196.95 करोड़ का अनुचित संवर्धन हुआ।

आंध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) ने आंध्र प्रदेश सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1957 (एपीजीएसटी अधिनियम) के तहत टर्नओवर कर लगाने के लिए नई उप-धारा 5-ए (1-ए) से (1-सी) समाविष्ट की (30 नवंबर 2001 से प्रभावी)। उप-धारा 5-ए (1-ए) में यह अधिदेशित किया गया कि मौजूदा करों के अलावा प्रत्येक डीलर पेट्रोल और डीजल तेल के साथ-साथ में प्रत्येक रुपये पर दो पैसे की दर से टर्नओवर कर का भुगतान करेगा। हालांकि, कोई भी डीलर खरीदारों से टर्नओवर कर का संग्रहण करने का हकदार नहीं होगा और खरीदारों से टर्नओवर कर के संग्रहण पर क्रमशः उप-धारा 5-ए (1-बी) और उप-धारा 5-ए (1-सी) के अनुसार टर्नओवर कर के समकक्ष राशि की शास्ति लगेगी।

तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) ने उपभोक्ताओं से आंध्र प्रदेश में अप्राप्य टर्नओवर कर के सम्बन्ध में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संपर्क किया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने ओएमसी को स्पष्ट किया (अगस्त 2002) कि इस कर से कम वसूली के कारण कोई क्षतिपूर्ति 31 मार्च 2002 के बाद देय नहीं होगी। हालांकि, ओएमसी आंध्र प्रदेश में मोटर स्पिरिट (एमएस) और हाई-स्पीड डीजल (एचएसडी) के खुदरा बिक्री मूल्यों (आरएसपी) को उचित रूप से संशोधित करके अतिरिक्त लागत की वसूली कर सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से स्पष्टीकरण एपीजीएसटी अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन में था। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने एमएस और एचएसडी के आरएसपी में इसे शामिल करके राज्य अधिभार के रूप में उपभोक्ताओं से टर्नओवर कर की वसूली शुरू की जिससे 1 सितंबर 2002 से आरएसपी में वृद्धि हुई।



जीओएपी के वाणिज्यिक कर विभाग ने अधिनियम की उप धारा 5-ए (1-सी) के तहत, पूर्वोक्त एपीजीएसटी अधिनियम का उल्लंघन करते हुए उपभोक्ताओं से टर्नओवर कर की वसूली के लिए शास्ति लगाई और वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के लिए क्रमशः मई 2006, जून 2007 और मई 2008 में कुल ₹262.60 करोड़<sup>1</sup> के लिए मांग की।

आईओसीएल ने इन मांगों के प्रति रिट याचिकाएं दायर की और वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के लिए माननीय हैदराबाद उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश (मई 2006/ जून 2007/ मई 2008) प्राप्त किया। रिट याचिकाओं को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था (2008)। हालांकि, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपील को खारिज कर दिया (10 अक्टूबर 2012) और अपीलीय प्राधिकरण को निर्देश दिया कि यदि अपील को 30 दिनों के अंदर किया जाता है तो उन पर कार्रवाई करें। तदनुसार, 2002 से 2005 के लिए अपीलें प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के साथ दायर की गई थीं, (नवम्बर 2012), जिन्हें अपीलीय प्राधिकारी (नवम्बर 2013) के साथ-साथ अप्रैल 2014 में बिक्री कर अपीलीय अधिकरण (एसटीएटी) द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था। हालांकि, आईओसीएल द्वारा दायर किए गए कर संशोधन मामलों (2014) को स्वीकार करते समय, माननीय हैदराबाद उच्च न्यायालय ने शास्ति के 10 प्रतिशत के भुगतान पर सशर्त रोक लगा दी (अगस्त 2014)। आईओसीएल ने उक्त आदेश को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसे खारिज कर दिया गया (सितंबर 2014)। तदनुसार, आईओसीएल ने 2014 में 10 प्रतिशत शास्ति<sup>2</sup> के प्रति ₹24.11 करोड़ का भुगतान किया। उच्च न्यायालय में दायर कर संशोधन के मामले 2020 तक लंबित रहे।

इस बीच, आईओसीएल को तेलंगाना सरकार<sup>3</sup> (जीओटी) से न्यायालय के बाहर मामले के निपटान के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ (मार्च 2018)। बाद में आईओसीएल ने भारत के महाधिवक्ता से एक कानूनी राय ली (मई 2019) जिसने शास्ति की प्रमात्रा, विवाद के अधिक समय तक विलंबन और कानून के साथ साथ तथ्यों पर मामले की समग्र योग्यता के आधार पर न्यायालय के बाहर निपटान का विकल्प चुनने की सलाह दी। इसके बाद आपसी सहमति के साथ, जीओटी ने न्यायालय के बाहर निपटान को शुरू किया जिसके तहत आईओसीएल और जीओटी के बीच एक समझौता ज्ञापन किया गया (27 मार्च 2020)

<sup>1</sup> 2002-03 के लिए 31 मार्च 2006 को ₹52.17 करोड़, 2003-04 के लिए 31 मार्च 2007 को ₹93.43 करोड़, 2004-05 के लिए 31 मार्च 2008 को ₹95.45 करोड़ और 2003-04 के लिए 28 मार्च 2007 को ₹21.55 करोड़।

<sup>2</sup> मामला संयुक्त कमिश्नर (अपील) के समक्ष लंबित था इसलिए आईओसीएल के लिए कोई पूर्व जमा राशि का भुगतान नहीं किया गया था।

<sup>3</sup> उत्तराधिकारी राज्य जिसे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 की धारा 50 के अनुसार इस तत्कालीन मामले में बकाया की वसूली करने का अधिकार है।

जिसमें आईओसीएल ने शास्ति की राशि का 25 प्रतिशत अर्थात ₹65.65 करोड़ का भुगतान करने और विभिन्न न्यायिक मंचों के समक्ष लंबित सभी अपीलों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की। बदले में जीओटी शेष शास्ति को माफ करने के लिए सहमत हो गया। तदनुसार, आईओसीएल ने ₹24.11 करोड़ की पूर्व-जमा को समायोजित करने के बाद ₹41.54 करोड़ का भुगतान किया (30 मार्च 2020)।

लेखापरीक्षा ने पाया कि आईओसीएल द्वारा आंध्र प्रदेश के उपभोक्ताओं से टर्नओवर कर का संग्रहण, जैसा कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भी सलाह दी गई थी, एपीजीएसटी अधिनियम के कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन में था जिसके परिणामस्वरूप ₹65.65 करोड़ की राशि की शास्ति का भुगतान किया गया और उपभोक्ताओं से टर्नओवर कर की वसूली के माध्यम से आईओसीएल को ₹196.95 करोड़ का अनुचित संवर्धन हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2020) कि एपीजीएसटी अधिनियम की धारा 5-ए (1-सी) का उल्लंघन केवल तभी होगा जब आईओसीएल टर्नओवर कर के माध्यम से किसी राशि का संग्रहण करता है या क्रेताओं से टर्नओवर कर के माध्यम से होना अभिप्रेत हो। यहां तक कि यदि यह मान लिया जाता है कि यह राशि टर्नओवर कर के माध्यम से अभिप्रेत संग्रहण किया जाता है, तो भी इसे सूचित/निरूपित/व्यक्त/दर्शाया आदि से अवगत कराया जाना चाहिए। तत्कालीन मामले में ग्राहकों को बीजक दिए जाने पर कोई भी घटक मौजूद नहीं थे। 01 सितंबर, 2002 से आंध्र प्रदेश राज्य में राज्य विशिष्ट लागत/राज्य अधिभार के माध्यम से एमएस और एचएसडी की कीमत में वृद्धि इन उत्पादों की बिक्री पर राज्य में परिचालन की लागत को पूरा करने के लिए थी। कीमत में वृद्धि या कमी परिचालन की लागत की समीक्षा करने पर कारोबार/व्यापार में एक नियमित सुविधा है।

मंत्रालय ने उत्तर दिया (जून 2021) कि 01 दिसंबर 2001 से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा टर्नओवर कर की शुरुआत के साथ, टर्नओवर कर के प्रभाव को 01 सितंबर 2002 से अप्राप्य करों के लिए ओएमसी की क्षतिपूर्ति करने के लिए कीमत संशोधन में शामिल किया गया था। इस तरह के अप्राप्य राज्य उदग्रहण की अतिरिक्त लागत की वसूली के लिए राज्य अधिभार को शामिल करना प्रबंधित कीमत तंत्र अवधि के दौरान लंबे समय तक व्यवहार में था और यह संबंधित राज्य के उपभोक्ता हैं जो ऐसे करों का भार वहन कर रहे हैं।

प्रबंधन/मंत्रालय का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का स्पष्टीकरण आंध्र प्रदेश में एमएस/एचएसडी पर दो प्रतिशत की दर से अप्राप्य टर्नओवर कर की लागत की वसूली के लिए, उपभोक्ताओं की बिक्री मूल्य के माध्यम से संग्रहित किए गए राज्य अधिभार के रूप में, एपीजीएसटी अधिनियम का अधिकारातीत था। इसके अलावा, आईओसीएल के विरुद्ध मामला दर्ज करते समय अपीलीय प्राधिकारी और एसटीएटी दोनों ने पाया कि कीमत के भाग के रूप में टर्नओवर कर का संग्रहण उप-धारा 5-ए (1-बी) के

अनुसार अनुज्ञेय नहीं था, और इसमें एपीजीएसटी अधिनियम की उप-धारा 5-ए (1-सी) के तहत शास्ति लगायी गयी थी। इसके अलावा, जीओटी के साथ शास्ति के भुगतान का न्यायालय के बाहर निपटान से आंध्र प्रदेश राज्य में उपभोक्ताओं को ₹262.60 करोड़ के टर्नओवर कर के भार को स्थानांतरित करने में आईओसीएल की अनुचित कार्रवाई को भी प्रमाणित किया गया। मंत्रालय ने भी न्यायालय के बाहर निपटान के लिए राज्य सरकार के प्रस्ताव की स्वीकृति को उचित ठहराते हुए बताया कि अधिकरण का आदेश मांग के उदग्रहण के लिए कारण देते हुए एक सकारण आदेश है और यह अधिकरण की अभ्युक्तियों पर नियंत्रण करने के लिए एक चुनौती होगी।

इस प्रकार, उपभोक्ताओं से ₹262.60 करोड़ के टर्नओवर कर का अवैध संग्रहण और ₹65.65 करोड़ की शास्ति की राशि को न्यायालय के बाहर समायोजित करने के बाद परिणामस्वरूप आईओसीएल को ₹196.95 करोड़ की सीमा तक अनुचित संवर्धन हुआ।

## **2.2 प्रदूषण मंजूरी की सांविधिक अपेक्षा का पालन न करने के परिणामस्वरूप निष्फल व्यय हुआ**

पेट कोक बॉयलर को चालू करने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम से पूर्व मंजूरी प्राप्त करने की सांविधिक अपेक्षा का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप ₹120.38 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ, जबकि प्रतिवर्ष ₹79.40 करोड़ के लागत लाभ को भी छोड़ दिया गया।

संशोधित वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, यथा संशोधित, की धारा 21 के अनुसार यह अपेक्षित है कि कोई भी व्यक्ति संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र में किसी भी औद्योगिक संयंत्र की स्थापना या परिचालन नहीं करेगा। इसके अलावा, असम सरकार ने 12 मई 1993 से वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 19 के तहत पूरे असम राज्य को वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र घोषित किया। जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 25 में अन्य बातों के साथ साथ यह बताया गया है कि संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की पूर्व सहमति के बिना कोई भी व्यक्ति किसी भी उद्योग की स्थापना नहीं करेगा अथवा परिचालन या प्रक्रिया या किसी भी उपचार और निपटान प्रणाली या किसी भी विस्तार अथवा उसमें संवर्धन, स्थापित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाएगा; जिससे सीवेज या ट्रेड के प्रवाह को किसी धारा या कुएं या सीवर या भूमि में प्रवाहित करने की संभावना है।

दो पुराने और तेल से चलने वाले अकुशल बॉयलरों को प्रतिस्थापित करने के लिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) ने अपनी गुवाहाटी रिफाइनरी (रिफाइनरी) के लिए ₹132.58 करोड़ (मार्च 2018 को संशोधित करके ₹163.09 करोड़ किया गया) की अनुमानित

लागत पर एक पेटकोक फायर्ड बॉयलर (बॉयलर) की अधिप्राप्ति और स्थापित करने का निर्णय लिया (जून 2015)। नए बॉयलर से रिफाइनरी की विद्युत उत्पादन और भाप की लागत में प्रति वर्ष ₹79.40 करोड़ की कमी आने की उम्मीद थी।

बॉयलर को स्थापित करने के लिए विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट को दिसंबर 2015 में अनुमोदित किया गया था जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि बॉयलर के निर्माण/स्थापना से पहले संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापित करने की सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए। हालांकि, कंपनी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम से ऐसी पूर्व सहमति के लिए आवेदन नहीं किया था और परियोजना का कार्य सितंबर 2016 में शुरू किया गया था। कंपनी ने अप्रैल 2018 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम को 'स्थापित करने की सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र' के लिए आवेदन किया, जबकि परियोजना पहले ही 70-80 प्रतिशत की सीमा तक पूरी हो गई थी। इसके बाद, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम ने तत्काल प्रभाव से बॉयलर परियोजना के सम्बन्ध में सभी गतिविधियों को रोकने के निर्देश के साथ कंपनी को कारण बताओ नोटिस दिया (अगस्त 2018)। कारण बताओ नोटिस में अन्य बातों के अलावा बताया गया कि कंपनी ने परियोजना कार्य के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम से आवश्यक पूर्व सहमति प्राप्त नहीं की। चूंकि कंपनी को मार्च 2021 तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम से सहमति प्राप्त नहीं हुई थी, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना के पूरा होने पर अनिश्चितता थी, कंपनी ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी लेखा पुस्तकों में परियोजना पर आने वाली लागत के लिए ₹120.38 करोड़ का प्रावधान किया।

लेखापरीक्षा ने पाया कि किसी भी परियोजना के निर्माण से पहले प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम से 'स्थापना की सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र' प्राप्त करने की सांविधिक अपेक्षा से अवगत होने के बावजूद, कंपनी ने प्रमाण पत्र के बिना परियोजना शुरू की, जिसके कारण ₹120.38 करोड़ का व्यय पहले ही करने के बाद सभी परियोजना गतिविधियों को रोक दिया गया। इसके परिणामस्वरूप परियोजना पर किया गया ₹120.38 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया। इसके अलावा, बॉयलर के चालू न होने के कारण प्रति वर्ष ₹79.40 करोड़ का लागत लाभ भी छोड़ दिया गया था।

प्रबंधन ने बताया (मार्च 2021) कि कंपनी ने अगस्त 2016 में पर्यावरण मंजूरी देने के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफ एंड सीसी) को आवेदन किया और उसके बाद, एमओईएफ एंड सीसी के निर्देश पर उसने अप्रैल 2018 में सहमति देने के लिए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम को आवेदन किया था। इसके अलावा, कंपनी ने उल्लेख किया कि उन्होंने फरवरी 2017 में स्थापित करने के लिए सहमति हेतु प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम को सक्रिय रूप से आवेदन किया था। प्रबंधन ने यह भी बताया कि कंपनी ने अन्य फीडस्टॉक (100 प्रतिशत गैस/ईंधन तेल फायरिंग बॉयलर) के साथ बॉयलर

चलाने की संभावना का पता लगाने के लिए मेसर्स थरमैक्स बैबकॉक एंड विलकॉक्स सॉल्यूशंस को नियुक्त किया और मार्च 2021 में मसौदा व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त की।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि पर्यावरण मंजूरी के लिए एमओईएफ एंड सीसी को कंपनी की प्रारंभिक धारणा (अगस्त 2016) प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम से अपेक्षित 'स्थापित करने की सहमति/अनापत्ति प्रमाण पत्र' से बिल्कुल सम्बद्ध नहीं था, जो किसी भी परियोजना का निर्माण शुरू करने से पहले आवश्यक था, जिसमें सीवेज या ट्रेड प्रवाह को धारा या कुएं या सीवर या भूमि में प्रवाहित करने की संभावना थी। इसलिए, प्रबंधन का दावा, कि उन्होंने फरवरी 2017 में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम को स्थापित करने के लिए सहमति हेतु सक्रिय रूप से आवेदन किया था, एक पूर्व सक्रिय कार्रवाई नहीं थी क्योंकि उन्होंने परियोजना शुरू करने के पांच महीने बाद प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, असम से संपर्क किया था। इसके अलावा, थरमैक्स बैबकॉक एंड विलकॉक्स सॉल्यूशंस की मसौदा व्यवहार्यता अध्ययन रिपोर्ट में बॉयलर के रूपांतरण के लिए आवश्यक अतिरिक्त समय और लागत का उल्लेख नहीं किया गया है जो भविष्य में परियोजना के पूरा होने और स्थायित्व को लेकर अनिश्चितता को इंगित करता है।

इस प्रकार, प्रबंधन द्वारा सांविधिक अपेक्षा का अनुपालन न करने के परिणामस्वरूप बॉयलर के चालू न होने के कारण प्रतिवर्ष ₹79.40 करोड़ के लागत लाभ को छोड़ने के अलावा, परियोजना पर किए गए ₹120.38 करोड़ का संपूर्ण व्यय निष्फल हो गया।

लेखापरीक्षा पैरा मई 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

### नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड

#### 2.3 नाफथा स्प्लिटर यूनिट के संस्थापन के प्रति निष्क्रिय निवेश

अनुचित उचित सावधानी बरतने के कारण ₹82.70 करोड़ मूल्य का नेफथा स्प्लिटर यूनिट प्लांट का निष्क्रिय रहना।

नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड (कंपनी) को 1999 में शुरू किया गया था जिसमें 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष कच्चे तेल को संसाधित करने की क्षमता थी और मुख्य उत्पादों में तरल पेट्रोलियम गैस, हाई स्पीड डीजल और सुपीरियर केरोसिन तेल आदि शामिल थे। कंपनी के मध्यस्थ उत्पादों में स्ट्रेट रन नेफथा, रीफार्मेट आदि शामिल थे। 2001 से 2006 के दौरान स्ट्रेट रन नेफथा का उत्पादन 1.44 से 2.06 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष के बीच हुआ। इसलिए, स्ट्रेट रन नेफथा का एकत्र होना एक समस्या बन गया। कंपनी ने निर्यात

करके या घरेलू बिक्री के माध्यम से इस संचित स्ट्रेट रन नेफथा को खाली करने की कोशिश की। हल्दिया से स्ट्रेट रन नेफथा के निर्यात ने उच्च परिवहन लागत के कारण उत्पाद निवल बिक्री प्राप्त को प्रभावित किया। इसलिए, स्ट्रेट रन नेफथा का निर्यात एक व्यवहार्य विकल्प नहीं था।

कंपनी ने स्ट्रेट रन नेफथा के एकत्र होने की समस्या को हल करने के लिए दो अन्य विकल्पों की परिकल्पना की, अर्थात् मोटर स्पिरिट का उत्पादन करने के लिए स्ट्रेट रन नेफथा का उपयोग करने हेतु मोटर स्पिरिट प्लांट (2002) की स्थापना करना और स्ट्रेट रन नेफथा से पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफथा का उत्पादन करने के लिए नेफथा स्प्लिटर यूनिट (2004) की स्थापना करना। मोटर स्पिरिट प्लांट की स्थापना एक आकर्षक विकल्प था क्योंकि देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र की सभी रिफाइनरियां<sup>4</sup> मोटर स्पिरिट के उत्पादन पर देय लागू उत्पाद शुल्क<sup>5</sup> के केवल 50 प्रतिशत की दर पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के लिए पात्र थीं। इसलिए जुलाई 2006 में 2.25 लाख मीट्रिक टन प्रतिवर्ष क्षमता का मोटर स्पिरिट प्लांट चालू किया गया। मोटर स्पिरिट प्लांट के चालू होने और स्थिरीकरण के बाद मोटर स्पिरिट के उत्पादन के लिए स्ट्रेट रन नेफथा का उपयोग 2006-07 से 2014-15 के दौरान 1.10 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष से बढ़कर 3.11 लाख मीट्रिक टन प्रति वर्ष हो गया। परिणामस्वरूप, स्ट्रेट रन नेफथा का एकत्र होना काफी कम हो गया।

इसी बीच कंपनी ने पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफथा की प्रति वर्ष 1.60 लाख मीट्रिक टन की आपूर्ति के लिए ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड के साथ इसके चालू होने की तिथि से 15 वर्ष के लिए एक करार किया (जून 2010)। करार के अनुसार, कम आपूर्ति के मामले में, कंपनी अन्य स्रोतों से इसे इंतजाम करने के लिए पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफथा की संविदात्मक कीमत के अलावा ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड द्वारा भुगतान की गई अतिरिक्त कीमत की प्रतिपूर्ति करेगी।

कंपनी ने ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए स्ट्रेट रन नेफथा को पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफथा में रूपांतरित करने के लिए नवंबर 2013 में ₹82.70 करोड़ की लागत पर नेफथा स्प्लिटर यूनिट को चालू किया। ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड का वाणिज्यिक परिचालन जनवरी 2016 में, अर्थात् नेफथा स्प्लिटर यूनिट के चालू होने के दो वर्ष और तीन महीने बाद शुरू हुआ।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित को पाया:

<sup>4</sup> डिगबोई रिफाइनरी, गुवाहाटी रिफाइनरी, बॉंगईगांव रिफाइनरी और नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड

<sup>5</sup> भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 13 मई 2002

- कंपनी को 1 मीट्रिक टन पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफ्था के उत्पादन करने के लिए लगभग दो गुनी मात्रा 1.81 मीट्रिक टन स्ट्रेट रन नेफ्था की आवश्यकता थी। मोटर स्पिरिट प्लांट के चालू होने के कारण, 2007-08 से 2017-18 के दौरान उपलब्ध अधिकतम अधिशेष स्ट्रेट रन नेफ्था 52,000 मीट्रिक टन (2013-14) में था। चूंकि पर्याप्त स्ट्रेट रन नेफ्था अब उपलब्ध नहीं था, इसलिए पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफ्था के प्रति वर्ष 1.6 लाख मीट्रिक टन की प्रतिबद्ध आपूर्ति के लिए ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड के साथ कंपनी का करार आर्थिक रूप से विवेकपूर्ण नहीं था।
- उपरोक्त की पुष्टि नवंबर 2013 में नेफ्था स्पलिटर यूनिट के चालू होने के बाद वास्तविक निष्पादन से होती है। कंपनी वर्ष 2013-14 (नवंबर 2013 से), 2014-15, 2015-16 और 2016-17 के दौरान क्रमशः केवल 19.5 मीट्रिक टन, 53.6 मीट्रिक टन, 12.1 मीट्रिक टन और 15.8 मीट्रिक टन पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफ्था का उत्पादन कर सकी और क्षमता उपयोग 7.56 प्रतिशत और 33.5 प्रतिशत के बीच रहा। वर्ष 2017-18 से 2020-21 के दौरान नेफ्था स्पलिटर यूनिट निष्क्रिय रही।
- नेफ्था स्पलिटर यूनिट के कम उपयोग के कारण ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड को पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफ्था की निर्धारित मात्रा की कंपनी आपूर्ति नहीं कर सकी।
- ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड को पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफ्था की कम आपूर्ति के कारण कंपनी ने संविदागत और वास्तविक कीमत के बीच विभेदक कीमत पर ₹163.77 करोड़ का अतिरिक्त व्यय किया।

इस प्रकार, उचित सावधानी के अभाव के कारण ₹82.70 करोड़ के नेफ्था स्पलिटर यूनिट प्लांट को स्थापित करने में निष्क्रिय निवेश हुआ।

लेखापरीक्षा की अभ्युक्ति कि नेफ्था स्पलिटर यूनिट निष्क्रिय रहा, को स्वीकार करते हुए प्रबंधन ने बताया (दिसंबर 2020) कि नेफ्था स्पलिटर यूनिट को स्थापित करने के संबंध में ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड को पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफ्था की सुनिश्चित आपूर्ति और अधिशेष स्ट्रेट रन नेफ्था को खाली करने के लिए निर्णय लिया गया था। यह भी तर्क दिया गया कि भविष्य में नेफ्था स्पलिटर यूनिट का उपयोग किया जा सकता है।

प्रबंधन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने 2006-07 में स्ट्रेट रन नेफ्था को खाली करने की समस्या को हल करने के लिए पहले ही मोटर स्पिरिट प्लांट स्थापित किया था। इसके अलावा, मोटर स्पिरिट उत्पादन में स्ट्रेट रन नेफ्था के उपयोग से पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफ्था के उत्पादन की तुलना में बेहतर मार्जिन मिला। इसके अलावा, प्रबंधन का यह तर्क कि भविष्य में नेफ्था स्पलिटर यूनिट का उपयोग किया जा सकता है, व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है क्योंकि 2017-18 स्पलिटर से लगातार परिचालन न करने के कारण

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान नेफ्था स्पलिटर यूनिट को इमपैयरड किया। स्ट्रेट रन नेफ्था को खरीदकर भविष्य में नेफ्था स्पलिटर यूनिट के परिचालन की व्यवहार्यता भी कम है क्योंकि बाह्य स्रोत से प्राप्त स्ट्रेट रन नेफ्था (2019-20 में ₹46,240 प्रति मीट्रिक टन) की लागत पेट्रोकेमिकल ग्रेड नेफ्था (2019-20 में ₹35,352 प्रति मीट्रिक टन) की बिक्री कीमत से अधिक थी।

इस प्रकार, नेफ्था स्पलिटर यूनिट की स्थापना के संबंध में प्रबंधन की ओर से विवेक की कमी के कारण ₹82.70 करोड़ का निष्क्रिय निवेश हुआ।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ जनवरी 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

### ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

#### 2.4 उच्च दबाव गैस के प्रज्वलन के कारण हानि

2012-13 से 2019-20 के दौरान ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के मुंबई हाई फील्ड में ₹816.08 करोड़ मूल्य की उच्च दबाव गैस, स्टैंडबाय प्रोसेस गैस कंप्रेसरों की अनुपलब्धता, पावर शट डाउन और प्रोसेस गैस कंप्रेसर के बार-बार ट्रिपिंग के कारण प्रज्वलित हो गई थी।

मुंबई हाईफील्ड मुख्य रूप से एक तेल क्षेत्र है और कच्चे तेल के साथ उत्पादित गैस को एसोसिएटिड गैस कहा जाता है। कुंए के तरल का तेल, जल और गैस का विभाजन मुंबई हाई फील्ड के विभिन्न प्रक्रिया प्लेटफार्मों पर तीन चरणों अर्थात् उच्च दबाव विभाजक, कम दबाव विभाजक और सर्ज टैंकों में किया जाता है। उच्च दबाव पर उच्च दबाव विभाजक से बाहर आ रही गैस उच्च दबाव गैस के रूप में जानी जाती है। उच्च दबाव विभाजक में विभाजन के बाद कुंए के तरल को कम दबाव विभाजक के लिए भेजा जाता है, जहां शेष गैस, जोकि कम दबाव की होती है, विभाजित हो जाती है। उच्च दबाव विभाजक से बाहर आ रही उच्च दबाव गैस आगे प्रोसेस गैस कंप्रेसर में संकुचित की जाती है और गैस को उठाने के उद्देश्य के लिए कुओं में भरी जाती है और शेष गैस को आगामी प्रसंस्करण और उपभोक्ताओं को बिक्री के लिए उरान में स्थित ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के तेल और गैस प्रसंस्करण संयंत्र के लिए ले जाया जाता है।

पावर शटडाउन, प्रोसेस गैस कंप्रेसर की ट्रिपिंग, प्रोसेस विचलित होने आदि, के कारण दबाव में किसी भी प्रकार की बाधा, प्रोसेस गैस कंप्रेसर में इनबिल्ट सुरक्षा तंत्र के कारण मूल्यवान



उच्च दबाव गैस प्रज्वलित<sup>6</sup> होती है। इस प्रकार, गैस उत्पादन को अधिकतम करने के लिए, यह आवश्यक है कि सभी उपकरणों का रखरखाव किया जाए और प्रभावी ढंग से चलाया जाए ताकि उत्पादन की कोई हानि न हो। गैस के प्रज्वलन का पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ग्रीनहाउस गैसों और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है। 2012-13 से 2019-20 के दौरान ₹1,021.08 करोड़ मूल्य की कुल 1,227.343 एमएमएससीएम (मिलियन मेट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर) उच्च दबाव गैस प्रज्वलित हो गई थी। परिहार्य कारणों जैसे स्टैंडबाय प्रोसेस गैस कंप्रेसर की अनुपलब्धता, पावर शटडाउन और प्रोसेस गैस कंप्रेसर की ट्रिपिंग के कारण प्रज्वलित उच्च दबाव गैस का मूल्य ₹816.08 करोड़ था (अनुलग्नक-1)।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2012-13 से 2019-20 के दौरान ₹816.08 करोड़ की 980.523 एमएमएससीएम उच्च दबाव गैस निम्नलिखित के कारण प्रज्वलित हो गई थी:

- i) पावर शटडाउन: विद्युत की आपूर्ति प्रोसेस गैस कंप्रेसर के नियंत्रण पैनलों के परिचालन के लिए आवश्यक है। 2012-13 से 2019-20 के दौरान पावर शटडाउन होने के 62 उदाहरण थे। यह इस तथ्य के कारण था कि प्रोसेस प्लेटफार्मों पर बैटरी बैंक्स 26 वर्ष पुराने थे और वे पावर शटडाउन होने के दौरान पर्याप्त बैकअप प्रदान नहीं कर सके। परिणामस्वरूप, प्रोसेस गैस कंप्रेसर के नियंत्रण पैनलों का परिचालन नहीं किया जा सका, जिसके परिणामस्वरूप गैस प्रज्वलित हो गई।
- ii) स्टैंडबाई प्रोसेस गैस कंप्रेसर की अनुपलब्धता: 29 प्रोसेस गैस कंप्रेसर में से पांच को प्रोसेस गैस कंप्रेसर के रखरखाव/ पूर्ण मरम्मत/ ब्रेकडाउन के दौरान उपयोग के लिए स्टैंडबाय के रूप में रखा जाना था। हालांकि, परिचालन समस्याओं के कारण, सभी 29 प्रोसेस गैस कंप्रेसर चलाने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, नियमित रखरखाव/ प्लेटफार्म पर निरीक्षण कार्य और प्रोसेस गैस कंप्रेसर की पूर्ण मरम्मत के दौरान स्टैंडबाई प्रोसेस गैस कंप्रेसर की अनुपलब्धता के कारण गैस को प्रज्वलित होना पड़ा। 2012-13 से 2018-19 के दौरान, 302 घटनाएं हुईं जहां स्टैंडबाई प्रोसेस गैस कंप्रेसर की अनुपलब्धता के कारण गैस प्रज्वलित हो गई। 2019-20 में, सात प्रोसेस गैस कंप्रेसर एक महीने से अधिक समय से उपलब्ध नहीं थे और कोई स्टैंडबाय प्रोसेस गैस कंप्रेसर नहीं था।

<sup>6</sup> प्रोसेस गैस कंप्रेसर की ट्रिपिंग की स्थिति में, उच्च दबाव विभाजक से बाहर आने वाली उच्च दबाव गैस प्रोसेस गैस कंप्रेसर को बाईपास करती है और प्रणाली में अंतर्निर्मित सुरक्षा तंत्र के कारण स्वचालित रूप से प्रज्वलित हो जाती है।

iii) ट्रिपिंग: प्रोसेस गैस कंप्रेसर की लगातार ट्रिपिंग के कारण 196.947 एमएमएससीएम हाई प्रेशर गैस की कुल मात्रा प्रज्वलित हो गई। 'शून्य ट्रिपिंग' को बनाए रखने के लिए ओएनजीसी के अपतटीय रखरखाव समूह की दृष्टि के प्रति, 2012-13 से 2019-20 के दौरान प्रोसेस गैस कंप्रेसर की ट्रिपिंग के 2,534 उदाहरण थे। लगातार ट्रिपिंग निम्नलिखित के कारण थी:

- मुंबई हाई परिसंपत्ति में 29 प्रोसेस गैस कंप्रेसर<sup>7</sup> हैं जिनमें से 22, 15 से 36 वर्ष पुराने थे। पावर टरबाइन, कंप्रेसर, गैस जनरेटर जैसे प्रोसेस गैस कंप्रेसर के मुख्य घटकों को मूल उपकरण विनिर्माता द्वारा यथा निर्धारित अंतराल पर पूर्ण मरम्मत किया जाना आवश्यक है। विद्युत टरबाइन की 1,00,000 घंटे के बाद और कंप्रेसर की 50,000 घंटे के बाद पूर्ण मरम्मत की आवश्यकता होती है। प्रोसेस गैस कंप्रेसर के इन घटकों की पूर्ण मरम्मत करने में विलंब हुआ है। 16 प्रोसेस गैस कंप्रेसर के पावर टरबाइन और कंप्रेसर के कार्य घंटे निर्धारित घंटों से काफी अधिक थे (*अनुलग्नक-1*)। 2014-15 से 2019-20 के दौरान, पावर टरबाइन से संबंधित मुद्दों के कारण ट्रिपिंग के 160 मामले<sup>8</sup> थे और कंप्रेसर से संबंधित मुद्दों के कारण ट्रिपिंग के 360 मामले थे।

- गैस जनरेटर की 24,000 घंटे के बाद पूर्ण मरम्मत की जानी है और एक बार उनके विफल होने या पूर्ण मरम्मत के देय होने के बाद तत्काल प्रतिस्थापन के लिए उचित ध्यान और प्राथमिकता दी जानी होती है क्योंकि वे लगातार पूरा भार उठा रहे हैं। 2014-15 से 2019-20 के दौरान गैस जनरेटर से संबंधित मुद्दों के कारण ट्रिपिंग के 286 मामले सामने आए थे।

- प्रोसेस गैस कंप्रेसर की 'नियंत्रण प्रणाली' को 10 वर्ष बाद प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक है। 21 प्रोसेस गैस कंप्रेसर में से जिसमें कंट्रोल सिस्टम को प्रतिस्थापित/ अपग्रेड करना अपेक्षित था, मार्च 2021 के अंत में केवल नौ प्रोसेस गैस कंप्रेसर में नियंत्रण प्रणाली को प्रतिस्थापित किया गया था। दो वर्ष की अवधि अर्थात् 2018-19 से 2019-20 में नियंत्रण प्रणालियों से संबंधित मुद्दों के कारण ट्रिपिंग के 163 मामले<sup>9</sup> थे।

सितंबर 2012 में, मूल उपकरण विनिर्माता ने 24 प्रोसेस गैस कंप्रेसर की पूर्ण जांच की थी। मूल उपकरण विनिर्माता ने पाया कि 'गैस प्रवाह मार्ग' कंप्रेसर के क्षय के कारण घिस गया था जो लगभग 25 वर्षों से काम कर रहा था। इसलिए, मूल उपकरण विनिर्माता ने

<sup>7</sup> 1983-1990 के वर्षों के बीच 11 प्रोसेस गैस कंप्रेसर, 1994 में 10 प्रोसेस गैस कंप्रेसर, 2004 में एक प्रोसेस गैस कंप्रेसर और 2009 और 2015 के बीच सात प्रोसेस गैस कंप्रेसर स्थापित किए गए थे।

<sup>8</sup> प्रबंधन के अनुसार, 2012-2013 और 2013-2014 के लिए ट्रिपिंग डेटा उपलब्ध नहीं था।

<sup>9</sup> पूर्व के वर्षों के लिए ब्यौरा प्रबंधन के पास आसानी से उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसे इन्स्ट्रुमेंटेशन के तहत मिला दिया गया था।

सुरक्षित और किफायती संचालन के लिए नौ प्रोसेस गैस कंप्रेसर की पूर्ण मरम्मत की सिफारिश की। तथापि ओएनजीसी ने केवल जनवरी 2016 में अर्थात् तीन साल से अधिक बाद 'रोटर्स' और 'असेंबली' का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और सामग्री जून 2018 और मार्च 2019 में पहुँचाई गई थी। केवल दो प्रोसेस गैस कंप्रेसर में पूर्ण मरम्मत की गई थी (दिसंबर 2019) और सात प्रोसेस गैस कंप्रेसर में शेष कार्य 2021-22 में किए जाने का प्रस्ताव है। सितंबर 2020 तक, 21 प्रोसेस गैस कंप्रेसर 25 साल से अधिक पुराने थे।

इस प्रकार, स्टैंडबाय प्रोसेस गैस कंप्रेसरों की अनुपलब्धता, पावर शटडाउन और प्रोसेस गैस कंप्रेसरों की बार-बार ट्रिपिंग के कारण, 2012-13 से 2019-20 की अवधि के दौरान ओएनजीसी के मुंबई हाई फील्ड में ₹816.08 करोड़ मूल्य की उच्च दबाव गैस प्रज्ज्वलित की गई।

प्रबंधन/मंत्रालय ने बताया (जून 2020) कि:

- अपतट पर समग्र प्रज्ज्वलन में तकनीकी प्रज्ज्वलन शामिल है जो एक सुरक्षा आवश्यकता है। स्थापना के आसपास संभावित अग्नि विस्फोट के खतरे को टालने के लिए वातावरण में अधजले हाइड्रोकार्बन से बचने के लिए तकनीकी प्रज्ज्वलन की आवश्यकता है।
- अपरिहार्य प्रज्ज्वलन अनुसूचित रखरखाव या प्रोसेस गैस कंप्रेसर और टरबाइन जनरेटर जैसे उपकरणों की ट्रिपिंग के दौरान होता है और अनियोजित प्रोसेस विचलित होने के दौरान भी होता है।
- 2013-14 से 2015-16 के दौरान गैस जनरेटर की पूर्ण मरम्मत प्रभावित रही क्योंकि रोल्स रॉयस के साथ कारोबार लेनदेन को रक्षा मंत्रालय के निर्देशों के अनुसार रोकना पड़ा।
- पूर्ण मरम्मत के लिए देय 15 विद्युत टरबाइनों में से चार का कार्य पूर्ण कर लिया गया था, एक का निष्पादन चल रहा था और शेष 10 को मार्च 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। 21 कंप्रेसरों में से छह का कार्य पूर्ण हो गया था और शेष 15 का मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा।
- छह प्रोसेस गैस कंप्रेसर की नियंत्रण प्रणाली को अपग्रेड किया गया है, तीन प्रणालियों को प्रतिस्थापित किया गया है और तीन कार्यान्वयन के अधीन है जिन्हें दिसंबर 2020 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। शेष नौ प्रणालियों के लिए आदेश मार्च 2021 तक दिया जाएगा।
- उन मामलों में, जहां घटकों की एक ही समय में पूर्ण मरम्मत करना देय होता जा रहा है वहां उपकरणों की डाउनटाइम कम करने के लिए उनकी पूर्ण मरम्मत एक साथ की जाती है।

- इस प्रकार कंप्रेसर की आयु का वैसे उसके निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ सकता है क्योंकि प्रत्येक पूर्ण मरम्मत के बाद जोकि शून्य-घंटे की पूर्ण मरम्मत है, सेवा की विश्वसनीयता तब तक सुनिश्चित की जाती है जब तक कि मूल उपकरण विनिर्माता आगामी पूर्ण मरम्मत की सिफारिश नहीं करता है।
- नियमित रखरखाव/मुख्य ब्रेक डाउन/निरीक्षण/इंजन प्रतिस्थापन/पूर्ण मरम्मतकार्य के कारण आवश्यक प्रोसेस गैस कंप्रेसर की अनुपलब्धता के मामले में, मुक्त गैस कुओं को बंद करके और गैस को अन्य प्लेटफार्मों पर विपथित करके प्रज्ज्वलन की न्यूनतम संभव मात्रा में नियंत्रित किया जाता है।
- नियमित रखरखाव के भाग के रूप में बैटरी बैंकों पर आवधिक क्षमता परीक्षण किए जाते हैं और 2012-13 से 2018-19 की अवधि के दौरान यूपीएस, बैटरी चार्जर और बैटरी बैंकों के परीक्षण परिणाम के आधार पर शर्त आधारित प्रतिस्थापन किए गए थे।

मंत्रालय के उत्तर पर निम्नलिखित के मद्देनज़र विचार किए जाने की आवश्यकता है:

- ओएनजीसी के आंतरिक लेखापरीक्षा में स्पष्ट किया गया था (दिसम्बर 2020) कि कुछ मात्रा में कम दबाव गैस को प्रज्ज्वलित किया जाना अपेक्षित है, जिसे तकनीकी प्रज्ज्वलन कहा जाता है। हमने उच्च दबाव गैस की प्रज्ज्वलन पर टिप्पणी की है, जिसे प्रज्ज्वलित नहीं किया जाना है।
- रखरखाव गतिविधि के दौरान, स्टैंडबाई प्रोसेस गैस कंप्रेसर को परिचालन में रखना आवश्यक है। हालांकि, क्योंकि वहां कोई स्टैंडबाय प्रोसेस गैस कंप्रेसर नहीं था, जिससे गैस को प्रज्ज्वलित किया जा रहा था।
- मार्च 2021 तक, 13 प्रोसेस गैस कंप्रेसर के संबंध में आठ पावर टर्बाइनों और 11 कंप्रेसरों की पूर्ण मरम्मत लंबित थी।
- फ्लोट्स पर ओएनजीसी नीति के अनुसार, प्रत्येक प्लेटफार्म पर फ्लोट के रूप में गैस जनरेटर की एक इकाई होनी चाहिए क्योंकि ब्रेकडाउन पर उपकरण को तुरंत सर्विस करने की आवश्यकता होती है। हालांकि ओएनजीसी के पास गैस जनरेटर के लिए कोई फ्लोट नहीं था।
- वर्ष 2000 में 21 प्रोसेस गैस कंप्रेसर की नियंत्रण प्रणाली को अपग्रेड/प्रतिस्थापित किया जाना आवश्यक था। मार्च 2021 तक, केवल नौ प्रोसेस गैस कंप्रेसर की नियंत्रण प्रणाली को अपग्रेड/प्रतिस्थापित किया गया है।

- सुचारु और परेशानी मुक्त परिचालन के लिए जब भी पूर्ण मरम्मत देय हो इसे किए जाने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, ओवरहालिंग की लागत भी चलने वाले घंटों में वृद्धि के साथ बढ़ जाती है।
- 'शून्य ट्रिप्स' के प्रबंधन के दृष्टिकोण पर इस तथ्य के मद्देनजर विचार किए जाने की आवश्यकता है कि गैस प्रज्ज्वलन कमी परियोजना के लिए परियोजना पूर्णता रिपोर्ट (विश्व बैंक से सहायता के साथ-रिपोर्ट संख्या 18463) में बताया गया कि कंपनी ने 1993-94 से प्रज्ज्वलन को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया है और कम दबाव वाली टेल गैस जैसे तकनीकी कारणों को छोड़कर और अधिक प्रज्ज्वलन नहीं होगा।
- कंप्रेसर की उम्र का निष्पादन पर असर पड़ता है। उदाहरण के लिए, एनक्यूजी प्रोसेस गैस कंप्रेसर सी (1986 में स्थापित) के मामले में, फरवरी 2017 में ₹85.44 करोड़ का व्यय करते हुए मुख्य मरम्मत की गई थी। हालांकि, 2017-18 से 2018-19 के दौरान, प्रोसेस गैस कंप्रेसर, पावर टरबाइन, गैस जनरेटर और कंप्रेसर से संबंधित विभिन्न मुद्दों के कारण 30 से अधिक बार ट्रिप हो गया था।
- मुंबई हाई फील्ड एक तेल क्षेत्र है जिसमें तेल कुओं से उत्पादन होता है और संबद्ध गैस प्रज्ज्वलित होती रहती है।

इस प्रकार, स्टैंडबाई प्रोसेस गैस कंप्रेसर की अनुपलब्धता, बिजली की शटडाउन और प्रोसेस गैस कंप्रेसर की लगातार ट्रिपिंग के परिणामस्वरूप 2012-13 से 2019-20 की अवधि के दौरान ओएनजीसी के मुंबई हाई फील्ड में ₹816.08 करोड़ मूल्य की उच्च दबाव गैस का प्रज्ज्वलन हुआ।

**सिफारिश सं. 1**

ओएनजीसी को निवारक रख-रखाव पर ध्यान देना चाहिए और मूल उपकरण निर्माता द्वारा निर्धारित ओवरहालिंग शेड्यूल का पालन करना चाहिए ताकि मुंबई उच्च क्षेत्रों में उच्च दबाव गैस के प्रज्ज्वलन को कम किया जा सके। ओएनजीसी उन चूकों के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर भी जिम्मेदारी तय कर सकता है जो उच्च दबाव गैस की परिहार्य प्रज्ज्वलन की ओर ले जाती है।

## 2.5 निचाई पर स्थित दलदली भूमि के अधिग्रहण और इसके अभिप्रेत उपयोग के लिए भूमि को लेने में विलंब के कारण हानि

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने काकीनाडा में अपनी भंडारण सुविधाओं को बढ़ाने के लिए बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं के साथ भूमि अधिग्रहण करने का प्रस्ताव रखा। हालांकि, निचाई पर स्थित प्लॉट को अधिग्रहण करने के कंपनी के निर्णय के परिणामस्वरूप प्लॉट को भरने में ₹36.19 करोड़ का अतिरिक्त व्यय उठाना पड़ा। इसके अलावा, एक सलाहकार को हायर करने और निर्माण संविदा देने में विलंब के परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को ₹12.97 करोड़ की समय बढ़ाने की फीस का भुगतान हुआ।

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी/ कंपनी) ने अपने पूर्वी अपतटीय परिचालनों के लिए अधिप्राप्त की गई सामग्रियों के भंडारण और प्रहस्तन के लिए काकीनाडा बंदरगाह के 10-15 किलोमीटर के भीतर बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं के साथ 25 एकड़ माप वाली भूमि का अधिग्रहण करने का प्रस्ताव किया (मार्च 2014)। आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीआईआईसी) की उपलब्ध साइटों के निरीक्षण पर कंपनी ने वकालापुड़ी गांव में 20 एकड़ माप वाली जमीन के दो प्लॉटों का चयन किया (जून 2014)। हालांकि, एपीआईआईसी ने कंपनी को वकालापुड़ी के औद्योगिक पार्क क्षेत्र में 72 एकड़ के प्लॉट में 47 एकड़ माप वाली जमीन की उपलब्धता के बारे में सूचित किया (जुलाई 2014)। कंपनी ने एपीआईआईसी से आगामी केजी-डीडब्ल्यूएन-98/2 परियोजना का हवाला देते हुए 72 एकड़ का पूरा प्लॉट आवंटित करने का अनुरोध किया (जुलाई 2014)। एपीआईआईसी ने 72.14 एकड़ माप वाली उक्त भूमि (73.22 एकड़ के प्लॉट में 1.08 एकड़ के विवादित क्षेत्र को छोड़कर), जोकि निचाई पर स्थित थी, पानी से जलमग्न थी और जंगल से घिरी हुई थी और 'जहां है जैसी है' के आधार पर ₹123.50 करोड़ (₹1.71 करोड़ प्रति एकड़ पर) के भुगतान पर आवंटित की (फरवरी 2015)। कंपनी ने भूमि का अग्रिम कब्जा लिया (मार्च 2015) और 71.13 एकड़ के लिए बिक्री करार पंजीकृत किया गया (अप्रैल 2016) क्योंकि शेष 1.01 एकड़ पर नवम्बर 2015 से मुकदमा चल रहा था। कुल भूमि अधिग्रहण लागत ₹128.93 करोड़ थी क्योंकि कंपनी ने फ्रंटेंज प्रभार, प्रसंस्करण फीस, स्टॉप शुल्क और पंजीकरण फीस आदि का व्यय वहन किया था।

इस भूमि अधिग्रहण की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्न का पता चला:

- अधिग्रहण उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना था: ₹50 करोड़ से अधिक के गैर-बजटीय पूंजीगत व्यय के लिए शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार, निदेशक मंडल के

अनुमोदन की आवश्यकता थी। इस मामले में, यह अधिग्रहण निदेशक मंडल के अनुमोदन के बिना किया गया था।

ii) अधिग्रहित भूमि 'जहां है जैसे है के आधार' पर थी: 2012 एपीआईआईसी के विनियमों के अनुसार, आम तौर पर, औद्योगिक पार्कों में न्यूनतम अवसंरचना जैसे सड़कें, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति, लैंडफिलिंग आदि होंगे। जबकि ओएनजीसी ने प्रारंभ में बुनियादी अवसंरचना सुविधाओं के साथ भूमि अधिग्रहण करना चाहा, लेकिन अंततः उसने ऐसी भूमि अधिग्रहीत की जो भूमि स्तर से सात फुट नीचे थी, और अतः स्पष्टतः अविकसित थी। भूमि को भरने के लिए ₹36.19 करोड़ का व्यय उठाना पड़ा था।

iii) भूमि उपयोगिता में विलंब के कारण शास्ति: भूमि बिक्री करार के अनुसार, कंपनी को कब्जा लेने की तिथि से दो साल के भीतर अपने इच्छित उद्देश्य के लिए भूमि का उपयोग करना आवश्यक था। हालांकि, सलाहकार को कार्य पर रखने में दो साल का विलंब (मार्च 2017) और निर्माण संविदा (मार्च 2019) देने में चार वर्षों के विलंब के कारण कंपनी को एपीआईआईसी को समय के विस्तार की ₹12.97 करोड़ की फीस का परिहार्य भुगतान करना आवश्यक हो गया और मार्च 2021 तक विस्तार प्राप्त किया (मार्च 2020)।

इस प्रकार, विकसित प्लॉटों की भूमि दरों पर भूमि स्तर से सात फीट नीचे की अनुमानित औसत गहराई के साथ 72.14 एकड़ प्लॉट का अधिग्रहण करने के निर्णय के परिणामस्वरूप निचाई वाली भूमि को भरने में ₹36.19 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ। इसके अलावा, सलाहकार को कार्य पर रखने और निर्माण संविदा देने में विलंब के परिणामस्वरूप एपीआईआईसी को समय के विस्तार की ₹12.97 करोड़ की फीस का भुगतान हुआ।

मंत्रालय ने बताया कि (मार्च, 2020/फरवरी 2021) कार्य का विस्तृत अनुमान कीचड़/दलदली भूमि और साइट की असुरक्षित स्थितियों/यातायात की आवाजाही में बाधा के कारण व्यवहार्य नहीं था। भंडारण यार्ड में डिजाइन की गई सुविधाओं के निर्माण में विलंब एपीआईआईसी के प्रति विभिन्न अदालती मामलों के कारण है जिसमें ओएनजीसी को पक्षकार बनाया गया था और कंपनी एपीआईआईसी के साथ अदालती मामलों पर नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई कर रही है।

मंत्रालय की प्रतिक्रिया स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कंपनी ने पहले 20 एकड़ की विकसित भूमि का चयन करने की उपेक्षा करते हुए विकसित प्लॉट की अधिसूचित दरों पर जलमग्न तथा जंगल से आधारित निचाई वाली भूमि का अधिग्रहण किया। कंपनी उचित सावधानी करने में विफल रही क्योंकि उसने जिस भूमि का अधिग्रहण किया था, उसका एक भाग पहले से ही मुकदमेबाजी के अधीन था।

इस प्रकार, कंपनी की अपनी परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर भूमि का निर्धारण और अधिग्रहण करने की विफलता के परिणामस्वरूप निचाई वाली भूमि को भरने में ₹36.19 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय उठाना पड़ा। इसके अलावा, सलाहकार को कार्य पर रखने और निर्माण संविदा देने में विलंब के परिणामस्वरूप एपीआईआईसी को समय के विस्तार की ₹12.97 करोड़ की फीस का भुगतान हुआ।

## 2.6 नियमित केसिंग पाइपों की अधिप्राप्ति में विलंब के कारण परिहार्य व्यय

वर्ष 2015-16 और 2016-17 के लिए ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रीमियम थ्रेडेड केसिंग पाइपों की अधिप्राप्ति के लिए निविदा के प्रसंस्करण में विलंब ने बेसिन एंड सैटेलाइट एसेट, मुंबई को 2 से 2.5 गुना महंगे केसिंग पाइपों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹21.56 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) के एकीकृत सामग्री प्रबंधन नियमपुस्तिका के खंड 34.10 के अनुसार निविदाओं के विभिन्न गतिविधियों और प्रसंस्करण के लिए अधिकतम 136 दिन का प्रावधान है। स्पष्टीकरण के प्रत्येक दौर के लिए अतिरिक्त 20 दिनों की अनुमति है। इसके अलावा जहां भी निदेशक और कार्यकारी अधिप्राप्ति समिति (ईपीसी) का अनुमोदन अपेक्षित है, वहां अतिरिक्त 5 दिन और 15 दिन की अनुमति दी जाती है।

ओएनजीसी के कॉर्पोरेट सामग्री प्रबंधन विभाग को अप्रैल 2015 और अक्टूबर 2015 में मुंबई हाई एसेट से क्रमशः वर्ष 2015-16 और 2016-17 के प्रीमियम केसिंग पाइप्स<sup>10</sup> के लिए माँगपत्र प्राप्त हुए। इसे क्रमशः अगस्त 2014 और अक्टूबर 2015 में उसी अवधि के लिए बेसिन और सैटेलाइट एसेट से भी माँगपत्र प्राप्त हुए। निविदा समिति ने 11 समूहों के अंतर्गत केसिंग पाइप के लिए निविदा आमंत्रण करने वाला नोटिस (एनआईटी) जारी करने की सिफारिश की (दिसंबर 2016) और इसे फरवरी 2017 में दोनों वर्षों की आवश्यकताओं को मिलाकर प्रकाशित किया गया था। उक्त टेंडर के प्रति ई-पोर्टल पर चार प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। दो दौर के स्पष्टीकरण के बाद निविदा समिति ने, बोली की वैधता प्राप्त करने के अधीन, समूह<sup>11</sup> 1 से 7 और 11 के लिए मेसर्स ऑयल कंट्री ट्यूबलर लिमिटेड, हैदराबाद (ओसीटीएल) और समूह 3-ए के लिए मेसर्स टीएमके मिडिल ईस्ट की मूल्य बोली खोलने के लिए सिफारिश की (सितंबर 2017)। तदनुसार, मूल्य बोली 19 सितंबर 2017 को खोली गई थी। विस्तृत विचार-विमर्श के बाद, निविदा समिति ने ₹259.99 करोड़ के लिए 2, 3,

<sup>10</sup> 9-5/8", एल-80, 47 पाउंड प्रति फीट (पीपीएफ) विनिर्देश

<sup>11</sup> 1ए, 2ए, 3ए, 4ए, 5ए, 6ए, 7ए, 11ए



5, 6 और 7 समूहों के लिए मेसर्स ओसीटीएल को आदेश देने और 1, 4, 8, 9, 10 और 11 समूहों के लिए निविदा को फिर से आमंत्रित करने की सिफारिश की (नवम्बर 2017), जिसका निदेशक (ऑनशोर) द्वारा समर्थन किया गया था (नवंबर 2017)।

तदनुसार, नोटिस ऑफ अवार्ड (एनओए) मेसर्स ओसीटीएल को दिया गया था (05 दिसंबर 2017)। हालांकि, कई अनुस्मारकों के बावजूद, मेसर्स ओसीटीएल निर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर निष्पादन बैंक गारंटी जमा करने में विफल रहा जिसके कारण ₹3.67 करोड़ की बयाना राशि जमा आह्वान करने के लिए प्रस्तावित किया गया था (जनवरी 2018)। मेसर्स ओसीटीएल ने ओएनजीसी बयाना राशि को निष्पादन बैंक गारंटी में रूपांतरित करने और शेष निष्पादन बैंक गारंटी मूल्य कवर होने तक प्रत्येक आपूर्ति बीजक से 13 फीसदी की कटौती पर विचार करने का अनुरोध किया (जनवरी 2018)। आवश्यकता की तात्कालिकता को देखते हुए और निविदा समिति की सिफारिश के आधार पर, निदेशक (ओनशोर) (i) बयाना राशि जमा को निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में रूपांतरित करने और (ii) प्रत्येक बीजक के 25 प्रतिशत मूल्य की कटौती करने और बैंक गारंटी राशि की पूर्ण रूप से वसूली होने तक राशि को रखने का अनुमोदन दिया। मेसर्स ओसीटीएल को तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए विस्तृत खरीद आदेश जारी करने की तिथि से 23 सप्ताह की निर्धारित अवधि की अपेक्षा छह सप्ताह के भीतर 12,000 मीटर केसिंग पाइपों की आपूर्ति करने की भी सलाह दी गई थी। मेसर्स ओसीटीएल से पुष्टि की प्राप्ति के बाद फरवरी 2018 में खरीद का आदेश दिया गया। हालांकि, आपूर्तिकर्ता बार-बार अनुरोधों के बावजूद आदेश को पूरा करने में विफल रहा और अंत में, खरीद आदेश रद्द कर दिया गया (नवंबर 2018)।

परिसंपत्ति प्रबंधक, बेसिन एंड सैटेलाइट एसेट, मुंबई ने कॉर्पोरेट सामग्री प्रबंधन दिल्ली को अवगत कराया (अगस्त 2017) कि, पश्चिमी अपतटीय एसेट और बेसिन में 9-5/8 "एल-80 प्रीमियम केसिंग पाइप का स्टॉक 'शून्य' था और आगे प्रस्तुत किया कि केसिंग पाइप की अनुपलब्धता और रिग की निष्क्रियता से बचने के लिए, बंबई हाई प्लेटफार्म और वसई ईस्ट वेल्स के दो कुओं में 2 से 2.5 गुना महंगा 13 क्रोम एल-80 प्रीमियम केसिंग पाइप का उपयोग करने के लिए एसेट को मजबूर किया गया था।

इस प्रकार, समय पर प्रीमियम थ्रेडेड केसिंग पाइपों की अधिप्राप्ति के लिए नियमित निविदा को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण, बेसिन और सैटेलाइट एसेट को महंगे केसिंग पाइपों का उपयोग करने के लिए मजबूर किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप ₹21.56 करोड़ (अनुलग्नक-II) का परिहार्य व्यय हुआ। कंपनी के अन्य प्रतिष्ठानों से व्यवस्थित समान प्रकार के केसिंग पाइपों का उपयोग करके मुम्बई हाई एसेट पर परिचालन जारी रखा गया था।

ओएनजीसी ने बताया कि (जनवरी 2020):

- कॉर्पोरेट सामग्री प्रबंधन विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली निविदाओं के माध्यम से वार्षिक आधार पर केसिंग पाइपों की केन्द्रीकृत अधिप्राप्ति की जा रही है और एसेट/बेसिनों द्वारा जारी सभी मांगपत्रों को निविदा प्रयोजनों के लिए कॉर्पोरेट सामग्री प्रबंधन में समेकित किया जा रहा है। प्रीमियम थ्रेड केसिंग पाइपों की अधिप्राप्ति के लिए निविदा को सही ढंग से संसाधित किया गया था; हालांकि, विभिन्न मुद्दों पर विलंबन ओएनजीसी के नियंत्रण से बाहर थे।
- चूंकि प्रीमियम केसिंग पाइपों की कमी थी, इसलिए ओएनजीसी के पास बॉम्बे हाई प्लेटफॉर्म और वसई ईस्ट के दो कुओं के परिसंचालन और ड्रिलिंग को चालू रखने के लिए 13 क्रोम केसिंग पाइप का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि प्रीमियम केसिंग के स्थान पर 13 क्रोम केसिंग पाइपों को उतारा नहीं गया होता, तो रिगों को विभिन्न स्थानों पर ले जाना पड़ता, जिससे लामबंदी तथा गैर लामबंदी शुल्क लगता। इस प्रकार, ओएनजीसी ने परिचालन का प्रबंधन किया और महंगे शटडाउन और लागत को बढ़ने से बचा लिया।
- केसिंग पाइपों के प्रीमियम कनेक्शनों में बदलाव, यह पता लगाया जाना कि प्रीमियम केसिंग पाइपों की अधिप्राप्ति पर प्रतिपाटन शुल्क लागू है, स्टील पॉलिसी अधिसूचना मई 2017 में, जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होना और दिल्ली उच्च न्यायालय में मेसर्स हंटिंग एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक रिट याचिका में अदालती मामलो के कारण निविदा के प्रसंस्करण में विलंब हुआ।

यह निर्णय लिया गया था कि निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में लागू बयाना राशि (₹3.67 करोड़) को परिवर्तित किया जाए और प्रत्येक बीजक का 25 प्रतिशत मूल्य निष्पादन बैंक गारंटी के रूप में कटौती की जाए।

मंत्रालय ने प्रबंधन के विचारों को दोहराते हुए बताया (जून 2021) कि माल सूची के निर्माण को रोकने और माल सूची की ढुलाई लागत को कम करने के क्रम में संयुक्त मांगपत्र रखा गया था। 2014-15 और 2015-16 की आवश्यकता को विभिन्न कार्य केंद्रों के साथ उपलब्ध बफर स्टॉक के साथ पूरा किया गया, जो तेल और गैस के व्यवसाय में एक सामान्य प्रथा है। मंत्रालय ने आगे बताया कि निविदा के प्रसंस्करण में विलंब से बचने के लिए प्रबंधन द्वारा कई सुधारात्मक उपाय किए गए थे।

प्रबंधन/मंत्रालय के उत्तर को निम्नलिखित के संदर्भ में देखने की आवश्यकता है।

- कंपनी वार्षिक आधार पर केन्द्रीकृत अधिप्राप्ति की अपनी नीति का अनुपालन करने में विफल रही क्योंकि इसने 2015-16 की आवश्यकता को 2016-17 के साथ मिला दिया,

जिसके कारण माँगपत्र को प्रसंस्करण करने में विलंब हुआ। इसके परिणामस्वरूप 2 से 2.5 गुना महंगा प्रीमियम केसिंग पाइप का उपयोग हुआ। एकीकृत सामग्री प्रबंधन नियम पुस्तिका के पैरा 1.4.2 के साथ पठित पैरा 1.3 को रचनात्मक तरीके से लिया जाना चाहिए। समेकन को किसी विशेष वर्ष के दौरान विभिन्न एसेट/बेसिनो से प्राप्त सभी आवश्यकताओं के समेकन का संदर्भ देना चाहिए न कि विभिन्न वर्षों की आवश्यकताओं का समेकन। ओएनजीसी को सामग्री की समय-सीमा, स्टॉक की उपलब्धता आदि को ध्यान में रखते हुए केसिंग पाइपों की अधिप्राप्ति के लिए समय पर निविदा का प्रसंस्करण करना चाहिए था। हालांकि, केसिंग पाइपों की अधिप्राप्ति के लिए एनओए को सामग्री प्रबंधन नियम पुस्तिका में दिए गए 176 दिनों के समय मानदंडों की अपेक्षा माँगपत्र की तिथि से 782 से 1,201 दिनों की अत्यधिक विलंब के साथ दिया गया था।

- कंपनी के सामग्री प्रबंधन पुस्तिका का खंड 34.10 माल की अधिप्राप्ति के लिए 176 दिनों का प्रसंस्करण समय देता है। यह अवधि एनओए को देने तक निविदा के प्रसंस्करण में शामिल सभी सामान्य अपेक्षित गतिविधियों को शामिल करती है। इसलिए, तकनीकी बोली मूल्यांकन मानदंडों में संशोधन, प्रीमियम थ्रेड कनेक्शनों की समीक्षा, बोलीदाताओं को स्पष्टीकरण आदि जैसी गतिविधियों को केसिंग पाइपों को समय पर वितरण के लिए, विशेष रूप से इसके विभिन्न प्रतिष्ठानों पर अपेक्षित सामग्रियों की कमी को देखते हुए समय पर पूरा किया जाना चाहिए।
- प्रीमियम केसिंग पाइपों की आवश्यकता 2015-16 के लिए थी और इसके माँगपत्र अगस्त 2014 में प्राप्त हुए थे। इसलिए, यदि प्रबंधन ने सामग्री प्रबंधन नियम पुस्तिका की समयसीमा के अनुसार निविदा का प्रसंस्करण किया होता, तो उत्तर में उद्धृत मुद्दों अर्थात् प्रतिपाटन शुल्क, स्टील पॉलिसी, जीएसटी और अदालती मामले आदि को लागू करने से अधिप्राप्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।
- किसी विशेष वर्ष की आवश्यकता के लिए खरीद आदेश देने से आगामी निविदा चक्र को प्रभावित नहीं करना चाहिए। हालांकि, निविदा प्रसंस्करण में लगातार देरी हो रही थी क्योंकि 2014-15 की आवश्यकता के लिए खरीद आदेश अप्रैल 2016 में दिया गया था और 2015-16 और 2016-17 की आवश्यकता के लिए खरीद आदेश फरवरी 2018 में दिया गया था। इस प्रकार, ओएनजीसी केसिंग पाइपों की अपनी वार्षिक आवश्यकता के लिए खरीद आदेश को समय पर देने में विफल रहा।
- परिचालनात्मक आवश्यकताओं अर्थात् जैसे कि लाभ बंदी/गैर लाभ बंदी प्रभारों, रिग निष्क्रियता, उत्पादन की हानि आदि को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम केसिंग पाइपों के उपयोग के कारण आने वाली बाधाओं को निविदा को अंतिम रूप देकर और कंपनी की

केसिंग पाइपों की वार्षिक आवश्यकता के लिए खरीद आदेश को समय पर देने से बचा जा सकता था।

- माल सूची की ढुलाई की लागत से बचने के लिए मांगपत्र का मिलान परिहार्य परिवहन व्यय को बढ़ाता है। इसके अलावा, प्रत्येक वर्ष, कॉरपोरेट सामग्री प्रबंधन सभी इकाइयों के ध्यान में लाता है कि आगामी चक्र के लिए मांगपत्र को अंतिम रूप देते समय, वर्तमान चक्र के लिए दिए गए आदेश/ पारगमन में सामग्री को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इसलिए विभिन्न कार्य केंद्रों के पास रखे बफर स्टॉक, कार्य केंद्रों द्वारा की गई आवश्यकता के निर्धारण पर सवाल उठाता है।

इस प्रकार, यदि ओएनजीसी ने वार्षिक आधार पर तैयार एसेट/बेसिनों से प्राप्त सभी मांगपत्रों के समेकन के बाद ठीक समय के भीतर निविदा प्रक्रिया शुरू और पूरी की होती जैसे कि सामग्री प्रबंधन नियमा पुस्तिका में निर्धारित है तो, महंगे केसिंग पाइपों के उपयोग के कारण कंपनी द्वारा किए गए ₹21.56 करोड़ के व्यय से बचा जा सकता था।

### **सिफारिश संख्या 2**

ओएनजीसी अपनी अधिप्राप्ति नीति का पालन सुनिश्चित कर सकता है और अधिप्राप्ति प्रक्रिया समय पर शुरू कर सकता है ताकि इसकी अन्वेषण गतिविधियों के लिए आवश्यक महत्वपूर्ण सामग्रियों का स्टॉक समाप्त होने की स्थिति से बचा जा सके।

### **2.7 महानदी-बंगाल-अंडमान बेसिन, कोलकाता में विभागीय रिग की निष्क्रियता और त्रिपुरा एसेट में एक और रिग को किराए पर लेने के कारण परिहार्य व्यय**

ओएनजीसी की त्रिपुरा एसेट ने गहरे कुएं की ड्रिलिंग के लिए महानदी-बंगाल-अंडमान बेसिन, कोलकाता को विभागीय रिग को निर्मुक्त किया। हालांकि, अनुचित योजना के कारण, तैयार स्थान न मिलने के कारण रिग 213 दिनों तक निष्क्रिय रहा जिससे 2019-20 और 2020-21 के दौरान ₹17.36 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अलावा, त्रिपुरा एसेट ने इसी अवधि के दौरान एक और रिग को किराए पर लिया, जिससे ₹12.33 करोड़<sup>12</sup> का परिहार्य व्यय हुआ।

वर्ष 2018-19 के दौरान, ओएनजीसी के महानदी-बंगाल-अंडमान (एमबीए) बेसिन कोलकाता में टाइप 1 विभागीय रिग (3,050 मीटर तक की गहराई के संदर्भ में ड्रिलिंग क्षमता) द्वारा ड्रिलिंग गतिविधियाँ की गईं। न्यू ऐक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी ब्लॉक (डब्ल्यूबी-ओएनएन-2005/4) के न्यूनतम कार्य कार्यक्रम को पूरा करने के लिए, बैरकपौर #ए स्थान

<sup>12</sup> मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक किराए पर ली गई एक रिग के लिए किया गया भुगतान (डीआर#15: ₹12.33 करोड़)

को 17 जुलाई 2018 को 4,800 मीटर की लक्ष्य गहराई के साथ अन्वेषण के लिए निर्मुक्ति किया गया था। चूंकि बैरकपुर #ए एक गहरा कुआं था और उपलब्ध विभागीय रिग की क्षमता से अधिक था, इसलिए संयुक्त समीक्षा बैठक में एमबीए बेसिन में 2019-20 के दौरान टाइप-III रिग (6,100 मीटर तक की कुएँ की गहराई के संदर्भ में ड्रिलिंग क्षमता) तैनात करने और अन्य कार्य केंद्र में विभागीय रिग को पुनः स्थापित करने का निर्णय लिया गया था (जुलाई 2018)।

एमबीए बेसिन, कोलकाता ने वर्ष 2019-20 के लिए एमबीए बेसिन के बजट अनुमान में मई 2019 से टाइप-III रिग (बीआई-2000-1) की तैनाती के लिए प्रस्ताव रखा (अगस्त 2018)। सक्षम प्राधिकरण ने अगरतला से कोलकाता तक टाइप-III रिग की तैनाती का अनुमोदन किया (अक्टूबर 2018) और रिग को एमबीए बेसिन, कोलकाता के लिए त्रिपुरा एसेट से नियुक्त किया गया (8 मई 2019) और 31 जनवरी 2020 को शुरू किया गया था। चूंकि एमबीए बेसिन, कोलकाता में तैयार स्थान उपलब्ध नहीं था, इसलिए रिग फरवरी 2020 से अगस्त 2020 तक 213 दिनों तक निष्क्रिय पड़ा रहा (जबकि रिग ड्रिलिंग गतिविधियों के लिए तैयार था)।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

i) जनवरी/ अप्रैल 2019 में हुई ड्रिलिंग और वेल सर्विसेज की संयुक्त समीक्षा बैठक के दौरान, निदेशक (प्रौद्योगिकी एवं क्षेत्रीय सेवाएं) ने अगरतला से इसके जारी होने से पहले जारी किए गए स्थानों की उपलब्धता और रिग बीआई-2000-1 के लिए ड्रिल साइट की तैयारी को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। हालांकि, रिग को त्रिपुरा एसेट, अगरतला से जारी किया गया था, यद्यपि यह ज्ञात था कि ड्रिलिंग उद्देश्य के लिए बेसिन के पास कोई भूमि आसानी से उपलब्ध नहीं थी। रिग 213 दिनों तक निष्क्रिय रहा, जिससे निष्क्रियता लागत पर ₹17.36 करोड़<sup>13</sup> का निष्फल व्यय हुआ।

ii) त्रिपुरा एसेट से रिग बीआई-2000-1 को जारी करने से पहले, यह कार्य करने की स्थिति में था और जून 2017 से मई 2019 के दौरान एसेट में तीन अन्वेषणात्मक कुओं और एक विकसित कुएं के कार्यों को पूरा किया था। इस रिग के जारी होने के बाद त्रिपुरा एसेट ने ड्रिलिंग के कार्य को पूरा करने के लिए मार्च 2020 से अगस्त 2020 तक रिग डीआर#15 को किराए पर लिया जिस पर ₹12.33 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

इस प्रकार, अनुचित योजना के कारण, त्रिपुरा एसेट द्वारा एमबीए बेसिन, कोलकाता को जारी विभागीय रिग तैयार स्थान की अनुपलब्धता के कारण 213 दिनों तक निष्क्रिय रहा

<sup>13</sup> स्टाफ लागत और रिग की निष्क्रियता से हुए अन्य व्यय के आधार पर प्रबंधन द्वारा गणना की गई थी।

जिससे 2019-20 और 2020-21 के दौरान ₹17.36 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ। इसके अलावा, त्रिपुरा एसेट ने इसी अवधि के दौरान एक और रिग को किराए पर लिया, जिससे ₹12.33 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

ओएनजीसी ने बताया (फरवरी 2021) कि:

- न्यूनतम कार्य कार्यक्रम प्रतिबद्धता को पूरा करने के लिए, स्थान बैरकपुर #ए 17 जुलाई 2018 को निर्मुक्त किया गया था। इस स्थान को एक गहरी ड्रिलिंग टाइप-III रिग द्वारा ड्रिल किया जाना चाहिए था, जोकि एमबीए बेसिन के साथ उपलब्ध नहीं था। निर्धारित समय सीमा के भीतर ड्रिलिंग की पूरी प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए, डीप ड्रिलिंग रिग की व्यवस्था करने और साथ ही स्थान के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया गया था।

भूमि अधिग्रहण और अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण राज्य सरकार से मंजूरी मिलने में अत्यधिक विलंब हुआ, जो ओएनजीसी के नियंत्रण से बाहर थे। भूमि अधिग्रहण में इस विलंब के परिणामस्वरूप रिग 213 दिनों की अवधि के लिए निष्क्रिय हो गया और ₹17.36 करोड़ की लागत निष्क्रिय हुई।

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उत्तर तर्कसंगत नहीं है:

- त्रिपुरा एसेट से एमबीए बेसिन कोलकत्ता में रिग के स्थानांतरण के समय, बेसिन में न तो कोई तैयार स्थान था और न ही कोई अधिग्रहीत भूमि। इसके अलावा, भूमि अधिग्रहण के बाद भी, सिविल कार्यों के लिए कम से कम तीन से चार महीने की आवश्यकता होती है। इसलिए, एक विवेकपूर्ण निर्णय के रूप में, कंपनी को बेसिन द्वारा कुओं की ड्रिलिंग के लिए कम से कम भूमि का अधिग्रहण करने के बाद रिग जारी करना चाहिए था ताकि विभागीय रिग का इस्टिमेट रूप में उपयोग किया जा सके।
- निदेशक (प्रौद्योगिकी और क्षेत्रीय सेवाएं) की इच्छा थी कि अगरतला से रिग के जारी किए जाने से पहले कोलकाता में इसके लिए स्थान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। हालांकि, इसका पालन नहीं किया गया और रिग बीआई-2000-1 को ड्रिलिंग के लिए स्थान की तैयारी की पुष्टि किए बिना जारी किया गया।
- कंपनी को त्रिपुरा एसेट में अपने परिचालन जारी रखने के लिए ₹12.33 करोड़ की लागत से एक और रिग (डीआर#15) को किराए पर लेना पड़ा, यद्यपि स्थान के अभाव में कोलकाता के एमबीए बेसिन में इसकी अपनी रिग निष्क्रिय पड़ी थी। कंपनी त्रिपुरा एसेट में ड्रिलिंग के लिए विभागीय रिग का उपयोग कर सकती थी और स्थान तैयार होने के बाद रिग को एमबीए बेसिन तक ले जाने की कार्यवाही की जा सकती थी।

इस प्रकार, ओएनजीसी को अनुचित योजना के कारण ₹29.69 करोड़<sup>14</sup> का परिहार्य व्यय हुआ, जिसके परिणामस्वरूप न केवल 213 दिनों तक विभागीय रिग की निष्क्रियता हुई बल्कि इसके परिचालनों को पूरा करने के लिए एक और रिग को भी किराए पर लेना पड़ा। लेखापरीक्षा पैराग्राफ फरवरी 2021 में मंत्रालय को संदर्भित किया गया था; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जुलाई 2021)।

### **सिफारिश सं. 3**

ओएनजीसी को कंपनी के सर्वोत्तम वित्तीय हितों में किराए पर लेने से पहले अपने स्वयं के रिगों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना चाहिए।

### **2.8 पर्याप्त सुविधाओं का सृजन न करने के परिणामस्वरूप कम दबाव वाली गैस का परिहार्य प्रज्वलन**

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की मेहसाणा एसेट में पर्याप्त सुविधाएं सृजित न होने से कम दबाव वाली गैस का परिहार्य प्रज्वलन हुआ और इसके परिणामस्वरूप अप्रैल 2016 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान ₹15.13 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी) की मेहसाणा एसेट अपने क्षेत्रों से प्रति दिन 5.5 से 6 लाख मानक घन मीटर (एलएससीएमडी) की संबद्ध तथा मुक्त गैस का उत्पादन करती है जिसकी आंतरिक उपयोग के लिए खपत की जाती है, या ग्राहकों को बेची जाती है या पर्याप्त सुविधाओं के अभाव में प्रज्वलित की जाती है। संबद्ध गैस एसेट के कुल गैस उत्पादन का 90 प्रतिशत है और शेष 10 प्रतिशत मुक्त गैस है। तेल के साथ उत्पादित कम दबाव की संबद्ध गैस अपने दबाव को बढ़ाने और मुक्त प्रवाह की सुविधा के लिए संकुचित की जाती है और शेष कम दबाव गैस, जिसे संकुचित नहीं किया जाता, प्रज्वलित की जाती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान उत्पादित कम दबाव गैस के 8,569 एलएससीएम में से एसेट ने विभिन्न उपभोक्ताओं को 4,136 एलएससीएम की आपूर्ति की और 4,074 एलएससीएम का उपयोग कैप्टिव उपयोग के लिए किया गया। चार साल के दौरान मेहसाणा एसेट में कम दबाव गैस का कुल प्रज्वलन 359 एलएससीएम (कुल उत्पादन का 4.2 फीसदी) था। तकनीकी कारणों, एकांत स्थानों, सुविधाओं की कमी और अन्य कारणों से कम दबाव वाली प्रज्वलित गैस की मात्रा क्रमशः 126 एलएससीएम, 21 एलएससीएम, 193 एलएससीएम और 19 एलएससीएम थी। अकेले

<sup>14</sup> डीआर#15 की किराए की लागत ₹12.33 करोड़ तथा ₹17.36 करोड़ रिग निष्क्रियता की लागत

नंदासन ग्रुप गैदरिंग स्टेशन और लिंच अर्ली प्रोडक्शन सिस्टम (ईपीएस) ने सुविधाओं की कमी के कारण प्रज्ज्वलित 193 एलएससीएम में से 157 एलएससीएम का योगदान दिया। ओएनजीसी के उत्पादन एवं विकास निदेशालय ने, महानिदेशक, हाइड्रो कार्बन (डीजीएच) को मेहसाणा एसेट के प्रक्रिया कारणों के कारण कम दबाव वाली प्रज्ज्वलित गैस (तकनीकी सीमा) की स्वीकार्य सीमा 2.70 प्रतिशत की सूचना दी। हालांकि, मेहसाणा एसेट में वास्तविक कम दबाव वाली प्रज्ज्वलित गैस वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के दौरान क्रमशः, 5.12 प्रतिशत, 4.40 प्रतिशत, 4.11 प्रतिशत और 3.18 प्रतिशत थी, जो तकनीकी सीमा की तुलना में 2.42 प्रतिशत, 1.70 प्रतिशत, 1.41 प्रतिशत और 0.48 प्रतिशत अधिक थी।

इस प्रकार, कम दबाव गैस के परिहार्य प्रज्ज्वलन के कारण अप्रैल 2016 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान ₹15.13 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

प्रबंधन ने बताया (फरवरी 2020) कि निरंतर प्रयासों के बावजूद, सुविधाओं की कमी के कारण प्रज्ज्वलन को नंदासन और लिंच क्षेत्रों की प्रकृति (छोटे और एकांत) के कारण उत्पादन प्रोफाइल में अनिश्चितता के कारण वांछनीय स्तर तक नीचे नहीं लाया जा सका।

मंत्रालय ने बताया (जनवरी 2021) कि मेहसाणा एसेट क्षेत्रों के निष्पादन से संबंधित मामलों पर जलाशय अध्ययन संस्थान के साथ लगातार संपर्क में था। सुविधा के सृजन पर बिक्री प्रतिबद्धता और निर्णय जलाशय अध्ययन संस्थान द्वारा प्रोफाइल पर आधारित हैं, तथापि कई पूल और परतों वाले छोटे और सीमांत क्षेत्रों के लिए प्रोफाइल की भविष्यवाणी करना मुश्किल है। मंत्रालय ने आगे बताया कि मेहसाणा एसेट गैस बिक्री निविदाओं के साथ आगे बढ़ी और गैस के प्रज्ज्वलन से बचने के लिए वास्तविक उत्पादन आंकड़ों के आधार पर अतिरिक्त संपीड़न सुविधा का सृजन किया। इसके अलावा, एसेट ने कम दबाव कंप्रेसर को लिंच में स्थानांतरित करने और लिंच ग्रुप गैदरिंग स्टेशन पर माइक्रो टरबाइन चालू करने जैसे प्रयास किए थे। प्रोफाइल की अनिश्चितता और अतिरिक्त कम दबाव गैस की अस्थायी उपलब्धता के कारण प्रज्ज्वलन को कम करने के क्रम में, उपभोक्ताओं को परिचालन कारणों के कारण उपलब्ध अतिरिक्त गैस की आपूर्ति के लिए कार्यप्रणाली को 537वीं कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदन दिया गया था। एसेट ने जनवरी 2020 में प्रज्ज्वलन को 2.71 प्रतिशत (तकनीकी आवश्यकता) तक कम किया और प्रज्ज्वलन सितंबर 2020 में 3 प्रतिशत के करीब था; एसेट इसे तकनीकी आवश्यकता तक कम रखने का प्रयास करती है।



उत्तर को निम्नलिखित के संदर्भ में देखा जाना चाहिए:

- 31 मार्च 2018 तक लिंच गुप गैदरिंग स्टेशन पर केवल दो कम दबाव कंप्रेसर (प्रत्येक 10,000 एससीएमडी की क्षमता के साथ) स्थापित किए गए थे। मार्च 2020 तक, चार कम दबाव कंप्रेसर (प्रत्येक 10,000 एससीएमडी की क्षमता के साथ) लिंच गुप गैदरिंग स्टेशन में स्थापित किए गए हैं; अतिरिक्त कंप्रेसरो को मई/अक्टूबर 2018 में मेहसाणा के अन्य क्षेत्रों (जहां कंप्रेसिंग सुविधा का कम उपयोग किया गया था) से स्थानांतरित कर दिया गया था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया है कि 2017-18 के बाद से इन क्षेत्रों में कंप्रेसर उपयोग में नहीं होने के बावजूद नार्थ काडी गुप गैदरिंग स्टेशन और जोटाना गुप गैदरिंग स्टेशन से लिंच और नंदासन में कम दबाव कंप्रेसर को स्थानांतरित करने की आवश्यकता का पता लगाने में विलंब हुआ। इस प्रकार, लिंच और नंदासन के क्षेत्रों में कम दबाव के प्रज्जवलन को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की गई।
- मेहसाणा एसेट ने एक वर्ष से अधिक समय तक 65 केवीए माइक्रो टरबाइन का सफलतापूर्वक संचालन करने के बाद तीन माइक्रो टरबाइन (200 केवीए की क्षमता वाली एक और 65 केवीए क्षमता प्रत्येक के साथ अन्य दो) की अधिप्राप्ति के लिए प्रस्ताव शुरू किया है; निविदा पूरी हो चुकी है लेकिन कोविड-19 महामारी परिस्थिति के कारण निविदा प्रदान करने की सूचना रोक कर रखी गई है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि परिहार्य प्रज्जवलन नियंत्रण के लिए अतिरिक्त सुविधाएं आवश्यक हैं और ओएनजीसी ने केवल 2019-20 में कार्रवाई शुरू की, हालांकि क्षेत्रों में सुविधा की कमी के कारण 2016-17 के बाद से कम दबाव गैस का प्रज्जवलन लगातार हुआ है।
- मंत्रालय ने वर्ष 2019-20 के दौरान केवल अपवादात्मक महीनों पर विचार किया। 2019-20 के आंकड़ों की संवीक्षा पर, लेखापरीक्षा ने देखा कि प्रज्जवलन अप्रैल से अगस्त 2019 तक उत्पादन के 3 प्रतिशत से लगातार अधिक था और मार्च 2020 में 4.8 प्रतिशत गैस प्रज्जवित हुई थी। इसके अलावा पूरे वर्ष 2019-20 के दौरान, नंदासन और लिंच में सुविधा की कमी के कारण प्रज्जवलन तकनीकी सीमा से लगातार अधिक रहा।
- लेखापरीक्षा इस बात की सराहना करता है कि परिचालन कारणों से उपलब्ध उपभोक्ताओं को अतिरिक्त गैस की आपूर्ति के लिए कार्यप्रणाली को 537<sup>वीं</sup> कार्यकारी समिति की बैठक में अनुमोदित किया गया था और मार्च 2019 में निविदाओं को अंतिम रूप देने में समय को कम करने के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया जारी की गई थी और अब एक प्रणाली लागू है। तथापि, तथ्य यह है कि एसेट द्वारा उपलब्ध कम दबाव कंप्रेसर को स्थानांतरित करने के लिए समय पर कार्रवाई नहीं की गई थी और अतिरिक्त सुविधाओं का सृजन अभी पूरा किया जाना है, जिसके कारण, मेहसाणा एसेट में उत्पादन की तुलना में प्रज्जवलन अनुमोदित तकनीकी स्तरों से ऊपर बना हुआ है।

इस प्रकार, मौजूदा अनुमानित उत्पादन प्रोफाइल और उत्पादन में सकारात्मक भिन्नता को ध्यान में रखते हुए पर्याप्त सुविधाओं का सृजन न करने के परिणामस्वरूप ₹15.13 करोड़ की राशि की 193 लाख मानक घन मीटर कम दबाव वाली गैस का प्रज्ज्वलन हुआ, जिससे बचा जा सकता था।

#### **सिफारिश संख्या 4**

ओएनजीसी को अपनी अन्य एसेट पर कम दबाव वाली गैस के प्रज्ज्वलन की जांच करनी चाहिए और यह सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करनी चाहिए कि प्रज्ज्वलन को अनुमेय सीमा के भीतर रखा जाए।

#### **ओएनजीसी पेट्रो एडिंशंस लिमिटेड**

### **2.9 भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्धारित ऋण-इक्विटी अनुपात का रखरखाव न होने के कारण दण्डात्मक ब्याज का परिहार्य भुगतान**

ओएनजीसी पेट्रो एडिंशंस लिमिटेड पर ऋण करार के नियमों और शर्तों के अनुसार भारतीय स्टेट बैंक के नेतृत्व में बैंकों के संघ द्वारा वित्तपोषित परियोजना में निर्धारित ऋण-इक्विटी अनुपात का रखरखाव न होने के कारण ₹25.81 करोड़ का परिहार्य शास्तिक ब्याज लगाया।

ओएनजीसी पेट्रो एडिंशंस लिमिटेड (ओपीएएल) के निदेशक मंडल ने जनवरी 2014 की निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन तिथि से पहले 70:30 और उसके बाद 60:40 के अनुपात के ऋण-इक्विटी अनुपात के साथ ₹21,396 करोड़ की अनुमानित लागत पर दहेज पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स परियोजना को अनुमोदन दिया (मार्च 2012)। ओपीएएल ने ₹14,977 करोड़ के ऋण के लिए भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के नेतृत्व में बैंकों/वित्तीय संस्थानों के संघ के साथ रुपये ऋण करार (आरएलए) पर हस्ताक्षर किए (जनवरी 2013)। बाद में जुलाई 2014 में, बोर्ड ने दिसंबर 2015 तक 66:34 के ऋण-इक्विटी अनुपात और उसके बाद 58:42 के ऋण-इक्विटी अनुपात के साथ ₹27,011 करोड़ की परियोजना लागत में संशोधन को अनुमोदन दिया। कंपनी ने एसबीआई के नेतृत्व में बैंकों/वित्तीय संस्थानों के संघ के साथ अप्रैल 2015 में आरएलए को पूरक और संशोधनात्मक करार पर हस्ताक्षर करके ऋण भाग में वृद्धि की।

एसबीआई ने आरएलए के लिए संशोधनात्मक करार पर हस्ताक्षर करते समय (अप्रैल 2015), निर्धारित वाणिज्यिक परिचालन तिथि 30 जून 2015 के रूप में निर्धारित की और बताया कि समग्र परियोजना लागत को 31 दिसंबर 2015 तक 66:34 के ऋण-इक्विटी अनुपात के साथ वित्त पोषित किया जाना चाहिए और इसके बाद, अनुपात को 58:42 तक किया

जाना चाहिए। इसके अलावा, एसबीआई ने एक और शर्त रखी कि 31 मई 2015 तक या उससे पहले की समग्र इक्विटी आवश्यकता को जोड़ा जाएगा, ऐसा न होने पर 1 जून 2015 से प्रति वर्ष 1 प्रतिशत का अतिरिक्त ब्याज लिया जाएगा।

ओपीएएल ने इक्विटी की आवश्यकता को जोड़ने और अतिरिक्त ब्याज के गैर-उदग्रहण के लिए दिसंबर 2015 तक समय विस्तार की मांग की (अगस्त 2015)। ओपीएएल ने यह भी बताया कि ओएनजीसी ने ₹1,922 करोड़ (शेयर वारंट के माध्यम से) की इक्विटी शामिल की है जिससे कुल इक्विटी बढ़कर ₹3,943.93 करोड़ हो गई और संभावित निवेशक परियोजना में निवेश करने के इच्छुक थे। इसके उत्तर में, एसबीआई ने निर्धारित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ओपीएएल को 31 दिसंबर 2015 तक समय की अनुमति दी (7 दिसंबर 2015), ऐसा न होने पर जनवरी 2016 से 1 प्रतिशत प्रति वर्ष शास्तिक के अतिरिक्त ब्याज दर प्रभारित किया जाएगा।

ओपीएएल अतिरिक्त इक्विटी बढ़ाने में विफल रहा और इस प्रकार एसबीआई द्वारा अनुमत सात महीने बीत जाने के बावजूद निर्धारित ऋण-इक्विटी अनुपात को बनाए नहीं रख सका। परिणामस्वरूप, बैंक ने जनवरी 2016 से शास्तिक ब्याज वसूल करना शुरू कर दिया। यह ध्यान रखना प्रासंगिक है कि कंपनी ने आरबीआई द्वारा एसबीआई को परियोजना में अपेक्षित इक्विटी को शामिल न करने के लिए 31 मार्च 2016 से ओपीएएल लेखा को एनपीए (गैर-निष्पादित परिसंपत्ति) घोषित करने के निर्देश के बाद परिवर्तनीय डिबेंचर के प्लेसमेंट के माध्यम से ₹7,286 करोड़ की इक्विटी बढ़ाने का प्रस्ताव किया (मार्च 2016)। एसबीआई ने जनवरी 2016 से मई 2017 तक की अवधि के लिए शास्तिक ब्याज के लिए ओपीएएल से ₹25.81 करोड़ वसूल किए।

इस प्रकार, निर्धारित ऋण-इक्विटी अनुपात का रखरखाव न करने के कारण, ओपीएएल ने ₹25.81 करोड़ का परिहार्य शास्तिक ब्याज का भुगतान किया।

इक्विटी अंतर को निर्धारित ऋण-इक्विटी अनुपात का अनुपालन करने के लिए अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर के माध्यम से वित्तपोषित करने तक ओपीएएल ने शास्तिक ब्याज की उदग्रहण की पुष्टि की (दिसम्बर 2020)। मंत्रालय ने बताया (फरवरी 2021) कि हालांकि ओएनजीसी/ ओपीएएल ने एसबीआई की संस्वीकृत शर्तों के अनुपालन को सुरक्षित करने के लिए अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर के रूप में इक्विटी/ अर्ध इक्विटी प्राप्त करने की प्रक्रिया शुरू किया, लेकिन इस तरह के वित्तीय साधन जारी करने, दस्तावेज तैयार करने, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत वैधता और अन्य अनुपालनों की जांच करने के संबंध में शामिल जटिलताओं के कारण प्रक्रिया में देरी हुई। मंत्रालय ने आगे बताया कि ओएनजीसी/ओपीएएल के लिए अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर की अवधारणा नई थी जिसमें अधिक विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

ओपीएएल/ मंत्रालय का उत्तर इस तथ्य के कारण मान्य नहीं है कि ओपीएएल ने निर्धारित अनुपालन की नियत तिथि (दिसंबर 2015) के दो महीने बाद अर्थात् फरवरी 2016 में अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर के प्लेसमेंट के माध्यम से वांछित स्तर पर इक्विटी बढ़ाने की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके अलावा, एसबीआई ने संशोधन करार के नियमों और शर्तों के अनुपालन के लिए सात महीने के समय की अनुमति दी थी, जो अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर जारी करने की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा, इस तथ्य के मद्देनजर कि कंपनी एसबीआई के स्वीकृत नियमों और शर्तों के बारे में जानती थी, ओपीएएल को दिसंबर 2015 की विस्तारित देय तिथि से पहले अनिवार्य परिवर्तनीय डिबेंचर मार्ग का सहारा लेना चाहिये था। ओपीएएल केवल जुलाई 2016 (₹5,615 करोड़) और मई 2017 (₹1,671 करोड़) अर्थात् नियत तिथि के एक वर्ष से अधिक के बीत जाने के बाद, दो किस्तों में ही अतिरिक्त इक्विटी बढ़ा सका।

इस प्रकार, ओपीएएल ने एसबीआई द्वारा सात महीने के विस्तार की अनुमति के बावजूद समग्र परियोजना लागत में निर्धारित इक्विटी के गठ-जोड़ में देरी की, जिसके परिणामस्वरूप जनवरी 2016 से मई 2017 की अवधि के लिए ₹25.81 करोड़ के शास्तिक ब्याज का परिहार्य भुगतान हुआ, जिससे परियोजना लागत में वृद्धि हुई।

#### **सिफारिश संख्या 5**

ओपीएएल, कंपनी के सर्वोत्तम वित्तीय हितों में बैंकों/ वित्तीय संस्थानों के साथ वित्त/ ऋण करारों में निर्धारित नियमों और शर्तों का पालन सुनिश्चित कर सकता है।

#### **ओएनजीसी विदेश लिमिटेड**

### **2.10 सीवीसी के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में कार्य देने के द्वारा निजी पार्टियों को दिया गया अनुचित लाभ**

केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों की अवहेलना में ओएनजीसी विदेश लिमिटेड ने ₹10.60 करोड़ के मूल्य वाले अपने तेल और गैस भंडारों का नामांकन के आधार पर निजी पार्टियों को लेखापरीक्षण का कार्य दिया, जिससे निजी पार्टियों को अनुचित लाभ मिला।

ओएनजीसी विदेश लिमिटेड (ओवीएल) दुनिया भर के 19 विविध देशों में 39 अन्वेषण और उत्पादन (ईएंडपी) एसेट (मार्च 2020) के साथ उपस्थिति है। ओवीएल अपने तेल और गैस भंडारों को समय-समय पर (हर पांच साल के बाद) या अन्य कंपनी आवश्यकताओं के अनुसार थर्ड पार्टी के लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा करवा रही है। संभावित वित्तदाताओं, जो एक अन्वेषण के भंडार को जानने में रुचि रखते हैं, और उत्पादन कंपनी को भंडार के वास्तविक मूल्य को जानने के लिए रिजर्व ऑडिटिंग मददगार है। यह वैधानिक अनुपालन के साथ-साथ कॉर्पोरेट सुशासन के लिए भी आवश्यक है।

ओवीएल ने नए तेल क्षेत्रों के अधिग्रहण के लिए वैश्विक बाजार से प्रतिस्पर्धी लागतों पर दीर्घकालिक निधि सृजित करने के लिए 7,95,000 यूएसडी (डीएंडएम : यूएसडी 3,00,000; स्प्राँले : यूएसडी 4,95,000) की कुल लागत के नामांकन आधार पर दो एंजेसियों अर्थात् रसिया में 25 क्षेत्रों के लिए मैसर्स डीगोलेयर एंड मैकनोटन (डीएंडएम) और सूडान में 52 क्षेत्रों के लिए मैसर्स स्प्राँले को तेल क्षेत्रों के लेखापरीक्षण थर्ड पार्टी कंसेलटेसी कार्य दिया (नवम्बर 2013)।

कंपनी ने भंडारों के अनुमान के लिए बहुत कम समय को ध्यान में रखते हुए नामांकन के आधार पर सलाहकारों का चयन किया था।

वर्ष 2019-20 के दौरान, रूस में 54 चयनित भंडारों के लिए भंडार अनुमान के कार्यों को नामांकन के आधार पर यूएसडी 7,95,000 की कुल लागत पर फिर से मैसर्स डीएंडएम को प्रदान किया गया (अक्टूबर 2019)। यह कार्य कंपनी के साथ डेटा संवेदनशीलता, विश्वसनीयता और पहले कार्य भागीदारी पर नामांकन के आधार पर प्रदान किया गया था।

इस प्रकार, ओवीएल ने नामांकन के आधार पर भंडार अनुमान के दोनों कार्यों को यूएसडी 15,90,000 (₹10.60 करोड़<sup>15</sup>) की कुल लागत पर प्रदान किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया है कि:

i) केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के निर्देशों (5 जुलाई 2007 और 11 जुलाई 2018)<sup>16</sup> के अनुसार, नामांकन के आधार पर संविदाओं को केवल असाधारण परिस्थितियों में लिया जाना था जैसे कि जहां आपूर्तिकर्ता या संविदाकार के पास माल या सेवाओं के संबंध में विशेष अधिकार हैं और कोई उचित विकल्प या मौजूद नहीं है आदि। ओवीएल के लिए कार्य करने वाले अन्य अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त भंडार लेखापरीक्षकों की उपलब्धता के बारे में लेखापरीक्षा के प्रश्न के प्रति उत्तर में यह सूचित किया गया था कि चार अन्य अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठित एंजेसियां<sup>17</sup> हैं जो ओवीएल के लिए कार्यों को कर सकती हैं। इस प्रकार, अंतरराष्ट्रीय परामर्शदाताओं की उपलब्धता के बावजूद नामांकन के आधार पर दोनों कार्यों को देना सीवीसी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।

<sup>15</sup> 19 नवंबर 2013 (संव्यवहारों की तिथि) के लिए यूएसडी = ₹62.31, 18 अक्टूबर 2019 (संव्यवहारों की तिथि) के लिए यूएसडी = ₹71.09 यूएसडी 7,95,000 \* ₹62.31 = ₹4.95 करोड़ + यूएसडी 7,95,000\*₹71.09 = ₹5.65 करोड़; कुल = ₹4.95 करोड़ + ₹5.65 करोड़ = ₹10.60 करोड़

<sup>16</sup> कार्यालय आदेश संख्या 23/07/07 दिनांक 5 जुलाई 2007 और परिपत्र संख्या 06/07/18 दिनांक 11 जुलाई 2018

<sup>17</sup> i) गैफनी क्लाइन एंड एसोसिएट्स (जीसीए), यूके, ii) रॉबर्टसन (यूके), iii) बायफेज लिमिटेड (यूके) और iv) शूलबर्जर एशिया सर्विसेज

ii) 2013 में मेसर्स डीएंडएम का बजटीय उद्धरण यूएसडी 6,923.01 प्रति क्षेत्र था, जबकि कार्य को 12,000 यूएसडी प्रति क्षेत्र की दर से दिया गया था। यह कार्य 5,076.99 यूएसडी प्रति क्षेत्र<sup>18</sup> की उच्च दर पर दिया गया था और लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए अभिलेखों में इसका कोई औचित्य दर्ज नहीं पाया गया था। इसी प्रकार, मेसर्स डीएंडएम द्वारा 2019 में प्रति क्षेत्र (यूएसडी 17,187.5) उद्धृत दर नवंबर 2013 (यूएसडी 6,923.01) की अपनी पूर्ण उद्धरण से 2.48 गुना अधिक थी। लेखापरीक्षा को प्रस्तुत किए गए अभिलेखों में भी इसका विश्लेषण नहीं पाया गया। अंत में, मेसर्स डीएंडएम को प्रति क्षेत्र यूएसडी 14,722.22 की दर से कार्य दिया गया।

iii) चूंकि भंडार अनुमान की प्रक्रिया, किसी भी अन्वेषण और उत्पादन कम्पनी के लिए एक नियमित घटना है और ओवीएल अपने भंडारों की नियमित अंतराल पर लेखापरीक्षा कर रहा है, इसलिए नामांकन के आधार पर संविदा प्रदान करने के लिए कम समय-सीमा का कारण मान्य नहीं है। इसके अलावा, प्रतिस्पर्धी आधार पर तेल और गैस क्षेत्रों के प्रमाणीकरण कार्य को करने के लिए थर्ड पार्टी को नियुक्त करना उद्योग में सामान्य प्रथा है। उदाहरण के लिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 2008 में प्रतिस्पर्धी आधार पर इसी प्रकार के कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय सलाहकारों को लगाया था और रूस में इंपीरियल एनर्जी ने 2010 और 2012 में प्रतिस्पर्धी आधार पर इसी प्रकार के कार्यों के लिए अंतरराष्ट्रीय सलाहकारों को लगाया था।

iv) मेसर्स डीएंडएम और मेसर्स स्पूल दोनों ही निजी संस्थाएं थीं और डेटा संवेदनशीलता और विश्वसनीयता जैसे कारकों में दुर्लभ और असाधारण परिस्थितियों के रूप में कोई आधार नहीं देता। कई वर्षों से बार-बार एक ही संविदाकार को भंडार अनुमान कार्य प्रदान करने से प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारण और पूर्ववर्ती भंडार आकलन सलाहकारों द्वारा दिए गए भंडार आंकड़ों के पुनर्वैधीकरण में बाधा देता है।

कम्पनी ने नामांकन आधार पर निजी पार्टियों को ₹10.60 करोड़ के कार्य दिए, जिससे सीवीसी के दिशा - निर्देशों की अवहेलना हुई जिसके परिणामस्वरूप निजी पार्टी को अनुचित लाभ हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (मार्च 2021) कि:

- सीवीसी के दिशा-निर्देश असाधारण परिस्थितियों में नामांकन पर कार्य देने की अनुमति देते हैं। वर्तमान मामले को, इस प्रकार के असाधारण मामले पर विचार करते हुए नामांकन के आधार पर दिया गया है।

---

<sup>18</sup> यूएसडी 12,000 - यूएसडी 6,923.01 = यूएसडी 5,076.99

- ओएनजीसी ने अपनी भंडार रिपोर्टिंग को पीआरएमएस 2018 (पेट्रोलियम भंडार प्रबंधन प्रणाली) में स्थानांतरित कर दिया है और ओएनजीसी के लिए यह कार्य मेसर्स डीएंडएम ने किया था। ओवीएल के लिए यह अनिवार्य था कि वह पीआरएमएस 2018 में स्थानांतरित हो जाए जिसके लिए ईसी (अनुमान समिति) से सैद्धांतिक अनुमोदन लिया गया था। इसलिए, पीआरएमएस 2018 में स्थानांतरण की प्रक्रिया के दृष्टिकोण में एकरूपता बनाए रखने के लिए, डीएंडएम को ओवीएल द्वारा एक उपयुक्त विकल्प माना गया था।
- मेसर्स डीएंडएम, कई प्रमुख तेल कंपनियों के लिए एक अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त भंडार लेखापरीक्षक है और कंपनी को यह सुनिश्चित करना है कि स्वीकार्य लेखा परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए केवल प्रतिष्ठित कंपनियों को ही इस तरह की संविदा दी जाए। डीएंडएम ने ओएनजीसी/ओवीएल के साथ लंबी अवधि के लिए कार्य किया है क्योंकि भंडार लेखापरीक्षा उन्हें दी गई थी और लेखापरीक्षा में विश्व स्तर पर सामान्य स्वीकार्यता है। खुली निविदा के आमंत्रण से डाटा चोरी और दुरुपयोग हो सकता है।
- 54 चयनित क्षेत्रों के लिए भंडार अनुमान का कार्य 7,95,000 यूएसडी अर्थात 14,722 यूएसडी प्रति क्षेत्र की कुल लागत पर मेसर्स डीएंडएम को दिया गया था (अक्टूबर 2019)। जबकि मेसर्स एमईसीएल, कोलंबिया के मामले में, 5,87,000 यूएसडी अर्थात यूएसडी 27,952 प्रति क्षेत्र प्रति वर्ष कुल लागत पर सात क्षेत्रों के भंडार लेखा परीक्षा के लिए तीन वर्षों की संविदा मेसर्स राइडर स्कॉट को दी गई थी। इसलिए, मेसर्स डीएंडएम को वर्तमान संविदा के लिए मूल्य उचित था।

प्रबंधन का उत्तर, इस तथ्य के प्रति देखा जाना चाहिए कि सीवीसी, लेखापरीक्षा के संदर्भ और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अलग संदर्भ के लिए स्पष्ट करता (क्रमशः दिसंबर 2020 और मई 2021) है कि सीवीसी के मुख्य तकनीकी परीक्षक के संगठन ने राय दी है कि ओवीएल द्वारा उल्लेख की गई असाधारण परिस्थितियों जैसे डेटा की संवेदनशीलता, विश्वसनीयता, ओवीएल के साथ पहले से जुड़ी फर्मों आदि इस तरह के कार्य के दौरान आयोग के परिपत्र में प्रदान की गई असाधारण परिस्थितियों की सूची में नहीं दिखाई देते।

इस प्रकार, सीवीसी के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में कार्य को देने से निजी पार्टियों को ₹10.60 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ था।

जून 2021 में मंत्रालय को लेखापरीक्षा पैराग्राफ जारी किया गया था; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है (जुलाई 2021)।

## अध्याय III: ऊर्जा मंत्रालय

### एनएचपीसी लिमिटेड

#### 3.1 संविदाकार को अनुचित लाभ

एनएचपीसी ने न्यूनतम गारंटी उत्पादन से कम सौर ऊर्जा के मासिक उत्पादन के लिए संविदाकार पर ₹11.61 करोड़ की शास्ति नहीं लगाई।

एनएचपीसी ने तमिलनाडु में 50 मेगावाट (25 x 2 इकाइयों) सोलर पावर पीवी ग्रिड से जुड़ी परियोजना के लिए अभियांत्रिकी संविदा देने की तिथि से नौ महीने की पूर्णता अवधि के साथ ₹287.48 करोड़ की कीमत पर एलएंडटी लिमिटेड (संविदाकार) को, इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण (ईपीसी) की संविदा दी (14 जून 2017)।

संविदा की शर्तें यह निर्धारित करती थी कि निष्पादन गारंटी परीक्षण संयंत्रों के सफलतापूर्वक चालू होने की तिथि से 30 दिनों के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए किया जाएगा। संविदाकार निष्पादन गारंटी परीक्षण अवधि के दौरान 105.96 एमयू<sup>1</sup> विद्युत की न्यूनतम गारंटी उत्पादन (एमजीजी) के लिए सहमत हो गया। यदि संयंत्र इंटरकनेक्शन पॉइंट पर निष्पादन गारंटी परीक्षण अवधि के दौरान गणना 'आधार उत्पादन'<sup>2</sup> प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, तो एक वर्ष के निष्पादन गारंटी परीक्षण के दौरान मासिक कमी के योज को वार्षिक कमी माना जाएगा जिस पर शास्ति लगाई जाएगी और संविदाकार उत्पादन में कमी की ₹49 प्रति इकाई की दर पर नियोक्ता को शास्ति की क्षतिपूर्ति करेगा।

सोलर संयंत्र की प्रत्येक 25 मेगावाट की दोनों इकाइयां क्रमशः फरवरी 2018 और मार्च 2018 में शुरू की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वास्तविक निष्पादन गारंटी परीक्षण 15 दिसंबर 2018 से 14 दिसंबर 2019 तक किया गया था और संविदाकार द्वारा गारंटी के अनुसार संबंधित महीनों के लिए न्यूनतम गारंटी उत्पादन की तुलना में, पांच महीने<sup>3</sup> में विद्युत उत्पादन 2.37 एमयू से कम था, जिसके प्रति संविदा की शर्तों के अनुसार संविदाकार पर ₹11.61 करोड़<sup>4</sup> की शास्ति लगाई जानी थी। हालांकि, एनएचपीसी ने उत्पादन में मासिक कमी के लिए

<sup>1</sup> प्रत्येक माह के लिए निर्दिष्ट विकिरण और उसके प्रति उद्धत विद्युत उत्पादन के आधार पर परिकल्पित

<sup>2</sup> महीने के लिए आधार उत्पादन की गणना जिसमें महीने के लिए कैलिब्रेटेड पायरानोमीटर द्वारा मापित वास्तविक औसत वैश्विक सौर विकिरण को ध्यान में रखते हुए कारक के साथ तकनीकी डेटा प्रारूपों में बोलीदाता द्वारा उद्धत महीनेवार उत्पादन को सही करके की जाती है।

<sup>3</sup> दिसम्बर 2018, जनवरी, अप्रैल, नवंबर और दिसम्बर 2019

<sup>4</sup> उत्पादन में मासिक कमी X शास्ति प्रति यूनिट (2.37 एमयू x ₹49 प्रति यूनिट)



संविदाकार पर कोई जुर्माना नहीं लगाया, जिसके परिणामस्वरूप संविदाकार को ₹11.61 करोड़ का अनुचित लाभ हुआ।

एनएचपीसी/ऊर्जा मंत्रालय ने उत्तर दिया (अप्रैल 2020/अप्रैल 2021) कि निष्पादन गारंटी परीक्षण संचालन एजेंसी अर्थात् राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) की अंतिम रिपोर्ट के अनुसार, निष्पादन गारंटी परीक्षण न्यूनतम गारंटी उत्पादन से 0.64 प्रतिशत अधिक के साथ पूरा किया गया था और इस प्रकार एनएचपीसी द्वारा कोई शास्ति नहीं लगाई जाती है या शास्ति लगाया जाना प्रस्तावित किया जाता है।

उत्तर इस तथ्य के प्रति देखा जा सकता है कि संविदा शर्त के अनुपालन में, संविदाकार ने बोली में महीने वार न्यूनतम गारंटी उत्पादन प्रस्तुत किया। तदनुसार, विद्युत उत्पादन की मासिक कमी पर शास्ति लगाई जानी चाहिए थी। इस प्रकार, न्यूनतम गारंटी उत्पादन से कम विद्युत उत्पादन के लिए ₹11.61 करोड़ की शास्ति न लगाने से संविदाकार को अनुचित लाभ हुआ है।

**सिफारिश संख्या 6**

*न्यूनतम गारंटी उत्पादन से कम विद्युत उत्पादन के लिए ₹11.61 करोड़ की शास्ति लगाई जा सकती है और संविदाकार से वसूली की जा सकती है।*



**उद्योग समूह**



## अध्याय IV: वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवाएं विभाग)

### इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड

#### 4.1 ऋण और ब्याज की संदिग्ध वसूली

संघीय ऋण के तहत, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड ने उचित परिश्रम किए बिना थर्मल पावर परियोजना के निर्माण के लिए एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड को ₹470 करोड़ का ऋण वितरित किया। शुरू होने के बावजूद, ईंधन आपूर्ति करार के तहत सहमत दरों पर कोयले की आपूर्ति न होने के कारण परियोजना व्यवहार्यता से न चल सकी और आईआईएफसीएल की संपूर्ण ऋण परिसंपत्ति 31 दिसंबर 2020 तक ₹400.49 करोड़ के लिए गैर-निष्पादन परिसंपत्ति में बदल दिया (अप्रैल 2018)। इसके परिणामस्वरूप ₹400.49 करोड़ के ऋण राशि और ₹269.43 करोड़ के ब्याज की वसूली होना संदिग्ध है।

एक संघीय ऋण के तहत, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड (आईआईएफसीएल) ने गुजरात के वाडीनार में 1,200 मेगावाट के आयातित<sup>1</sup> कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड<sup>2</sup> को ₹470 करोड़ के एक ऋण की मंजूरी दी (अगस्त 2007)। परियोजना की अनुमानित लागत ₹4,820 करोड़ थी, जिसे मई 2011 में निर्धारित शुरुआत के साथ 3:1 के ऋण-इक्विटी अनुपात में वित्त पोषित किया जाना था। एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड द्वारा एक सहायक<sup>3</sup> कम्पनी के माध्यम से ईंधन के रूप में कोयले की आपूर्ति की योजना बनाई गई थी।

एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड ने 25 वर्षों के लिए 1,000 मेगावाट विद्युत की बिक्री के लिए गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ एक विद्युत खरीद करार (पीपीए) पर हस्ताक्षर किए थे (फरवरी 2007) और 25 वर्षों के लिए आयातित कोयले की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए एक सहायक कंपनी एस्सार शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड<sup>4</sup> के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किया था (जून 2007)। उधारकर्ता ने मई 2008 में उसी सहायक कंपनी एस्सार शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड के साथ एफएसए पर हस्ताक्षर किए।

<sup>1</sup> इंडोनेशिया कोयला

<sup>2</sup> एस्सार पावर लिमिटेड की एक सहायक कम्पनी

<sup>3</sup> सहायक कंपनी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक ही प्रवर्तको से संबंधित है।

<sup>4</sup> एस्सार पावर लिमिटेड की अन्य सहायक कंपनी

आईआईएफसीएल ने अक्टूबर 2009 से मई 2012 के दौरान एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड को ₹470 करोड़ का ऋण वितरित किया। जून 2012 में प्लांट चालू हुआ था।

सितंबर 2010 में, इंडोनेशियाई विनियमों में बदलाव हुआ था, जिससे इंडोनेशियाई आपूर्तिकर्ताओं से आयात किए जाने वाले कोयले की कीमतों में वृद्धि हुई थी। एफएसए के अप्रत्याशित घटना खंड के तहत कवर किए जा रहे आयातित कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी की याचिका पर एस्सार शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड ने एफएसए के तहत कोयले की आपूर्ति नहीं की और दिसंबर 2013 में एफएसए को समाप्त कर दिया। चूंकि पीपीए के तहत आपूर्ति की जाने वाली विद्युत का टैरिफ ईंधन लागत में वृद्धि के लिए असंवेदनशील था, इसलिए कोयले की अतिरिक्त लागत ने एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड के परिचालन और वित्तीय स्थिती को प्रभावित किया। 2012-13 से 2016-17 के दौरान, ₹2,514.46 करोड़ की वित्तीय हानि झेलने के बाद नवंबर 2017 में संयंत्र को बंद कर दिया गया था, क्योंकि ₹2.90 प्रति यूनिट के राजस्व के मुकाबले उत्पादन की अधिक लागत ₹3.10 प्रति यूनिट थी।

एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड द्वारा ऋण/ब्याज की अदायगी में चूक पर आईआईएफसीएल ने आरबीआई के दिशा-निर्देशों के तहत अप्रैल 2018 में गैर-निष्पादन परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में पूरे ऋण और ब्याज को वर्गीकृत किया था। गुजरात सरकार ने अपनी नीति निर्देश (3 जुलाई 2018) के तहत गुजरात राज्य में तीन<sup>5</sup> थर्मल पावर परियोजनाओं की स्ट्रैसड परिसंपत्तियों के समाधान के लिए हाई पावर कमेटी (एचपीसी) का गठन किया और एक पुनर्वास पैकेज का प्रस्ताव किया जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ऋणदाताओं की ओर से 20 पैसे प्रति यूनिट की क्षमता प्रभार में 90 प्रतिशत की मानक उपलब्धता तक ऋण में कमी करके और विद्युत की दरों में वृद्धि का परित्याग शामिल था। गुजरात विद्युत नियामक आयोग ने पुनर्वास पैकेज को अनुमोदित किया (अप्रैल 2020)। प्रबंधन ने सूचित किया (फरवरी 2021) कि ऋण में कमी करके उधारदाताओं की ओर से परित्याग को पुनर्गठन/संकल्प योजना तैयार करने के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

31 दिसंबर 2020 तक, आईआईएफसीएल का ऋण, एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड से वसूली किए जा सकने वाले ₹269.43 करोड़ के ब्याज को छोड़कर ₹400.49 करोड़ था। आईआईएफसीएल ने इस ऋण परिसंपत्ति के प्रति ₹240.30 करोड़ यानी बकाया मूलधन का 60 प्रतिशत का प्रावधान किया।

<sup>5</sup> अडानी पावर लिमिटेड: 4,620 मेगावाट, तटीय गुजरात पावर लिमिटेड: 4,150 मेगावाट और एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड: 1,200 मेगावाट

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि पीपीए में कानून की परिभाषा और कानून में परिवर्तन/अप्रत्याशित घटना केवल भारत में कानून को कवर करता है। कानून में परिवर्तन में सहमति/अनुमोदन या परियोजना के लिए प्राप्त किए गए या उपलब्ध लाइसेंस को कवर करता है। पीपीए के तहत परियोजना को डिजाइन, वित्तपोषण, इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति, विद्युतघर के निर्माण और इसके परिचालन और रखरखाव के रूप में परिभाषित किया गया है। इस प्रकार, इसने आयातित कोयले के लिए विदेशी कानून में परिवर्तन के कारण प्रभाव को कवर नहीं किया। जबकि 'एफएसए में, अप्रत्याशित घटना/कानून में परिवर्तन' घटनाक्रम, परिवर्तन, अधिनियमन, प्रख्यापन, संशोधन, निलंबन, या किसी भी लागू कानूनों को निरस्त करने की तिथि के बाद, जिसका इस करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने की पार्टी की क्षमता पर एक सामग्री प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, को कवर करता है। इस प्रकार, इसने किसी भी घटनाक्रम को कवर नहीं किया जिसका प्रभाव कोयले की कीमत पर पड़ा और बाद में पार्टी के अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करने से इनकार करना पड़ा। इस तथ्य को न तो मूल्यांकन नोट में शामिल किया गया और न ही इस जोखिम को कम करने के लिए कोई उपाय किये गये। इसके परिणामस्वरूप इस ऋण खाते के प्रति ₹669.92 करोड़ (₹400.49 करोड़ + ₹269.43 करोड़) की राशि की देयताओं की वसूली संदिग्ध है।

आईआईएफसीएल ने उत्तर दिया (जून 2021) कि उन्होंने सिफ्टी<sup>6</sup> नीति के अनुसार ऋण वितरित करने में परियोजना के वित्तीय मूल्यांकन के लिए अग्रणी बैंक का अनुसरण किया और एफएसए को एस्सार शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा इंडोनेशियाई विनियमों में परिवर्तन के लिए समाप्त कर दिया गया था, जिसके कारण एस्सार शिपिंग और लॉजिस्टिक्स लिमिटेड द्वारा आयात किए जाने वाले कोयले की कीमत में वृद्धि हुई। यह परियोजना नवंबर 2017 तक परिचालन में थी।

आईआईएफसीएल का उत्तर निम्नलिखित तथ्यों के संदर्भ में देखा जाए:

- किसी भी वित्तीय संस्थान का प्राथमिक उत्तरदायित्व यह है कि वह अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा इसके मूल्यांकन के बावजूद ऋण की स्वीकृति के लिए विचाराधीन परियोजनाओं के प्रमाण पत्र के बारे में स्वयं को संतुष्ट करे।
- भले ही दिसम्बर 2013 में एफएसए को समाप्त कर दिया गया था, सितम्बर 2010 में कोयले के मूल्य निर्धारण पर इंडोनेशियाई नियमों में बदलाव से कोयले की कीमत में वृद्धि हुई थी और आईआईएफसीएल सहित ऋणदाता सितम्बर 2010 में परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए एस्सार शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की सहमत

<sup>6</sup> वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित आईआईएफसीएल के माध्यम से व्यवहार्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए योजना

दर पर कोयले की आपूर्ति करने की क्षमता का पुनर्मूल्यांकन करने में विफल रहे। यह परिवर्तन पीपीए में शामिल नहीं किया गया था। इस घटना के बाद भी, आईआईएफसीएल ने एस्सार पावर गुजरात लिमिटेड को ₹163.21 करोड़ का ऋण वितरित किया।

इस प्रकार, परियोजना मूल्यांकन की उचित सावधानी में आईआईएफसीएल की विफलता के कारण ₹400.49 करोड़ की एनपीए और ब्याज के प्रति ₹269.43 करोड़ का अविवेकपूर्ण संवितरण और वसूली होना संदिग्ध है।

ऑडिट पैराग्राफ मंत्रालय को मई 2021 में जारी किया गया था; उत्तर (जुलाई 2021) अपेक्षित है।

### आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड

#### 4.2 उधारकर्ताओं से बकाया की वसूली न होना

आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड ने आशापुरा इंटीमेट्स फैशन लिमिटेड (₹10 करोड़) और आर्कोटेक लिमिटेड (₹15 करोड़) को क्रमशः अगस्त 2018 और मई 2016 में दो ऋण स्वीकृत किए। कंपनी दोनों ऋणों को संस्वीकृत/ वितरित करते समय अपनी ऋण नीति और ऋण करार की शर्तों से विचलित हो गई और बकाया राशि की वसूली के लिए उधारकर्ताओं के गिरवी शेयरों की बिक्री के लिए शेयर गिरवी करारों के अनुपालन में समय पर कार्रवाई करने में विफल रही। इसके कारण दोनों उधारकर्ताओं से ₹27.34 करोड़ की बकाया राशि की वसूली नहीं हुई।

4.2.1 आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (कंपनी) के निदेशकों की कार्यकारी समिति ने सामान्य कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए आशापुरा इंटीमेट्स फैशन लिमिटेड (एआईएफएल) को ₹10 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण स्वीकृत किया (8 अगस्त 2018), जिसमें से 28 सितंबर 2018 को ₹9 करोड़ वितरित किए गए। यह ऋण, एआईएफएल के 6,50,000 शेयरों को गिरवी रखने, प्रवर्तकों की व्यक्तिगत गारंटी, ब्याज और मूलधन पुनर्भुगतान के लिए पोस्ट-दिनांकित चेक और ₹10 करोड़ के मांग वचन पत्र के माध्यम से सुरक्षित किया गया था। ऋण करार की शर्तों के अनुसार, ऋण को 33 महीने की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया था, जिसपर छह महीने की रोक थी और बकाया ऋण राशि के 2.5 गुना प्रतिभूति कवर को एआईएफएल द्वारा हर समय बनाए रखना चाहिए था।

कंपनी की ऋण नीति में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को निर्धारित किया गया था:

- उधारकर्ता का नाम एक नवीनतम सिबिल चूककर्ता सूची, जो कि स्वीकृति के समय 30 दिनों से पुराना न हो, में नहीं होना चाहिए। इसके अलावा, उधारकर्ता/ प्रवर्तक/ व्यक्तिगत



गारंटर का क्रेडिट स्कोर 600 से कम नहीं होगा और किसी भी विचलन को कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

- इसके अलावा, इनमें से किसी भी स्थिति में कमी को वितरण से पहले परिवर्तनों को मंजूरी देने या अन्यथा निर्णय लेने के लिए स्वीकृति प्राधिकारी को भेजा जाना चाहिए।
- संपत्तियों के पूरे विवरण वाले व्यक्तिगत गारंटर्स के अद्यतित निवल धन प्रमाण पत्र ऋण वितरण से पहले प्राप्त किए जाने चाहिए।
- यदि, निर्धारित प्रतिभूति कवर 10 प्रतिशत तक कम हो जाता है या प्रतिभूति कवर निर्धारित प्रतिभूति से कम होने के साथ, गिरवी रखे गए शेयरों का बाजार मूल्य 25 प्रतिशत तक कम हो जाता है, तो उधारकर्ता नकद अतिरिक्त राशि प्रदान करेगा तथा ऐसा न होने पर कंपनी शेयर बेचने के विकल्प का प्रयोग कर सकती है।

इसके अलावा, शेयर गिरवी करार में यह निर्धारित किया गया था कि गिरवी रखने के समय पर मूल्य की तुलना में 20 प्रतिशत या उससे अधिक के शेयर मूल्य में गिरावट होने की स्थिति में उधारकर्ता, अतिरिक्त मुफ्त इक्विटी शेयरों का टॉप-अप प्रदान करेगा या बकाया ऋण के कम से कम 2.5 गुना नकदी कवरेज प्रदान करने के लिए नकद मार्जिन जमा करेगा। टॉप-अप या कैश अतिरिक्त नकदी के भुगतान में चूक के मामले में कंपनी को एक दिन के नोटिस के साथ गिरवी रखे गए शेयरों को खुले बाजार में बेचने का अधिकार होगा। ऋण करार में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित, को निर्धारित किया गया:

- ऋण वितरण से पहले, क्रेडिट सूचना रिपोर्ट मौजूदा उधारदाताओं से प्राप्त की जाएगी, जो संतोषजनक होनी चाहिए और उधारकर्ता उस खाते के संबंध में नो-सेट-ऑफ का पत्र प्रस्तुत करेगा जिसमें वितरण किया जाना है।
- यदि उधारकर्ता/ प्रवर्तक/ गारंटर/ गिरवीकर्ता किसी भी आर्थिक अपराध को अंजाम देते हैं या बेईमानी से जुड़े किसी आपराधिक या गैरकानूनी कृत्य, या निष्ठा के कोई महत्वपूर्ण उल्लंघन या लागू सांविधिक कानूनों के उल्लंघन में शामिल पाए जाते हैं, जिसका व्यवसाय पर महत्वपूर्ण प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, तो कंपनी दो सप्ताह का नोटिस देने के बाद ऋण को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

एआईएफएल के शेयरों का बाजार मूल्य ₹439 के गिरवी मूल्य के प्रति ऋण वितरण की तिथि (28 सितंबर 2018) पर ₹341.50 यानि 22.20 प्रतिशत घट गया और इसलिए, कंपनी ने उसी दिन 2.5 गुना प्रतिभूति कवर बनाए रखने के लिए 83,138 शेयरों के टॉप-अप की मांग की। एआईएफएल ने 01 अक्टूबर 2018 को 2,55,000 अतिरिक्त शेयरों को गिरवी रखा। 03 अक्टूबर 2018 को, एआईएफएल के शेयर मूल्य में ₹246 (यानी,

गिरवी मूल्य से 44 प्रतिशत) तक और गिरावट आई जिससे उपलब्ध प्रतिभूति कवर में ₹22.50 करोड़ के आवश्यक प्रतिभूति कवर के प्रति ₹2.47 करोड़<sup>7</sup> की कमी आई। इसलिए, कंपनी ने एआईएफएल से ₹2.50 करोड़ नकद मार्जिन के लिए माँग की (03 अक्टूबर 2018), जिसे एआईएफएल द्वारा जमा नहीं किया गया। कंपनी ने एआईएफएल को निर्देश दिया (08 अक्टूबर 2018) कि वह बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करे जिसमें ऋण वितरित हुआ था, जिसमें यह खुलासा किया गया था कि कंपनी द्वारा वितरित की गई राशि प्रवर्तक के व्यक्तिगत खाते में स्थानांतरित कर दी गई थी। इसके अलावा, एआईएफएल का मुख्य प्रवर्तक 02 अक्टूबर 2018 से लापता था। एआईएफएल की केयर रेटिंग भी दिसंबर 2018 में केयर सी तक कम हो गई।

एआईएफएल, 31 दिसंबर 2018 अर्थात् ऋण वितरण की तिथि से थोड़ी ही अवधि के भीतर भुगतान करने में चूक गया। कंपनी ने दिसंबर 2018, जनवरी 2019 और फरवरी 2019 में पूर्व-दिनांकित चेक जमा किए लेकिन अपर्याप्त निधि के कारण इसे अदाकर्ता बैंकों द्वारा लौटा दिया गया। 28 फरवरी 2019 तक बकाया ऋण ₹9.31 करोड़<sup>8</sup> था। नकद अतिरिक्त राशि और प्रतिभूति के टॉप-अप के लिए कई अनुवर्ती कार्यवाई के बाद, कंपनी ने 18 फरवरी 2019 को एक ऋण वापसी नोटिस जारी किया। चूंकि एआईएफएल की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई थी, इसलिए कंपनी ने एआईएफएल के 41,369 शेयर बेचे (19 फरवरी 2019) और ₹4.36 लाख की राशि वसूल की। प्रतिभूति कवर में और अधिक क्षरण से बचने के लिए शेयरों की आगे की बिक्री पर रोक लगा दी गई। गारंटी आह्वान नोटिस, 26 फरवरी 2019 को जारी किया गया। एआईएफएल के ऋण खाते को 31 मार्च 2019 को एनपीए के रूप में घोषित किया गया था। कंपनी ने एआईएफएल को धोखाधड़ी का मामला घोषित किया और भारतीय रिजर्व बैंक को इसकी सूचना दी (मई 2019) और केंद्रीय जांच ब्यूरो के पास शिकायत भी दर्ज की (जनवरी 2020)। कंपनी ने जुलाई 2019 में ऋण वसूली न्यायाधिकरण, दिल्ली के समक्ष आवेदन और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत आपराधिक शिकायतें भी दायर की (मार्च 2019 और मई 2019)। राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण ने आईडीएफसी बैंक द्वारा फाइल कॉर्पोरेट दिवालिया आवेदन के आधार पर एआईएफएल के परिसमापन के लिए आदेश पारित किया

<sup>7</sup> 3 अक्टूबर 2018 को गिरवी रखे गए शेयरों की संख्या = 6,50,000 + 2,55,000 = 9,05,000  
3 अक्टूबर 2018 तक शेयर की कीमत ₹246 थी और कंपनी प्रतिभूति कवर का मूल्यांकन करने के लिए बंद बाजार मूल्य का 90 प्रतिशत लेता है। इसलिए, उपलब्ध प्रतिभूति कवर ₹20.03 करोड़ अर्थात्  $246 * 90\% * 9,05,000$  था। न्यूनतम प्रतिभूति कवर की आवश्यकता ऋण राशि का 2.5 गुना अर्थात् ₹22.50 करोड़ थी। इसलिए, प्रतिभूति में कमी ₹2.47 करोड़ थी (₹22.50 करोड़ - ₹20.03 करोड़)।

<sup>8</sup> 9.31 करोड़ = मूलधन ₹9 करोड़ और ब्याज ₹31 लाख

(05 अक्टूबर 2020)। तदनुसार, कंपनी ने 14 अक्टूबर 2020 को परिसमापक के समक्ष दावा फाइल किया।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने देखा कि कंपनी अपनी ऋण नीति, शेयर गिरवी करार और ऋण करार से विचलित हो गई, जैसा कि नीचे विवरण दिया गया है:

- ऋण स्वीकृत करने के समय, विचाराधीन सिबिल चूककर्ताओं की सूची 30 दिन से अधिक पुरानी थी।
- ऋण मंजूर होने के समय एक प्रवर्तक का क्रेडिट स्कोर 662 था, जो संवितरण से पहले घटकर 543 हो गया (26 सितंबर 2018)। इसलिए, इस विचलन को सक्षम प्राधिकारी होने के नाते कार्यकारी समिति द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता थी। हालांकि, इसे कार्यकारी समिति को प्रस्तुत नहीं किया गया था, लेकिन इस संबंध में वितरण नोट में ही केवल खुलासा किया गया था, जिसे प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत किया गया था।
- कंपनी ने 31 मार्च 2018 के बजाय 31 मार्च 2017 तक के व्यक्तिगत गारंटर के निवल धन प्रमाण पत्र स्वीकार किए। इसके अलावा, व्यक्तिगत गारंटर्स के निवल धन में मुख्य रूप से एआईएफएल के शेयरों में ही निवेश शामिल था।
- एआईएफएल को सबसे बड़े ऋणदाता यानी भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) से क्रेडिट सूचना रिपोर्ट और एसबीआई से नो-सेट-ऑफ का पत्र ऋण राशि वितरित करने से पहले कंपनी द्वारा प्राप्त नहीं किया गया था।
- इस तथ्य के बारे में जानकारी होने के बावजूद (10 अक्टूबर 2018) कि एआईएफएल के लापता प्रवर्तक ने ऋण राशि का गबन कर लिया था, कंपनी ने ऋण करार के अनुसार तुरंत ऋण को वापस नहीं लिया और केवल 18 फरवरी 2019 को ऋण वापसी की मांग की।
- एआईएफएल द्वारा नकद अतिरिक्त राशि जमा करने में विफलता की तिथि (03 अक्टूबर 2018) और कंपनी द्वारा एआईएफएल के 41,360 शेयर बेचने की तिथि (19 फरवरी 2019) के बीच, एआईएफएल के लगभग ₹2.83 करोड़ शेयरों को एनएसई/बीएसई में ₹221 से ₹11 प्रति शेयर तक की कीमत पर ट्रेड किया था। हालांकि, कंपनी ने एआईएफएल द्वारा नकद अतिरिक्त राशि जमा करने में विफलता के बाद गिरवी रखे शेयरों की बिक्री के लिए समय पर कार्रवाई शुरू नहीं की और 19 फरवरी 2019 तक इंतजार किया जब उसने ₹4.36 लाख के लिए 9,05,000 गिरवी शेयरों में से केवल 41,369 शेयर बेचे। मध्यवर्ती अवधि के दौरान, शेयर की कीमत में 95 फीसदी की गिरावट आई थी।

इस प्रकार, कंपनी ने एआईएफएल को ऋण स्वीकृत करने और वितरित करते समय ऋण नीति के प्रावधानों का पालन नहीं किया और ऋण को वापस लेने के लिए या एआईएफएल से ₹12.55 करोड़ के बकाया ऋण की वसूली के लिए गिरवी शेयरों को बेचने के लिए ऋण करार और शेयर गिरवी करार के प्रावधानों के अनुसार समय पर कार्रवाई करने में भी विफल रही।

प्रबंधन ने तथ्यों को स्वीकार किया (फरवरी 2021) कि (i) व्यक्तिगत गारंटियों का निवल धन प्रमाण पत्र अद्यतित निवल धन प्रमाण पत्र के बजाय एक वर्ष पुराना था, और (ii) सिबिल क्रेडिट स्कोर की आवश्यकता के संबंध में ऋण नीति से विचलन कार्यकारी समिति को प्रस्तुत करने के बजाय केवल वितरण नोट में प्रस्तुत किया गया था। प्रबंधन ने आगे कहा कि:

- कार्यकारी समिति के निर्देशानुसार, एसबीआई के साथ एआईएफएल के नियमित संचालन के संबंध में उधारकर्ता से एक शपथपत्र/उपक्रम/अन्य सहायक दस्तावेज जो ऋण खाते के संव्यवहार को सत्यापित करने के लिए उक्त एनओसी के लिए एसबीआई को प्रस्तुत अनुरोध पत्र की प्रति के साथ समर्थित थे, को उधारकर्ता से प्राप्त किया गया था।
- कंपनी बाजार में लगातार गिरावट फ्रीज और कम चलनिधि के कारण किसी भी शेयर को बेचने में असमर्थ थी, और प्रतिभूति कवर में और अधिक कमी के अनुरक्षण के लिए, बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।
- कंपनी ने अतिरिक्त शेयरों/वैकल्पिक प्रतिभूति को टॉप-अप करने/नकद अतिरिक्त राशि प्रदान करने और ऋण खाते को नियमित करने के लिए और अतिदेय के निपटान करने के लिए उधारकर्ता पर दबाव बनाने के लिए नियमित अनुवर्ती कार्रवाई की।

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उत्तर तर्कसंगत नहीं है:

- संवितरण नोट में क्रेडिट स्कोर के संबंध में विचलन प्रस्तुत करना न्यायोचित नहीं था क्योंकि ऋण की स्वीकृति के बाद किसी भी विचलन को सक्षम प्राधिकारी (अर्थात् कार्यकारी समिति) को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।
- एसबीआई के साथ नियमित संव्यवहार के संबंध में उधारकर्ता से प्राप्त शपथ पत्र, एसबीआई से ऋण सूचना रिपोर्ट प्राप्त करने के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता है।
- एआईएफएल का शेयर मूल्य, ऋण वितरण के ठीक बाद लगातार गिरावट की प्रवृत्ति दर्शा रहा था। इसलिए, नकद अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने में चूक होने अर्थात् 03 अक्टूबर 2018 के ठीक बाद कंपनी को गिरवी रखे गए शेयरों की बिक्री के लिए तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। गिरवी रखे गए शेयरों को निपटाने के लिए 03 अक्टूबर 2018

और 19 फरवरी 2019 (शेयरों की बिक्री की तारीख) की अवधि के बीच एनएसई/ बीएसई में पर्याप्त ट्रेडिंग वॉल्यूम उपलब्ध था।

इस प्रकार, ऋण नीति, ऋण करार और शेयर गिरवी समझौते की शर्तों का अनुपालन न करना और गिरवी रखे गए शेयरों को बेचने के लिए समय पर कार्रवाई करने में विफलता के कारण एआईएफएल से ₹12.55 करोड़<sup>9</sup> के बकाया देय की वसूली नहीं हुई (31 जनवरी 2021 तक)।

**4.2.2** आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड (कंपनी) के निदेशकों की कार्यकारी समिति ने आर्कोटेक लिमिटेड (उधारकर्ता) को मासिक आधार पर देय 14.50 प्रतिशत प्रति वर्ष की ब्याज दर पर ₹15 करोड़ का कॉर्पोरेट ऋण अनुमोदित किया (मई 2016)। कंपनी की ऋण नीति के अनुसार, यदि उधारकर्ता की बाहरी क्रेडिट रेटिंग छह महीने से अधिक पुरानी है, तो आंतरिक रेटिंग देने की आवश्यकता थी। हालांकि, कंपनी ने उधारकर्ता को सुविधा स्वीकृत करने के समय क्रेडिट रेटिंग प्रमाण पत्र प्राप्त करने की आवश्यक शर्त, अर्थात् छह महीने से अधिक नहीं, पर छूट दी। अनुमोदित ऋण का उपयोग उधारकर्ता की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को दीर्घकालिक संवर्धन के लिए किया जाना था। ऋण की अवधि पहले संवितरण की तिथि से 48 महीने (12 महीने की स्थगन सहित) थी, और इसे स्थगन अवधि के बाद प्रत्येक तिमाही के अंतिम दिन देय समान त्रैमासिक किस्तों में चुकाया जाना था। 09 जून 2016 को उधारकर्ता के साथ कॉर्पोरेट ऋण समझौता और शेयर गिरवी समझौता किया गया था और ऋण राशि 09/10 जून 2016 को वितरित की गई थी।

ऋण समझौते के अनुसार, ऋण को ₹370 प्रत्येक के सूचीबद्ध 13,00,000 इक्विटी शेयरों की गिरवी के माध्यम से 2.5 गुना के कुल प्रतिभूति कवर के साथ सुरक्षित किया गया था। इसके अलावा, ब्याज और मूलधन अदायगी के लिए उत्तर-दिनांकित चेक भी प्राप्त किए गए। उधारकर्ता ने अपने शेयरों को 1:5 के अनुपात में विभाजित किया। तदनुसार, कंपनी के साथ गिरवी रखे गए शेयरों की संख्या 13 लाख से बढ़कर 65 लाख हो गई। शेयर के विभाजन के कारण, इसका बाजार मूल्य भी तदनुसार अर्थात् ₹74 प्रति शेयर (₹370/5) समायोजित किया गया था।

ऋण समझौते में यह भी निर्धारित किया गया था कि गिरवी रखने के समय मूल्य की तुलना में शेयर मूल्य में 10 से 20 प्रतिशत गिरावट के मामले में, उधारकर्ता तीन कार्य दिवसों के भीतर मुफ्त इक्विटी शेयरों के गिरवी के रूप में टॉप-अप करेगा और यदि शेयर मूल्य में 20 प्रतिशत या उससे अधिक की गिरावट आती है, उधारकर्ता ऋण की मियाद के

<sup>9</sup> ₹12.55 करोड़ = मूलधन ₹9.00 करोड़ + ब्याज ₹3.55 करोड़

दौरान हर समय बकाया ऋण के कम से कम 2.5 गुना की प्रतिभूति कवरेज बनाए रखने के लिए नकद अतिरिक्त राशि जमा करेगा।

उधारकर्ता, मई 2017 से नियत तिथियों पर ब्याज के भुगतान में और अगस्त 2017 से (मूलधन पुनर्भुगतान की पहली किस्त के लिए देय महीना) से देय मूलधन के पुनर्भुगतान में अनियमित था। उधारकर्ता द्वारा सितंबर 2017 तक अपेक्षित प्रतिभूति कवर को बनाए रखा गया था। इस बीच, उधारकर्ता के शेयर मूल्य में 16 अक्टूबर 2017 को ₹74 (शेयर विभाजन के बाद व्युत्पन्न घोषित मूल्य) से ₹65.10 (10 प्रतिशत से अधिक गिरावट) और 25 अक्टूबर 2017 को ₹58.95 (20 प्रतिशत से अधिक गिरावट) तक की गिरावट आई। कंपनी ने उधारकर्ता से कहा (अक्टूबर 2017) कि वह बकाया ऋण राशि के 2.5 गुना के स्तर को बनाए रखने के लिए अतिरिक्त शेयरों/नकद अतिरिक्त राशि की भरपाई करे। हालांकि, उधारकर्ता ने बार-बार प्रतिभूति को टॉप अप करने और बकाया चुकाने का आश्वासन दिया, लेकिन उसने वादा पूरा नहीं किया।

कंपनी ने ₹1.04 करोड़ में 4,20,401 शेयर बेचे (मई 2018) और मूलधन/ब्याज के भुगतान के लिए इसे समायोजित किया। हालांकि, उधारकर्ता ने 02 मई 2018 और 02 जुलाई 2018 के बीच 30 लाख शेयरों<sup>10</sup> को टॉप-अप किया, जुलाई 2018 में प्रतिभूति कवर शेयर की कीमत में भारी गिरावट के कारण ₹37.50 करोड़ के न्यूनतम कवर के मुकाबले केवल ₹10.90 करोड़<sup>11</sup> तक पहुंच सका और अंततः आवश्यक न्यूनतम प्रतिभूति कवर से 70.93 प्रतिशत कम था। उधारकर्ता द्वारा लगातार चूक को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने 25 सितंबर 2018 से 24 दिसंबर 2020 के दौरान 7,57,787 शेयरों को ₹0.41 करोड़ में बेचा।

कंपनी ने मई 2018, सितंबर 2018 और मार्च 2019 में बैंक में उत्तर-दिनांकित चेक भी जमा किए, लेकिन अपर्याप्त निधि के कारण इसे अदाकर्ता बैंकों ने लौटा दिया।

उधारकर्ता के ऋण खाते को कंपनी द्वारा 31 दिसंबर 2018 को गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) घोषित किया गया था। कंपनी ने नेगोशिएबल इंस्ट्रुमेंट्स एक्ट के खंड 138 के तहत, आपराधिक शिकायत फाइल की (मई 2019)। जुलाई 2019 में ऋण वसूली

<sup>10</sup> 30,00,000 शेयर = 02 मई 2018 को 5,00,000 शेयर, 14 मई 2018 को 10,00,000 शेयर, 08 जून 2018 को 5,00,000 शेयर और 02 जुलाई 2018 को 10,00,000 शेयर।

<sup>11</sup> 02 जुलाई 2018 को गिरवी शेयरों की संख्या = 65,00,000 + 30,00,000 - 4,20,401 = 90,79,599~90.8 लाख। 02 जुलाई 2018 को शेयर की कीमत ₹15 थी और कंपनी, प्रतिभूति कवर का मूल्यांकन करने के लिए समापन बाजार मूल्य का 80 प्रतिशत लेती है। इसलिए, उपलब्ध प्रतिभूति कवर ₹10.90 करोड़ (₹15\*80 प्रतिशत \*90.8 लाख शेयर) था जो ₹37.5 करोड़ (₹15 करोड़ \*2.5) के आवश्यक न्यूनतम प्रतिभूति कवर से 70.93 प्रतिशत कम था।

न्यायाधिकरण (डीआरटी) और नवंबर 2020 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) के समक्ष याचिका दायर की जो संबंधित अदालत/ न्यायाधिकरण (जनवरी 2021) द्वारा सुनवाई की प्रक्रिया में थे। 31 जनवरी 2021 तक बकाया राशि ₹14.79 करोड़<sup>12</sup> थी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- गिरवी रखे गए शेयरों की प्रतिभूति पर ऋण दिया गया था। शेयर मूल्य की घटती प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, शेयर मूल्य घटने की स्थिति में गिरवी रखे गए शेयरों को बेचने के लिए समय पर कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन कंपनी ने अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2018 तक अतिरिक्त शेयरों/नकद अतिरिक्त राशि की भरपाई करने के लिए उधारकर्ता की बार-बार विफलता के बावजूद शेयर गिरवी करार के अनुसार समय पर शेयरों की बिक्री नहीं की। अक्टूबर 2017 के बाद कंपनी के प्रबंध निदेशक द्वारा शेयर गिरवी करार में छूट को समय-समय पर अनुमोदित किया गया था जब शेयर की कीमत 20 प्रतिशत से अधिक गिर गई। इस अवधि के दौरान, शेयर की कीमत ₹27.55 प्रति शेयर से लेकर ₹57.95 प्रति शेयर तक थी। यदि कंपनी ने इस अवधि के दौरान गिरवी रखे गए शेयरों को बेच दिया होता, तो यह पूरी बकाया राशि<sup>13</sup> की वसूली कर सकता था।
- ऋण करार के अनुसार, देय राशि के पुनर्भुगतान में अपने संबंधित कानूनी करार के संदर्भ में आईएफसीआई लिमिटेड (मूल कंपनी) या उसकी किसी सहायक कंपनी के साथ उधारकर्ता द्वारा किए गए क्रॉस चूक की स्थिति में, चूक की उक्त स्थिति को कंपनी के लिए प्रतिबद्ध चूक माना जाएगा और ऐसी स्थिति में कम्पनी सहायता को वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रखेगी। उधारकर्ता फरवरी 2018 में, आईएफसीआई लिमिटेड को भुगतान करने में चूक गए। हालांकि, कंपनी को मूल/सहायक कम्पनी में उधारकर्ता के ऋण की स्थिति के बारे में पता नहीं था। इसलिए, कंपनी गिरवी रखे गए शेयरों की तत्काल बिक्री के लिए इस चूक पर विचार नहीं कर सकी।
- इसके बावजूद कि उधारकर्ता ने 02 मई 2018 से 02 जुलाई 2018 के दौरान चार किशतों में प्रतिभूति को टॉप-अप किया था, इसे बकाया ऋण के 2.5 गुना के अपेक्षित स्तर पर नहीं रखा गया था। इसके बाद, शेयर की कीमत और कम हो गई और 03 जुलाई 2018 से 24 सितंबर<sup>14</sup> 2018 के दौरान ₹12.55 प्रति शेयर से लेकर ₹18.70 प्रति शेयर हो गई

<sup>12</sup> ₹14.79 करोड़ = 31 जनवरी 2021 तक मूलधन ₹9.65 करोड़ और ब्याज ₹5.14 करोड़

<sup>13</sup> प्रति शेयर 27.55 की सबसे कम कीमत को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ₹17.91 करोड़ (यानी 65,00,000 शेयर \* ₹27.55) की राशि को वसूल सकती थी, जो बकाया राशि की वसूली के लिए पर्याप्त थी।

<sup>14</sup> कंपनी ने 25 सितंबर 2018 से 7,57,787 शेयरों को और बेचा। इसलिए, 24 सितंबर 2018 शेयर तक की कीमत पर विचार किया गया है।

थी। हालांकि, कंपनी ने इस अवधि के दौरान गिरवी रखे गए शेयरों को नहीं बेचा। यहां तक कि अगर प्रति शेयर ₹12.55 की सबसे कम कीमत पर विचार किया जाता है, तो कंपनी कम से कम ₹11.39 करोड़ (90,79,599 शेयर<sup>15</sup> x ₹12.55) की राशि वसूल सकती थी।

- उधारकर्ता नियमित रूप से क्रमशः मई 2017 और अगस्त 2017 के बाद से ब्याज और मूलधन के भुगतान में चूक गया। हालांकि, कंपनी ने चूक से 10 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद ही बैंक में उत्तर-दिनांकित चेकों को जमा करना शुरू कर दिया।
- कंपनी ने ऋण स्वीकृत करते समय अपनी स्वयं की ऋण नीति का पालन नहीं किया और उधारकर्ता के लिए रेटिंग शर्त में ढील दी। इसके अलावा, शेयर गिरवी करार के अनुपालन में छूट उचित नहीं थी जब उधारकर्ता मूलधन/ब्याज के भुगतान में अनियमित था और प्रतिभूति के टॉप-अप के लिए अपने वादे को बनाए रखने में विफल रहा था। इसके कारण उधारकर्ता से ₹14.79 करोड़ के बकाया देय की वसूली नहीं हुई।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2021) कि:

- चूक की स्थिति में कंपनी ने अतिरिक्त शेयरों/ वैकल्पिक प्रतिभूति/ नकद अतिरिक्त राशि टॉप-अप करने और ऋण खाते को नियमित करने के लिए अतिदेय का निपटान करने के लिए उधारकर्ता पर दबाव बनाने के लिए नियमित रूप से अनुवर्ती कार्रवाई की। कंपनी ने भी 04 मई 2018 से बिक्री शुरू की। शेयरों की बिक्री के लिए नियमित प्रयास के बावजूद, कंपनी, कम ट्रेडिंग मात्रा के कारण केवल सीमित मात्रा में शेयरों को ऑफलोड कर सकी। तदनुसार, आवश्यक और उपलब्ध प्रतिभूति कवर में भारी अंतर को ध्यान में रखते हुए और गिरवी रखे गए शेयरों को प्राथमिक प्रतिभूति होने पर भी विचार करते हुए, केवल मौजूदा मूल्य पर शेयरों की बिक्री के माध्यम से कुल वसूली संभव नहीं थी और शेयरों की बिक्री पर रोक लगा दी गई थी।
- उधारकर्ता के ऋण खाते की स्थिति जानने के लिए आईएफसीआई लिमिटेड के साथ मामला को उठाया गया है।

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए उत्तर तर्कसंगत नहीं है:

- आवश्यक और उपलब्ध प्रतिभूति कवर के बीच भारी अंतर केवल इस तथ्य के कारण पैदा हुआ था कि कंपनी ने अक्टूबर 2017 से अप्रैल 2018 तक अतिरिक्त शेयरों/ नकद अतिरिक्त राशि की भरपाई करने के लिए उधारकर्ता की बार-बार विफलता के बावजूद समय

---

<sup>15</sup> 65,00,000 + 30,00,000 - 4,20,401 (मई 2018 में बेचे गए)



पर शेयर नहीं बेचे। बाद में, शेयर की कीमतों में और गिरावट आई जिसके परिणामस्वरूप प्रतिभूति कवर की अपर्याप्तता हुई।

- प्रबंधन का यह तर्क कि कंपनी कम ट्रेडिंग मात्रा के कारण सीमित मात्रा में शेयरों को ऑफलोड कर सकी, भी तथ्यात्मक रूप से गलत है। यह देखा गया कि 25 अक्टूबर 2017 (अर्थात्, गिरवी रखे गए शेयरों की कीमत में 20 प्रतिशत की गिरावट की तिथि) से 03 मई 2018 तक (अर्थात्, कंपनी द्वारा शेयरों की पहली बिक्री की तिथि से पहले), उधारकर्ता कंपनी के कुल 14.12 करोड़ शेयरों को दोनों स्टॉक एक्सचेंजों (एनएसई/ बीएसई) में ट्रेड किया गया था। इसके अलावा, 03 जुलाई 2018 से (अर्थात्, शेयरों के अंतिम टॉप अप की तिथि के बाद) 24 सितंबर 2018 (यानी शेयरों की आगे की बिक्री की तिथि से पहले) के दौरान, उधारकर्ता कंपनी के 97.66 लाख शेयरों को दोनों एक्सचेंजों में ट्रेड किया गया था। इस प्रकार, दोनों एक्सचेंजों में गिरवी रखे गए शेयरों को बेचने के लिए ट्रेड मात्रा पर्याप्त थी।

- आईएफसीआई लिमिटेड के साथ फरवरी 2018 में उधारकर्ता ने चूक की। हालांकि, यह दिखाने के लिए रिकार्ड पर कुछ भी नहीं मिला कि आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड ने कभी भी अपनी मूल कंपनी के साथ ऋण खाते की स्थिति जानने के लिए कोई कार्रवाई शुरू की। इसके अलावा, मूल कंपनी ने भी आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड के साथ इस तरह के विवरण को कभी साझा नहीं किया, जिससे पता चलता है कि ऋण करार में क्रॉस चूक से संबंधित खंड को प्रभावी बनाने के लिए कोई प्रणाली/ तंत्र मौजूद नहीं था। दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद अर्थात् जुलाई 2020 में आईएफसीआई लिमिटेड के साथ इस मामले को उठाया गया था।

इस प्रकार, ऋण स्वीकृत करने और वितरित करते समय ऋण नीति और ऋण करारों की शर्तों का अनुपालन न करना और उधारकर्ताओं के गिरवी शेयरों की बिक्री के लिए शेयर गिरवी करार के अनुपालन में समय पर कार्रवाई करने में विफलता के कारण आशापुरा इंटीमेट्स फैशन लिमिटेड (₹12.55 करोड़) और आर्कोटेक लिमिटेड (₹14.79 करोड़) से ₹27.34 करोड़ की बकाया राशि की वसूली नहीं हुई।

मार्च और जून 2021 में मंत्रालय को लेखापरीक्षा पैरा जारी किया गया था; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जुलाई 2021)।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

**4.3 पुनर्बीमा स्वीकृतियों के तहत अन्य बीमाकर्ताओं से सेवाकर की वसूली न होना**

अभिलेखों का रखरखाव न करने और पुनर्बीमा के तहत प्राप्त पार्टी वार पुनर्बीमा प्रीमियम के मिलान करने में विफलता के कारण, एनआईसीएल अन्य बीमाकर्ताओं से सेवा कर की वसूली के लिए चालान जुटाने में असमर्थ था जिसके परिणामस्वरूप ₹23.81 करोड़ की वसूली नहीं हुई।

सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनी के रूप में नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल), बीमा में हानि के मामले में प्रीमियम वसूलकर और दावों के निपटारे से जोखिमों का अन्डरराइटिंग करने में लगी हुई है। एनआईसीएल को अन्य सामान्य बीमा कंपनियों द्वारा अल्पलिखित बीमा पॉलिसियों के जोखिमों के हिस्से को स्वीकार करने के लिए पुनर्बीमा के तहत प्रीमियम भी प्राप्त होता है।

सेवा कर व्यवस्था के दौरान, एनआईसीएल को पुनर्बीमा संधि और करार के तहत बीमाकर्ताओं से पुनर्बीमा प्रीमियम प्राप्त हुआ और प्रत्येक तिमाही/वर्ष के अंत में उनके खातों में प्रीमियम बुक किया गया। प्रीमियम की बुकिंग के बाद, एनआईसीएल ने सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सेवा कर विभाग को प्राप्त कुल प्रीमियम पर सेवा कर का भुगतान किया। बीमाकर्ताओं से सेवा कर की प्राप्ति लंबित होने पर एनआईसीएल द्वारा अपने स्वयं की निधियों से कर का भुगतान किया गया। इसके बाद, एनआईसीएल ने उन बीमाकर्ताओं को मैनुअल चालान जारी किए जिनसे प्रीमियम प्राप्त हुआ था और तदनुसार एनआईसीएल द्वारा भुगतान किए गए सेवा कर की वसूली की गई थी। भारत सरकार ने जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लागू किया था। तब से, एनआईसीएल ने प्रीमियम की बुकिंग के समय स्वतः ही मैनुअल प्रणाली के स्थान पर सिस्टम के माध्यम से चालान तैयार करना शुरू कर दिया था।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि वर्ष 2014-15 से 2016-17 के दौरान, एनआईसीएल ने बीमाकर्तावार मिलान किए बिना प्राप्त कुल प्रीमियम पर सेवा कर का भुगतान किया। कुल प्रीमियम की बीमाकर्तावार रसीद का मिलान न होने के कारण एनआईसीएल उन सभी बीमाकर्ताओं को चालान जारी करने में विफल रहा, जिनसे प्रीमियम प्राप्त हुआ था। इस प्रकार, एनआईसीएल अन्य बीमाकर्ताओं से इसके द्वारा भुगतान किए गए सेवा कर की वसूली करने में विफल रहा।

उपरोक्त अवधि के दौरान, एनआईसीएल ने सेवा कर विभाग को सेवा कर के रूप में कुल ₹110.61 करोड़ का भुगतान किया, जिसमें से केवल ₹86.80 करोड़ की वसूली की गई, जिससे ₹23.81 करोड़ की कमी आई। तीन से पांच वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद

भी बीमाकर्ता-वार विवरण उपलब्ध न होने के कारण कंपनी उपरोक्त शेष राशि का मिलान करने में विफल रही। इस प्रकार, एनआईसीएल को सेवा कर के रूप में ₹23.81 करोड़ की राशि को समावेशित करना पड़ा।

प्रबंधन ने उपरोक्त तथ्यों की पुष्टि करते हुए कहा (मार्च 2021) कि स्वीकृत बिलों के प्रीमियम के प्रति सेवा कर जमा को संबंधित वर्षों के लिए वार्षिक खातों के अंत में सारांश आंकड़े के आधार पर किया गया था जिसमें सही पार्टी वार वसूली योग्य राशि का पता लगाने के लिए मिलान करने का आह्वान किया गया है। इसमें आगे कहा गया है कि उपरोक्त शेष राशियों की पहचान/मिलान को लगातार आगे बढ़ाया गया लेकिन पार्टी-वार मिलान को पूरा नहीं किया जा सका। क्योंकि सेवा कर की गणना, इसके भुगतान, चालान तैयार करना और वसूली को मैन्युअल रूप से किया गया, इसलिए प्रबंधन को मिलान की प्रक्रिया में कठिनाई हुई।

इस प्रकार, आंतरिक नियंत्रण और मानिट्रिंग की कमी, पार्टीवार मिलान बनाए रखने में विफलता और चालान तैयार न करने के कारण, एनआईसीएल को ₹23.81 करोड़ की राशि को सेवाकर के रूप में समावेशित करना पड़ा, जिसके कर भार को बीमाकर्ता से वसूल किया जा सकता था।

मार्च 2021 में मंत्रालय को पैरा जारी किया गया था, उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जून 2021)।

**सिफारिश संख्या 7**

*प्रबंधन को नियमित मानिट्रिंग के लिए कदम उठाने चाहिए और कर की वसूली न करने की घटनाओं से बचने के लिए पार्टीवार पुनर्बीमा प्रीमियम का समय पर मिलान सुनिश्चित करना चाहिए।*

## दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

### 4.4 स्टॉप लॉस पुनर्बीमा कवर प्राप्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप हानि हुई

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी), प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, 2016-17 के लिए तमिलनाडु राज्य में पीएमएफबीवाई के तहत फसल बीमा कारोबार में स्टॉप लॉस पुनर्बीमा कवरेज प्राप्त करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप ₹63.76 करोड़ (कंपनी को ₹31.88 करोड़ और दो सह-बीमाकर्ताओं में प्रत्येक को ₹15.94 करोड़) की हानि हुई।

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी) ने भारत सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू की गई 'प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' (योजना), एक फसल बीमा योजना,<sup>16</sup> के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों की पहचान के लिए निविदा प्रक्रिया में भाग लिया और चयनित हुई थी (अगस्त 2016)। कंपनी प्रीमियम के 50 प्रतिशत हिस्से के साथ प्रमुख सदस्य थी जबकि दो सह-बीमा कंपनियां अर्थात् नेशनल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसीएल) और दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (ओआईसीएल) में प्रत्येक ने 25 प्रतिशत प्रीमियम साझा किया। कंपनी को वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए तमिलनाडु के 10 जिलों<sup>17</sup> में कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में चुना गया था (अगस्त 2016)। योजना के दिशा - निर्देशों के अनुसार, बीमा कंपनियां अपने पोर्टफोलियो के लिए उचित पुनर्बीमा कवर के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (सामान्य बीमा-पुनर्बीमा) विनियम, 2016 में यह भी निर्धारित किया गया है कि प्रत्येक भारतीय बीमाकर्ता/भारतीय पुनर्बीमाकर्ता/विदेशी पुनर्बीमा शाखा को पुनर्बीमा कार्यक्रम उचित लागत पर पॉलिसी धारक/बीमाकर्ता के हितों की रक्षा के लिए आवश्यक सर्वोत्तम संभव पुनर्बीमा संरक्षण/कवरेज को सुरक्षित करना होगा।

कंपनी के निदेशक मंडल ने निर्णय लिया (नवंबर 2016) कि कंपनी प्रमुख सदस्य होने के नाते सभी तीन प्रतिभागी सदस्यों के लिए पुनर्बीमा संरक्षण की व्यवस्था करेगी। कंपनी ने बीमित राशि के 80 प्रतिशत के लिए पुनर्बीमा लिया और शेष 20 प्रतिशत के लिए जोखिम को अपने दम पर वहन करने का निर्णय किया ('शुद्ध प्रतिधारण' के रूप में संदर्भित)। इसे

<sup>16</sup> खरीफ 2016 सीजन से शुरू की गई योजना ने गैर-निरोध्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों के खराब होने के प्रति एक व्यापक बीमा कवर प्रदान किया। किसानों ने खरीफ, रबी और बागवानी फसलों के लिए बीमांकिक प्रीमियम में क्रमशः 2 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत और 5 प्रतिशत का योगदान दिया। बीमांकिक प्रीमियम का शेष सरकार द्वारा वहन किया गया था, जो राज्य और केंद्र सरकार के बीच समान रूप से साझा किया गया था।

<sup>17</sup> पुडुकोट्टई, नागापट्टनम, तूतीकोरिन, तंजावुर, विरुधुनगर, थेनी, कृष्णागिरी, धरमपुरी, विल्लुपुरम, और वेल्लोर

वैकल्पिक कोटा शेयर<sup>18</sup> आनुपातिक व्यवस्था के रूप में जाना जाता है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि कंपनी 'स्टॉप लॉस संधि व्यवस्था' लेकर भी 20 प्रतिशत का अपना एक्सपोजर हासिल कर सकती थी लेकिन कंपनी द्वारा इस संबंध में कोई लागत-लाभ विश्लेषण नहीं किया गया था। यह कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित वार्षिक पुनर्बीमा कार्यक्रम के अनुरूप नहीं था। कंपनी ने इस योजना के लिए ₹501.96 करोड़ (सह-बीमा कंपनियों के हिस्से सहित) का प्रीमियम अर्जित किया, जिसके प्रति कुल दावा खर्च ₹1,496.21 करोड़<sup>19</sup> था। जबकि 80 प्रतिशत अंतर को पुनर्बीमा के माध्यम से कवर किया गया था, 20 प्रतिशत, जो ₹299.24 करोड़ था, को कवर नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया कि, यदि कंपनी ने स्टॉप लॉस पुनर्बीमा कवर लिया होता, तो ₹16.56 करोड़<sup>20</sup> (लगभग) की स्टॉप लॉस इंश्योरेंस कवर की लागत के बाद भी यह आंशिक रूप से ₹63.76 करोड़ की राशि को कवर कर सकता था।

इस प्रकार, 2016-17 के लिए योजना के तहत अपने एक्सपोजर के लिए स्टॉप लॉस पुनर्बीमा लेने की विफलता के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹63.76 करोड़ (कंपनी को ₹31.88 करोड़ और उसके दो सह-बीमाकर्ताओं में प्रत्येक को ₹15.94 करोड़) की हानि हुई।

वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग (मार्च 2021) द्वारा समर्थित कंपनी के उत्तर में कहा गया था (जनवरी 2021/ फरवरी 2021) कि:

- यह कारोबार का पहला वर्ष था और इसलिए पिछले दावे के आंकड़े/प्रवृत्ति उपलब्ध नहीं थी।
- खरीफ सीजन 2016 उस समय खत्म होने वाला था और बाजार में पुनर्बीमा के लिए कोई क्षमता नहीं थी। यहां तक कि यदि स्टॉप लॉस पुनर्बीमा उपलब्ध होता, तो भी लागत अधिक होती।
- बाद के आंकड़ों से पता चला है कि खरीफ के हिस्से पर लाभ हुआ था लेकिन रबी के लिए प्रकृति की अनिश्चितताओं से हानि हुई। साथ ही, वर्ष (2016-17) कठनाइयों के संबंध में विशेष रूप से बुरा था।

<sup>18</sup> कोटा शेयर संधि एक प्रो-राटा पुनर्बीमा संविदा (आनुपातिक व्यवस्था) है जिसमें बीमाकर्ता और पुनर्-बीमाकर्ता एक निश्चित प्रतिशत के अनुसार प्रीमियम और हानि साझा करते हैं। विकल्पी का अर्थ है केस टू केस आधार पर।

<sup>19</sup> वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में दावा खर्च क्रमशः ₹1,159.28 करोड़, ₹323.22 करोड़, ₹7.86 करोड़ और ₹5.85 करोड़ था।

<sup>20</sup> 2017-18 में लिए गए स्टॉप लॉस कवर के अनुसार

- योजना के दिशा-निर्देशों में विशेष रूप से यह उल्लेख नहीं किया गया था कि स्टॉप लॉस पुनर्बीमा को लिया जाना था और इसे बीमा कंपनियों पर छोड़ दिया गया था कि वे अपने एक्सपोजर को कम करें और उनके दावों को पूरा करें।
- हालांकि हानि हुई है, यह कंपनी की सहनीय सीमा के भीतर था। इसका कारण यह था कि 2016-17 के लिए कंपनी का निवल मूल्य ₹12,000 करोड़ था। और सामान्य नियम यह है कि प्रति जोखिम एक्सपोजर निवल मूल्य के तीन प्रतिशत से पांच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए, जो इस मामले में अधिक नहीं था।

उत्तर को निम्नलिखित के प्रति देखा जाना है:

- कंपनी पहले भी सहबीमा व्यवस्था<sup>21</sup> के माध्यम से फसल बीमा कारोबार में थी और इसलिए जोखिम से पूरी तरह अपरिचित नहीं थी। इसके अलावा, एग्रीकल्चर इंशोरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसीएल) द्वारा 27 सितंबर 2016 को हुई बैठक में फसल बीमा कारोबार में सहबीमा और पुनर्बीमा की प्रक्रियाओं पर भी चर्चा की गई थी, जिसमें स्टॉप लॉस पुनर्बीमा के लिए शर्तों का भी विस्तार से उल्लेख किया गया। कंपनी ने इस बैठक में भाग लिया और इसलिए स्टॉप लॉस पुनर्बीमा के संबंध में शर्तों के बारे में पता था। अन्य बीमा कंपनियों (यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एआईसीएल) ने 2016-17 (अंश-वर्ष) में अपनी फसल बीमा कवरेज के लिए स्टॉप लॉस कवर को लिया है। कंपनी ने स्वयं पहले, अन्य विभागों (फायर/ इंजीनियरिंग और विविध) में वर्ष के मध्य में वार्षिक अवधि से कम के लिए स्टॉप लॉस पुनर्बीमा सुरक्षा को रखा था। इस मामले में, 'स्टॉप लॉस' कवर लेने या न लेने के बारे में ऐसा कोई लागत लाभ विश्लेषण नहीं किया गया था।
- क्षमता की कमी और स्टॉप लॉस पुनर्बीमा के लिए उच्च लागत के संबंध में प्रबंधन का विरोध रिकॉर्ड द्वारा समर्थित नहीं है, अतः स्टॉप लॉस पुनर्बीमा नहीं लेना कंपनी का एक सचेत निर्णय नहीं था।
- खरीफ के लिए अर्जित लाभ का तर्क गलत हो सकता है क्योंकि रबी एक अलग मौसम है। इसके अलावा, खरीफ फसल (₹2.97 करोड़) की तुलना में रबी फसल (₹498.99 करोड़) का प्रीमियम 99 प्रतिशत से अधिक था, जो उच्च एक्सपोजर और रबी के लिए बेहतर प्रतिभूति की आवश्यकता को दर्शाता है। 2016-17 में प्रकृति की अनिश्चितताओं की असाधारण गंभीरता के बारे में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि सभी वर्षों

<sup>21</sup> 2016-17 से पहले, कंपनी 49 प्रतिशत होल्डिंग के साथ मौसम आधारित फसल बीमा योजना के लिए सह-बीमाकर्ता थी और एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड 51 प्रतिशत होल्डिंग के साथ अग्रणी थी।

में हानि हुई थी और 2016-17 की तुलना में 2019-20<sup>22</sup> में स्थिति बदतर थी, जो फसल बीमा के लिए एक मजबूत पुनर्बीमा रणनीति का आह्वान करती है।

- योजना के दिशा-निर्देशों में 'उपयुक्त' पुनर्बीमा का उल्लेख किया गया है और इसलिए बीमा कंपनी पर पुनर्बीमा के प्रकार का चयन करने की जिम्मेदारी थी, जो इस मामले में अपर्याप्त साबित हुई।
- हालांकि प्रबंधन ने विरोध किया है कि प्रति जोखिम एक्सपोजर के अनुभवसिद्ध सामान्य नियम के अनुसार कंपनी की सहनीय सीमा के भीतर हानि निवल मूल्य के तीन से पांच प्रतिशत से अधिक नहीं थी, वर्ष 2016-17 के पुनर्बीमा कार्यक्रम या 2016-17 में कारोबार को अंडरराइटिंग करते समय लिए गए नीतिगत निर्णयों में ऐसी सहनीय सीमा/अनुभव सिद्ध नियम का उल्लेख नहीं किया गया है। साथ ही इस विवाद के लिए प्रबंधन द्वारा कोई सहायक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इस प्रकार, वर्ष 2016-17 के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपने एक्सपोजर के लिए स्टॉप लॉस पुनर्बीमा कवर लेने में कंपनी की विफलता के परिणामस्वरूप कंपनी को ₹63.76 करोड़ (कंपनी को ₹31.88 करोड़ और इसके दो सह-बीमाकर्ताओं में प्रत्येक को ₹15.94 करोड़) की हानि हुई।

#### 4.5 प्रीमियम दर के कम निर्धारण और उच्च दावा अनुपात के कारण हानि

पशुधन बीमा को अंडरराइटिंग करते समय उचित सतर्कता लेने में विफलता के परिणामस्वरूप प्रीमियम दर का कम निर्धारण हुआ और बीमा पॉलिसी के तहत ₹10.31 करोड़ की हानि हुई।

तेलंगाना राज्य पशुधन विकास एजेंसी (टीएसएलडीए) ने राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत केंद्र प्रायोजित पशुधन बीमा के कार्यान्वयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों से कोटेशन मांगा (अप्रैल 2017)। इस योजना में तेलंगाना राज्य में दूध देने वाली गायों/भैसों की दुर्घटना, बीमारियों, सर्जिकल ऑपरेशन और हडताल, दंगा और नागरिक हंगामे के जोखिमों के कारण मृत्यु को कवर करने की परिकल्पना की गई थी। कवर किए जाने वाले जानवरों की अनुमानित संख्या 83,000 थी। बीमित व्यक्ति के पास पशुओं के मूल्य के आधार पर एक वर्ष या तीन वर्ष के लिए ₹10,000 से लेकर ₹60,000 तक बीमित राशि के साथ पशुओं का बीमा करने का विकल्प था।

<sup>22</sup> 2019-20 में, खर्च किए गए दावा अनुपात (आईसीआर यानी निवल दावा/निवल प्रीमियम x 100) 308.81 प्रतिशत था जबकि 2016-17 में यह 298.07 प्रतिशत था।

दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईए) ने एक वर्ष के लिए बीमित राशि का 1.77 प्रतिशत और तीन वर्ष के बीमा कवरेज के लिए बीमित राशि पर 5.25 प्रतिशत का प्रीमियम उद्घृत किया और बीमा अनुबंध प्राप्त किया। एनआईए और टीएसएलडीए के बीच तीन वर्ष के लिए वैध एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए। अनुमानित 83,000 जानवरों की तुलना में तेलंगाना राज्य के नौ जिलों से वर्ष 2016-17 के लिए इस योजना के तहत 47,439 पशुओं को ₹4.99 करोड़ के प्रीमियम के तहत कवर किया गया था। हालांकि, एनआईए को ₹15.30 करोड़ के कुल दावों का भुगतान करना पड़ा जिसके परिणामस्वरूप 306 प्रतिशत के दावा अनुपात के साथ ₹10.31 करोड़ की हानि हुई।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पिछली अवधि (2014-15) के दौरान, इस योजना को दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय हैदराबाद द्वारा एक वर्ष के लिए बीमित राशि पर 3.24 प्रतिशत और तीन वर्षों के लिए बीमित राशि पर 7.30 प्रतिशत के प्रीमियम के लिए बीमित किया गया था और 217 प्रतिशत के उपगत दावा अनुपात (आईसीआर) के साथ ₹9.54 करोड़<sup>23</sup> की हानि हुई थी। प्रीमियम का कोटेशन देते हुए एनआईए ने पहले की अवधि में दि ओरिएंटल इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा अनुभव की गई उच्च आईसीआर पर विचार नहीं किया। एनआईए के अंडरराइटिंग दिशा निर्देशों में 100 प्रतिशत और उससे अधिक के दावा अनुपात के लिए प्रीमियम के समायोजन की भी परिकल्पना की गई थी। इस प्रकार, समाप्त हो रही पॉलिसी के आईसीआर का पता लगाने में एनआईए की विफलता के परिणामस्वरूप प्रीमियम का कम निर्धारण हुआ और जोखिम की अविवेकपूर्ण अंडरराइटिंग के कारण ₹10.31 करोड़ की हानि हुई।

एनआईए ने जवाब दिया (जनवरी 2020) कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत पशुधन को कवर करने की दरों को दावों के अनुपात के अखिल भारतीय अनुभव और प्रतिस्पर्धी बाजार स्थितियों के तहत प्रचलित दरों की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए मंजूरी दी गई थी। इसमें आगे कहा गया है कि टीएसएलडीए, हैदराबाद द्वारा जारी निविदा में पिछले दावों का अनुभव नहीं था क्योंकि यह एक नया परिसीमन किया गया राज्य था और वे पहली बार निविदा जारी कर रहे थे।

मंत्रालय ने कहा (मार्च 2021) कि कोटेशन प्रस्तुत करते समय एनआईए ने टीएसएलडीए से पिछले दावों के अनुभव के लिए अनुरोध किया था और यह प्रदान नहीं कराया गया था। इसलिए, एनआईए के पास पिछली हानि के अनुभव को ध्यान में रखते हुए एक कोटेशन तैयार करने की कोई संभावना नहीं थी।

<sup>23</sup> उपगत दावे - ₹17.64 करोड़ घटा प्राप्त प्रीमियम ₹8.10 करोड़



एनआईए का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि प्रतिस्पर्धी बाजार की स्थितियों के तहत प्रचलित दरों की प्रवृत्ति के आंकड़े न तो अभिलेख में पाए गए और न ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए थे। हालांकि आंध्र प्रदेश से विभाजित तेलंगाना एक नया राज्य था, राष्ट्रीय पशुधन मिशन एक सतत योजना थी और बीमित/लाभार्थी समूह समान था। इस प्रकार, एक विवेकपूर्ण अंडरराइटर के रूप में एनआईए को दावा अनुपात के अपने अखिल भारतीय अनुभव पर विचार करने के अलावा योजना के तहत बीमा कवरेज के दावों के अनुभव के बारे में पता लगाना चाहिए था। मंत्रालय का उत्तर कि एनआईए के पास पिछली हानि के अनुभव को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम ज्ञात करने की कोई संभावना नहीं थी, यह भी तर्कसंगत नहीं है क्योंकि एनआईए पिछली पॉलिसी के दावों के डेटा को प्रस्तुत करने पर प्रीमियम दरों को अंतिम रूप देने के अधीन उचित दावा लोडिंग क्लॉज के साथ अनंतिम प्रीमियम दरों का कोटेशन कर सकता था।

इस प्रकार, समाप्त हो रही पॉलिसी के आईसीआर को सुनिश्चित करने में एनआईए की विफलता के परिणामस्वरूप प्रीमियम का कम निर्धारण हुआ और जोखिम की अविवेकपूर्ण अंडरराइटिंग के कारण ₹10.31 करोड़ की हानि हुई।

#### दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

#### 4.6 बीमा प्रीमियम का कम संग्रह

दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी), मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसियों के नियम और शर्तों में एक खंड को शामिल करने के लिए बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) से संपर्क करने में विफल रही, जो दरों में संशोधन की स्थिति में प्रीमियम की अंतर राशि की वसूली को सक्षम बनाती, जिसके कारण 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान ₹7.14 करोड़ की राजस्व हानि हुई। इसके अलावा, कंपनी ने आईआरडीएआई द्वारा अधिसूचित संशोधित दर के बजाय 4,264 मामलों में प्रीमियम की पुरानी दर प्रभारित की, जिससे ₹0.49 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) अधिनियम 1999 की धारा 14 (2) (i) के तहत निहित शक्तियों के आधार पर, आईआरडीएआई 2011 से प्रत्येक वर्ष मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पर लागू मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम को अधिसूचित करता रहा है। वर्ष 2016-17 से 2018-19 के लिए, प्रत्येक श्रेणी के वाहनों के लिए पिछले

वित्तीय वर्ष के 28 मार्च<sup>24</sup> को दरों को अधिसूचित किया गया था और ये दरें प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से लागू थीं। वर्ष 2019-20 के लिए, 04 जून 2019 को दरें अधिसूचित<sup>25</sup> की गई थीं जो 16 जून 2019 से प्रभावी थी। आईआरडीएआई से अधिसूचना प्राप्त होने पर, दि ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (कंपनी) प्रीमियम की संशोधित राशि प्रभारित करने के लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों को एक परिपत्र जारी करती है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया (नवंबर 2019) कि नई पॉलिसियों/ मौजूदा मोटर पॉलिसियों के नवीकरण के लिए 53,871 अनुरोधों के मामले में, प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से पॉलिसी प्रभावी तिथि के साथ 1 अप्रैल 2016, 17 अप्रैल 2017 और 1 अप्रैल 2018 से पहले प्राप्त हुए, अनुरोधों को कंपनी ने संसाधित किया और प्रस्ताव की तिथि पर प्रचलित दरों पर मोटर थर्ड पार्टी पॉलिसी जारी की। इसी तरह वर्ष 2019-20, में 16 जून 2019 (अर्थात, जिस तिथि से संशोधित थर्ड पार्टी प्रीमियम दरें प्रभावी थीं) से पहले प्राप्त 47,190 प्रस्तावों जहां 16 जून 2019 को या उसके बाद पॉलिसी प्रभावी होनी थी कंपनी ने प्रस्ताव की तिथि पर प्रचलित दर पर मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम को प्रभारित किया जैसा कि *अनुलग्नक-III* में विवरण दिया गया है। चूंकि आईआरडीएआई द्वारा तय की गई मोटर थर्ड पार्टी दरों के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा कोई छूट की अनुमति नहीं दी जा सकती थी, इसलिए प्रीमियम की अंतर राशि को पॉलिसीधारकों से प्राप्त किया जाना चाहिए था।

कंपनी मोटर थर्ड पार्टी लायबिलिटी इंश्योरेंस पॉलिसियों के नियमों और शर्तों में किसी भी खंड के अभाव में ₹7.14 करोड़ के प्रीमियम की अंतर राशि की वसूली नहीं कर सकी। इसके अलावा, कंपनी ने प्राप्त 4,264 प्रस्तावों में पूर्व-संशोधित दर उस तिथि के बाद से प्रभारित की, जिससे आईआरडीएआई द्वारा अधिसूचित संशोधित दरें प्रभावी<sup>26</sup> हो गईं, जिसके कारण ₹0.49 करोड़ की प्रीमियम राशि कम संग्रह हुआ जैसा कि *अनुलग्नक-IV* में दर्शाया गया है।

---

<sup>24</sup> 28 मार्च 2017 को अधिसूचित दरें, 17 अप्रैल 2017 में दोबारा संशोधित की गई थी और 1 अप्रैल 2017 से पूर्व प्रभावी तरीके से लागू की गई।

<sup>25</sup> आईआरडीएआई ने अपने आदेश दिनांक 28 मार्च 2019 में आगे किसी नोटिस तक 2018-19 वर्ष के लिए दरों की वैधता को 31 मार्च 2019 से आगे तक बढ़ा दिया। 2019-20 के लिए दरें बाद में 04 जून 2019 को अधिसूचित की गईं।

<sup>26</sup> 2016-17 के लिए 1 अप्रैल 2016, 2017-18 के लिए 17 अप्रैल 2017, 2018-19 के लिए 1 अप्रैल 2018 और 2019-20 के लिए 16 जून 2019।

प्रबंधन ने कहा (जनवरी 2021) कि:

- आईआरडीएआई अधिसूचना में निर्दिष्ट कार्यान्वयन की तिथि को या इसके पश्चात जोखिम प्रारंभ तिथियों के साथ उक्त पॉलिसियों को आईटी प्रणाली में संशोधित दरों को कार्यान्वित करने से पूर्व जारी किया गया था। ऐसी प्रत्येक अधिसूचना के बाद ओआईसीएल प्रणाली को यथावत अद्यतित किया गया था और संशोधन की प्रभावी तिथि को या उससे पहले जांच की गई थी। प्रणाली उन्नयन और तत्पश्चात जांच के लिए अपेक्षित समय को देखते हुए, नियामक अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में तत्काल एवं समय पर बदलाव सुनिश्चित करने हेतु उचित सावधानी बरती गई थी।
- कंपनी अपने परिचालन कार्यालयों के माध्यम से विभेदक प्रीमियम का संग्रहण करने के लिए बीमाकृत तक नियमित रूप से पहुँचती है। हालांकि, इस तथ्य से उक्त को बाधा पहुँचती है कि बीमाकृत व्यक्ति शायद ही कभी उस राशि से अधिक का भुगतान करना चाहते हैं जिसका भुगतान वे पहले ही कर चुके हैं।
- आईआरडीएआई परिपत्र<sup>27</sup> के अनुसार कवर की निबंधन एवं शर्त और नीतियों, अनुमोदनों, वारंटियों की शब्दावली और पूर्व टैरिफों में वर्णित खंड तब तक लागू रहेंगे जब तक कि प्राधिकरण द्वारा विभिन्न पणधारकों के मतों पर विचार करने के बाद नई बाजार शब्दावली की जांच और उसे स्वीकार नहीं कर लिया जाता। इसके परिणामस्वरूप, उक्त नीति की किसी निबंधन एवं शर्तों को संशोधित करने हेतु कंपनी द्वारा किया गया कोई प्रयास मोटे तौर पर नियामक अनुदेशों की शक्तियों से बाहर होगा।

निम्नलिखित को देखते हुए उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं:

- यह तथ्य, कि प्रीमियम को दर संशोधन की प्रभावी तिथि के बाद प्राप्त 4,264 प्रस्तावों के मामले में संशोधित दर के अनुसार प्रभारित नहीं किया गया था, स्वयं दर्शाता है कि नियामक अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु प्रणालियों को समय पर अद्यतित नहीं किया गया था।
- पॉलिसी में सक्षम खंड शामिल न करने के कारण बीमाकृत से विभेदक प्रीमियम राशि की वसूली हेतु कोई विधिक प्रवर्तनीयता नहीं थी।

<sup>27</sup> आईआरडीएआई परिपत्र संदर्भ सं. 048/आईआरडीएआई/डीई-टैरिफ/दिस-07 दिनांक 18 दिसम्बर 2007

- संदर्भित आईआरडीएआई परिपत्र में नई बाजार शब्दावलियों के समावेश/निबंधन एवं शर्तों में बदलाव की गुंजाईश का स्पष्ट प्रावधान किया गया था। तथापि, कंपनी का उत्तर दर्शाता है कि इसने बीमाकृत से विभेदक प्रीमियम की वसूली में आई बाधा के बारे में सूचना देने के लिए आईआरडीएआई से कभी चर्चा नहीं की जिसके कारण कंपनी को राजस्व हानि हुई।

इस प्रकार, मोटर थर्ड पार्टी देयता बीमा पॉलिसियों की दोषपूर्ण निबंधन एवं शर्तों तथा कमियों का समाधान करने में प्रबंधन की अकर्मण्यता के साथ प्रीमियम की संशोधित दरों को प्रभारित करने में विफलता के कारण कंपनी को 2016-17 से 2019-20 की अवधि के दौरान ₹7.63 करोड़ की राजस्व हानि हुई, जो उपचारात्मक कार्रवाई होने तक जारी रहेगी।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ फरवरी 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

## अध्याय V: भारी उद्योग मंत्रालय

### भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड

#### 5.1 वैकल्पिक करंट इलेक्ट्रिकल मल्टीपल इकाईयों की आपूर्ति में शिथिलता के कारण परिहार्य हानि

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को वैकल्पिक करंट इलेक्ट्रिकल मल्टीपल इकाई के पूर्ण सैटों की आपूर्ति में ढिलाई के कारण ₹13.69 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

रेलवे बोर्ड (रेलवे) ने ₹23.13 करोड़ के कर एवं ₹128.02 करोड़ के कुल मूल्य पर अपनी तीन परेषितियों नामत बीईएमएल (24 सैट), टिटागढ वेगन लिमिटेड (टीडब्ल्यूएल) (33 सैट) और जेसप एण्ड कंपनी लिमिटेड (जेसप) (23 सैट) को वैकल्पिक करंट इलेक्ट्रिकल मल्टीपल इकाई (एसीईएमयू) मोटर कोच हेतु ट्रेक्शन इलेक्ट्रिक्स के 80 सैटों<sup>1</sup> की आपूर्ति के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल) को आदेश दिया था (23 जनवरी 2013)। भुगतान की शर्तों के अनुसार, 100 प्रतिशत करों और शुल्कों सहित उपस्कर के 98 प्रतिशत मूल्य का भुगतान पूरे सैट के निरीक्षण और प्रेषण के प्रमाण के बाद और शेष 2 प्रतिशत का भुगतान परेषिती द्वारा उपस्कर की अच्छी स्थिति में प्राप्ति के बाद किया जाना था।

कार्पोरेट कार्यालय, भेल ने 01 मई 2013 को आपूर्ति की निर्धारित शुरुआत तिथि के साथ कार्य के निष्पादन हेतु भेल, भोपाल (डिवीजन) को एक आंतरिक आदेश जारी किया (जनवरी 2013)। आदेश के अनुसार, जेसप को अगस्त 2013 को छोड़कर, जब केवल तीन सैटों की आपूर्ति की जानी थी, मई से नवम्बर, 2013 तक प्रत्येक माह चार सैटों की आपूर्ति की जानी थी। हालांकि, रेलवे ने 17 मई 2013 को परेषणों पर रोक लगा दी और लगभग चार माह के बाद 09 सितम्बर 2013 को रोक हटा दी। नवम्बर 2013 में आपूर्ति पूर्णता अनुसूची की तुलना में आपूर्तियां अक्टूबर 2013 से फरवरी 2014 के दौरान की गई थी।

<sup>1</sup> एक सैट में चार ट्रेक्शन मोटर और इतनी ही संख्या में गियर केस असम्बली, गियर व्हील एवं नोज संस्पेंशन यूनिट (इस्पात और रबड़ पार्ट) प्रत्येक, एचवी टरिट के साथ फिटिड ऑयल के साथ एक मुख्य ट्रांसफार्मर और अन्य सहायक सामग्री तथा अन्य नियंत्रक उपस्कर शामिल हैं।

भेल द्वारा पूर्ण सेट की बजाय टुकड़ों में आपूर्ति की गई थी और इन्हें परेषिती के स्थान पर जोड़ा गया था। अपूर्ण सेटों के रूप में आपूरित अन्य असंकलित मदों अर्थात् 15 ट्रासफार्मरों, 21 ट्रेक्शन मोटरों और 1 कंट्रोल गियर ग्रुप-ए सेट को छोड़ते हुए जेसप को फरवरी 2014 तक की गई आपूर्तियों में से ट्रेक्शन इलेक्ट्रिक्स के आठ पूर्ण सेट संकलित किए जा सके। जेसप ने मजदूरों की हड़ताल और तालाबंदी के कारण अनिश्चित काल के लिए अपना उत्पादन बंद कर दिया था। रेलवे द्वारा जेसप को की जाने वाली आपूर्तियों को 27 मार्च 2014 को रोक दिया गया था। उक्त आदेश में रेलवे ने संशोधन (27 मई 2016) किया था जिसमें लगभग दो वर्षों की अवधि के बाद मात्रा को 80 सेट से घटाकर 72 सेट (टीडब्ल्यूएल को 34 सेट, बीईएमएल को 30 सेट एवं जेसप को 8 सेट), कर दिया गया था जिसे देखते हुए जेसप को और आपूर्ति करना अपेक्षित नहीं था।

अक्टूबर 2013 से फरवरी 2014 की अवधि के दौरान जेसप को आपूरित उपस्कर का कुल मूल्य ₹35.85 करोड़ था जिसमें से रेलवे ने नवम्बर 2015 से अगस्त 2017 के दौरान केवल 8 पूर्ण सेटों के लिए ₹22.16 करोड़ का भुगतान किया था और अन्य असंकलित मदों के लिए यह कहते हुए भुगतान करने से मना कर दिया कि भुगतान केवल पूर्ण सेटों के लिए ही किया जाएगा। रेलवे ने भेल को जेसप से उन असंकलित मदों को वापस लेने का परामर्श दिया क्योंकि रेलवे द्वारा जेसप के साथ की गई संविदा को निरस्त कर दिया गया था। इसके अलावा, भेल ने भुगतानों के लिए रेलवे के साथ मामले पर चर्चा की (नवम्बर 2016) जिसे स्वीकार नहीं किया गया था (फरवरी 2017)। भेल ने अक्टूबर 2016 में हुई आग की घटना से पूर्व जून 2016 में रेलवे के परामर्श के बावजूद असंकलित मदों को वापस नहीं लिया था। भेल ने भुगतान न करने हेतु रेलवे के विरुद्ध किसी कानूनी कार्यवाही का सहारा नहीं लिया और ₹13.69 करोड़ (₹35.85 करोड़ - ₹22.16 करोड़) के इस ऋण के प्रति ₹9.21 करोड़ का प्रावधान भी किया।

इस प्रकार, भेल को एसीईएमयू ट्रेक्शन इलेक्ट्रिक्स के पूर्ण सेट की आपूर्ति में ढिलाई के कारण ₹13.69 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

भेल ने बताया (फरवरी 2021) कि:

i) भेल की विभिन्न इकाईयों से आपूर्ति की गई थी और सेट की सभी मदों की एक साथ आपूर्ति नहीं की जा सकती थी। आपूर्ति मई 2013 से नवम्बर 2013 तक सात माह में पूरी की जानी थी। इस अवधि में से रेलवे के आदेश पर चार माह तक आपूर्तियों पर रोक लगाई गई थी। भेल केवल लगभग पांच माह तक (फरवरी 2014 तक) ही सामग्री की

आपूर्ति कर सका। आपूर्ति को पांच माह में पूरा करना संभव नहीं था जिसमें सुपुर्दगी अवधि सात माह की थी क्योंकि सभी विनिर्मित मर्दें न्यूनतम संसाधन समय वाली है।

ii) भेल के लिए यातायात व्यवसाय का एकमात्र ग्राहक रेलवे है जिसके लिए भेल ने झांसी, भोपाल और ईडीएन, बेंगलोर संयंत्र पर विशेष व्यवसाय वर्टिकल बनाए हैं। इस तथ्य पर विचार करते हुए, पुराने ग्राहक के साथ कोई विरोध रखकर भविष्य की व्यवसायिक संभावना का जोखिम उठाना विवेकपूर्ण नहीं होगा, रेलवे ने कई बार प्रतिपूरक व्यवसाय देकर भेल की मदद भी की है। इसके अलावा, रेलवे ने जेसप के विरुद्ध शिकायत भी दर्ज की थी जिसमें भेल द्वारा अपूरित ₹35.85 करोड़ की सामग्री का कुल मूल्य भी शामिल था और इसलिए भेल ने रेलवे के विरुद्ध कोई अलग कानूनी कार्यवाही नहीं की।

प्रबंधन के उत्तर पर निम्नलिखित तथ्यों के प्रति विचार किया गया है:

i) भेल के पास रेलवे के खरीद आदेश में अनुबंधित पूर्ण 23 सेटों की आपूर्ति के लिए नवम्बर 2013 की निर्धारित पूर्णता अवधि के बाद दिसम्बर 2013 से मार्च 2014 तक लगभग चार माह की अवधि और थी। तथापि, भेल ने आदेश की शर्त का उल्लंघन करते हुए केवल आठ पूर्ण सेटों और शेष सेटों के लिए कुछ आंशिक असंकलित मर्दों की आपूर्ति की थी तथा भेल को असंकलित मर्दों की आपूर्ति का जोखिम बना रहा।

ii) यदि भेल प्रतिस्पर्धात्मक है तो रेलवे कानूनी माध्यमों से इसके वैध दावों के अनुसरण हेतु भविष्य में व्यवसाय से मना नहीं कर सकता।

इस प्रकार, भेल को एक बार में एसीईएमयू ट्रेक्शन इलैक्ट्रिक्स के पूर्ण सेट की आपूर्ति में ढिलाई के कारण ₹13.69 करोड़ की हानि वहन करनी पड़ी।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ फरवरी 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

## 5.2 वित्तीय हित की सुरक्षा न करने के परिणामस्वरूप सुरक्षा शुल्क के भुगतान के प्रति अतिरिक्त भार

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, बेंगलुरु इकाई ने कर संरचना और सुपुर्दगी अनुसूची में प्रस्तावित परिवर्तनों का संज्ञान नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप आयातों की निकासी हेतु सुरक्षा शुल्क के भुगतान के लिए ₹11.58 करोड़ की अतिरिक्त देयता हुई।

गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लिमिटेड (जीआईपीसीएल) ने ₹305.63 करोड़ के संविदा मूल्य पर इंजीनियरिंग, अधिप्राप्ति और निर्माण (ईपीसी) आधार पर गुजरात सोलर पार्क, चरंका में 75 मे.वा. (एसी) सौर विद्युत संयंत्र की स्थापना के लिए भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल/कंपनी) को आशय-पत्र जारी किया था (19 मार्च 2018)। परियोजना के कार्यान्वयन हेतु शून्य तिथि 19 मार्च 2018 थी और परियोजना आशय-पत्र जारी होने की तिथि से सर्वोत्तम प्रयास आधार पर 10 माह में पूरी की जानी थी।

₹305.63 करोड़ का संविदा मूल्य फर्म कीमत थी जिसमें परियोजना के पूरा होने तक सभी कर और शुल्क शामिल थे और दरों में कोई वृद्धि नहीं की जानी थी। मूल संविदागत पूर्णता अवधि के दौरान करों में अंतर राशि की दस्तावेजी साक्ष्य देने पर प्रतिपूर्ति की जानी थी। हालांकि, एंटी-डंपिंग शुल्क/सुरक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति, यदि फोटो-वोल्टिक (पीवी) मॉड्यूलों<sup>2</sup> पर लागू है, केवल तब की जानी थी यदि आपूर्ति को आशय-पत्र जारी होने की तिथि से पांच माह के अंदर पूरा कर लिया गया हो। भारत सरकार (जीओआई) ने चीन और मलेशिया से 30 जुलाई 2018 से 29 जुलाई 2019 (दोनों दिन शामिल हैं) के दौरान “सोलर सैल, मॉड्यूलों या पैनलों में संकलित किए गए हो या नहीं” के आयात पर 25 प्रतिशत सुरक्षा शुल्क के आरोपण की अधिसूचना दी थी (30 जुलाई 2018)।

भेल की इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, बेंगलुरु (ईडीएन) ने जीआईपीसीएल 75 मे.वा. के सौर संयंत्र के लिए पीवी मॉड्यूलों की आपूर्ति के लिए आदेश कार्यान्वित किया था। पीवी मॉड्यूलों की आपूर्ति के आदेश निम्नलिखित ब्यौरों के अनुसार ईडीएन द्वारा निष्पादित विपरीत नीलामी के बाद 50:30:20 के अनुपात में दिए गए थे:

<sup>2</sup> एक पीवी मॉड्यूल संस्थापन के लिए एक फ्रेमवर्क में चढ़े हुए फोटो-वोल्टिक सेलों का एक संयोजन होता है। फोटो-वोल्टिक सेल ऊर्जा के स्रोत के रूप में सूर्य की रोशनी का प्रयोग करते हैं और सीधे बिजली का उत्पादन करते हैं।



## तालिका सं. 5.1: विपरीत नीलामी में बोलीदाताओं के ब्यौरे

| बोलीदाता | आपूर्तिकर्ता का नाम                      | खरीद आदेश की तिथि | कीमत* (₹ करोड़ में) | मात्रा (कुल मात्रा का प्रतिशत) | सुपुर्दगी अवधि        | सुपुर्दगी की शर्तें                                       |
|----------|--|-------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------|---|
| एल1      | मै. जेनशाइन पीवी-टैक कंपनी लिमिटेड, चीन  | 12.06.2018        | 79.10               | 37,500 (50%)                   | 16.08.2018-16.11.2018 | परियोजना स्थल पर सुपुर्दगी शुल्क भुगतान सहित (डीडीपी)     |
| एल2      | मै. रेनीसोला जियांग्सु लिमिटेड, चीन      | 14.06.2018        | 44.65               | 22,500 (30%)                   | 27.07.2018-27.09.2018 | लागत, बीमा, माल भाड़ा (सीआईएफ) न्हावाशेवा (मुंबई) सीपोर्ट |
| एल3      | मै. विक्रम सोलर प्राइवेट लिमिटेड-बेंगलोर | 27.06.2018        | 30.76               | 15,000 (20%)                   | 25.07.2018-22.08.2018 | परियोजना स्थल पर डीडीपी                                   |

\*16 मई 2018 को प्रति यूएसडी अपनायी गयी ₹68.50 की विनिमय दर क्योंकि बोली मूल्यांकन के लिए इसी का उपयोग किया गया था।

जैसे कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, मै. रेनीसोला जियांग्सु लिमिटेड के मामले में सुपुर्दगी टर्म सीआईएफ न्हावाशेवा सीपोर्ट था। इस आपूर्तिकर्ता से 15 अगस्त - 5 सितम्बर 2018 के दौरान आयात किए गए थे जब सुरक्षा शुल्क पहले से लागू था। तदनुसार, कंपनी को पत्तन से माल की निकासी के लिए सुरक्षा शुल्क के प्रति ₹11.58 करोड़ का भुगतान करना पड़ा। अन्य दो आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति के मामले में शुल्क के भुगतान का दायित्व भेल पर नहीं था क्योंकि सुपुर्दगी की शर्तें डीडीपी थीं जिसके अनुसार परियोजना स्थल तक सभी करों और शुल्कों को आपूर्तिकर्ताओं द्वारा स्वयं वहन किया जाना था। हालांकि, मै. रेनीसोला से आपूर्तियों के मामले में कंपनी सुरक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति का दावा कर सकती थी, यदि आपूर्ति आशय-पत्र जारी होने की तिथि से पांच माह के अंदर पूरी कर दी गई होती। मै. रेनीसोला जियांग्सु लिमिटेड द्वारा आपूर्तियां आशय-पत्र की तिथि से पांच माह के अंदर, अर्थात् 19 अगस्त 2018 तक, नहीं की गई थी, अतः जीआईपीसीएल ने सुरक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु भेल के दावे को अस्वीकार कर दिया। मै. रेनीसोला जियांग्सु लिमिटेड द्वारा आपूरित पीवी मॉड्यूल 26 अक्टूबर 2018 को, अर्थात् आशय-पत्र की तिथि से सात माह से अधिक के बाद परियोजना स्थल पर पहुँचे।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

i) जीआईपीसीएल द्वारा दिए गए (18 दिसम्बर 2017) प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी) के खंड 7.13.3 (ए) के अनुसार जीआईपीसीएल को दस्तावेजी साक्ष्य की प्रस्तुति पर संविधिक अंतर के कारण करों एवं शुल्कों में हुई किसी भी वृद्धि की प्रतिपूर्ति करनी थी। तथापि, सुरक्षा, सीमा शुल्क एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क महानिदेशक द्वारा चीन और मलेशिया से आयातित “सोलर सैलों, मॉडयूलों या पैनलों में संकलित किए गए हो या नहीं” पर 70 प्रतिशत सुरक्षा शुल्क के उदग्रहण का प्रस्ताव रखे जाने (5 जनवरी 2018) के बाद, जीआईपीसीएल ने पीवी मॉडयूलों पर एंटी-डंपिंग शुल्क/ सुरक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति को, केवल आशय-पत्र की तिथि से पांच माह में आपूर्ति पूरी होने पर सीमित करके अपने वित्तीय हितों की सुरक्षा करते हुए शर्तों में संशोधन किया था (12 जनवरी 2018)।

ii) भेल ने बोली में भाग लिया और 20 फरवरी 2018 को की गई विपरीत नीलामी के माध्यम से आदेश प्राप्त किया तथा पीवी मॉडयूलों की अधिप्राप्ति हेतु निविदा आमंत्रित की (28 फरवरी 2018)। इस आरएफपी के खंड 5.3.39 में अनुबंध किया गया कि पीवी मॉडयूलों के लिए विक्रेता को ब्लूमबर्ग एनईएफ<sup>3</sup> (बीएनईएफ) क्यू4 2017 रिपोर्ट के अनुसार टीयर-1 विनिर्माता होना चाहिए और जीआईपीसीएल के अनुमोदन के अध्यक्षीन अन्य निविदा आवश्यकताएं पूरी करनी होंगी। तथापि, भेल ने ‘पूर्व योग्यता मानदंड (पीक्यूसी)’ के रूप में ‘बीएनईएफ क्यू4 2017 रिपोर्ट के अनुसार टीयर-1 विनिर्माता’ होने की विक्रेताओं की इस अपेक्षा को शामिल नहीं किया। इसके परिणामस्वरूप, प्राप्त 12 बोलियों में से केवल पांच बीएनईएफ अनुमोदित विक्रेता थे और इनमें से केवल तीन विक्रेताओं को जीआईपीसीएल ने अनुमोदित किया था। चूंकि कंपनी के विपरीत नीलामी दिशानिर्देशों में न्यूनतम चार बोलीदाता अपेक्षित थे अतः इस निविदा को रद्द कर दिया गया था (28 मार्च 2018)। तत्पश्चात, भेल ने 30 मार्च 2018 को दूसरी निविदा जारी की जिसे निविदा की निबंधन एवं शर्तों में अपेक्षित बदलाव करने के आधार पर रद्द कर दिया गया था (4 अप्रैल 2018)। कंपनी द्वारा अन्य निविदा 28 अप्रैल 2018 में जारी की गई इसमें वहीं शर्तें शामिल की गई थी जो 30 मार्च 2018 की निविदा में थी। इस प्रक्रिया में भेल ने मूल्यवान समय खो दिया जो पांच माह की सुपुर्दगी की अवधि को पूरा करने हेतु महत्वपूर्ण था।

<sup>3</sup> *ब्लूमबर्ग न्यू एनर्जी फाइनेंस (बीएनईएफ) टीयर-1 निर्माता वह है जिन्होंने उन छः विभिन्न परियोजनाओं को अपना ब्रांड, अपने विनिर्मित उत्पाद उपलब्ध कराए हैं जिन्हें पिछले दो वर्षों से छः विभिन्न (गैर-विकास) बैंकों द्वारा बिना सहारे वित्तपोषित किया गया है।*

iii) आरएफपी के खंड 6.9.2 के अनुसार, पीवी मॉड्यूलों की सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर चरणबद्ध तरीके से आपूर्ति पूर्ण करने की अवधि शून्य तिथि (19 मार्च 2018) से 210 दिनों (सात माह) की थी। जीआईपीसीएल ने इस अनुसूची में 12 जनवरी 2018 को संशोधन किया था और अनुसूची को घटाकर शून्य तिथि से 150 दिन (पांच माह) कर दिया गया था। तथापि, भेल ने अप्रैल 2018 में पीवी मॉड्यूलों की आपूर्ति हेतु निविदा जारी करते समय सात माह<sup>4</sup> की संशोधन-पूर्व अनुसूची पर ही विचार किया जिससे समग्र आपूर्ति अनुसूची प्रभावित हुई। यह सुनिश्चित करना मै. रेनीसोला जियांगसु लिमिटेड के मामले में अधिक महत्वपूर्ण था कि आपूर्तियां आशय-पत्र की तिथि से पांच माह के अंदर कर दी जाएं, क्योंकि जीआईपीसीएल द्वारा सुरक्षा शुल्क की प्रतिपूर्ति इसी पर निर्भर थी। पत्तन से माल की निकासी और परियोजना स्थल तक सुपुर्दगी के लिए 30 दिनों की समय सीमा पर विचार करते हुए मै. रेनीसोला जियांगसु लिमिटेड से सुपुर्दगी 19 जुलाई 2018 तक पूरी हो जानी चाहिए थी ताकि 19 अगस्त 2018 तक परियोजना स्थल तक पहुँचाया जा सके। इसके विपरीत, 27 सितम्बर 2018 तक सुपुर्दगी करने का आदेश दिया गया था।

भेल के ईडीएन ने कर संरचना और सुपुर्दगी अनुसूची में प्रस्तावित बदलावों का संज्ञान नहीं लिया जिसके परिणामस्वरूप आयातों की निकासी हेतु सुरक्षा शुल्क के भुगतान के लिए ₹11.58 करोड़ की अतिरिक्त देयता हुई।

भेल के कार्पोरेट कार्यालय ने ईडीएन प्रबंधन के उत्तर का समर्थन किया (जुलाई 2020) जिसमें बताया गया था कि:

i) पहली निविदा ब्लूमवर्ग टीयर-1 सूची से पीवी मॉड्यूलों की आवश्यकता के साथ जीआईपीसीएल से आशय-पत्र की प्राप्ति से पहले ही अग्रसक्रियता से जारी की गई थी। निविदा का रद्द करना जीआईपीसीएल अनुमोदित पीवी मॉड्यूल विनिर्माताओं द्वारा डीडीपी सुपुर्दगी शर्तों के अस्वीकरण और जीआईपीसीएल द्वारा डीडीपी सुपुर्दगी शर्तों पर सहमति देने वाले पीवी मॉड्यूल विनिर्माताओं को अस्वीकृत करने के कारण हुआ था। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि ये विनिर्माता ब्लूमवर्ग टीयर-1 में सूचीबद्ध थे।

ii) भेल ने अनिश्चित लागत वाले सुरक्षा शुल्क, जिसके लगाने की तिथि और प्रतिशतता निविदाकरण के समय ज्ञात नहीं थी, की अपेक्षा पीवी मॉड्यूल की अधिप्राप्ति करते समय

<sup>4</sup> जीआईपीसीएल द्वारा निविदा गुणवत्ता योजना (एमक्यूपी) अनुमोदन की तिथि से चार सप्ताह से आरंभ करके 10 मे.वा. की पहली सुपुर्दगी और उसके बाद 10 मे.वा. प्रति माह।

भेल द्वारा वहन की जाने वाली निश्चित लागतों के कारण जीआईपीसीएल द्वारा नियत 19 अगस्त 2018 को सुरक्षा शुल्क प्रतिपूर्ति कट-ऑफ तारीख से जोड़े बिना यथा निर्दिष्ट सुपुर्दगी अनुसूची को बनाए रखने का निर्णय लिया था। इसके अलावा, विदेशी विक्रेता के लिए सुपुर्दगी की लघु अवधि संभवतः दो माह या एक माह के साथ (अपेक्षित खरीद आदेश 10 जून 2018 तक अर्थात् निविदा तिथि से 44 दिन के अंदर देना है जिसमें नीतियों एवं दिशानिर्देशों के अनुसार निविदा खुलने का समय, तकनीकी/वाणिज्यिक स्पष्टीकरण, विपरीत नीलामी, समझौता आदि शामिल है), पीवी मॉड्यूल विनिर्माताओं द्वारा प्रस्तावित दरें अत्यधिक होती अथवा निकृष्टतम मामले में विनिर्माता निविदा के लिए उद्धरण ही नहीं देते, जिससे और अधिक विलंब होता।

iii) भेल द्वारा व्यवहार में लाई गई बचत पहल के रूप में सभी उच्च मूल्य की अधिप्राप्तियों हेतु विपरीत नीलामी का प्रयास किया गया है। उन पीवी मॉड्यूल विनिर्माताओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए प्रयास किए गए थे जिनको भेल और जीआईपीसीएल द्वारा नई निविदा के लिए योग्य घोषित किए जाने की संभावना थी। भेल पहली निविदा में केवल तीन पीवी मॉड्यूल विनिर्माताओं की अपेक्षा जीआईपीसीएल द्वारा 10 पीवी मॉड्यूल विनिर्माताओं का अनुमोदन प्राप्त करके अपने प्रयासों में सफल रहा। इन प्रयासों के कारण विपरीत नीलामी के माध्यम से ₹7.70 करोड़ की बचत हुई थी। भेल को शेष 21.5 मे.वा के लिए भेल द्वारा विनिर्मित मॉड्यूलों की आपूर्ति के माध्यम से अप्रत्यक्ष बचत भी हुई और विदेशी विनिमय बहिर्वाह में कमी हुई क्योंकि जीआईपीसीएल ने उत्पादन गारंटी प्राप्ति के लिए बने इस भाग हेतु बीएनईएफ विक्रेता की शर्तों से छूट पर सहमति दे दी।

iv) सुरक्षा शुल्क भुगतान के लाभ केवल भारत सरकार को मिलने थे और किसी विक्रेता को लाभ नहीं मिला। भेल और जीआईपीसीएल के पीएसयू होने के नाते भारत सरकार को किए गए भुगतान भारत सरकार के पास ही रहेंगे तथा जीआईपीसीएल से प्रतिपूर्ति प्राप्त न होने को हानि नहीं मानना चाहिए।

उत्तर पर निम्नलिखित तथ्यों के मद्देनजर विचार किए जाने की आवश्यकता है:

(i) हालांकि, प्रबंधन ने अग्रसक्रियता से कार्य किया और जीआईपीसीएल से आशय-पत्र की प्राप्ति से पूर्व ही पहली निविदा जारी कर दी, फिर भी यह पहली निविदा में 'योग्यता-पूर्व मानदंड' के तहत ब्लूमबर्ग टीयर-1 सूचीबद्ध विक्रेताओं की आवश्यकता सम्मिलित करने में विफल रहा जैसाकि दिनांक 30 मार्च और 28 अप्रैल 2018 की पुनः आमंत्रित निविदा में

किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, 12 बोलीदाताओं में से केवल पांच ही मानदंड को पूरा कर सके।

(ii) निविदा की शर्तों में अनुबंधित था कि मात्रा को 50:30:20 के अनुपात में बांटा जा सकता था। यदि किसी अनुवर्ती विक्रेता ने एल1 कीमत पर आपूर्ति स्वीकार नहीं की तो शेष मात्रा का आदेश एल1 को ही दिया जा सकता था। इसे देखते हुए भेल को सुरक्षा शुल्क की अतिरिक्त देयता, यदि उद्गृहीत हो, को कम करने के लिए स्वदेशी अधिप्राप्ति के साथ-साथ आयात हेतु 'डीडीपी परियोजना स्थल चरंका' के रूप में सुपर्दगी शर्तों पर बल देना चाहिए था।

(iii) प्रबंधन द्वारा मुहरबंद बोली के अनुसार न्यूनतम बोली लगाने वाले बोलीदाता द्वारा उद्धृत राशि और विपरीत नीलामी के बाद प्राप्त राशि के बीच अंतर के आधार पर ₹7.70 करोड़ की बचत की गणना की गई। हालांकि, विपरीत नीलामी भेल द्वारा जारी सभी तीन निविदाओं का हिस्सा थी। इसी प्रकार, भेल द्वारा विनिर्मित मॉड्यूलों की आपूर्ति के कारण हुई बचत जीआईपीसीएल से संबंधित है जिसने उत्पादन गारंटी सुनिश्चित करने और आशय-पत्र दिनांक 19 मार्च 2018 के खंड 10 और खंड 8 के अनुसार गारंटीकृत निवल इलेक्ट्रिकल ऊर्जा उत्पादन के कारण निर्णीत हर्जाने/ क्षतिपूर्ति से बचने के लिए अतिरिक्त 21.5 मे.वा. के लिए शर्तों से छूट देने पर सहमति दी। अतः, इन दोनों बचतों का की गयी लेखापरीक्षा अभ्युक्ति से कोई संबंध नहीं है।

(iv) यदि 75 मे.वा. का संपूर्ण आदेश डीडीपी के रूप में सुपर्दगी शर्तों पर दिया गया होता तो सुरक्षा शुल्क के भुगतान का पूरा भार विक्रेता द्वारा वहन किया जाता, जिसका भेल पर कोई भार नहीं पड़ता। अतः यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि सुरक्षा शुल्क का भुगतान भारत सरकार के अवयवों के बीच है।

अतः, जबकि जीआईपीसीएल सतर्क था और इसने अपने वित्तीय हितों की रक्षा की वहीं दूसरी तरफ भेल ने अधिप्राप्ति हेतु अपनी निविदाएं जारी करते समय निविदा शर्तों और जीआईपीसीएल द्वारा किए गए संशोधनों पर ध्यान नहीं दिया जिससे इसे आयातों की निकासी हेतु सुरक्षा शुल्क के भुगतान के लिए ₹11.58 करोड़ की अतिरिक्त देयता वहन करनी पड़ी।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ नवम्बर 2020 में मंत्रालय को जारी कर दिया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

**हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड**

**5.3 ड्रैगलाइनों की गारंटीकृत उपलब्धता सुनिश्चित करने में हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड की विफलता के कारण हानि**

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी) ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को आपूर्ति दो ड्रैगलाइनों की गारंटीकृत उपलब्धता सुनिश्चित करने में अपनी असमर्थता और परिणामस्वरूप नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी के नकदीकरण के कारण ₹32.74 करोड़ की हानि उठाई।

हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड, रांची (एचईसी) को नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) सिंगरौली से ₹153.10 करोड़ की कीमत पर एक इलेक्ट्रिक वाकिंग ड्रैगलाइन<sup>5</sup> की आपूर्ति, स्थापना और इसे शुरू करने के लिए आदेश प्राप्त हुआ था (30 सितम्बर 2009)। एनसीएल ने उसी दर पर दो और ड्रैगलाइनों को जोड़ते हुए आपूर्ति आदेश में संशोधन कर दिया (दिसम्बर 2010)। ड्रैगलाइनों की कीमत में एक वर्ष की वारंटी अवधि हेतु उपभोज्य पुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं और वारंटी अवधि के बाद दो वर्षों तक अपेक्षित बैंक-अप पुर्जे और उपभोज्य वस्तुएं शामिल थीं।

आपूर्ति आदेश के खंड 22 के अनुसार, एचईसी को कुल उपस्कर मूल्य<sup>6</sup> के 10 प्रतिशत के बराबर निष्पादन बैंक गारंटी देनी थी। एनसीएल को असंतोषजनक निष्पादन और/या संविदागत विफलता होने पर निष्पादन बैंक गारंटी का उपयोग/ नकदीकरण करने का पूरा अधिकार प्राप्त था। इसके अलावा, आपूर्ति आदेश के खंड 23 के अनुसार, ड्रैगलाइन की उपलब्धता इसे कमीशनिंग की तिथि से वारंटी अवधि के दौरान और इसके बाद 24 माह की अवधि के दौरान 90 प्रतिशत से कम नहीं होनी चाहिए।

एचईसी ने एनसीएल को तीन ड्रैगलाइनों की आपूर्ति की थी जिन्हें मई 2014 (एचएमबी-13), जनवरी 2016 (एचएमबी-14) और मई 2019 (एचएमबी-15) में कमीशन किया गया था। एचईसी दो ड्रैगलाइनों एचएमबी-13 और एचएमबी-14 की गारंटीकृत उपलब्धता सुनिश्चित करने में असमर्थ रहा और इसके परिणामस्वरूप, एनसीएल ने ₹32.74 करोड़ मूल्य की चार बैंक गारंटियों का नकदीकरण किया (25 सितम्बर 2019)।

<sup>5</sup> वायर केबल से खिंची जाने वाली बाल्टी वाले बड़े उत्खनक

<sup>6</sup> उपस्कर की वारंटी अवधि हेतु सहायक सामग्री, उपभोज्य पुर्जे और उपभोज्य वस्तुओं का मूल्य और उपस्कर पहुँचने पर उनकी स्थापना और कमीशनिंग के प्रभार आदि शामिल हैं।

इस संदर्भ में, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

i) एचएमबी-13 की उपलब्धता इसके कमीशनिंग के बाद से लगातार 90 प्रतिशत के गारंटीकृत स्तर से कम रही थी। मासिक उपलब्धता पहले वर्ष के दौरान (मई 2014 से अप्रैल 2015) 43 प्रतिशत और 71 प्रतिशत के बीच, दूसरे वर्ष के दौरान (मई 2015 से अप्रैल 2016) 27 प्रतिशत औसत के साथ पांच माह के लिए शून्य और तीसरे वर्ष में (मई 2016 से अप्रैल 2017) औसतन 68 प्रतिशत रही।

एचएमबी-14 की उपलब्धता भी जनवरी 2019 के एक माह के अपवाद के साथ, जब उपलब्धता 90 प्रतिशत से अधिक थी, पहले तीन वर्षों (जनवरी 2016 से जनवरी 2019) के दौरान क्रमशः 50, 63 और 71 प्रतिशत औसत के साथ लगातार गारंटीकृत स्तर से नीचे बनी रही।

ii) ड्रैगलाइनों की उपलब्धता खराब रही क्योंकि मुख्य घटकों में असामयिक खराबी/निरंतर विकार और अनुचित टूथ प्रोफाइल और होल बेमेलता के कारण ढिलाई और गलत संरेखण की समस्या बार-बार आई। इसके अलावा, एचईसी मशीनों में खराब पुर्जों के शीघ्र विनिर्माण और प्रतिस्थापन हेतु आवश्यक पुर्जों के रख-रखाव और इन्वेंटरी की आपूर्ति करने में असमर्थ रहा।

iii) एचईसी में लेखापरीक्षा समिति ने प्रथम दृष्टया यह भी पाया (दिसम्बर 2019) कि एचईसी की तरफ से कार्यस्थल पर पुर्जों की आपूर्ति में विलम्ब से ड्रैगलाइनों की अनुपलब्धता लंबे समय तक बनी रही।

iv) एनसीएल ने ड्रैगलाइनों की अनुपलब्धता और खराबी के मामलों को लगातार उठाया और निर्माण की खराब गुणवत्ता, नकली एवं दोषयुक्त सामग्री की आपूर्ति हेतु एचईसी को जिम्मेदार ठहराया। एचईसी ने वारंटी के अंतर्गत ₹1.36 करोड़ के अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति की तथा ड्रैगलाइनों की मरम्मत एवं रख-रखाव के लिए ₹0.35 करोड़ खर्च किए परंतु वारंटी अवधि के दौरान एवं उसके पश्चात 24 माह के लिए ड्रैगलाइनों एचएमबी-13 और एचएमबी-14 की गारंटीकृत उपलब्धता प्राप्त नहीं कर सका।

v) जैसे कि ड्रैगलाइनों का निष्पादन गारंटीकृत स्तरों से काफी कम था, अतः एनसीएल ने निष्पादन बैंक गारंटी का नकदीकरण कराया।

अतः, एचईसी ने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड को आपूरित दो ड्रैगलाइनों की गारंटीकृत उपलब्धता सुनिश्चित करने में अपनी असमर्थता और परिणामस्वरूप नॉर्दर्न कोलफील्ड्स

लिमिटेड द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी के नकदीकरण के कारण ₹32.74 करोड़ की हानि उठाई।

प्रबंधन ने निम्नलिखित बताया (जुलाई और दिसम्बर 2020/ फरवरी 2021):

- दो ड्रैगलाइनों की गारंटीकृत उपलब्धता सुनिश्चित करने में बाधा प्रमुख ओर महत्वपूर्ण घटकों (मोटर पिनियन शाफ्ट, मध्यवर्ती पिनियन शाफ्ट, स्ल्यू रैक सैगमेंट, अपर ओर रोलर रेल सैगमेंट, स्विंग शाफ्ट, खरीद मर्दें आदि) की खराबी के कारण आई थी। लंबे विनिर्माण दौर, लम्बी अधिप्राप्ति प्रक्रिया, मर्दों के उच्च मूल्य और एचईसी की खराब वित्तीय स्थिति के कारण अतिरिक्त पुर्जों की इन्वेंटरी नहीं बनाई जा सकी।
- ड्रैगलाइनों की उपलब्धता को प्रभावित करने वाली विभिन्न अन्य समस्याएं जैसे गीयरिंग मर्दों में टीथ प्रॉफाइल समस्या, स्ल्यू रैक सैगमेंट में फाउंडेशन होल एवं कनेक्टिंग होल माउंटिंग की समस्या और रोलर रेल सैगमेंट में फटींग की समस्या थी। ये सभी समस्याएं उन मशीनरियों (गीयर कटिंग मशीन, ड्रिल मशीनें आदि) के कारण आई थी जो पुरानी थीं और जिनमें परिशोधन/आधुनिकीकरण की आवश्यकता थी।
- तीसरी ड्रैगलाइन (एचएमबी-15) के सुगम चालन को सुनिश्चित करने के लिए, इसने नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुसार निर्माण में बदलाव किए, महत्वपूर्ण मर्दों का स्टॉक रखना, गहन निगरानी शुरू की तथा 90 प्रतिशत उपलब्धता बनाए रखने के लिए निवारक अनुरक्षण हेतु सेवा प्रदाता नियुक्त करने के लिए उपाय किए।
- मशीनों के दैनिक नियमित रख-रखाव (प्रतिदिन 2 घंटे या 24 घंटे का 8 प्रतिशत) को इसकी ब्रेकडाउन में शामिल किया जाता था और इसलिए शून्य घंटे की ब्रेकडाउन के साथ माह में केवल 92 प्रतिशत उपलब्धता कार्यान्वित होने योग्य थी, जो कठिन थी। निविदा-पूर्व बैठकों के दौरान एनसीएल के साथ मुद्दे को उठाया गया था, तथापि इसे स्वीकार नहीं किया गया और इसीलिए ड्रैगलाइनों के इस आदेश को लेने के लिए एनआईटी की शर्त स्वीकार कर ली गई।
- उन्होंने निष्पादन बैंक गारंटी की राशि लौटाने के लिए एनसीएल को कहा (15 जुलाई 2020)।



प्रबंधन के उत्तर पर निम्नलिखित के मद्देनजर विचार किया जाना चाहिए:

- प्रबंधन द्वारा यह तथ्य स्वीकार किया गया है कि ड्रैगलाइनों की उपलब्धता में महत्वपूर्ण घटकों, पुरानी मशीनों में समयपूर्व खराबी तथा कार्यस्थल पर अतिरिक्त पुर्जों की आपूर्ति करने में इसकी असमर्थता के कारण बाधा आई थी।
- निर्माण के दौरान नवीनतम प्रौद्योगिकी के अनुसार सुधारात्मक उपाय न करने, महत्वपूर्ण मर्दों के स्टॉक के रख-रखाव, ड्रैगलाइनों एचएमबी-13 और 14 में बेहतर उपलब्धता प्राप्त करने, जैसा तत्पश्चात एचएमबी-15 के मामले में किया गया था, के लिए गहन निगरानी और निवारक रख-रखाव करने के कारणों की व्याख्या नहीं की गई।
- प्रबंधन का यह तर्क स्वीकार्य नहीं है कि ब्रेकडाउन के अंतर्गत नियमित रख-रखाव घंटों को समाविष्ट करने के मद्देनजर गारंटीकृत उपलब्धता प्राप्त करना काफी कठिन था क्योंकि ड्रैगलाइनों 13 और 14 का निष्पादन 90 प्रतिशत की सीमा से काफी कम था और रख-रखाव घंटों को छोड़ने के बाद भी वांछित निष्पादन प्राप्त नहीं होता।

इसके अलावा, प्रबंधन को गारंटीकृत 90 प्रतिशत उपलब्धता से संबंधित एनआईटी शर्त के बारे में पता था और इसीलिए एचएमबी 13 और 14 के संबंध में असंतोषजनक निष्पादन के कारण एनसीएल द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी के नकदीकरण के बाद अपनी उपलब्धि सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय करने चाहिए थे, जैसा बाद में एचएमबी 15 के लिए किया गया था।

- इसके अतिरिक्त, प्रबंधन का यह उत्तर कोई महत्व नहीं रखता कि इसने निष्पादन बैंक गारंटी राशि के प्रतिदाय के लिए एनसीएल को अनुरोध किया था क्योंकि इसने निष्पादन बैंक गारंटी के नकदीकरण पर प्रश्न नहीं उठाया है अपितु कोविड-19 महामारी के परिणामस्वरूप एचईसी की खराब वित्तीय स्थिति के आधार पर निष्पादन बैंक गारंटियों को लौटाने पर विचार करने हेतु एनसीएल को केवल अनुरोध किया। यह अनुरोध एनसीएल द्वारा निष्पादन बैंक गारंटियों के नकदीकरण से नौ माह बीत जाने के बाद भी किया गया था और इस संदर्भ में एनसीएल से कोई प्रतिक्रिया या आश्वासन प्राप्त नहीं हुआ था (फरवरी 2021)।

इस प्रकार, एनसीएल को आपूर्ति दो ड्रैगलाइनों की गारंटीकृत उपलब्धता सुनिश्चित करने में एचईसी की ओर से विफलता के परिणामस्वरूप खरीदकर्ता द्वारा निष्पादन बैंक गारंटी के नकदीकरण के कारण ₹32.74 करोड़ की हानि हुई।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ जनवरी 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

#### 5.4 तकनीकी लेखापरीक्षा पर निष्फल व्यय

हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी) ने निधियों का आश्वासन प्राप्त किए बिना विनिर्माण आदेश प्राप्त करने की प्रत्याशा में तकनीकी लेखापरीक्षा सहित दो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संविदाएं की। निधियों और आदेशों की अनुपलब्धता के परिणामस्वरूप तकनीकी लेखापरीक्षा पर ₹12.47 करोड़ का निष्फल व्यय (सीएनआईआईटीएमएसएच, रूस को ₹6.74 करोड़, ओकेबीएम, रूस को ₹5.73 करोड़) हुआ।

हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचईसी या कंपनी) ने मई 2017 और जून 2017 में सीएनआईआईटीएमएसएच, रूस और ओकेबीएम अफ्रिकांतोव, रूस के साथ क्रमशः 7.25 मिलियन यूएसडी और 10 मिलियन यूएसडी की लागत से दो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संविदाओं में प्रवेश किया।

5.4.1 एचईसी ने 7.25 मिलियन यूएसडी की लागत पर परमाणु और थर्मल पावर प्लांट, शिप शाफ्ट, खोखली शिलिका के लिए घटकों के विनिर्माण के संबंध में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए सीएनआईआईटीएमएसएच, रूस के साथ एक प्रौद्योगिकी विकास करार में प्रवेश किया (30 मई 2017)। करार के अनुसार, प्रौद्योगिकी के विकास को पांच चरणों में पूरा किया जाना था, जिसमें चरण 1 में तकनीकी लेखापरीक्षा और मूल सूचनाओं की समीक्षा शामिल थी और चरणों 2 से 5 में एंड-टू-एंड प्रौद्योगिकी, मैनुअल, ऑन-साइट प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी अंतरण में सुधार और अद्यतन का विकास शामिल था। यह करार अक्टूबर 2017 से 36 महीने के लिए प्रभावी था। चरण-1 के तहत तकनीकी लेखापरीक्षा दिसंबर 2017 में पूरी हुई और एचईसी ने ₹6.74 करोड़ का भुगतान किया। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित का अवलोकन किया:

i) एचईसी ने अपेक्षित निधियों के विशेष प्रावधान के बिना ही अपनी आधुनिकीकरण योजना के अनुमोदन की प्रत्याशा में प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण के लिए यह करार किया था।

ii) एचईसी की आधुनिकीकरण योजना पर जून 2014 में विचार किया गया था और अक्टूबर 2017 में भारी उद्योग विभाग को भेजा गया संशोधित प्रस्ताव (₹1,252 करोड़) अभी अनुमोदित किया जाना था (फरवरी 2021)। तथापि, सीएनआईआईटीएमएसएच के

साथ करार के पहले चरण के लिए ₹6.74 करोड़ का भुगतान इस टिप्पणी के साथ जारी कर दिया गया था कि आधुनिकीकरण निधि की प्राप्ति पर इसे प्रयुक्त के रूप में दर्शाया जाएगा।

iii) एचईसी को 2014-15 से लगातार हानियां हुई (झारखंड सरकार को सौंपी गई भूमि के बदले में प्राप्त प्रतिफल के आधार पर वर्ष 2017-18 के दौरान हुए लाभ को छोड़कर) और इसलिए इसके पास परियोजना के वित्तपोषण हेतु कोई अधिशेष संसाधन उपलब्ध नहीं थे।

iv) तकनीकी लेखापरीक्षा और मूल जानकारी की समीक्षा (चरण-1) करने के बाद, जो दिसम्बर 2017 में पूरा हुआ था, कार्य में और कोई प्रगति नहीं हुई तथा सीएनआईआईटी-एमएसएच के साथ करार के अन्य चरणों (चरण 2 से 5) को संविदा समाप्ति से पहले शुरू नहीं किया जा सका।

इस प्रकार, कंपनी ने सीएनआईआईटीएमएसएच के साथ संविदा के चरण 1 पर ₹6.74 करोड़ का निष्फल व्यय किया और शेष चरणों को कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2020) कि सीएनआईआईटीएमएसएच को आधुनिकीकरण हेतु आरंभिक उपाय के रूप में तकनीकी लेखापरीक्षा करने का कार्य सौंपा गया था। इसने आगे बताया कि भारत सरकार (जीओआई) द्वारा एचईसी की आधुनिकीकरण योजना की जांच करने के लिए स्थापित की गई सारस्वत समिति ने अपनी रिपोर्ट में कम्पनी के पालन-पोषण और पुनरूत्थान करने की सिफारिश की थी और सिफारिशों के आधार पर भारी उद्योग विभाग ने सक्षम प्राधिकारी को आधुनिकीकरण का प्रस्ताव भेजा था। तथापि, सचिवों के कोर ग्रुप ने सिफारिश की (मई 2018) कि एचईसी के पुनरूत्थान और आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा कोई अलग निधि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तथा इसे आंतरिक रूप से संघरित किया जाएगा।

प्रबंधन का उत्तर निम्नलिखित के आधार पर मान्य नहीं हैं:

- तकनीकी लेखापरीक्षा केवल तब आवश्यक होगी जब कंपनी के पास प्रौद्योगिकी की अधिप्राप्ति के साथ आगे की कार्यवाही के लिए आवश्यक निधि हो। प्रौद्योगिकी की अधिप्राप्ति के अभाव में तकनीकी लेखापरीक्षा पर किया गया व्यय निष्फल था।
- सारस्वत समिति ने सिफारिश की कि उन्नयन पूर्ण वित्तपोषण के पूर्व प्रावधान के साथ व्यापक तरीके से किया जाना चाहिए। इसने उल्लेख किया कि केपेक्स निधि का

आबंटन एक बार में ही कुल आवश्यकता से संबंधित होना चाहिए और आंशिक निवेश से वांछित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण हेतु निधि के आश्वासन के बिना इसके लिए करार करना समिति की सिफारिशों के अनुरूप नहीं था।

**5.4.2** भारत सरकार ने न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) द्वारा स्थापित किए जाने वाले 700 मे.वा. प्रत्येक के 10 स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर (पीएचडब्ल्यूआर) के लिए अनुमोदन पर सहमति दी (जून 2017)। एचईसी ने एनपीसीआईएल से आदेश प्राप्त करने की प्रत्याशा में पीएचडब्ल्यूआर में प्रौद्योगिकियां रखने वाली कंपनियों से रूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की थी (जुलाई 2017)। इसने 10 मिलियन यूएसडी<sup>7</sup> की कुल लागत पर ओकेबीएम एफ्रिकांटोव, रूस (ओकेबीएम) के साथ संविदा की थी (मई 2018)। संविदा के चरण 1 में तकनीकी लेखापरीक्षा और चरण 2 से 5 में डिजाईन दस्तावेजीकरण, इसकी विनिर्माण सुविधाओं के तकनीकी पुनः तैयारी के परामर्श, परमाणु ऊर्जा संयंत्र (एनपीपी) आदि के लिए उपस्कर के फ्रेब्रिकेशन हेतु विनिर्माण सुविधाओं की तैयारी आदि सहित विकास और प्रौद्योगिकीय प्रक्रिया दस्तावेजीकरण का हस्तांतरण शामिल होगा। तकनीकी लेखापरीक्षा जून 2018 में की गई थी और एचईसी ने मई 2019 और अक्टूबर 2020 में ओकेबीएम को ₹5.73 करोड़ का भुगतान किया था।

इस संदर्भ में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- i) ओकेबीएम के साथ एनपीपी उपस्कर के विनिर्माण हेतु सुनिश्चित आदेश हासिल किए बिना संविदा की गई थी।
- ii) एचईसी के निदेशक मंडल ने कंपनी की वित्तीय स्थिति पर विचार करते हुए परियोजना के कार्यान्वयन के लिए अपेक्षित बहुत अधिक निधि के संबंध में चिंता व्यक्त की थी (मई 2018) और भारी उद्योग विभाग के भारतीय पूंजीगत माल क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के अंतर्गत प्रौद्योगिकी अधिग्रहण निधि कार्यक्रम (टीएएफपी) के माध्यम से ओकेबीएम परियोजना के वित्तपोषण की संभावना ढूंढने या निधियों के लिए एनपीसीआईएल/परमाणु ऊर्जा विभाग को आग्रह करने के लिए प्रबंधन को निर्देश दिया।
- iii) एचईसी के निदेशक मंडल ने निधियों की व्यवस्था के बिना ओकेबीएम के साथ करार को आगे न बढ़ाने का निर्णय किया (मार्च 2019) और उल्लेख किया (जून 2019)

<sup>7</sup> तकनीकी लेखापरीक्षा (8 लाख यूएसडी), प्रौद्योगिकी विकास (47.50 लाख यूएसडी), कार्यान्वयन (31 लाख यूएसडी) और दस्तावेजीकरण एवं प्रशिक्षण (13.50 लाख यूएसडी) शामिल था।

कि आवश्यक वित्तपोषण प्राप्त करने हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए थे तथा जवाबदेही निर्धारित करने के लिए जांच की जाने वाली गंभीर चूकों पर चिंता व्यक्त की थी। इसी बीच, एचईसी अपेक्षित सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण एनपीसीआईएल द्वारा जारी मुख्य निविदाओं में भाग नहीं ले सका और यह पात्रता मानदंड भी पूरा नहीं करता था।

इस प्रकार, कंपनी ने एनपीसीआईएल से विनिर्माण आदेशों की प्रत्याशा में ओकेबीएम, रूस के साथ करार किया था तथा ₹5.73 करोड़ का निष्फल व्यय किया तथा संविदा के केवल चरण 1 को कार्यान्वित किया जा सका था तथा चरण 2 से 5 कार्यान्वित नहीं किए जा सके।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (दिसम्बर 2020) कि एनपीसीआईएल ने भारत में विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए मिलकर कार्य करने का समर्थन किया था और तकनीकी लेखापरीक्षा परमाणु विद्युत संयंत्र के लिए उपस्कर एवं घटकों के विनिर्माण शुरू करने के लिए क्षमता निर्माण के लिए उपस्कर के निर्धारण के लिए पूर्वापेक्षा थी। आधुनिकीकरण के लिए तैयारी उपाय के रूप में तकनीकी लेखापरीक्षा का कार्य ओकेबीएम को सौंपा गया था। इसने आगे बताया कि भारत सरकार द्वारा एचईसी की आधुनिकीकरण योजना की जांच करने के लिए स्थापित की गई सारस्वत समिति ने अपनी रिपोर्ट में कंपनी के पालन-पोषण ओर पुनरुत्थान की सिफारिश की थी। इसने यह भी बताया कि एचईसी आधुनिकीकरण हेतु अनुमोदित व्यय के अभाव में निविदाओं में भाग नहीं ले सका। तथापि, सचिवों के कोर ग्रुप ने सिफारिश की (मई 2018) कि एचईसी के पुनरुत्थान और आधुनिकीकरण के लिए सरकार द्वारा कोई अलग निधि उपलब्ध नहीं कराई जाएगी तथा इसे आंतरिक रूप से संघटित किया जाएगा।

प्रबंधन का उत्तर निम्नलिखित के आधार पर मान्य नहीं है:

- कंपनी ने निधियों का प्रावधान किए बिना करार किया और एनपीसीआईएल से आदेश प्राप्त करने की इसकी प्रत्याशा के आधार पर व्यय किया।
- यद्यपि एनपीसीआईएल ने एचईसी के साथ कार्य करने में अपनी रुचि दिखाई थी (अक्टूबर 2016), फिर भी आधुनिकीकरण के अभाव में एचईसी एनपीसीआईएल द्वारा जारी निविदाओं के लिए योग्य होने में विफल रहा।
- जैसे उपर्युक्त 5.4.1 में उल्लिखित है, सारस्वत समिति ने सिफारिश की कि केपेक्स निधि आबंटन एक बार में उपलब्ध होना चाहिए तथा आंशिक निवेश से वांछित परिणाम

प्राप्त नहीं होगा। इसलिए, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए निधियों के आश्वासन के बिना करार करना समिति की सिफारिश के अनुरूप नहीं था।

उपर्युक्त मामलों से इस तथ्य का पता चला कि विदेशी कंपनियों के साथ इन करारों को करने का एचईसी का निर्णय आवश्यक निधियों के प्रावधान के बिना अथवा विनिर्माण आदेशों की प्रत्याशा में था। एचईसी अपनी आधुनिकीकरण योजना के लिए अनुमोदन प्राप्त करने में विफल रहा और निधियों के अभाव के परिणामस्वरूप तकनीकी लेखापरीक्षाओं पर ₹12.47 करोड़ (सीएनआईआईटीएमएसएसएच रूस को ₹6.74 करोड़ और ओकेबीएम रूस को ₹5.73 करोड़) का निष्फल व्यय हुआ।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ फरवरी 2021 में मंत्रालय को जारी किए गए थे; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

## अध्याय VI: खान मंत्रालय

### हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड

#### 6.1 कॉपर ओर टेलिंग्स बेनीफिसीएशन प्लांट के निर्माण के प्रति अलाभप्रद व्यय

प्रयोग संयंत्र के प्रचालन और इसकी व्यवहार्यता/सफलता का सत्यापन किए बिना कॉपर ओर टेलिंग्स बेनीफिसीएशन प्लांट का पूर्णरूप से निर्माण करने के कम्पनी के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप ₹158.05 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (एचसीएल/कम्पनी) ने आर्थिक सामग्री यथा सोना, चांदी आदि की वसूली करने के लिए ओर बेनीफिसीएशन प्रोसेस के माध्यम से उप-उत्पाद अर्थात् कापर ओर टेलिंग्स को प्रोसेस करने का निर्णय लिया। तदनुसार, कम्पनी ने एक अनुसंधान और विकास परियोजना के रूप में ₹6.98 करोड़ के कुल मूल्य पर 200 टन कॉपर ओर टेलिंग्स प्रतिदिन मानने की क्षमता के साथ खेतड़ी कॉपर काम्प्लैक्स (केसीसी) में एक प्रायोगिक संयंत्र के डिज़ायन, आपूर्ति, सिविल कार्य, प्रतिष्ठापन, चालू करने और प्रचालन के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के बाद चालू करने की तारीख से 12 महीने के अन्दर अथवा एचसीएल द्वारा यथा निर्णीत पहले पूरा किए जाने वाली एक संविदा मैसर्ज स्टार ट्रेस प्राइवेट लिमिटेड (एसटीपीएल) को प्रदान की। यह प्रायोगिक परियोजना इसकी तकनीकी - वाणिज्यिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए स्थापित की गयी थी ताकि प्राप्त हुए परिणामों के आधार पर एक वाणिज्यिक संस्थान की व्यवस्था के सम्बन्ध में निर्णय लिया जा सके।

कम्पनी ने जून 2016 में प्रायोगिक परियोजना चालू करने से पहले ही मलंजखंड कॉपर परियोजना (एमसीपी) पर एक पूर्णकालिक संयंत्र संस्थापित करने का निर्णय लिया (मई 2016) जोकि परीक्षण स्तर पर केसीसी प्रायोगिक संयंत्र के प्रारम्भिक परिणामों के आधार पर 10,000 एमटी कॉपर टेलिंग्स प्रतिदिन संसाधन करने की क्षमता के साथ था। कम्पनी के तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन और पूर्णकालिक कॉपर ओर टेलिंग्स बेनीफिसीएशन प्लांट के एसबीआई केप के वित्तीय मूल्यांकन (जनवरी 2017) के आधार पर, कम्पनी ने एमसीपी पर 3.29 मिलियन टन प्रतिवर्ष कॉपर ओर टेलिंग्स बेनीफिसीएशन प्लांट की संस्थापना के लिए एकल निविदा आधार पर एसटीपीएल को ₹280 करोड़ (दो वर्षों

के लिए उपरोक्त संयंत्र के प्रचालन और रख-रखाव के प्रति ₹85 करोड़ सहित) की संविदा प्रदान की (मार्च 2017)। उपरोक्त संयंत्र नवम्बर 2017 तक पूरा किया जाना था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- पूर्णकालिक कॉपर ओर टेलिंग्स बेनीफिसीएशन प्लांट का कम्पनी का तकनीकी-वाणिज्यिक मूल्यांकन और संभाव्य और व्यवहार्य के रूप में उसका एसबीआई केप का वित्तीय मूल्यांकन केसीसी प्रायोगिक परियोजना के मात्र तीन दिन के निष्पादन पर आधारित था। इसलिए, प्रायोगिक संयंत्र के परीक्षण स्तर के निष्पादन के आधार पर केसीसी (जून 2016) पर प्रायोगिक संयंत्र को चालू करने से पहले ही एमसीपी पर एक पूर्णकालिक संयंत्र संस्थापित करने का प्रबन्धन का निर्णय (मई 2016) असावधानीपूर्ण और अविवेकपूर्ण था। इसके अतिरिक्त, अपस्केलिंग के लिए निर्णय लेने से पूर्व किसी भी स्तर पर प्रायोगिक परियोजना के अद्यतन निष्पादन पर विचार नहीं किया गया था।
- ₹2.06 करोड़ के अतिरिक्त व्यय के साथ दो बार समयविस्तार के बावजूद 33 महीने के प्रचालन के बाद भी प्रायोगिक परियोजना अपने परिकल्पित पैरामीटर प्राप्त करने में विफल रही और निष्पादन मूल्यांकन के लिए गठित की गयी (नवम्बर 2018) समिति द्वारा वाणिज्यिक के साथ-साथ तकनीकी पहलुओं पर भी अव्यवहार्य पाई गई।
- एमसीपी संयंत्र (अगस्त 2018/अक्टूबर 2018) के लिए जांच परीक्षण और विश्वसनीयता जांच (दिसम्बर 2018) वांछित परिणाम प्राप्त होने में विफल रहे। फरवरी 2019 में बंद हुई विफल प्रायोगिक परियोजना पर विचार किए बिना किए गए (अप्रैल 2019) 30 दिनों के लिए तीन पारी के परीक्षण भी असफल रहे परन्तु कम्पनी ने एसटीपीएल (जून 2019) द्वारा दी गयी नयी वचनबद्धता स्वीकार की, जो उचित नहीं था। एमसीपी पर पूर्ण कालिक संयंत्र 35 महीने (नवम्बर 2017 से अक्टूबर 2020 तक) के विलम्ब के बाद भी पूरा नहीं हुआ।
- प्रौद्योगिकी, जिसे अभी प्रमाणित किया जाना था, को अपनाकर कम्पनी ने न केवल अपने संसाधन व्यर्थ किए बल्कि प्रायोगिक संयंत्र के परिणाम की प्रतीक्षा किए बिना इसकी अप-स्केलिंग करके ₹158.05 करोड़ (₹8.49 करोड़ का प्रतिभूति जमा समायोजित करने के बाद) का अनुचित और अविवेकपूर्ण निवेश निर्णय भी किया जोकि एक विफलता सिद्ध हुई। लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए प्रबन्धन ने बताया (नवम्बर 2020) कि प्रायोगिक संयंत्र का पर्याप्त रूप से परिचालन किए बिना और इसकी सफलता को देखे बिना



3.29 एमटीपीए की क्षमता के साथ एमसीपी पर पूर्णकालिक कॉपर ओर टेलिंग्स बेनीफिसीएशन प्लांट का निर्माण करने का कम्पनी का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था जिसके परिणामस्वरूप ₹158.05 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

इसलिए चालू प्रायोगिक परियोजना के परिणामों/निष्कर्षों की अवहेलना और अप्रमाणित प्रौद्योगिकी के साथ एमसीपी पर वाणिज्यिक कॉपर ओर टेलिंग्स बेनीफिसीएशन प्लांट के निर्माण की जल्दबाजी से ₹158.05 करोड़ निष्फल हो गए।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ जनवरी 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

#### **सिफारिश संख्या 8**

कम्पनी को एक संबंधित चालू प्रायोगिक परियोजना के परिणामों/निष्कर्षों पर विचार किए बिना वाणिज्यिक संयंत्र के निर्माण हेतु लिए गए निर्णय में चूक का विश्लेषण करना चाहिए और आवश्यक कार्रवाई करनी चाहिए।

#### **नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड**

#### **6.2 खनन पट्टे के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के प्रति परिहार्य व्यय**

नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड ने एक की बजाय दो अलग अनुपूरक पट्टा विलेख निष्पादित करके 20 वर्षों के लिए खनन पट्टे के विस्तार के लिए ₹8.56 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के प्रति परिहार्य व्यय किया।

नेशनल एल्यूमीनियम कम्पनी लिमिटेड (कम्पनी) की ओडिशा के कोरापुट जिले में पंचपटमाली<sup>1</sup> खाने हैं, जोकि कम्पनी के लिए बॉक्सआइट ओर का मुख्य केपटिव स्रोत है। उपरोक्त के लिए खनन पट्टा ओडिशा सरकार द्वारा 30 वर्षों की अवधि के लिए नवम्बर 1982 में दिया गया था जो समय-समय पर यथा संशोधित खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम (एमएमडीआर एक्ट), 1957 के प्रावधानों के अनुसार था। चूँकि खनन पट्टा 16 नवम्बर 2012 को समाप्त हो रहा था, अतः अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी ने 20 वर्षों (नवम्बर 2032 तक) की अवधि के लिए खनन पट्टे के नवीकरण के लिए आवेदन किया (अक्टूबर 2010)।

<sup>1</sup> सेन्ट्रल और नार्थ ब्लॉक

एमएमडीआर अधिनियम, 1957 में जनवरी 2015 में संशोधन किया गया। चूँकि सरकारी कम्पनियों अथवा निगमों के संबंध में खनन पट्टे के नवीकरण के लिए संशोधित अधिनियम<sup>2</sup> में कोई प्रावधान नहीं था, अतः खान मंत्रालय, भारत सरकार (जीओआई) ने आदेश दिया (फरवरी 2015) कि उन सभी सरकारी कम्पनियों अथवा निगमों के खनन पट्टे का नवीकरण 31 मार्च 2020 तक विस्तारित किया जाएगा जहां खनन पट्टा समाप्त हो गया था और उचित समय के अन्दर नवीकरण के लिए आवेदन किया गया था। तदनुसार, ओडिशा सरकार ने 7 वर्ष 4 महीने और 15 दिन (31 मार्च 2020 तक) की अवधि के लिए पंचपटमाली खानों के लिए खनन पट्टे का नवीकरण प्रदान किया (अक्टूबर 2015)। कम्पनी ने 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए ₹8.56 करोड़<sup>3</sup> का भुगतान करके खनन पट्टे के उपरोक्त नवीकरण के लिए पहला अनुपूरक पट्टा विलेख निष्पादित किया (मार्च 2016)।

खान मंत्रालय, जीओआई ने खनिज (सरकारी कम्पनी द्वारा खनन) नियमावली, 2015 (नियमावली) अधिसूचित की (03 दिसम्बर 2015) जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बताया गया कि खनन पट्टे (नियम 3 का उपनियम 2) की समाप्ति से कम से कम 12 महीने पहले सरकार कम्पनियों या निगमों द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर एक बार में 20 वर्ष की अवधि के लिए खनन पट्टे की अवधि का राज्य सरकार विस्तार प्रदान करेगी। तदनुसार, कम्पनी (जून 2016) के अनुरोध पर ओडिशा सरकार ने 16 नवम्बर 2032 तक खनन पट्टे का विस्तार प्रदान किया और 1 अप्रैल 2020 से 16 नवम्बर 2032 तक की अवधि के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के रूप में ₹17.12 करोड़<sup>4</sup> के भुगतान पर दूसरा अनुपूरक पट्टा विलेख कम्पनी ने निष्पादित किया (सितम्बर 2017)।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कम्पनी ने 3 दिसम्बर 2015 को अधिसूचित नए नियम के प्रावधानों पर विचार नहीं किया और 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए मार्च 2016 में पहला अनुपूरक पट्टा विलेख निष्पादित करते समय स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के रूप में ₹8.56 करोड़ प्रदत्त किए। उसके बाद, कम्पनी ने नए नियमों के अनुसार उसी खनन रिज़र्व के लिए पट्टे के नवीकरण के लिए पुनः आवेदन किया (जून 2016) और 1 अप्रैल 2020 से 16 नवम्बर 2032 तक की अवधि के लिए दूसरा अनुपूरक पट्टा विलेख

<sup>2</sup> 2 जनवरी 2015 से प्रभावी खान और खनिज (विकास और विनियम) संशोधन अधिनियम, 2015 (2015 का 10)।

<sup>3</sup> ₹6.11 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹2.45 करोड़ की पंजीकरण फीस जिसे क्रमशः मार्च और अप्रैल 2016 में प्रदत्त किया गया।

<sup>4</sup> ₹12.23 करोड़ का स्टाम्प शुल्क और ₹4.89 करोड़ की पंजीकरण फीस

निष्पादित करने के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के लिए ₹17.12 करोड़ प्रदत्त किए (सितम्बर 2017)।

भारतीय स्टाम्प (उड़ीसा संशोधन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, 5 और 10 वर्षों के बीच पट्टा अवधि के लिए स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस आरक्षित औसत वार्षिक किराए की राशि के बराबर थी और 10 और 20 वर्षों के बीच की पट्टा अवधि के लिए यह आरक्षित औसत वार्षिक किराए, की दोगुना राशि के बराबर थी। इस प्रकार कम्पनी ने एक के बजाय दो भागों में 20 वर्षों के लिए खनन पट्टे का विस्तार निष्पादित किया और फलस्वरूप ₹8.56 करोड़ का परिहार्य व्यय किया। यह कम्पनी की ओर से उचित सावधानी के अभाव को भी दर्शाता था।

प्रबन्धन/ मंत्रालय ने उत्तर दिया (फरवरी 2021/ जून 2021) कि 03 दिसम्बर 2015 को अधिसूचित विस्तार आदेश के प्राप्त न होने के कारण कम्पनी ने 1 अप्रैल 2020 से 16 नवम्बर 2032 तक की शेष अवधि के लिए खनन पट्टे के विस्तार के लिए ओडिशा सरकार से अनुरोध किया (जून 2016)। प्रबन्धन ने आगे बताया कि नवीकरण को चालू रखने की सहमति ₹8.56 करोड़ जमा किए बिना संभव नहीं हो सकती थी क्योंकि भुगतान न करने के कारण खनन प्रचालन रुक जाते। इसके आगे मंत्रालय ने कहा (जून 2021) कि कंपनी ने डीडीएम, कोरापुट, उड़ीसा सरकार को दूसरे अनुपूरक पहल करने के कारण अधिक धन राशि दिये जाने को विचार करने और लौटाने के लिये आवेदन किया है।

प्रबन्धन का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि कि खनिज (सरकारी कम्पनी द्वारा खनन) नियमावली, 2015 की दिनांक 03 दिसम्बर 2015 की अधिसूचना खान मंत्रालय द्वारा 08 दिसम्बर 2015 को प्रकाशित की गयी थी अर्थात् पहले अनुपूरक पट्टे के निष्पादन से 3 महीने 22 दिन पहले था और यह पब्लिक डोमेन में उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त, प्रचालन के लिए सहमति का नवीकरण स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस के भुगतान पर आधारित नहीं था क्योंकि पंजीकरण फीस और स्टाम्प शुल्क (मार्च 2016) के भुगतान से पहले राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ओडिशा द्वारा प्रचालन के लिए सहमति को नवीकृत किया गया था (फरवरी 2016)। मंत्रालय का जवाब कि कंपनी ने डीडीएम, कोरापुट, उड़ीसा सरकार को दूसरे अनुपूरक पट्टा करते समय अधिक जमा किये गये धन राशि को लौटाने के लिये आवेदन किया है लेखापरीक्षा के विचार को और प्रमाणित करता है कि प्रबंधन की खामियों के कारण ₹8.56 करोड़ का परिहार्य खर्च हुआ।

इस प्रकार, 3 दिसम्बर 2015 को अधिसूचित खनिज (सरकारी कम्पनी द्वारा खनन) नियमावली, 2015 के अनुसार खनन पट्टे के विस्तार प्रदान करने की प्रक्रिया में प्रबंधन की ओर से निष्क्रियता के परिणामस्वरूप एक की बजाय दो भागों में खनन पट्टे के विस्तार के कारण ₹8.56 करोड़ का परिहार्य व्यय हुए।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ मार्च 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

## अध्याय VII: इस्पात मंत्रालय

### एमएसटीसी लिमिटेड

#### 7.1 अविवेकपूर्ण वित्तपोषण के परिणामस्वरूप प्राप्य राशि का उगाही न होना

खराब क्रेडिट रेटिंग और प्रतिकूल वित्तीय पैरामीटरों वाली एक पार्टी की ओर से एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा अधिप्राप्ति के वित्तपोषण करने के कारण ₹220.84 करोड़ की प्राप्य राशि का उगाही न होना।

एमएसटीसी लिमिटेड (एमएसटीसी) ने फेसिलिटेटर मोड के तहत लो एश मेटालर्जिकल (एलएएम) कोक, कोयला और मेल्टिंग स्कैप के आयात/अधिप्राप्ति के वित्तपोषण के लिए मैसर्ज कॉनकास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड (सीएसपीएल), एक प्राइवेट पार्टी के साथ 12 दिसम्बर 2012 से प्रभावी एक करार किया (अप्रैल 2013)। करार के अनुसार कम्पनी द्वारा सीएसपीएल के अनुरोध पर विक्रेता पर एक साखपत्र खोला जाएगा। इसके अतिरिक्त सामग्री को एमएसटीसी के नाम में गिरवी रखा जाना था और एक अभिरक्षक की अभिरक्षा के अन्तर्गत सीएसपीएल के संयंत्र के अन्दर स्थित नामित भांडागार में भंडारित किया जाना था। अभिरक्षक एमएसटीसी से प्राधिकार प्राप्त होने के बाद नकदी और वहन आधार पर सीएसपीएल को सामग्री की सुपुर्दगी करेगा। करार के अनुसार एमएसटीसी चोरी, डकैती आदि के प्रति गिरवी रखी गयी सामग्री के लिए सीएसपीएल से निगमित गारंटी, वैयक्तिक गारंटी, प्रतिभूति जमा और बीमा प्राप्त करेगा जिसमें अपने वित्तीय हितों की रक्षा के लिए एमएसटीसी को लाभ होगा। एमएसटीसी, सीएसपीएल और अभिरक्षक<sup>1</sup> के बीच एक त्रिपक्षीय करार भी किया गया (जुलाई 2013)। ऐसे करार के अनुसार सीएसपीएल गिरवी रखी गई सामग्री की किसी कमी के लिए पूर्णतया उत्तरदायी था और ऐसी कमी या कोई हो, का मूल्य सीएसपीएल द्वारा देय होगा।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

- सीएसपीएल<sup>2</sup> का वित्त पोषण एमएसटीसी की नई जोखिम प्रबन्धन नीति (जनवरी 2013) के उल्लंघन में था जिसमें बताया गया कि 25 पाइंटस से कम प्राप्त करने वाले संभावित ग्राहक का चयन नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त क्रेडिट एनालायसेस एंड

<sup>1</sup> फैंरो स्कैप निगम लिमिटेड (एमएसटीसी की एक सहायक कम्पनी)

<sup>2</sup> सीएसपीएल के 20 पाइंट थे

रिसर्च लिमिटेड (सीएआरई) ने अपनी रेटिंग (फरवरी 2013) में सीएसपीएल का ग्रेड कम कर दिया जो दीर्घकालिक सुविधाओं में बीबीबी से बीबी कर दिया गया और अल्पकालिक सुविधाओं में ए3 (सामान्य जोखिम) से ए4 (उच्च जोखिम) कर दिया गया।

- सीएसपीएल की ऋण क्रेडिट सीमा आवृत्ति अप्रैल 2013 से मई 2014 तक के कम समय में चार ट्रेचों में ₹40 करोड़ से बढ़कर ₹245 करोड़ हो गया जोकि स्वयं एमएसटीसी द्वारा परिकल्पित उच्च/सामान्य क्रेडिट रेटिंग के साथ-साथ गिरवी रखी गयी सामग्री के अनियमित उठाने के पैटर्न और बकाया देयों के इकट्ठा होने के बावजूद था। इसके अतिरिक्त, उधार पात्रता के संबंध में एक अग्रणी बैंक से पूछताछ करने पर एमएसटीसी को सूचित किया गया (जनवरी 2014) कि सीएसपीएल अपने देयों के भुगतान में अनियमित था। उपरोक्त तथ्य दर्शाते हैं कि एमएसटीसी का निवेश का निर्णय विवेकपूर्ण नहीं था।
- फरवरी 2021 तक एमएसटीसी को सीएसपीएल के कुल बकाया देय ₹220.84 करोड़ (₹104 करोड़ के ब्याज को छोड़कर और प्रतिभूति जमा समायोजित करने के बाद) थे और उनके प्रति कोई वसूली नहीं की जा सकी।
- सभी आयतनी निर्धारणों (मार्च 2015 से फरवरी 2020 तक) से गिरवी रखी गयी सामग्री की बारंबार कमियों का पता चला जिसके लिए एमएसटीसी ने कोई संज्ञान नहीं लिया। एमएसटीसी द्वारा न केवल सीएसपीएल का वित्तपोषण करना जारी रहा बल्कि इसके अपने वित्तीय हितों को बचाने के लिए ऐसी गिरवी रखे गए स्टाक की रक्षा के लिए प्रभावी उपाय भी नहीं किए गए।
- त्रिपक्षीय करार में सेवा में कमी के लिए किसी ऐसी भी शास्तिक प्रावधान द्वारा गिरवी रखी गयी सामग्री की ऐसी हानियों को पूरा करने के लिए अभिरक्षक को बाध्य करने से एमएसटीसी को नहीं रोका गया। अभिरक्षक द्वारा करार भंग करने के लिए एमएसटीसी द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गयी और चूंकि कमियां सीएसपीएल द्वारा अनधिकृत लिफ्टिंग के कारण थीं जैसाकि एमएसटीसी द्वारा बताया गया, इसलिए यह बीमा कवरेज का लाभ उठाने में भी असमर्थ था।
- चूंकि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) ने कम्पनी को प्रतिभूति रहित परिचालन लेनदार के रूप में स्वीकार किया था, इसलिए वसूली की संभावना कम थी और कम्पनी ने वर्ष 2018-19 की लेखा पुस्तकों में सीएसपीएल के पूरे बकाया देयों के लिए प्रावधान भी किया था।

- यद्यपि कम्पनी ने जुलाई 2017 से अक्टूबर 2017 तक की अवधि के दौरान सीएसपीएल के प्रमोटरों से ₹210.73 करोड़ के मूल्य की वैयक्तिक गारंटियां ली थीं, यह सीएसपीएल द्वारा भुगतान की किसी चूक की स्थिति में 15 दिनों के अंदर उसको मांगने में विफल रही। अन्ततः एमएसटीसी ने जुलाई 2018 में अर्थात् सीएसपीएल के एनसीएलटी को संदर्भित (नवम्बर 2017) किए जाने के आठ माह बाद उसको मंगाया। चूँकि वैयक्तिक गारंटियों का भुगतान नहीं किया गया था, एमएसटीसी ने एक सिविल मुकदमा (मार्च 2020) दायर किया।
- कम्पनी निगमित गारंटी मांगने का भी लाभ नहीं उठा सकी क्योंकि सीएसपीएल को एनसीएलटी को संदर्भित किया गया था।

इस प्रकार फेसिलिटेटर मोड़ के तहत सीएसपीएल को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रति कम्पनी के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप ₹220.84 करोड़ की प्राप्य राशि की उगाही नहीं हुई।

प्रबन्धन/ मंत्रालय ने अपने उत्तरों में बताया (सितम्बर 2019/ मार्च 2020) कि कम्पनी ने गिरवी रखी गयी सामग्री को चुकाने और इसके बकाया देयों की वसूली करने के विचार से क्रेडिट सीमा अनावृत्ति को बढ़ाकर समय-समय पर सीएसपीएल का वित्तपोषण करना जारी रखा और इसमें आगे बताया कि सीएसपीएल का अनियमित भुगतान पैटर्न मुख्यतया खराब बाजार स्थितियों के कारण था। उन्होंने यह भी बताया कि एनसीएलटी ने एमएसटीसी को प्रतिभूत लेनदार के रूप में रूल किया था (अक्टूबर 2019)।

प्रबन्धन/ मंत्रालय के उत्तर मान्य नहीं थे क्योंकि सीएसपीएल की खराब वित्तीय स्थिति के बारे में कम्पनी को अच्छी तरह से पता था जैसाकि खराब वित्तीय, पैरामीटरों और न केवल सीएआरई द्वारा दी गयी क्रेडिट रेटिंग में दर्शाया गया बल्कि संविदा करने से पहले ही कम्पनी की स्वयं की जोखिम प्रबंधन नीति के अनुसार भी दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त गिरवी रखी गयी सामग्री की अनियमित लिफ्टिंग और बकाया देयों का इकट्ठा होना, जैसाकि जनवरी 2014 में एक अग्रणी बैंक द्वारा भी प्रतिकूल रिपोर्ट दी गयी, सतत रैड फ्लैग थे परन्तु उन संकेतों की भी अवहेलना की गयी और क्रेडिट सीमा अनावृत्ति में निरंतर वृद्धि करके सीएसपीएल को अनुचित लाभ प्रदान किए गए। बकाया देयों को निर्मुक्त करने के लिए गिरवी रखी गयी सामग्री का परिसमापन करने के लिए क्रेडिट सीमा अनावृत्ति में वृद्धि करने के लिए मंत्रालय/प्रबन्धन द्वारा बताए गए कारण के संबंध में यह पाया गया कि खराब बाजार स्थितियों के बारे में ऐसा कोई कारण या चिंता क्रेडिट अनावृत्ति में वृद्धि करने

के समय अभिलेखों में प्रलेखित नहीं पाया गया। इसके अतिरिक्त प्रतिभूत लेनदार के रूप में एमएसटीसी के लिए एनसीएलटी की रूलिंग को परिसमापक द्वारा चुनौती दी गयी थी और प्रतिभूति रहित परिचालनात्मक लेनदारों (दिसम्बर 2019) की एनसीएलटी सूची में होने के नाते एमएसटीसी की वर्तमान स्थिति के साथ यह न्यायाधीन है।

इस प्रकार, फेसिलिटेटर मोड के तहत सीएसपीएल को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रति कम्पनी के अविवेकपूर्ण निर्णय के परिणामस्वरूप ₹220.84 करोड़ की प्राप्य राशि की उगाही नहीं हुई (₹104 करोड़ के ब्याज को छोड़कर और प्रतिभूति जमा का समायोजन करने के बाद)।

### सिफारिश संख्या 9

कम्पनी को उत्तरदायित्व नियत करने के लिए कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर लिमिटेड के साथ कारोबार प्रस्ताव में निर्णय करने में चूकों का विश्लेषण करना चाहिए और इसकी आवृत्ति को रोकने के लिए उपयुक्त उपाय करने चाहिए।

### एनएमडीसी लिमिटेड

#### 7.2 बेनीफिसिएशन और पेलेटाइजेशन प्लांटों के परिचालन और रखरखाव के प्रति परिहार्य अतिरिक्त व्यय

संयंत्रों की स्थिति और परिचालनों के वास्तविक स्तर पर विचार किए बिना एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा नामांकन आधार पर डोनीमलाई में बेनीफिसिएशन और पेलेटाइजेशन प्लांटों की परिचालन और रखरखाव संविदा के विस्तार के परिणामस्वरूप ₹36.65 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

एनएमडीसी लिमिटेड (कम्पनी) ने नामांकन आधार पर मैसर्स केआईओसीएल लिमिटेड<sup>3</sup> (केआईओसीएल) को एक संविदा प्रदान की (जनवरी 2015) जो डोनीमलाई, कर्नाटक में इसके 1.89 मिलियन टन प्रतिवर्ष बेनिफिसिएशन<sup>4</sup> और 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष पेलेटाइजेशन<sup>5</sup> प्लांट के लिए परिचालन और रखरखाव (ओएंडएम) सेवाएं प्रदान करने के लिए थी। ओएंडएम संविदा की शर्तों के अनुसार, तीन वर्षों के लिए ओएंडएम सेवाएं प्रदान

<sup>3</sup> पूर्व में कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली

<sup>4</sup> स्लिम को उच्च ग्रेड ओर में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को बेनिफिसिएशन कहा जाता है।

<sup>5</sup> बेनिफिसिएटिड ओर को बॉल/पेलेट्स में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को पेलेटाइजेशन कहा जाता है।



करने के अलावा, केआईओसीएल को दोनों संयंत्रों के चालू होने से पूर्व (परीक्षण/आनंतिम स्वीकृति जांच) और एकीकृत चालू करने में भी सहायता प्रदान करनी थी। बेनिफिसिएशन प्लांट और पेलेटाइजेशन प्लांट दोनों का भार परीक्षण जून/जुलाई 2015 में किया गया और एनएमडीसी और केआईओसीएल के बीच यह परस्पर सहमति हुई कि ओएंडएम सेवाओं के लिए प्रारंभ करने की तारीख 1 अगस्त 2015 मानी जाए। यह संविदा ₹81.93 करोड़<sup>6</sup> के मूल्य और करों पर दी गयी। दोनों संयंत्रों को जून 2017 में एकीकृत चालू किया गया।

जुलाई 2018 में ओएंडएम संविदा के समाप्त होने पर कम्पनी ने दो बार में 1 वर्ष और 3 महीने के लिए इस ओएंडएम संविदा को बढ़ा दिया। पहला विस्तार एक वर्ष अर्थात् 1 अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2019 तक (₹45.38 करोड़ और जीएसटी के लिए) के लिए दिसम्बर 2018 में दिया गया था। संविदा को तीन महीने अर्थात् 1 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक (₹11.34 करोड़ और जीएसटी के लिए) के लिए अगस्त 2019 में दूसरी बार आगे बढ़ाया गया था। इसके बाद ओएंडएम कार्य 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2020 तक एक वर्ष की अवधि के लिए खुली निविदा पूछताछ के माध्यम से दिया गया था (अक्टूबर 2019) जो सबसे निम्नतम बोलीदाता को बेनिफिसिएशन प्लांट और पेलेटाइजेशन प्लांट के संबंध में क्रमशः ₹5.75 करोड़ और ₹7.53 करोड़ और जीएसटी के लिए था। इन आउटसोर्स की गयी संविदाओं को उन्ही शर्तों पर दो महीने (नवम्बर और दिसम्बर 2020) के लिए बढ़ाया गया था। बाद में खुली निविदा पूछताछ के बाद एक वर्ष के लिए संविदा उन्हीं संविदाकारों को क्रमशः ₹6.36 करोड़ और ₹8.31 करोड़ और जीएसटी पर दी गयी।

अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित का पता चला:

i) 2015 में नामांकन आधार पर प्रारम्भ में केआईओसीएल को ओएंडएम सेवाओं के लिए संविदा दी गयी। बेनिफिसिएशन प्लांट को लगातार कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जैसे प्रेशर फिल्टर की विफलता और सांद्र उत्पादित करने के लिए स्लाइम की अनुपलब्धता। एकीकृत पेलेट प्लांट में ओएंडएम संविदा अवधि (अगस्त 2015 से जुलाई 2018) के 36 महीने में से 29 महीने के दौरान किसी भी पेलेट का उत्पादन नहीं हुआ था और शेष

<sup>6</sup> अवार्ड के मूल्य में शामिल था चालू होने से पूर्व सेवाओं के लिए प्रभार (₹0.30 करोड़); चालू होने की सेवाएं (₹1.62 करोड़); ओएंडएम के पहले वर्ष के दौरान सेवाएं (₹29.50 करोड़), ओएंडएम के दूसरे वर्ष के दौरान सेवाएं (₹26.94 करोड़); ओएंडएम के तीसरे वर्ष के दौरान सेवाएं (₹23.57 करोड़)। किया गया व्यय वास्तविक करों को छोड़कर ₹72.95 करोड़ था।

सात महीने के दौरान, पेलेट का उत्पादन निर्धारित क्षमता (1 लाख टन प्रतिमाह) के 0.56 और 29.70 प्रतिशत के बीच था। तथापि, मशीनरी की खराबी और कच्ची सामग्री की अनुपलब्धता के कारण परिचालन के वास्तविक स्तर के निम्नतम रहने के बावजूद, कम्पनी ने कुल 15 महीने की अवधि (1 अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2019 तक एक वर्ष के लिए दिसम्बर 2018 में और 1 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक तीन महीने की अवधि के लिए अगस्त 2019 में) के लिए दो बार नामांकन आधार पर केआईसीएल के साथ ओएंडएम संविदा को विस्तारित किया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि ये दोनों विस्तार उन्ही शर्तों पर ₹56.72 करोड़<sup>7</sup> और जीएसटी की लागत पर दिए गए थे जो कि जनवरी 2015 की संविदा में दी गयी थीं, जो परिचालन के वास्तविक स्तर को ध्यान में रखे बिना संविदा प्रदान करने को दर्शाता है।

ii) जनवरी 2015 में हस्ताक्षरित निविदा में केआईओसीएल द्वारा 53 कार्यकारी और 124 गैर-कार्यकारी की तैनाती की परिकल्पना की गयी थी जो ओएंडएम निविदा के पहले वर्ष के अन्तर्गत प्रदान की जा रही सेवाओं के लिए थे। संविदा में प्रगामी रूप से एनएमडीसी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने और उनके समावेशन की भी परिकल्पना की गयी थी ताकि आवश्यक विशेषज्ञता प्राप्त होने के बाद पूर्ण परिचालन और रखरखाव कार्यकलाप किए जा सकें। तथापि चूँकि कम्पनी द्वारा श्रमबल का समावेशन न करने के कारण यथा परिकल्पित प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा सका, केआईओसीएल ने ओएंडएम निविदा के दूसरे और तीसरे वर्ष के दौरान भी निविदा की शर्तों के अनुसार श्रमबल की तैनाती की। इससे निविदा को विस्तार प्रदान करने और कार्यों की आउटसोर्सिंग पर निर्भरता की आवश्यकता अनुभव हुई।

iii) तदनन्तर कम्पनी ने चालू उत्पादन स्तरों का विश्लेषण किया और खुली निविदा पूछताछ के माध्यम से ओएंडएम कार्यों को आउटसोर्स किया और 1 नवम्बर 2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए मात्र ₹13.28 करोड़ और जीएसटी के कुल मूल्य के लिए मैसर्ज श्री साईप्रिया एन्टरप्राइसेस, होसपेट (₹5.75 करोड़ - बेनिफिसिएशन प्लांट के लिए ओएंडएम संविदा) और मैसर्ज विशाल एन्टरप्राइसेस, होसपेट (₹7.53 करोड़ - पेलेटाइजेशन प्लांट के लिए ओएंडएम संविदा) को यह कार्य दिया गया (अक्टूबर 2019)।

---

<sup>7</sup> 1 अगस्त 2018 से 31 जुलाई 2019 तक की अवधि के लिए ₹45.38 करोड़ और 1 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक की अवधि के लिए ₹11.34 करोड़।

यदि कम्पनी ने समय पर यह उचित सावधानी बरती होती और 1 अगस्त 2018 के बाद अर्थात् केआईसीएल के साथ ओएंडएम संविदा की तीन वर्ष की अवधि के समाप्त होने के तत्काल बाद प्रतिस्पर्धी बोली के बाद कार्यों की आउटसोर्सिंग की होती, तो 1 अगस्त 2018 से 31 अक्टूबर 2019 के दौरान कम्पनी को ₹36.65 करोड़<sup>8</sup> की बचत हो सकती थी।

इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कि एनएमडीसी द्वारा श्रमबल का समावेशन न करने के कारण केआईओसीएल द्वारा तैनात किया गया श्रमबल जारी रहा, प्रबन्धन (अगस्त 2020) और मंत्रालय (दिसम्बर 2020) ने बताया कि:

i) ओएंडएम संविदा केआईओसीएल को प्रदान की गयी थी चूँकि वे भारत में पेलेट प्लांट परिचालन में अग्रणी थे और ऐसे बेनिफिसिएशन और पेलेट प्लांटों में ओएंडएम करने में उनकी विशेषज्ञता थी। निपुण और अनुभवी श्रमबल सामान्यतया “कभी-कभी” आधार/अस्थायी आवश्यकता आधार पर उपलब्ध नहीं होता और इस प्रकार पेलेट प्लांट जैसे किसी संसाधान संयंत्र के परिचालन के लिए, विशेषरूप से निपुण श्रमबल की आवश्यकता होती है और इसलिए उन्हें सतत आधार पर तैनात किया जाना होता है जो केआईओसीएल द्वारा उपलब्ध कराया गया।

ii) चूँकि आउटसोर्सिंग द्वारा संयंत्र के प्रचालन के लिए ओएंडएम संविदा अद्वितीय थी और एनएमडीसी में ऐसा पहली बार किया जा रहा था, विविध समीक्षाएं की गयीं/मत लिए गए और निविदा देने से पूर्व पूरी उचित सावधानी और सतर्कता बरती गयी ताकि निविदा देने में सफलता प्राप्त हो। निविदा देने और प्रतिस्पर्धी बोलियां आमंत्रित करने, स्पष्टीकरण मांगने आदि में लगभग तीन महीने का समय लगा और तदनुसार केआईओसीएल के साथ संविदा अवधि को मात्र तीन महीने के लिए अर्थात् 1 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक बढ़ाया गया ताकि पेलेटाइजेशन और बेनिफिसिएशन प्लांट की अलग ओएंडएम संविदा को अंतिम रूप दिया जा सके। इस प्रकार अन्य नौ महीने के लिए केआईओसीएल संविदा विस्तारित न करके कम्पनी ने ₹40.16 करोड़ (₹4.46 करोड़<sup>9</sup> x 9) की बचत की।

<sup>8</sup> केआईओसीएल को किए गए 15 महीने के लिए वास्तविक भुगतान (₹53.41 करोड़) और उन दरों के बीच अन्तर जिसपर अगले 15 महीने (₹16.76 करोड़) के लिए मैसर्ज श्री साईप्रिया एन्टरप्राइजेज और मैसर्ज विशाल एन्टरप्राइजेज को संविदा दी गयी।

<sup>9</sup> यह आंकड़े 3 महीने की अवधि के लिए यथा 1 अगस्त 2019 से 31 अक्टूबर 2019 तक विस्तारित संविदा के लिए जीएसटी सहित कीमत के आधार पर मंत्रालय द्वारा लिए गए हैं। यह राशि ₹13.39 करोड़ थी।

प्रबन्धन/ मंत्रालय के उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के मद्देनज़र देखे जाने की आवश्यकता है:

i) 2015 में नामांकन आधार पर केआईओसीएल को संविदा देते समय एनएमडीसी द्वारा बरती जाने वाली उचित सावधानी मात्र केआईओसीएल को आउटसोर्सिंग की तुलना में एनएमडीसी द्वारा इनहाउस कार्य करने के विकल्प की तुलना करना था। किसी अन्य विकल्पों का पता नहीं लगाया गया। इसके अतिरिक्त केआईओसीएल ने जुलाई 2017 से अक्टूबर 2019 के दौरान पेलेट प्लांट, डोनीमलाई में मकैनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन्स्ट्रुमेंटेशन और रखरखाव कार्यों के लिए कुशल, अर्धकुशल और अकुशल कामगारों की आपूर्ति के लिए उन्हीं संविदाकारों, मैसर्ज श्री साईप्रिया एन्टरप्राइसेज और मैसर्ज विशाल एन्टरप्राइसेज की तैनाती की जिन्हें बाद में 1 नवम्बर 2019 से कम्पनी द्वारा खुली निविदा पूछताछ के माध्यम से सीधे कार्य सौंपे गए। इस प्रकार निपुण और अनुभवी श्रमबल की अनुपलब्धता के संबंध में तर्क सही नहीं है।

ii) केआईओसीएल के साथ ओएंडएम संविदा के खंड 15.3 के अनुसार, कम्पनी को 34 कार्मिकों का वार्षिक रूप से समावेशन करना था और उन्हें केआईओसीएल द्वारा प्रशिक्षित कराना था। इसके लिए एनएमडीसी द्वारा प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के रूप में के आईओसीएल को ₹4.69 करोड़ का भुगतान किया जाना था और इसके बदले यह देय ओएंडएम प्रभारों से ₹12.73 करोड़ की छूट प्राप्त कर सकता था। इस प्रावधान के अनुसार, तीन वर्ष के अंत तक कम्पनी के 102 कार्मिक प्रशिक्षित किए जा सकते थे। तथापि दूसरे और तीसरे वर्ष के दौरान एनएमडीसी के किसी श्रमबल का समावेशन नहीं किया गया। इसके कारण संयंत्र के परिचालन और पर्यवेक्षण के लिए निपुण श्रमबल के अभाव के आधारों पर केआईओसीएल को विस्तारित अवधि के लिए संयंत्र की ओएंडएम संविदा प्रदान की गयी और बाद में संविदा अन्य संविदाकारों को आउटसोर्स की गयी जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया।

iii) चूंकि केआईओसीएल के साथ संविदा 31 जुलाई 2018 को समाप्त हो रही थी, कम्पनी को संयंत्रों के परिचालन में क्षमता उपयोग और बाधाओं पर ध्यान देना चाहिए था और ओएंडएम खर्चों में मितव्ययिता लाने के लिए ओएंडएम संविदा के तीसरे वर्ष की समाप्ति तक पूर्व सक्रिय उपाय करने चाहिए थे। कम्पनी ने चौथे वर्ष के लिए ओएंडएम संविदा के विस्तार की मांग करते हुए अपनी टिप्पणी (नवम्बर 2018) में बताया कि परिचालनों के स्तर से सम्बद्ध प्रतिस्पर्धी दरों का लाभ उठाने के लिए पांचवे वर्ष के लिए खुली निविदा पूछताछ की जाएगी। कम्पनी ने मई 2019 में खुली निविदा पूछताछ जारी करने के लिए प्रस्ताव यह

कहते हुए प्रारंभ किया कि उस समय केआईओसीएल को दी जाने वाली ओएंडएम संविदा लागत की वसूली भी संभव नहीं थी। उसके बाद खुली निविदा पूछताछ 8 जुलाई 2019 को जारी की गयी और ओएंडएम सेवाओं की आउटसोर्सिंग के लिए संविदाएं केवल अक्टूबर 2019 में दी गईं। इस प्रकार, कम्पनी प्रतिस्पर्धी शर्तों पर पांचवे वर्ष के प्रारम्भ से (1 अगस्त 2019) भी संविदा नहीं दे सकी और केआईओसीएल के साथ ओएंडएम संविदा को जीएसटी को छोड़कर ₹11.34 करोड़ पर अन्य तीन महीने (1 अगस्त से 31 अक्टूबर 2019) के लिए विस्तारित करना पड़ा। जहां तक मंत्रालय/ प्रबन्धन के उत्तर में उल्लिखित ₹40.16 करोड़ की बचत का संबंध है, यह अन्य नौ महीने के लिए केआईओसीएल संविदा का विस्तार न करने के लिए नवम्बर 2019 से जुलाई 2020 तक निकाली गयी थी, जबकि कम्पनी को अगस्त 2018 से अक्टूबर 2019 तक की अवधि के लिए ₹36.65 करोड़ की बचत हो सकती थी, यदि इसने समय पर कार्रवाई की होती और प्रतिस्पर्धी शर्तों पर कार्य को आउटसोर्स किया होता।

इस प्रकार, परिचालनों के वास्तविक स्तर के संदर्भ के बिना ओएंडएम संविदा विस्तारित करने में कम्पनी की ओर से उचित सावधानी के अभाव के परिणामस्वरूप ₹36.65 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ।

### **7.3 खनन पट्टे के लिए पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क का दो बार भुगतान**

पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क के भुगतान से माफी के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से विशेष आश्वासन प्राप्त करने में एनएमडीसी लिमिटेड की विफलता के कारण एक वर्ष के अन्दर दो बार एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा एक बार और उसके बाद इसकी संयुक्त उद्यम कम्पनी एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा भुगतान करने से ₹48.36 करोड़ का परिहार्य व्यय।

एनएमडीसी लिमिटेड (एनएमडीसी) को बेलाडीला, छत्तीसगढ़ में डिपाज़िट 13 के लिए 631.34 हैक्टेयर भूमि के संबंध में पूर्वक्षण लाइसेंस 1991 में संस्वीकृत किया गया था। पूर्वक्षण कार्यकलाप (दिसम्बर 1991 से दिसम्बर 1993) करने के बाद, एनएमडीसी ने 1994 में खनन पट्टे के लिए आवेदन किया और 631.34 हैक्टेयर के लिए पहला आवेदक बना। खनन पट्टा क्षेत्र बाद में (जून 2005) संशोधित करके 413.745 हैक्टेयर कर दिया गया। डिपाज़िट 13 खानों का विकास करने के लिए छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ सरकार का एक राज्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम, के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर एनएमडीसी ने हस्ताक्षर किए (जुलाई 2006)। एमओयू में एनएमडीसी द्वारा

एक संयुक्त उद्यम कम्पनी के सृजन (एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड) और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम (क्रमशः 51 प्रतिशत और 49 प्रतिशत के अनुपात में इक्विटी धारिता) के लिए प्रावधान था। इसमें एनएमडीसी को प्रदान किए गए खनन पट्टे के संयुक्त उद्यम कम्पनी को अंतरण की परिकल्पना भी की गयी थी और कि आगामी आवश्यक कार्रवाई संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा की जाएगी। खनिज संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ सरकार ने डिपॉजिट 13 खानों में एनएमडीसी के समर्थन में खनन पट्टा प्रदान करने के लिए पूर्व अनुमति हेतु खान मंत्रालय, भारत सरकार से सम्पर्क किया (10 नवम्बर 2006)। प्रस्ताव में यह अतिरिक्त शर्त भी उद्घृत की गयी कि एनएमडीसी को दिया गया खनन पट्टा एनएमडीसी और छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम के बीच संयुक्त उद्यम को अंतरित किया जाएगा। संयुक्त उद्यम कम्पनी एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड जून 2008 में बनाई गई।

इसी बीच एनएमडीसी ने सांविधिक अनुमोदन ओर अनुमति के लिए आवेदन किया (जनवरी 2003) जिसमें विलम्ब हुआ<sup>10</sup>। चरण II का वन अनुमोदन अंत में 9 जनवरी 2017 को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (एमओईएफएंडसीसी) द्वारा प्रदान किया गया और उसके बाद जनवरी 2017 में पंजीकरण प्रभारों (₹18.44 करोड़) और स्टाम्प शुल्क (₹25.82 करोड़) के प्रति ₹44.26 करोड़ का भुगतान करके एनएमडीसी ने अपने पक्ष में खनन पट्टा पंजीकृत कराया। दिसम्बर 2017 में मात्र 10 महीने की अवधि के बाद, यह खनन पट्टा एमओयू की शर्तों के अनुसार संयुक्त उद्यम कम्पनी एनएमडीसी-सीएमडीसी के नाम में अंतरित किया गया और पंजीकरण प्रभारों (₹21.79 करोड़) और स्टाम्प शुल्क (₹30.51 करोड़) के प्रति ₹52.30 करोड़ का भुगतान किया गया।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में निम्नलिखित नोट किया गया:

- i) एनएमडीसी ने दो बार किए गए भुगतान के कारण परिहार्य व्यय किया जो उसी खनन क्षेत्र को पहले इसके अपने नाम में पंजीकरण के लिए और तब बाद में मात्र 10 महीने के अंतराल (जनवरी 2017 और दिसम्बर 2017) के बाद संयुक्त उद्यम कम्पनी को इसे अंतरित करने के लिए था।
- ii) एनएमडीसी उस खनन पट्टे के लिए दो बार व्यय करने पर सहमत होते हुए अपने वित्तीय हितों की रक्षा करने में विफल रहा जिसको अंत में इसकी संयुक्त उद्यम कम्पनी

<sup>10</sup> सीएंडएजी की रिपोर्ट 2019 की संख्या 5 के पैरा 3.3 में उल्लेख किया गया।

को अंतरित किया गया। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने उसी खनन क्षेत्र के लिए दो बार पंजीकरण के प्रभारों और स्टाम्प शुल्क का संग्रहण किया जबकि छत्तीसगढ़ खनिज विकास निगम लिमिटेड छत्तीसगढ़ सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम था और संयुक्त उद्यम कम्पनी में इसकी 49 प्रतिशत शेयरधारिता थी।

iii) ऐसे एक संव्यवहार पर सहमत होने से पहले एनएमडीसी दो बार पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क, एक बार एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा और बाद में इसकी संयुक्त उद्यम कम्पनी एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा, के भुगतान से माफी के संबंध में छत्तीसगढ़ सरकार से विशेष आश्वासन प्राप्त कर सकता था।

iv) यह शेयरधारकों एवं संयुक्त उद्यम करार जिसमें संयुक्त उद्यम को दोनों पार्टियों की बाध्यता शामिल थी, में पंजीकरण और स्टाम्प शुल्क के दो बार भुगतान से सुरक्षा प्रदान करने वाले विशेष खंड को शामिल करने को सुनिश्चित कर सकता था।

ऐसा आश्वासन प्राप्त करने की कम्पनी की विफलता के परिणामस्वरूप उसी खान (डिपॉजिट 13) के पंजीकरण के लिए पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क का दो बार भुगतान हुआ, पहली बार एनएमडीसी द्वारा और तब दूसरी बार संयुक्त उद्यम कम्पनी एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड द्वारा। एनएमडीसी ने ₹48.36 करोड़ (₹44.26 करोड़ का 49 प्रतिशत और ₹52.30 करोड़ का 51 प्रतिशत) की सीमा तक परिहार्य व्यय यह परिकल्पना करते हुए किया कि संयुक्त उद्यम कम्पनी को स्वयं ही पहली बार पंजीकरण प्रभार और स्टाम्प शुल्क वहन करना चाहिए था।

प्रबन्धन ने बताया (अगस्त 2021 और सितम्बर 2021) कि शेयरधारकों का करार एनएमडीसी और सीएमडीसी के बीच है और राज्य सरकार करार के लिए एक पार्टी नहीं थी। इसलिए न तो एनएमडीसी और न ही सीएमडीसी राज्य सरकार की ओर से ऐसी कोई वचन बद्धता करने की स्थिति में थे। यह भी बताया गया कि एनएमडीसी-सीएमडीसी ने राशि के समायोजन/प्रतिदाय के लिए छत्तीसगढ़ सरकार के साथ मामला उठाया था।

प्रबन्धन के उत्तर पर इस तथ्य के मद्देनज़र विचार किया जाना है कि सीएमडीसी राज्य सरकार का एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है और इसके बोर्ड में सदस्यों के रूप में छत्तीसगढ़ सरकार के वित्त विभाग और मानव संसाधन विभाग के सचिव और राज्य सरकार के अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं। इसके अलावा, इस संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा प्राप्त किए गए एक

विशेष स्पष्टीकरण में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा बताया गया (जून 2021) कि दूसरी बार प्रदत्त स्टाम्प शुल्क प्रतिदाय योग्य नहीं था।

इस प्रकार, शेयरधारकों एवं संयुक्त उद्यम करार में पंजीकरण प्रभारों और स्टाम्प शुल्क की माफी के संबंध में सीएमडीसी के माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार से एक विशेष आश्वासन को शामिल करने की एनएमडीसी की विफलता के परिणामस्वरूप एनएमडीसी पर ₹48.36 करोड़ का अतिरिक्त भार पड़ा।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ अगस्त 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

### राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड

#### 7.4 निर्णय लेने में विलम्ब के कारण परिहार्य व्यय

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड द्वारा बेंगा थर्मल कोल की अधिप्राप्ति के लिए दीर्घकालिक करार को अंतिम रूप देने और हस्ताक्षर करने में अत्यधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप ₹12.39 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल) विद्युत के उत्पादन के लिए अपने आंतरिक विद्युत संयंत्र में बॉयलर कोयले की खपत करता है। बॉयलर कोयले की आपूर्ति के लिए महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) के साथ आरआईएनएल का एक ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) है। चूँकि एमसीएल से प्राप्त बॉयलर कोयले की आपूर्तियां निम्न केलोरिफिक मान के साथ खराब गुणवत्ता की थी, आरआईएनएल को इष्टतम स्तरों पर विद्युत का उत्पादन करने के लिए उच्च केलोरिफिक मान के बॉयलर कोयले के साथ बलेंड करना पड़ता है।

आरआईएनएल ने मैसर्ज मिनास डी बेंगा लिमिटाडा, मोज़ामबीक (एमबीएल), इंटरनेशनल कोल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल)<sup>11</sup> की एक सहायक कम्पनी से बेंगा थर्मल कोल की अधिप्राप्ति की (अगस्त 2017) और परीक्षण आधार पर अपने आंतरिक विद्युत संयंत्र में इसकी खपत की (सितम्बर 2017)। चूँकि परीक्षण सफल रहा, आरआईएनएल ने बेंगा

<sup>11</sup> आयातित कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य के साथ प्रोमोटर कम्पनियों के रूप में स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड और एनटीपीसी लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्यम कम्पनी के रूप में आईसीवीएल स्थापित की गयी थी।



थर्मल कोल के तीन लदानों की खरीद करने और मैसर्ज एमबीएल के साथ एक दीर्घकालिक करार (एलटीए) करने का प्रस्ताव किया (सितम्बर 2017)। मैसर्ज एमबीएल बेंगा थर्मल कोल के तीन लदानों की आपूर्ति करने पर सहमत हुआ (अक्टूबर 2017) यूएसडी 27.35 प्रति मीट्रिक टन (पीएमटी) का उसमें बढ़ा दिया।

आरआईएनएल ने दिसम्बर 2017 और जनवरी 2018 में लदानों की आपूर्ति के लिए मैसर्ज एमबीएल से अनुरोध किया (16 नवम्बर 2017)। आरआईएनएल द्वारा वार्ता करने पर, मैसर्ज एमबीएल द्वारा कीमत निर्धारण तंत्र को संशोधित किया गया (22 नवम्बर 2017) जो आधार कीमत<sup>12</sup> पर यूएसडी 27.35 पीएमटी से संशोधित करके यूएसडी 24.73 पीएमटी के प्रस्तावित बड़े के साथ था और यूएसडी 6 पीएमटी का अतिरिक्त बड़ा पोतपर्यंत निःशुल्क कीमत<sup>13</sup> पर दिया गया। बड़े का निम्नगामी संशोधन मैसर्ज एमबीएल द्वारा प्राप्त दिसम्बर 2017 की उनकी विश्वव्यापी निविदा में अन्य प्रतिस्पर्धी बोली के अनुसार था। आरआईएनएल ने 33,000 एमटी प्रत्येक लदान के बेंगा थर्मल कोल के दो लदानों की आपूर्ति के लिए मैसर्ज एमबीएल को एक आर्डर दिया (14 दिसम्बर 2017) जो आधार कीमत पर यूएसडी 24.73 पीएमटी के बड़े और पोतपर्यंत निःशुल्क कीमत पर यूएसडी 6 पीएमटी के अतिरिक्त बड़े के साथ था। पहला लदान 01-06 दिसम्बर 2017 के लेकेन<sup>14</sup> में प्राप्त हुआ था। दूसरे लदान के लिए, मैसर्ज एमबीएल ने आरआईएनएल को सूचित किया (12 दिसम्बर 2017) कि कीमत निर्धारण तंत्र वही नहीं रहेगा चूँकि यूएसडी 6 पीएमटी का अतिरिक्त भाड़ा बड़ा संभव नहीं होगा। आरआईएनएल ने जनवरी के लदान के लिए भी यूएसडी 6 पीएमटी के भाड़ा बड़े को जारी रखने का अनुरोध किया। मैसर्ज एमबीएल ने उत्तर दिया (23 दिसम्बर 2017) कि यूएसडी 60 प्रतिटन की निम्न कैप के साथ यूएसडी 6 पीएमटी का बड़ा स्वीकार किया जा सकता था यदि आरआईएनएल एक वर्ष की अवधि के लिए एक लदान प्रतिमाह पर एलटीए के लिए सहमत हो।

आगामी पुष्टि की मांग करने पर मैसर्ज एमबीएल यूएसडी 6 पीएमटी के अतिरिक्त बड़े को जारी रखने और यूएसडी 60 पीएमटी की निम्नतम कैप को समाप्त करने पर भी

<sup>12</sup> आधार कीमत एपीआई#4कीमत है (आर्गस/मकलोसकि की कोल प्राईस इंडेक्स रिपोर्ट के अनुसार) जो लदान बिल के जारी किए जाने के सप्ताह से तत्काल पूर्व दो सप्ताह की कीमत का औसत होगा।

<sup>13</sup> पोतपर्यंत निःशुल्क कीमत = (आधार कीमत पीएमटी - अमरीकी डालर 24.73पीएमटी) x (प्राप्त के रूप में निवल पर (एनएआर) वास्तविक केलोटीफिक मूल्य आधार/5500)।

<sup>14</sup> लेकेन निर्दिष्ट दिनों की वह अवधि होती है जिसके दौरान मालिक को लदान के लिए पोत प्रस्तुत करना होगा।

आरआईएनएल के प्रस्ताव पर सहमत हुआ (26 दिसम्बर 2017) बशर्ते कि लदानों को एलटीए के एक भाग के रूप में माना जाए और प्रस्तावित कीमत निर्धारण शर्तों को अनन्तिम माना जाए जिन्हें अंत में एलटीए के निबंधन और शर्तों के अनुसार समायोजित किया जाएगा। इस पर आरआईएनएल द्वारा सिद्धांत रूप में सहमति हुई और मैसर्ज एमबीएल को सूचित किया गया (27 दिसम्बर 2017) कि ड्राफ्ट शर्तें आंतरिक अनुमोदन लेने के पश्चात् अग्रेषित की जाएंगी। तदनुसार आरआईएनएल ने निबंधन और शर्तों के अंतिम रूप देने के लम्बित रहते एलटीए के भाग के रूप में जनवरी 2018 से बेंगा थर्मल कोल की आपूर्ति के लिए मैसर्ज एमबीएल को एक आर्डर दिया (13 जनवरी 2018)।

मैसर्ज एमबीएल के साथ बातचीत करने और एलटीए के लिए विस्तृत निबंधन और शर्तों की सिफारिश करने के लिए आरआईएनएल ने एक समिति गठित की (2 मार्च 2018)। समिति ने जून 2018 में एलटीए की ड्राफ्ट निबंधन और शर्तें तैयार की। इसी बीच, मैसर्ज एमबीएल ने बड़ा यूएसडी 24.73 पीएमटी से कम करके (14 मई 2018) अमरीकी डालर 22.74 पीएमटी कर दिया और पोतपर्यंत निःशुल्क कीमत पर अतिरिक्त बड़ा भी यूएसडी 6 पीएमटी से कम करके (31 मई 2018) यूएसडी 3 पीएमटी कर दिया गया जिसमें उद्घृत किया गया कि कार्गो का कीमत निर्धारण इस विचार से अनन्तिम रूप से किया गया था कि आरआईएनएल एक एलटीए करेगा जो अब तक नहीं हुआ था। बाद में, आरआईएनएल के एकमात्र विवेकाधिकार पर 31 मार्च 2023 तक दो से अधिक वर्षों तक करार की अवधि को विस्तारित करने के विकल्प के साथ जनवरी 2018 से मार्च 2021 तक की अवधि के लिए 25 सितम्बर 2018, 14 नवम्बर 2018 और 13 अगस्त 2019 को वार्ता करने के बाद मैसर्ज एमबीएल के साथ एक एलटीए को आरआईएनएल ने अंतिम रूप दिया (31 जनवरी 2020)। 12 अगस्त 2019 तक लदानों के लिए इस एलटीए के अन्तर्गत सहमति हुए कीमत निर्धारण तंत्र के अनुसार अनन्तिम कीमत को अंतिम कीमत के रूप में माना गया और आगामी लदानों के लिए मैसर्ज एमबीएल ने 31 मार्च 2020 तक लदानों के लिए प्रकाशित बाजार कीमत (पीएमपी)<sup>15</sup> पर 23 प्रतिशत का बड़ा और पोतपर्यंत निःशुल्क कीमत पर यूएसडी 6 पीएमटी का अतिरिक्त बड़ा दिया। आरआईएनएल ने जनवरी 2018 से दिसम्बर 2019 के दौरान 7,22,048 एमटी बेंगा थर्मल कोल का आयात किया।

<sup>15</sup> प्रकाशित बाजार कीमत (पीएमपी) का अर्थ है अमरीकी \$प्रति मीट्रिकटन में दो सप्ताह का एपीआई#4इंडेक्स कीमत का औसत, जो लदान बिल जारी करने सप्ताह से तत्काल पूर्व हो। सोमवार को सप्ताह के पहले दिन के रूप में गिना जाएगा। एपीआई#4 इंडेक्स का अर्थ है आर्गस/ मकलोसकि की कोल प्राईस इंडेक्स रिपोर्ट।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से पता चला कि आरआईएनएल ने आयातित बॉयलर कोयले की आपूर्ति जारी रखने और सुनिश्चित करने तथा मैसर्ज आईसीवीएल के साथ दीर्घकालिक तालमेल रखने की आवश्यकता की परिकल्पना सितम्बर 2017 में ही की थी। मैसर्ज एमबीएल ने दूसरे लदान के लिए आधार कीमत पर यूएसडी 24.73 पीएमटी का बढ़ा और पोतपर्यन्त निःशुल्क कीमत पर यूएसडी 6 पीएमटी का अतिरिक्त बढ़ा जारी रखने का प्रस्ताव किया (26 दिसम्बर 2017) बशर्ते कि लदान को एलटीए (एक वर्ष की अवधि के लिए प्रतिमाह एक लदान) के भाग के रूप में माना जाए। इस पर आरआईएन द्वारा सिद्धांत रूप में सहमति दी गयी और दिनांक 27 दिसम्बर 2017 को मेल द्वारा इसे मैसर्ज एमबीएल को सूचित किया गया।

तथापि, जबकि प्रबन्ध समिति (सीओएम)<sup>16</sup> ने मैसर्ज एमबीएल के साथ एलटीए करने के लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन दिया (13 जनवरी 2018) एलटीए की शर्तों पर वार्ता करने और सिफारिश करने के लिए समिति केवल 2 मार्च 2018 को गठित की गयी थी। इसके अतिरिक्त गठित समिति उचित समय के अंदर शर्तों को अंतिम रूप नहीं दे सकी और एलटीए को 31 जनवरी 2020 को अंतिम रूप दिया गया अर्थात् जो उसके लिए सिद्धांत रूप में अनुमोदन प्रदान करने के दो वर्ष से भी अधिक बाद में था। इसके परिणामस्वरूप मैसर्ज एमबीएल ने मई 2018 में बढ़े में कमी की। परिणामतः, मई 2018 के बाद आरआईएनएल ने ₹186.04 करोड़ की लागत पर अधिप्राप्त नौ लदानों के लिए परित्यक्त बढ़े के प्रति ₹12.39 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

नवम्बर 2020 में प्रबन्धन और मार्च 2021 में मंत्रालय ने बताया कि भिन्न विभागों के सदस्यों वाली एक प्रति-कार्यात्मक समिति एलटीए के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने के लिए गठित की गयी थी और कई बार चर्चा के बाद और कुछ निबंधन और शर्तों पर आपसी सहमति होने के बाद एलटीए की शर्तों को अंतिम रूप दिया गया जिसमें विशेष रूप से अंतिम कीमत निर्धारण तंत्र, भुगतान की शर्तों, रिबेट/ ह्रास खंड में कुछ समय लगा। अनंतिम कीमत की परिकल्पना केवल करार के प्रचालन की प्रचालनात्मक सुविधा और सामग्री की सुपर्दगी लेने के लिए थी और एलटीए के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप देने में लिए गए समय के कारण अनंतिम कीमत में अंतर को परिहार्य अतिरिक्त व्यय के रूप

<sup>16</sup> प्रबंधन समिति निदेशक बोर्ड द्वारा गठित एक शक्ति प्राप्त समिति होती है। इस समिति में सभी कार्यकारी निदेशक इसके सदस्य होते हैं और इसकी अध्यक्षता अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा की जाती है।

में मानना उचित नहीं होगा। उत्तर में यह भी बताया गया कि जबकि मैसर्ज एमबीएल एक वर्ष की अवधि के लिए एक लदान प्रतिमाह के रूप में एलटीए को संदर्भित कर रहा था, आरआईएनएल की आवश्यकता यह थी कि वह पांच वर्ष की अवधि के लिए दीर्घावधि आधार पर एक करार करे और आपसी सहमति के साथ आगामी नवीकरण करें।

प्रबंधन/ मंत्रालय के उत्तर को निम्नलिखित तथ्यों के मद्देनजर देखे जाने की आवश्यकता है:

- आंतरिक विद्युत संयंत्र के परिचालन के लिए बेंगा थर्मल कोल के दीर्घावधि करार की आवश्यकता पर सितम्बर 2017 से आरआईएनएल में चर्चा की जा रही थी। यह तथ्य भी नवम्बर 2017 से आरआईएनएल को स्पष्ट था कि मैसर्ज एमबीएल द्वारा प्रस्तावित कीमतों में उनकी विश्वव्यापी निविदाओं के आधार पर उतार-चढ़ाव आता रहेगा। मैसर्ज एमबीएल ने दिसम्बर 2017 के अपने पत्राचार में भी यह स्पष्ट किया था कि वे यूएसडी 6 पीएमटी की भाड़ा छूट के साथ जारी रखने में केवल तभी समर्थ होंगे यदि इन लदानों को एलटीए का एक भाग बनाया जाता है। इसके बावजूद आरआईएनएल उचित समय के अन्दर एलटीए की शर्तों को अंतिम रूप देने में विफल रहा और एलटीए को अंतिम रूप देने और इस पर हस्ताक्षर करने में इसे 748 दिन लगे।

- बड़े में कमी करते समय, मैसर्ज एमबीएल ने श्रेणीबद्ध रूप से उल्लेख किया (14 मई 2018) कि पहले वाली कार्गो इस सूझबूझ के साथ अनंतिम कीमत पर आधारित थे कि आरआईएनएल एक एलटीए करेगा जिसे मूर्तरूप प्रदान नहीं किया गया और इसलिए वे यूएसडी 6 पीएमटी का अतिरिक्त बड़ा और अधिक प्रदान नहीं कर सकते।

- नवम्बर 2018 में थर्मल कोल की वैसी ही बिक्री के लिए मैसर्ज एमबीएल द्वारा जारी विश्वव्यापी निविदा की शर्तों के अनुसार, उद्घृत बड़ा करार के निष्पादन के दौरान स्थिर रहना था। तदनुसार कम्पनी प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए एलटीए को अंतिम रूप देने और समझौता की गयी आंतरायिक अवधि में एक दीर्घकालिक एलटीए के विकल्प पर विचार कर सकती थी।

- भले ही आरआईएनएल का आशय पांच वर्ष या अधिक के लिए एलटीए करने का था, शर्तों को अंतिम रूप देने में दो वर्षों से अधिक का समय लेना उचित नहीं है।

इस प्रकार, मैसर्ज एमबीएल के साथ एलटीए की शर्तों को अंतिम रूप देने में अत्यधिक विलम्ब के परिणामस्वरूप आरआईएनएल ने परित्यक्त बड़े के प्रति ₹12.39 करोड़ (6.65 प्रतिशत) की सीमा तक अतिरिक्त व्यय किया।

## स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

### 7.5 चिकित्सा दावों के अस्वीकरण के कारण हानि

आवश्यक दस्तावेजों/ सूचना के प्रस्तुत न करने के कारण 2017-18 से 2019-20 के दौरान बीमा कम्पनियों द्वारा सेल मेडिकलेम स्कीम के अन्तर्गत दावों के अस्वीकरण के कारण ₹22.30 करोड़ की हानि।

स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल/ कम्पनी) एक मेडिकलेम स्कीम का प्रचालन कर रहा है जिसके द्वारा कम्पनी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के परिवारों को चिकित्सा लाभ प्रदान किए जाते हैं। स्कीम में निर्धारित सीमाओं<sup>17</sup> के अन्दर अस्पताल में भर्ती करने और बाह्यरोगी विभाग (ओपीडी) के खर्चों की प्रतिपूर्ति कवर की जाती है। स्कीम का प्रचालन एक बीमा कम्पनी द्वारा किया जाता है और जैसाकि सेल द्वारा निर्धारित किया जाए, प्रीमियम का साझा योगदान कम्पनी और मेडिकलेम सदस्य के बीच होता है। सेल के सात अस्पतालों<sup>18</sup> और प्राइवेट अस्पतालों में उपचार कराने वाले सदस्यों को दावे प्रस्तुत करने के लिए मदद हेतु बीमा कम्पनी द्वारा एक थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति की जाती है।

तालिका 7.1: 2017-18 से 2019-20 तक मेडिकलेम इंश्योरेंस स्कीम का विवरण

| वर्ष    | बीमा कम्पनी           | थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर                          | मेडिकलेम सदस्यों की संख्या | प्रीमियम की राशि (₹ करोड़ में) | सदस्य का प्रीमियम योगदान (₹ करोड़ में) | सेल का प्रीमियम योगदान (₹ करोड़ में) |
|---------|-----------------------|---|----------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|
| 2017-18 | यूनाइटेड इंडिया       | एमडी इंडिया हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए प्राइवेट लिमिटेड | 1,19,436                   | 155.90                         | 39.19                                  | 116.71                               |
| 2018-19 | यूनाइटेड इंडिया       |   | 1,24,300                   | 158.60                         | 39.85                                  | 118.75                               |
| 2019-20 | न्यू इंडिया एश्योरेंस |   | 1,17,049                   | 206.62                         | 50.71                                  | 155.91                               |

<sup>17</sup> आईपीडी (अस्पताल में भरती होना) लाभ: सदस्य की पत्नी/पति के साथ अस्पताल में भर्ती होने के तहत क्लबिंग की सुविधा के साथ ₹2 लाख प्रति सदस्य प्रति पालिसी अवधि (अधिकतम क्लब की गयी सीमा ₹4 लाख प्रति पालिसी अवधि है)। बाह्य रोगी विभाग लाभ: ₹4,000 प्रति सदस्य (70 वर्ष से कम उम्र के सदस्यों के लिए) और ₹8,000 प्रति सदस्य (70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सदस्यों के लिए)।

<sup>18</sup> आईजीएच, राउरकेला; बीजीएच, बोकारो; डीएसपी हॉस्पिटल, दुर्गापुर; आईएसपी हॉस्पिटल, बर्नपुर; जेएलएन हॉस्पिटल, भिलाई; स्टील प्लांट हॉस्पिटल, वीआईएसएल, भद्रावती और एसएसपी हॉस्पिटल, सेलम

2017-18 से 2019-20 तक की अवधि के लिए सेल के सात अस्पतालों के संबंध में डेटा के विश्लेषण से पता चला कि 3,01,080 दावों (₹118.35 करोड़) में से 21,726 दावे (₹22.30 करोड़) सेल के अस्पतालों द्वारा आवश्यक दस्तावेजों/सूचना के प्रस्तुत न करने के कारण बीमा कम्पनियों द्वारा अस्वीकार किए गए थे।

राशि-वार अस्वीकृत दावों का अनुपात पुष्टि किए गए दावों का लगभग 19 प्रतिशत था, जो महत्वपूर्ण है।

**तालिका 7.2: 2017-18 से 2019-20 की अवधि के लिए अस्वीकृत किए गए दावों का विवरण**

| क्र सं     | अस्वीकृत किए गए दावों की संख्या | अस्वीकृत किए गए दावों की राशि (₹ करोड़ में) | अस्वीकृति का कारण  |
|------------|---------------------------------|---|--|
| 1.         | 13,419                          | 20.06                                       | मांगे गए दावे के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए                     |
| 2.         | 1,251                           | 0.77  | दस्तावेजों से पता नहीं चला कि सुधार की सक्रिय लाइन प्रदान की गई थी |
| 3.         | 1,836                           | 0.43  | दवा बिल का औषधपत्र उपलब्ध नहीं था                                  |
| 4.         | 5,078                           | 1.01  | तिथि/ एमआईएन सं/बिल/ औषधपत्र पर रोगी का नाम उल्लेखित नहीं था       |
| 5.         | 126                             | 0.03  | जांच रिपोर्ट उपलब्ध नहीं था  |
| 6.         | 16                              | 0.004                                       | प्रामाणिक बिल उपलब्ध नहीं था                                       |
| <b>कुल</b> | <b>21,726</b>                   | <b>22.30</b>                                |  |

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित पाया गया:

सेल ने दर्ज किए जा रहे सदस्यों और दावों की संख्या में वृद्धि के मद्देनजर और बीमा कंपनी/ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर का संतोषजनक निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए मेडिकलेम योजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए एक प्रक्रिया तैयार की (मई 2017)। इस प्रक्रिया में कार्मिक विभाग और अस्पतालों/ इकाइयों/ कॉर्पोरेट कार्यालय के कर्मचारियों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया। हालांकि, नोडल अधिकारी की नियुक्ति, संबंधित अधिकारियों को निर्धारित रिपोर्ट प्रस्तुत न करने आदि जैसी निर्धारित प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन नहीं किया गया था, जैसा कि नीचे उद्धृत किया गया है:

- निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, सेल अस्पतालों के चिकित्सा प्रमुख को संबंधित सेल अस्पताल से एक नोडल अधिकारी-चिकित्सा को नामित करना आवश्यक था। ऐसे नोडल अधिकारी-चिकित्सा यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी थे कि डॉक्टरों ने दस्तावेज की

आवश्यकता का अनुपालन किया ताकि बीमा कंपनी द्वारा अविलंब दावों का निपटान किया जा सके। बोकारो स्टील प्लांट में नोडल अधिकारी-चिकित्सा की नियुक्ति नहीं की गई; राउरकेला स्टील प्लांट में जनवरी 2019 में 20 महीने की देरी के बाद नियुक्ति की गई थी और 2017-18 के दौरान ईस्को स्टील प्लांट में नियुक्ति नहीं की गई थी।

- नोडल अधिकारियों-चिकित्सा को यह भी सुनिश्चित करना था कि आईपीडी मामलों से संबंधित बीमा कंपनी/ थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा मांगे गए सभी दस्तावेजों को साप्ताहिक रूप से थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को प्रस्तुत किया गया था। उन्हें चिकित्सा प्रमुख के अवलोकन के लिए सेल अस्पतालों से संबंधित प्रस्तुत किए गए और निपटाए गए दावों के विषय में रिपोर्ट भी तैयार करनी थी। उपर्युक्त के अलावा, नोडल अधिकारी-चिकित्सा को उपरोक्त पर त्रैमासिक रिपोर्ट कॉर्पोरेट नोडल अधिकारी को भेजनी थी। यह देखा गया था कि न तो नोडल अधिकारी-चिकित्सा से थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा मांगे गए दावा दस्तावेज समय पर प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया और न ही उन्होंने सेल के चिकित्सा प्रमुख के अवलोकन के लिए नियमित रूप से अपेक्षित रिपोर्ट तैयार की। निर्धारित त्रैमासिक रिपोर्ट भी नियमित आधार पर कॉर्पोरेट नोडल अधिकारी को प्रस्तुत नहीं की गई।

इस प्रकार, सेल अस्पतालों द्वारा मांगे गए दस्तावेज/ सूचना प्रस्तुत न किए जाने के कारण बीमा कंपनियों द्वारा ₹22.30 करोड़ मूल्य वाले 19 प्रतिशत पुष्टिकृत दावों (21,726 दावे) को अस्वीकार कर दिया गया।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2021) कि अवसंरचना और श्रमबल की कमी के कारण सेल अस्पतालों के लिए दावों को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए आवश्यक दस्तावेजीकरण और अनुक्रमण करना कठिन था। सेल प्लांट अस्पताल शुरू में बीमा एजेंसियों के साथ दावा दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए सुसज्जित नहीं थे। सिस्टम को नया रूप दिया जा रहा है और जो बदलाव लाए गए हैं, उसके सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सेल मेडिकलेम योजना पिछले 30 वर्षों से चल रही है और इस योजना के कार्यान्वयन में शामिल कर्मचारियों की विशिष्ट भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को परिभाषित किया गया था, लेकिन प्रबंधन योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त अवसंरचना तैयार करने और पर्याप्त श्रमबल तैनात करने में असमर्थ था। इसके अलावा, प्रबंधन द्वारा प्रणाली को दुरुस्त करने के बावजूद, 2019-20 में दावों को अस्वीकार करना जारी रहा।

यदि सेल द्वारा आवश्यक दस्तावेजों/सूचना को सुनिश्चित किया गया होता, तो 2017-18 से 2019-20 के दौरान, बीमा कंपनी से दावा की गई 19 प्रतिशत राशि (₹22.30 करोड़) को अस्वीकार करने से बचा जा सकता था। सेल मेडिकलेम योजना के कार्यान्वयन में चूक के परिणामस्वरूप सेल को हानि हुई और जब तक ठोस उपाय नहीं किए जाते तब तक कंपनी को भविष्य में भी भारी हानि होती रहेगी।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ फरवरी 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

### **सिफारिश संख्या 10**

सेल, सेल मेडिकलेम योजना के तहत बीमा दावों के संबंध में आवश्यक दस्तावेजों/सूचना उपलब्धता और प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर सकता है ताकि भविष्य में इस तरह की हानि से बचा जा सके।

### **दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड**

#### **7.6 स्टांप शुल्क और पंजीकरण प्रभार के भुगतान के प्रति परिहार्य व्यय**

खनन योजना में उत्पादन के अवास्तविक अनुमान के कारण दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड द्वारा स्टांप शुल्क और पंजीकरण प्रभार के भुगतान के प्रति ₹6.97 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड (बीएसएलसी या कंपनी) उड़ीसा में एक चूना पत्थर और एक डोलोमाइट खदान का संचालन करती है और इसमें 793.96 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र था। उड़ीसा सरकार द्वारा खनन पट्टे को मार्च 2000 से मार्च 2020 की अवधि के लिए बढ़ाया<sup>19</sup> गया था (मई 2015)। 0.92 हेक्टेयर वन भूमि को छोड़कर 793.04 हेक्टेयर क्षेत्र में दिसंबर 2015 में बीएसएलसी द्वारा पूरक पट्टा विलेख का निष्पादन किया गया था। बाद में, खनन पट्टे की वैधता मार्च 2040 तक बढ़ा दी गई (मार्च 2020)।

उड़ीसा सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना (जनवरी 2012) के अनुसार, खनन योजना में नियोजित उच्चतम वार्षिक उत्पादन स्टांप शुल्क के निर्धारण का आधार था। उड़ीसा

<sup>19</sup> कंपनी ने 1999 में समय पर खनन पट्टे के नवीनीकरण के लिए आवेदन फाइल किया था, लेकिन 2015 में नवीनीकरण की मंजूरी दी गई। इस अवधि के दौरान कंपनी खनिज रियायत नियमावली 1994 के नियम 24ए-(6) के प्रावधानों के अनुसार माने गए विस्तार के तहत कार्य कर रही थी।



सरकार की अधिसूचना में यह भी प्रावधान किया गया कि यदि भविष्य में खनन योजना में संशोधन के माध्यम से उत्पादन स्तर में वृद्धि की जाती है, तो स्टाम्प शुल्क का पुनर्निर्धारण विभेदक उत्पादन के आधार पर किया जाएगा और पट्टेदार को इस तरह की वृद्धि वास्तव में किए जाने से पहले विभेदक स्टाम्प शुल्क जमा करना होगा।

बीएसएलसी ने 2008-13 के लिए अपनी खनन योजना में संशोधन किया (सितंबर 2010) जो 2010-13 के दौरान, चूना पत्थर और डोलोमाइट के अपने वार्षिक उत्पादन अनुमान को 52.61 लाख टन प्रति वर्ष बढ़ाने के लिए था, जोकि मौजूदा 8.66 लाख टन प्रति वर्ष से छह गुना वृद्धि थी। उत्पादन वृद्धि अनुमान को 2013-14 से 2017-18 की अवधि (अगस्त 2014 में अनुमोदित) के लिए अपनी खनन योजना में जारी रखा गया था, बाद में, 28.31 लाख टन प्रति वर्ष चूना पत्थर और 24.30 लाख टन प्रति वर्ष डोलोमाइट के अनुमानित उत्पादन को मार्च 2020 तक बढ़ाया गया (अप्रैल 2018)। उड़ीसा सरकार द्वारा खनन पट्टे के विस्तार (मई 2015) के समय लागू 2013-18 की खनन योजना में उच्चतम वार्षिक उत्पादन अनुमानों के आधार पर, कंपनी ने 2000-01 से 2019-20 की अवधि के लिए ₹8.60 करोड़ के स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण फीस का भुगतान किया (मार्च 2016)।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि कंपनी द्वारा अनुमानित वार्षिक उत्पादन में छह गुना वृद्धि (8.66 लाख टन प्रति वर्ष से 52.61 लाख टन प्रति वर्ष) निम्नलिखित कारणों से उचित नहीं था:

i) कंपनी 2008-09 से 2012-13 तक के पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष 8.30 लाख टन चूना पत्थर और डोलोमाइट का उत्पादन कर सकी। वर्ष 2013-14 से 2017-18 के लिए निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित चूना पत्थर और डोलोमाइट के लिए वार्षिक उत्पादन लक्ष्य केवल 7.20 लाख टन और 9.60 लाख टन के बीच था। विशेष रूप से, मई 2015 में स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण प्रभार का भुगतान किया गया था, तब भी पिछले वर्ष (2014-15) के दौरान वास्तविक उत्पादन 1.05 लाख टन था और वर्ष 2015-16 के लिए वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 9.60 लाख टन निर्धारित किया गया था।

ii) सेल और आरआईएनएल चूना पत्थर और डोलोमाइट के मुख्य उपभोक्ता थे। उपभोक्ताओं की ओर से 9.60 लाख टन से अधिक का कोई ऑर्डर नहीं दिया गया। बीएससीएल को सेल संयंत्रों के आधुनिकीकरण के बाद सेल के बड़े हुए उत्पादन/ आवश्यकता को देखते हुए डोलोमाइट की बाजार मांग में वृद्धि की अपेक्षा है। हालांकि, बढ़ी हुई मांग की अपेक्षा उपभोक्ता की प्रतिबद्धता द्वारा समर्थित नहीं थी। इसके अलावा, पूर्व समय में सेल

ने गुणवत्ता के मुद्दों के कारण एमओयू में प्रतिबद्धता की तुलना में डोलोमाइट को कम मात्रा में भी उठाया था। कंपनी चूना पत्थर के लिए दीर्घकालिक आवश्यकता वाले किसी भी उपभोक्ता का पता लगाने में समर्थ नहीं थी।

iii) कंपनी को कम लाभ मार्जिन, उच्च श्रम लागत, खनन उपकरण की अनुपलब्धता, कुशल प्रचालकों की कमी और निधि के अभाव में विभागीय क्रशर लगाने में असमर्थता जैसी समस्याएं थीं। कंपनी के स्वामित्व वाले सभी तीनों क्रशर संयंत्र पुराने और घिसे हुए थे और सालाना केवल लगभग 3.60 लाख टन डोलोमाइट का उत्पादन कर सकते थे।

iv) बीएसएलसी ने ऋण भार और खनन मशीनरी, कार्यशालाओं, इमारतों, इन्वेंटरी आदि के लिए आवश्यक भारी निवेश को ध्यान में रखते हुए उत्पादन अनुमानों में वृद्धि के अनुरूप अपनी अवसंरचनात्मक क्षमता में वृद्धि नहीं की थी।

इस प्रकार, खनन योजना में उत्पादन में छह गुना वृद्धि का अनुमान तथ्यों पर आधारित नहीं था क्योंकि यह उत्पादन करने की क्षमता के साथ-साथ बाजार में अपने उत्पादों की मांग पर आधारित नहीं था। इसके परिणामस्वरूप स्टांप शुल्क और पंजीकरण प्रभार पर ₹6.97 करोड़<sup>20</sup> का परिहार्य भुगतान हुआ।

प्रबंधन ने उत्तर दिया (जनवरी 2021) कि:

- बीएसएलसी ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से पर्यावरणीय मंजूरी के अनुपालन के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस प्राप्त होने के बाद प्रतिवर्ष 52.61 लाख टन उत्पादन के लिए खनन योजना में संशोधन किया। चूंकि पर्यावरणीय मंजूरी की प्रक्रिया चल रही थी, इसलिए बीएसएलसी ने पर्यावरणीय मंजूरी की मात्रा से मेल खाने और डोलोमाइट और चूना पत्थर की बाजार मांग में वृद्धि की अपेक्षा के लिए बाद की खनन योजना में समान उत्पादन क्षमता यानी 52.61 लाख टन प्रति वर्ष दर्शाना जारी रखा।

उत्पादन का अनुमानित स्तर मूर्त रूप नहीं ले सका क्योंकि बीएसएलसी के पास 31 मार्च 2020 से आगे कोई पट्टा नहीं था। डोलोमाइट की मांग इतनी अधिक थी कि निकट भविष्य में पर्यावरणीय मंजूरी की मात्रा बढ़ानी पड़ सकती है। यदि मांग बढ़ गई, तो कंपनी आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से आवश्यक अवसंरचना को संबोधित करेगी।

---

<sup>20</sup> चूना पत्थर के लिए लागू रॉयल्टी की उच्च दर पर चूना पत्थर और डोलोमाइट के कुल 9.60 लाख टन प्रति वर्ष उत्पादन को ध्यान में रखते हुए गणना की गई।

- कंपनी के दीर्घकालिक प्रगतिशील लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, प्रति वर्ष 52.61 लाख टन का निर्णय सही था और कंपनी की संभावनाओं को हाथ में रखने के लिए स्टांप शुल्क और पंजीकरण फीस का भुगतान करना पड़ा था।

मंत्रालय ने प्रबंधन के उत्तर को दोहराया (मार्च 2021) और कहा कि शुरू में एक छोटी मात्रा के लिए आवेदन करना और बाद में विभेदक स्टांप शुल्क का भुगतान करके इसका विस्तार करना व्यावहारिक साबित नहीं होता क्योंकि सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में काफी समय लगता है।

प्रबंधन/ मंत्रालय का उत्तर निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए स्वीकार्य नहीं है:

- पर्यावरणीय मंजूरी के लिए आवेदन में दर्शाए गए अनुमानित उत्पादन स्तर के साथ मिलान करने के लिए खनन योजना में उच्चतम उत्पादन स्तर को संशोधित करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कोई आवश्यकता नहीं थी। इसमें केवल दस्तावेजों के एक दूसरे के साथ बिना विरोध के संगत होने की आवश्यकता थी। इस प्रकार, खनन योजना में उत्पादन स्तर, पर्यावरणीय मंजूरी की तुलना में कम हो सकता था लेकिन अधिक नहीं। उड़ीसा खनन कंपनी और टाटा स्टील जैसी अन्य खनन कंपनियों के पास भी अपनी खनन योजनाओं की तुलना में पर्यावरणीय मंजूरी अधिक मात्रा में थी।
- इसके अलावा, 2013-18 के लिए खनन योजना के लिए आवेदन (नवंबर 2013) प्रस्तुत करने के समय, कंपनी के पास चूना पत्थर और डोलोमाइट<sup>21</sup> दोनों के लिए प्रति वर्ष 9.60 लाख टन उत्पादन करने के लिए पर्यावरणीय मंजूरी थी।
- 2013-14 से 2019-20 के दौरान, चूना पत्थर और डोलोमाइट का औसत वार्षिक उत्पादन 4.49 लाख टन प्रति वर्ष था और कंपनी को लगातार हानि हुई। इसलिए, वार्षिक उत्पादन अनुमान को बढ़ाना वास्तविक उत्पादन या यथार्थवादी अनुमान पर आधारित नहीं था।
- प्रबंधन का तर्क कि, दीर्घकालिक प्रगतिशील लक्ष्यों को देखते हुए वार्षिक उत्पादन अनुमान को बढ़ाकर 52.61 लाख टन प्रति वर्ष करने का निर्णय सही था, इसे इस तथ्य के मद्देनजर देखा जा सकता है कि प्रबंधन द्वारा अनुमानित 52.61 लाख टन प्रतिवर्ष की बढ़ी हुई मांग, अवधि (2013-14 से 2017-18) के दौरान, 7.20 लाख टन से 9.60 लाख टन

---

<sup>21</sup> मार्च 2016 में 52.61 लाख टन के लिए पर्यावरणीय मंजूरी दी गई थी।

प्रति वर्ष नियोजित वार्षिक उत्पादन के द्वारा न्यायोचित नहीं थी। इसके अलावा, प्रबंधन के पास जनवरी, 2012 में जारी उड़ीसा सरकार की अधिसूचना के अनुसार विभेदक स्टांप शुल्क के भुगतान के बाद में खनन योजना में उत्पादन स्तर बढ़ाने का विकल्प था।

- मंत्रालय के तर्क कि खनन योजना के संबंध में सांविधिक मंजूरी प्राप्त करने में काफी समय लगता, को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जा सकता है कि भारतीय खनन ब्यूरो ने एक पट्टेदार द्वारा प्रस्तुत खनन योजना को मंजूरी/ अस्वीकृत करने के लिए अधिकतम 90 दिन का समय निर्धारित किया।

इस प्रकार, 2008-13 और 2013-20 के लिए खनन योजनाओं में चूना पत्थर और डोलोमाइट के प्रति वर्ष 52.61 लाख टन के उत्पादन के अवास्तविक अनुमान के परिणामस्वरूप स्टांप शुल्क और पंजीकरण फीस के प्रति ₹6.97 करोड़ का परिहार्य व्यय हुआ।

#### दि उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

#### 7.7 शास्तिक ब्याज के कारण परिहार्य व्यय

दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने अवैध खनन के लिए उड़ीसा सरकार को क्षतिपूर्ति के विलंबित भुगतान पर शास्तिक ब्याज के कारण ₹174.04 करोड़ का परिहार्य व्यय किया।

दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ओएमडीसी या कंपनी), उड़ीसा में स्थित छह<sup>22</sup> लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क खनन पट्टों का संचालन करती है।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय (अगस्त 2017) ने फैसला सुनाया कि पर्यावरणीय मंजूरी और वन मंजूरी के बिना/से अधिक उत्पादन जैसे अवैध खनन गतिविधियों के लिए पट्टेदारों पर शास्ति लगाई जाए। तदनुसार, उड़ीसा सरकार ने पर्यावरणीय मंजूरी के उल्लंघन के लिए ओएमडीसी<sup>23</sup> से ₹643.27 करोड़ और खनन योजना और संचालन हेतु सहमति में निर्धारित अनुमोदित सीमा से अधिक खनिजों के उत्पादन के लिए शास्ति के प्रति ₹58.91 करोड़ की

<sup>22</sup> ओएमडीसी के नाम पर तीन पट्टे (बगियाबुरु, भद्रशाही और बेलकुंडी) थे और तीन (कोल्हा-रोहिड़ा, डालकी और ठाकुरानी) का संचालन ओएमडीसी ने भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड से पावर ऑफ अटॉर्नी के माध्यम से किया था।

<sup>23</sup> शास्ति की ओर ले जाने वाले खनन कानूनों का पालन न करने का तथ्य सीएजी लेखापरीक्षा रिपोर्ट - संघ सरकार (वाणिज्यिक) 2019 की संख्या 13 में सामने आया था।

मांग की (सितम्बर/अक्टूबर 2017)। इस शास्ति का 31 दिसंबर 2017 से पहले भुगतान किया जाना था। ओएमडीसी ने केवल ₹14.80 करोड़ का भुगतान किया (28 दिसंबर 2017)। माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आगे, उड़ीसा सरकार को दोषी खनन पट्टाधारकों से अप्रदत्त देयों की वसूली करने के लिए बलपूर्वक कार्रवाई करने का निर्देश दिया (30 जनवरी 2018)। उड़ीसा सरकार ने ब्याज के साथ शेष राशि की वसूली के लिए उड़ीसा लोक ऋण वसूली अधिनियम, 1962 के तहत ओएमडीसी के विरुद्ध कार्रवाई शुरू की (जून 2018)। ओएमडीसी ने ₹174.04 करोड़ के शास्तिक ब्याज सहित शास्ति के पूर्ण और अंतिम भुगतान के रूप में चरणों में (3 अक्टूबर 2019 तक) ₹876.22 करोड़ का भुगतान किया।

ओएमडीसी द्वारा ₹174.04 करोड़ के शास्तिक ब्याज के भुगतान के लेखापरीक्षा विश्लेषण से निम्नलिखित का पता चला:

- i) माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्थापित की गई केंद्रीय सशक्त समिति (शक्ति प्राप्त समिति) ने सूचित किया था (4 दिसंबर 2017) कि उसके आदेश के प्रति वसूली योग्य क्षतिपूर्ति में किराए, रॉयल्टी, करों में कटौती की कोई गुंजाइश नहीं थी। हालांकि ओएमडीसी ने, भुगतान योग्य शास्ति की गणना करते समय इस तरह के व्यय में कटौती की।
- ii) इसके अलावा, ओएमडीसी निष्प्रयोज्य स्टॉक के लिए कटौती का दावा केवल तभी कर सकता था, यदि 28 फरवरी 2018 से पहले इसे उड़ीसा सरकार को सौंपने के लिए कदम उठाए गए होते। निष्प्रयोज्य स्टॉक को सौंपे बिना, ओएमडीसी ने बढ़े हुए खनिजों के उत्पादन की लागत में कटौती की और 31 दिसंबर 2017 की निर्धारित समय सीमा तक केवल ₹14.80 करोड़ की राशि का भुगतान किया।
- iii) कंपनी ने प्राप्त की गई कानूनी राय (दिसंबर 2017) की भी अनदेखी की जिसमें उसके बोनाफाईड इन्टेन्सन को स्थापित करने के लिए स्वीकार की गई राशि के भुगतान की सलाह भी दी गई थी। इसके बजाय, इसने उड़ीसा सरकार की मांग के विरुद्ध एक पुनरीक्षण याचिका दायर की (दिसंबर 2017), जिसे भारत सरकार के पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया गया था (जनवरी 2018) कि इस मुद्दे का अधिकार प्राप्त समिति द्वारा पहले ही निपटान किया गया था।

इस प्रकार, अधिकार प्राप्त समिति, उड़ीसा सरकार, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार और कंपनी द्वारा प्राप्त कानूनी सलाहों द्वारा भुगतान के लिए स्पष्ट निर्देशों

(दिसंबर 2017/ मई 2018/ दिसंबर 2018) के बावजूद, कंपनी ने निर्धारित समय सीमा के अंदर क्षतिपूर्ति का पूरा भुगतान नहीं किया और भुगतान में देरी के परिणामस्वरूप ₹174.04 करोड़ का परिहार्य शास्तिक ब्याज लगाया गया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (मार्च 2021) में कहा कि

- पर्याप्त निधियां उपलब्ध नहीं थी और इतनी बड़ी राशि के बारे में निर्णय लेने के लिए उच्च प्रबंधन और ओएमडीसी बोर्ड को सूचना/ अनुमोदन के लिए विचारित प्रक्रिया थी जिसके कारण विलंब के लिए ब्याज का भुगतान किया गया था।
- इन्सोलवेंसी रेसोल्युसन प्रोफेशनल को फरवरी 2018 में राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण द्वारा नियुक्त किया गया था और ओएमडीसी को कार्यवाही से निर्मुक्त कर 7 अगस्त 2018 से अपने निदेशक मंडल के माध्यम से स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी गई थी।

निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है:

- कंपनी का 31 दिसंबर 2017 तक ₹807.84 करोड़ का भारमुक्त बैंक राशी था जबकि देय शेष शास्ति केवल ₹687.39 करोड़ थी।
- इन्सोलवेंसी रेसोल्युसन प्रोफेशनल की नियुक्ति फरवरी 2018 में की गयी थी, जबकि शास्ति का भुगतान दिसंबर 2017 से पहले किया जाना था। इसके अलावा, इन्सोलवेंसी कार्यवाही से निर्मुक्ति के बाद भी (7 अगस्त 2018), कंपनी ने देयों के भुगतान के लिए 14 महीने का समय लगाया (3 अक्टूबर 2019) जिसके कारण शास्तिक ब्याज लगाया गया था।

इस प्रकार, क्षतिपूर्ति के भुगतान में प्रबंधन द्वारा विलंब, अधिकार प्राप्त समिति, उड़ीसा सरकार, माननीय भारत के सर्वोच्च न्यायालय, भारत सरकार के निर्देशों और इस संबंध में प्राप्त कानूनी सलाहों की अनदेखी के परिणामस्वरूप ₹174.04 करोड़ की शास्तिक ब्याज राशि का परिहार्य भुगतान किया गया।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ अप्रैल 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

## अध्याय VIII: वस्त्र मंत्रालय

### इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल लिमिटेड

#### 8.1 सामरिक साझेदार की समूह कंपनियों को वस्त्र व्यापार कारोबार में अनुचित लाभ देने के कारण हानि

इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल लिमिटेड ने सामरिक साझेदार की समूह कंपनियों को अग्रिमों का अनियमित भुगतान किया और फैब्रिक ट्रेडिंग कारोबार के दौरान उनसे बिक्री आय को देरी से प्राप्त करने के लिए ब्याज का उदग्रहण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹29.70 करोड़ के ब्याज की हानि हुई और ₹109.34 करोड़ की निधियां अवरुद्ध हुईं।

इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल लिमिटेड (आईयूटीएमएल) को निजी भागीदारी के माध्यम से इंडिया यूनाइटेड मिल नंबर 1, एक रूग्ण इकाई, के पुनरुद्धार के लिए नेशनल टेक्सटाइल कारपोरेशन (एनटीसी) की एक सहायक कंपनी के रूप में 13 नवंबर, 2007 को निगमित किया गया था। आईयूटीएमएल की 51 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग एनटीसी द्वारा धारित की गई थी और शेष 49 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग सामरिक साझेदार के पास दो संस्थाओं के माध्यम से थी अर्थात् 29.40 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग के साथ भास्कर इंडस्ट्रीज लिमिटेड (बीआईएल) और 19.60 प्रतिशत शेयरहोल्डिंग के साथ भास्कर डेनिम लिमिटेड (बीडीएल)। आईयूटीएमएल के दिन-प्रतिदिन के कार्यचालन, संचालन और प्रबंधन को सामरिक साझेदार द्वारा नामित और आईयूटीएमएल के निदेशक मंडल (बीओडी) द्वारा नियुक्त किए गए मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) द्वारा निष्पादित किया गया था।

निदेशक मंडल ने कपड़ा/वस्त्र संबंधी माल में व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया (सितंबर 2008) और सीईओ को संबंधित पार्टियों सहित मान्यता प्राप्त पार्टियों के साथ लिखित संविदा करने के लिए प्राधिकृत किया और ऐसे नियमों और शर्तों पर जैसा कि सीईओ कंपनी के सर्वोत्तम हितों में उपयुक्त समझे अर्थात् उचित सुरक्षा के साथ अधिमानतः उत्तर दिनांकित चैक और उचित लेनदेन दस्तावेजों के साथ। आईयूटीएमएल का ट्रेडिंग कारोबार ज्यादातर सामरिक साझेदार<sup>1</sup> की समूह कंपनियों तक ही सीमित था।

<sup>1</sup> सामरिक साझेदार की संबंधित पार्टियों/समूह कंपनियों से खरीद, कुल खरीद का 94 प्रतिशत थी जबकि सामरिक साझेदार की संबंधित पार्टियों/समूह कंपनियों को बिक्री अप्रैल 2016 से मार्च 2020 के दौरान सामरिक कुल बिक्री का 84 प्रतिशत थी।

लेखापरीक्षा ने सामरिक साझेदार की समूह कंपनियों के साथ आईयूटीएमएल के ट्रेडिंग कारोबार में निम्नलिखित अपर्याप्तताओं को पाया:

i) निदेशकमंडल, आईयूटीएमएल के कारोबार की दिशा के संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम प्राधिकारी नहीं था। शेयर सब्सक्रिप्शन और शेयरहोल्डर्स एग्रीमेंट<sup>2</sup> के खंड 6.4 (बी) के अनुसार आईयूटीएमएल को केवल मिल के मौजूदा कारोबार में शामिल होना चाहिए और ट्रेडिंग, विपणन, अनुसंधान एवं विकास, प्रदर्शनी आदि जैसी वस्त्र संबंधी गतिविधियों को करने के लिए एनटीसी के अनुमोदन की आवश्यकता थी। हालांकि, आईयूटीएमएल ने वस्त्र ट्रेडिंग गतिविधियों में प्रवेश करने के लिए एनटीसी से अनुमोदन नहीं लिया।

ii) आईयूटीएमएल ने अप्रैल 2016 से सितंबर 2018 के दौरान सामरिक साझेदार की समूह कंपनियों में से एक मेसर्स भास्कर एक्जिम लिमिटेड से ₹854.98 करोड़ के वस्त्र खरीदे और उसके बाद भास्कर एक्जिम लिमिटेड को कोई खरीद आदेश जारी नहीं किया। हालांकि, फरवरी से अप्रैल 2019 के दौरान, आईयूटीएमएल ने लिखित संविदा, प्रतिभूति और अग्रिम पर ब्याज की शर्तों के बिना भास्कर एक्जिम लिमिटेड को कुल ₹109.34 करोड़ (30 व्यक्तिगत भुगतान) के अग्रिमों का भुगतान किया। आईयूटीएमएल को न तो भास्कर एक्जिम लिमिटेड से सामग्री प्राप्त हुई है और न ही आज तक (मार्च 2021) अग्रिम और उस पर ब्याज की वसूली हुई है। इसके अलावा, शेयरधारकों के करार के अनुसार, सामरिक साझेदार की संबंधित पार्टियों को अग्रिम देने के लिए 'विशेष सहमति'<sup>3</sup> की आवश्यकता थी। हालांकि, आईयूटीएमएल द्वारा अग्रिम जारी करने के लिए ऐसी कोई विशेष सहमति प्राप्त नहीं की गई थी।

iii) आईयूटीएमएल के वस्त्र ट्रेडिंग कारोबार में 90 से 120 दिनों की क्रेडिट अवधि की अनुमति दी गई थी और भुगतान में किसी भी देरी के लिए किसी ब्याज का उदग्रहण नहीं किया गया था। अप्रैल 2016 से दिसंबर 2019 के दौरान समूह कंपनियों से बिक्री से होने वाली आय की प्राप्ति में 3 से लेकर 362 दिन तक की देरी हुई थी। आईयूटीएमएल द्वारा आपूर्तिकर्ताओं में से एक को भुगतान में देरी 1 से 148 दिनों तक थी। फिर भी, सामरिक

---

<sup>2</sup> एनटीसी, बीआईएल और आईयूटीएमएल के बीच निष्पादित किया गया (20 नवंबर 2007)

<sup>3</sup> (i) एनटीसी और सामरिक साझेदार के सकारात्मक वोट द्वारा कंपनी के शेयरधारकों की बैठक में और  
(ii) एनटीसी के कम से कम एक नामित निदेशक और नीतिगतसाझेदार के एक नामांकित निदेशक के सकारात्मक वोट से बोर्ड की बैठक में, अनुमोदन।



साझेदार की समूह कंपनियों के साथ ट्रेडिंग में विलंबित प्राप्तियों के परिणामस्वरूप अप्रैल 2016-दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान ₹15.30 करोड़ की निवल ब्याज की हानि हुई।

इस प्रकार, आईयूटीएमएल ने सामरिक साझेदार की समूह कंपनियों को अग्रिमों का अनियमित भुगतान किया और फैंब्रिक ट्रेडिंग कारोबार के दौरान उनसे बिक्री आय की विलम्बित प्राप्ति के लिए ब्याज का उदग्रहण नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹109.34 करोड़ की अग्रिम राशि को अवरुद्ध करने के अलावा ₹29.70 करोड़ (₹14.40 करोड़ अग्रिम पर ब्याज + ₹15.30 करोड़ की बिक्री आय की विलम्बित प्राप्ति पर निवल ब्याज) की हानि हुई।

आईयूटीएमएल ने उत्तर दिया (जनवरी 2021) कि:

- वस्त्र सामग्री खरीदने और भविष्य की आपूर्तियों पर उचित लाभ अर्जित करने के इरादे से अग्रिम दिया गया था। जब आपूर्ति नहीं हो सकी तो कंपनी ने भास्कर एक्विजम लिमिटेड द्वारा निष्पादन न करने के कारण लाभ की हानि की मांग की और भास्कर एक्विजम लिमिटेड ने 2019-20 के दौरान ब्याज के माध्यम से इसकी क्षतिपूर्ति करने पर सहमति जताई और इसलिए कोई हानि नहीं हुई।
- अग्रिम की सुरक्षा के अभाव के संबंध में, आईयूटीएमएल ने उत्तर दिया कि समूह कंपनियों के साथ लेनदेन निदेशक मंडल की अनुमति लेने के बाद और सामरिक साझेदारों के मार्गदर्शन में किया गया था और किसी भी हानि को केवल सामरिक साझेदारों द्वारा पूरा किया जाएगा।
- बिक्री आय की विलंबित प्राप्ति पर ब्याज के संबंध में, आईयूटीएमएल ने उत्तर दिया कि जैसा कि निदेशक मंडल द्वारा अधिदेशित किया गया था, कंपनी समूह कंपनियों के साथ 12.50 प्रतिशत प्रति वर्ष के बेंचमार्क लाभ पर ट्रेडिंग कारोबार कर रही थी, और इसलिए विलंबित प्राप्तियों/ भुगतान के लिए ब्याज नहीं लगाया गया था।

उपरोक्त उत्तर पर निम्नलिखित के प्रति विचार किया जाना है:

- हालांकि भास्कर एक्विजम लिमिटेड ने सूचित किया (मार्च 2020) कि वह आईयूटीएमएल को लाभ की हानि की क्षतिपूर्ति करेगा और इस मामले पर निदेशक मंडल द्वारा विचार-विमर्श किया गया, लेकिन भुगतान प्राप्त नहीं हुआ है (जनवरी 2021)। आईयूटीएमएल ने स्पष्ट किया (लेखापरीक्षा प्रश्न का उत्तर देते समय) कि उन्होंने मौखिक

रूप से अग्रिम वापस करने की मांग की है, जो यह इंगित करता है कि अग्रिम की वापसी के लिए औपचारिक दावा अभी तक दर्ज नहीं किया गया है।

- निदेशक मंडल के अनुमोदन (सितंबर 2008) के अनुसार, संबंधित पार्टियों सहित ट्रेडिंग कारोबार उचित प्रतिभूति और उचित लेनदेन दस्तावेजों द्वारा समर्थित होना चाहिए। हालांकि, इस मामले में इनका पालन नहीं किया गया। लिखित संविदा और प्रतिभूति के अभाव में, आईयूटीएमएल के पास भास्कर एक्विजिशन लिमिटेड से राशि की वसूली करने के लिए कानूनी सहारा नहीं था। इसके अलावा, शेयरधारकों के करार में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था कि हानि को पूरी तरह से नीतिगत साझेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

- कारोबार पर बेंचमार्क लाभ और विलम्बित प्राप्तियों पर ब्याज दो भिन्न पहलू थे। इसके अलावा, क्रेडिट अवधि निर्धारित करने का तर्काधार विफल हो जाएगा यदि क्रेडिट अवधि से अधिक के लिये ब्याज नहीं लगाया गया था।

इस प्रकार, कंपनी ने सामरिक साझेदार की समूह कंपनियों को अपने सर्वोत्तम हितों के विरुद्ध अनुचित लाभ दिया, जिससे ₹29.70 करोड़ के ब्याज की हानि हुई और ₹109.34 करोड़ की निधियां अवरुद्ध हुईं।

लेखापरीक्षा पैराग्राफ अप्रैल 2021 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (जुलाई 2021)।

### नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

#### 8.2 हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की वसूली न होना

नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को महाराष्ट्र सरकार से एक बंद वस्त्र मिल से संबंधित 12 एकड़ भूमि सौंपने के लिए प्रतिफल के रूप में हस्तांतरणीय विकास अधिकार मिले, लेकिन हस्तांतरणीय विकास अधिकारों को बेचने और राशि के वसूली करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई करने में विफल रही, जिससे ₹1,413 करोड़ की निधि का अवरोधन हुआ और परिणामी ब्याज की हानि हुई।

इंडिया यूनाइटेड मिल संख्या 6 मुंबई में स्थित नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एनटीसी) की एक बंद वस्त्र मिल थी, जिसके पास लगभग 12 एकड़ भूमि थी। महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) ने डॉ. बी.आर. अंबेडकर के लिए स्मारक के निर्माण के लिए भूमि के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार (जीओआई) से अनुरोध किया। एनटीसी को देय क्षतिपूर्ति

सहित भूमि के हस्तांतरण के लिए नियमों और शर्तों पर विचार-विमर्श किया गया और महाराष्ट्र सरकार का रुख यह था कि धनराशि के रूप में क्षतिपूर्ति करना मुश्किल होगा। महाराष्ट्र सरकार ने भूमि के मूल्य के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार<sup>4</sup> के रूप में एनटीसी को क्षतिपूर्ति देने के लिए पेशकश की (मार्च 2016), जो ₹1,413 करोड़ बनती थी। महाराष्ट्र सरकार ने खुले बाजार में हस्तांतरणीय विकास अधिकार की बिक्री को सुगम बनाने की भी पेशकश की और यह कहा कि भूमि के निर्धारित मूल्य अर्थात् ₹1,413 करोड़ से अधिक प्राप्त धन महाराष्ट्र सरकार को दिया जाएगा और यदि प्राप्त धन मूल्य से कम था, तो इस अंतर का महाराष्ट्र सरकार द्वारा एनटीसी को भुगतान किया जाएगा। भारत सरकार ने इस पेशकश को स्वीकार किया (अगस्त 2016) और भूमि को हस्तांतरणीय विकास अधिकार<sup>5</sup> प्राप्त करने के बाद एनटीसी द्वारा मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) को सौंप दिया गया था (मार्च 2017)। हस्तांतरणीय विकास अधिकार ने महाराष्ट्र सरकार को 48,414.83 वर्ग मीटर (लगभग 12 एकड़) भूमि को सौंपने के लिए 1,30,720.04 वर्ग मीटर<sup>6</sup> के निर्मित क्षेत्र के लिए एनटीसी को विकास अधिकार प्रदान किए।

एनटीसी के निदेशक मंडल (बीओडी) ने 29 सप्ताह के भीतर यानी अगस्त 2018 तक बिक्री प्रक्रिया को पूरा करने के अधिदेश के साथ हस्तांतरणीय विकास अधिकार की दक्ष, प्रभावी और पारदर्शी बिक्री के लिए एक समिति का गठन किया (जनवरी 2018)। विपणन सलाहकार की नियुक्ति के लिए निविदा (मई 2018) जारी करने के बाद, निदेशक मंडल ने निर्णय लिया (अगस्त 2018) कि चूंकि एनटीसी द्वारा प्राप्त किए जाने वाली प्रतिफल की राशि अर्थात् ₹1,413 करोड़ तय की गई थी और महाराष्ट्र सरकार ने हस्तांतरणीय विकास अधिकार की बिक्री को सुगम बनाने पर सहमति व्यक्त की थी, इसलिए प्रशासनिक मंत्रालय

<sup>4</sup> हस्तांतरणीय विकास अधिकार (टीडीआर) महाराष्ट्र सरकार को सौंपी गई भूमि के बदले निर्मित क्षेत्र के निर्माण के लिए भूमि के मालिक को महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया एक प्रति पूरक विकास अधिकार है। तत्कालीन मामले में एनटीसी ने अपनी जमीन अभ्यर्पित कर दी और प्रतिफल के रूप में टीडीआर प्राप्त हुआ था। टीडीआर को एनटीसी द्वारा खुले बाजार में किसी भी संभावित बिल्डर/खरीदार को बेचा जा सकता है जो इसे में मुंबई सिटी एरिया (द्वीप शहर) और मुंबई उपनगरीय/विस्तारित उपनगरीय क्षेत्र में निर्मित क्षेत्र के निर्माण के लिए इसका उपयोग कर सकता है।

<sup>5</sup> टीडीआर को "विकास अधिकार प्रमाण-पत्र" (डीआरसी) के रूप में दिया गया था जो एक हस्तांतरणीय परक्राम्य पत्र था और पांच वर्ष की वैधता अवधि के भीतर कानूनी रूप से लागू करने योग्य था (पुनर्वैधीकरण फीस के भुगतान पर अगले पांच वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है)।

<sup>6</sup>  $(48414.83 \times 2.5) + (48414.83 \text{ का } 20 \text{ प्रतिशत प्रोत्साहन}) = 130720.04$

(वस्त्र मंत्रालय) के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार से हस्तांतरणीय विकास अधिकार की बिक्री करने और एनटीसी को निर्धारित प्रतिफल प्रेषित करने के लिए अनुरोध करना विवेकपूर्ण था। मंत्रालय ने एनटीसी के प्रस्ताव पर सहमति जताई और महाराष्ट्र सरकार को पत्र लिखा (जुलाई 2019) जिसमें यह कहा गया कि चूंकि एनटीसी के पास हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री में कोई विशेषज्ञता नहीं थी और उसे केवल एक निश्चित राशि मिलेगी, इसलिए महाराष्ट्र सरकार एनटीसी द्वारा धारित हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री की सुविधा प्रदान कर सकती है और एनटीसी को सहमत राशि को शीघ्रता से हस्तांतरित कर सकता है। जबकि हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री को अभी तक मूर्त रूप देना शेष था (जून 2021), एमएमआरडीए ने हस्तांतरित भूमि में निर्माण गतिविधियां शुरू कीं। इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि:

i) हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने खुले बाजार में हस्तांतरणीय विकास अधिकार की बिक्री को सुगम बनाने की पेशकश की थी, लेकिन संबंधित पार्टियों अर्थात् भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और एनटीसी के बीच 'सुविधा प्रदान करने' का अर्थ न तो विस्तृत था और न सहमति थी। अधिकारियों की उस समिति की सिफारिश के अनुसार महाराष्ट्र सरकार और एनटीसी के बीच विशिष्ट करारों का निष्पादन किया जाना आवश्यक था जिसने भूमि के हस्तांतरण के निबंधन और शर्तों को अंतिम रूप दिया था और भूमि के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और एनटीसी के बीच हस्ताक्षरित एमओयू के अनुसार भी था। लेकिन ऐसे किसी विशिष्ट करारों को निष्पादित नहीं किया गया था।

ii) निदेशक मंडल के निर्णय, अर्थात् निविदा को समाप्त करने और हस्तांतरणीय विकास अधिकार की बिक्री को महाराष्ट्र सरकार को सौंपने में परिवर्तन का आधार, 'इन-हाउस चर्चाओं' के रूप में उद्धृत किया गया था, जिसमें यह बात सामने आई थी कि एनटीसी को प्राप्त होने वाली प्रतिफल की राशि एक निश्चित राशि थी और इसलिए बिक्री शुरू करना सार्थक नहीं था। यह मान्य नहीं था क्योंकि एनटीसी को केवल एक निश्चित राशि मिलेगी जो पहले से पता थी, जब जनवरी 2018 में निदेशक मंडल द्वारा हस्तांतरणीय विकास अधिकार बिक्री समिति की नियुक्ति की गई थी। इसके अलावा, शुरू से ही महाराष्ट्र सरकार नकद में क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए सहमत नहीं थी और केवल हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री की सुविधा की पेशकश की थी। इसलिए महाराष्ट्र सरकार को हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री सौंपने के लिए अगस्त 2018 में हुई बैठक में निदेशक मंडल

के संशोधित रुख का महाराष्ट्र सरकार की ओर से सहमति द्वारा समर्थन नहीं किया गया था।

iii) चार वर्षों के लिए हस्तांतरणीय विकास अधिकारों के धारण करने से एनटीसी को कोई लाभ नहीं था जिसमें नकदी की तंगी थी और दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को पूरा करने के साथ-साथ अपनी अन्य रूग्ण मिलों को पुनर्जीवित करने के लिए निधियों की तत्काल आवश्यकता थी।

इस प्रकार, हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की वसूली न होने से निधि का भारी अवरोधन हुआ और एनटीसी को ₹268 करोड़<sup>7</sup> की परिणामी ब्याज की हानि हुई और आधुनिकीकरण और रूग्ण इकाइयों के पुनरुद्धार के त्वरित और दक्ष कार्यान्वयन के लिए बिक्री आय के उपयोग के उद्देश्य को भी विफल किया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर (फरवरी 2021) में कहा कि ये बोर्ड के निर्णय थे। प्रबंधन ने यह भी कहा कि वे हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री और शीघ्रातिशीघ्र ₹1,413 करोड़ की वसूली के लिए महाराष्ट्र सरकार के साथ अनुवर्ती कार्रवाई कर रहे थे।

मंत्रालय ने अपने उत्तर (जून 2021) में कहा कि अगस्त 2018 में एनटीसी बोर्ड ने हस्तांतरणीय विकास अधिकार बिक्री प्रक्रिया को रोकने का निर्णय किया और इसके बजाय महाराष्ट्र सरकार से पूरी कवायद शुरू करने का अनुरोध किया। मंत्रालय ने यह भी कहा कि एनटीसी को कार्यशील पूंजी की अत्यंत कमी का सामना करना पड़ रहा था और इसलिए हस्तांतरणीय विकास अधिकार राशि की वसूली करने के लिए गंभीर प्रयास कर रहा था।

उत्तर पर इस तथ्य के प्रति विचार किया जाना है कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से कोई पूर्व करार या ऐसी सहमति नहीं थी कि वे एनटीसी की ओर से हस्तांतरणीय विकास अधिकार को बेचेंगे और सहमत राशि एनटीसी को सौंप देंगे।

लेखापरीक्षा ने महाराष्ट्र सरकार के अभिलेखों की भी जांच की और हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री की प्रक्रिया में महाराष्ट्र सरकार की भूमिका के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा (अप्रैल 2021)। महाराष्ट्र सरकार (शहरी विकास विभाग) ने उत्तर दिया (मई 2021) कि जून 2017 में एनटीसी द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार, एमएमआरडीए ने

<sup>7</sup> 38 महीनों (अप्रैल 2018 से मई 2021) के लिए ₹1,413 करोड़ पर 6 प्रतिशत की दर मानते हुए और बिक्री के लिए प्रक्रिया पूरी करने के लिए एक वर्ष (अप्रैल 2017 से मार्च 2018) की अनुमति देने के बाद, रुढ़िवादी आधार पर ब्याज।

हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री के लिए एनटीसी द्वारा गठित समिति में दो अधिकारियों को नामित किया। महाराष्ट्र सरकार ने आगे स्पष्ट किया कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां महाराष्ट्र सरकार ने खुले बाजार में हस्तांतरणीय विकास अधिकार बेचे हों और लाभार्थी को आय का भुगतान किया हो।

इसलिए यह स्पष्ट है कि एनटीसी उन्हें हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री का कार्य देने से पहले महाराष्ट्र सरकार से सहमति प्राप्त करने में विफल रहा। एनटीसी द्वारा चार वर्षों तक हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की बिक्री के लिए सकारात्मक कार्रवाई की कमी के परिणामस्वरूप ₹1,413 करोड़ की वसूली नहीं हुई और ₹268 करोड़ के ब्याज की परिणामी हानि हुई। हस्तांतरणीय विकास अधिकारों की राशि की वसूली में देरी ने रूग्ण इकाइयों के आधुनिकीकरण और पुनरुद्धार के त्वरित और दक्ष कार्यान्वयन के लिए एनटीसी द्वारा बिक्री आय के अभिप्रेत उपयोग के उद्देश्य को भी विफल किया।

**अवसंरचना समूह**





## अध्याय IX: नागर विमानन मंत्रालय

### भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

#### 9.1 विद्युत् भार का अपर्याप्त निर्धारण होने से राजस्व की हानि

गोवा विमान पत्तन पर आवश्यक विद्युत् भार की व्यवस्था के अपर्याप्त निर्धारण और देरी से ₹15.66 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई/प्राधिकरण) ने गोवा विमान पत्तन पर खाद्य एवं पेय (एफ एंड बी) आउटलेट के विकास, बाजार, सेटअप, संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए रियायत के लिए मेसर्स ट्रेवल फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (मेसर्स टीएफएस) के साथ रियायत करार किया (24 सितंबर 2018)। रियायतग्राही को जारी किए गए (25 जुलाई 2018) संविदा प्रदान हेतु आशय पत्र (एलओआईए) के अनुसार, रियायतग्राही द्वारा भुगतान की जाने वाली लाइसेंस फीस, एक सौंपे गए क्षेत्र के लिए प्रति माह ₹3.89 करोड़ (करों को छोड़कर) थी। इसके अलावा, एलओआईए के खंड 5 में यह निर्धारित किया गया है कि परियोजना पूरी होने की अवधि या विकास अवधि का तात्पर्य प्रत्येक स्थल के संबंध में उस अवधि से है जो स्थान को सौंपने/लेने की तिथि से शुरू होती है (जो 61वें दिन या एलओआईए जारी होने की तिथि से अधिकतम 60 दिन हैं) और एलओआईए के जारी करने या व्यवसाय शुरू करने से 120 वें दिन को समाप्त हो रही है, जो भी पहले हो, जब तक एएआई द्वारा विस्तारित नहीं किया जाता।

करार के खंड 4.1.2 (ख) में यह निर्धारित किया गया था कि प्राधिकरण पानी और विद्युत् सहित सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं और उपयोगिताओं तक पहुंच प्राप्त करने में रियायतग्राही की सहायता करेगा। इसके अलावा, करार के खंड 11.7 के अनुसार, "रियायतग्राही प्राधिकरण द्वारा प्रदान किए गए निकटतम उपलब्ध स्रोतों से अपेक्षित जनोपयोगी सेवा कनेक्शन प्राप्त करेगा और अपने स्वयं के पैमाइश उपकरण संस्थापित करेगा। सभी पैमाइश उपकरणों का परीक्षण किया जाएगा और प्राधिकरण की संतुष्टि तक ठीक किया जाएगा"।

करार के संदर्भ में, एएआई ने 26 आउटलेट विकसित करने के लिए 24 सितंबर 2018 को मेसर्स टीएफएस को 1,144 वर्ग मीटर का पूरा निर्दिष्ट क्षेत्र सौंप दिया। तदनुसार, एएआई

ने 23 नवंबर 2018 से सौंपे गए पूरे क्षेत्र के लिए बिल प्रस्तुत किए। मेसर्स टीएफएस ने लाइसेंस फीस का भुगतान किया, जिसमें से 594.50 वर्ग मीटर के क्षेत्र के लिए भुगतान विरोध के तहत किया गया था क्योंकि एएआई संविदा के अनुसार सौंपे गए पूर्णक्षेत्र के लिए विद्युत भार प्रदान करने में विफल रहा। परिणामस्वरूप मेसर्स टीएफएस नौ आउटलेट को संचालित नहीं कर सकी।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- एएआई ने गोवा विमान पत्तन के लिए मौजूदा विद्युतभार की वास्तविक आवश्यकता के साथ-साथ वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए अतिरिक्त भार का निर्धारण किए बिना एफ और बी आउटलेट्स के लिए बोली आमंत्रित की थी और मेसर्स टीएफएस के साथ रियायत करार किया। मेसर्स टीएफएस द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावित लेआउट योजना (30 अगस्त 2018) के अनुसार, विद्युत भार की आवश्यकता 1,740 किलोवाट (26 आउटलेट) अनुमानित थी, जिसे बाद में संशोधित करके 1,545 किलोवाट कर दिया गया था (1 अक्टूबर 2018)। इस बीच, एएआई के अनुरोध पर, मेसर्स टीएफएस ने 1,459 किलोवाट की संशोधित आवश्यकता प्रस्तुत की (27 अक्टूबर 2018), जो सलाहकार (मेसर्स माइंडफ्लो पार्टनर्स)<sup>1</sup> की सर्वेक्षण रिपोर्ट पर आधारित थी। आवश्यक विद्युत भार के प्रति मेसर्स टीएफएस को केवल 632 किलोवाट का विद्युत भार उपलब्ध कराया गया, जो 827 किलोवाट तक कम था। विद्युत भार की अपर्याप्त उपलब्धता के कारण, मेसर्स टीएफएस ने एएआई से सगर्भता अवधि बढ़ाने के अनुरोध के साथ 594.50 वर्ग मीटर के क्षेत्र के लिए रियायत फीस और अन्य फीस प्रभारित न करने का अनुरोध किया (20 दिसम्बर 2018)। एएआई ने मेसर्स टीएफएस के प्रस्ताव को स्वीकार किया (12 जून 2019) और 594.50 वर्ग मीटर के प्रति, एएआई ने 21 जून 2019 तक 128.5 वर्ग मीटर के माप वाले नौ आउटलेट्स के क्षेत्र के लिए और 30 नवंबर 2019 तक 327 वर्ग मीटर माप वाले क्षेत्र के लिए सगर्भता अवधि में विस्तार दिया (06 सितंबर 2019)। इसके अलावा, एएआई ने ₹15.66 करोड़ की लाइसेंस फीस (अगस्त 2019 तक) भी माफ कर दी।

- प्रारंभ में, गोवा विमान पत्तन ने लगभग 2,600 किलोवाट की वास्तविक खपत के मुकाबले 4,000 किलोवाट के विद्युत भार को स्वीकृति दी थी, इसलिए पुराने टर्मिनल भवन

<sup>1</sup> "यात्री सुविधा बढ़ाने और वाणिज्यिक राजस्व क्षमता को अधिकतम करने के लिए विमान पत्तन के स्थल के इष्टतम उपयोग के लिए मौजूदा सामान्य खुदरा और एफएंडबी आउटलेट्स के लेआउट को नया स्वरूप देने" के लिए नियुक्त किया गया।

से परिचालन बंद होने के कारण शास्ति प्रभार से बचने के लिए लगभग 1,000 किलोवाट का अप्रयुक्त भार का अभ्यर्पण कर दिया गया था (जून 2015)। इसलिए, यह स्पष्ट है कि एएआई को इस बात की जानकारी थी कि वर्तमान स्वीकृत भार केवल परिचालनात्मक आवश्यकता के लिए था और वाणिज्यिक परिचालन शुरू करने के लिए अतिरिक्त स्वीकृत भार (लगभग 827 किलोवाट) की आवश्यकता थी। हालांकि, एएआई, गोवा विमान पत्तन पर एफएंडबी आउटलेट किराए पर देने के लिए बोलियां आमंत्रित करने से पहले वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए अभ्यर्पित स्वीकृत भार को बहाल करने में विफल रहा।

- एएआई ने 1,500 किलोवाट के अतिरिक्त स्वीकृत भार जिसे गोवा विद्युत विभाग द्वारा 3 जनवरी 2019 को स्वीकृति दी गई थी, के लिए आवेदन (12 नवंबर 2018), करते हुए कहा था कि संविदा की मांग में बढ़ोतरी के लिए 33 किलोवाट एचटी लाइन पर आपूर्ति की जाएगी और एएआई पूरी लागत को वहन करेगा, जिसका अनुमान ₹5.67 करोड़ था। हालांकि, आज तक विद्युत का कार्य पूरा नहीं हुआ है और एएआई, विमान पत्तन पर उपलब्ध भार से मेसर्स टीएफएस को डीजल जेनरेटर सेट के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति कर रहा है। पूर्ण भार की अनुपलब्धता के कारण, मेसर्स टीएफएस ने नवंबर 2019 में एएआई द्वारा उठाई गई मांग के प्रति ₹17.30 करोड़ की और अधिक छूट का दावा किया था। मेसर्स टीएफएस 13 मई 2020 को मध्यस्थता के लिए गया था और मामले के अंतिम परिणाम प्रतीक्षित है।

इस प्रकार, गोवा विमान पत्तन पर आवश्यक विद्युत भार की व्यवस्था में अपर्याप्त निर्धारण और देरी के परिणामस्वरूप ₹15.66 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में बताया (जनवरी 2021) कि चूंकि प्रमुख रियायतग्राही की अवधारणा पहली बार शुरू की गई थी, इसलिए एएआई के लिए पुराने आंकड़ों के अभाव में विद्युत भार की आवश्यकता की मात्रा का पूर्वानुमान लगाना कठिन था, और एफएंडबी आउटलेट्स पर विद्युत भार की आवश्यकता को तभी सुनिश्चित किया जा सकता था जब चयनित बोलीदाता ने आउटलेट्स को चालू करने के लिए आवश्यक उपकरणों के आधार पर अपनी विद्युत भार आवश्यकता प्रस्तुत की हो। प्रबंधन ने आगे बताया कि सलाहकार (मेसर्स माइंडफ्लो पार्टनर्स) ने भी विद्युत भार की आवश्यकता की मात्रा नहीं बताई और सिविल एन्क्लेव होने के कारण गोवा विमान पत्तन पर विद्युत भार की सीमित आवश्यकता/ उपलब्धता थी।

प्रबंधन का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि इस तरह के महत्वपूर्ण कार्य को प्रदान करने से पहले जनोपयोगी सेवाओं का निर्धारण पूर्व-अपेक्षित होना चाहिए था। एएआई ने न तो सलाहकार (मेसर्स माइंडफ्लो पार्टनर्स) के कार्य के दायरे में विद्युत भार का निर्धारण शामिल किया और न ही अपनी टीम द्वारा भार आवश्यकताओं को सुनिश्चित कराने की व्यवस्था की। सलाहकार के कार्यक्षेत्र में केवल विमान पत्तन के स्थान के इष्टतम उपयोग के लिए समीक्षा करना और नया स्वरूप देना था। इसके अलावा, जुलाई 2018 में मेसर्स टीएफएस को कार्य सौंपने के बाद भी एएआई ने अक्टूबर 2018 में ही मेसर्स टीएफएस के साथ हुई संयुक्त बैठक में सलाहकार से भार की आवश्यकता का निर्धारण करने के लिए सेवाएं लेने का फैसला किया।

इसलिए, एफएंडबी आउटलेट्स के लिए रियायत प्रदान करने की योजना बनाने के दौरान विद्युत् भार आवश्यकताओं का निर्धारण न करने और मेसर्स टीएफएस द्वारा विद्युत् की आवश्यकताओं को प्रस्तुत करने के बाद भी आवश्यक विद्युत् भार की व्यवस्था में देरी के परिणामस्वरूप ₹15.66 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। राजस्व हानि के अलावा, ₹17.30 करोड़ एक आकस्मिक देयता है, क्योंकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है और मध्यस्थता मामले के अंतिम परिणाम की प्रतीक्षा की जा रही है।

मार्च 2021 में मंत्रालय को लेखापरीक्षा पैराग्राफ जारी किया गया था; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जुलाई 2021)।

## **9.2 उचित अनुवर्ती कार्रवाई और अनुसरण की कमी के कारण विद्युत् प्रभारों की प्रतिपूर्ति न होना**

राजमुंदरी विमान पत्तन के परिचालन के शुरुआती पांच वर्षों में एएआई को होने वाले हानि के न्यूनतमीकरण को सरल बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और आन्ध्र प्रदेश सरकार (जीओएपी) के बीच हस्ताक्षरित एमओयू में ऐसी प्रतिपूर्ति का प्रावधान होने के बावजूद भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, राजमुंदरी द्वारा विद्युत् प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुसरण न करने के परिणामस्वरूप जीओएपी के पास ₹6.36 करोड़ लंबित हो गए।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने राजमुंदरी विमान पत्तन के विकास के लिए जीओएपी के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए (फरवरी 2007)।

समझौता ज़ापन की शर्तों के अनुसार, एएआई को अपनी लागत<sup>2</sup> पर पूरी परियोजना का निष्पादन करना था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ विमान पत्तन का विकास, एटीआर-42/72 प्रकार के विमानों के मौजूदा परिचालन के लिए उन्हें सुदृढ़ और उन्नयन करने के लिए मौजूदा सुविधाओं में आवश्यक संशोधन और बी737-800/A320 जैसे बड़े प्रकार के विमानों का भविष्य में परिचालन आदि शामिल होगा।

एमओयू में अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया कि एएआई की परिचालन हानि को कम करने के लिए जीओएपी आरंभ में विमान पत्तन के परिचालन की तिथि से शुरू होने वाली पांच वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त विद्युत् प्रदान करेगा। इस रियायत को और अधिक बढ़ाने की आवश्यकता की पांच वर्ष की अवधि के अंत में जीओएपी और एएआई द्वारा संयुक्त रूप से समीक्षा की जानी थी।

मौजूदा विमान पत्तन पर विद्युत् की आपूर्ति के लिए नवंबर 2009 से 800 केवीए की अनुबंधित मांग के लिए एएआई, राजमुंदरी का ईस्टर्न पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी ऑफ आंध्र प्रदेश लिमिटेड के साथ एक करार था। इस करार को 700 केवीए की अनुबंधित मांग के लिए पांच वर्ष की आगामी अवधि के लिए बढ़ाया गया था (जुलाई 2014)। उन्नयित राजमुंदरी विमान पत्तन 16 मई 2012 को चालू हो गया और विमान पत्तन के परिचालन के पहले पांच वर्षों के दौरान, एएआई, राजमुंदरी ने मई 2012 से अप्रैल 2017 के दौरान विद्युत् प्रभारों के लिए ₹6.36 करोड़ का भुगतान किया। हालांकि, एमओयू की शर्तों के अनुपालन में जीओएपी द्वारा फरवरी 2021 तक इसकी प्रतिपूर्ति नहीं की गई थी।

एएआई, राजमुंदरी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में निम्नलिखित का पता चला:

i) 16 मई, 2012 को राजमुंदरी विमान पत्तन के परिचालन के बाद, एएआई, राजमुंदरी ने 25 मई, 2012 को जीओएपी, अवसंरचना और निवेश<sup>3</sup> विभाग के प्रधान सचिव के साथ पांच वर्ष की अवधि के लिए मुफ्त विद्युत् उपलब्ध कराने का मामला उठाया। इस मामले को जून 2012 में जीओएपी द्वारा पूर्वी गोदावरी के कलेक्टर एवं जिलाधिकारी को भेजा गया था। इस मुद्दे पर अक्टूबर 2013 तक जीओएपी और पूर्वी गोदावरी जिले के जिलाधिकारी के साथ विभिन्न पत्राचार किए गए। बाद में, नवंबर 2016 तक कोई अनुवर्ती कार्रवाई या

<sup>2</sup> कुछ निबंधन और शर्तों के अधीन स्वामित्व के आधार पर, मुफ्त और सभी भार से मुक्त आवश्यक अतिरिक्त भूमिसौंपने के लिए जीओएपी के प्रावधान के साथ।

<sup>3</sup> आंध्र प्रदेश राज्य के विभाजन के बाद, विभाग को ऊर्जा, अवसंरचना और निवेश (विमान पत्तन) विभाग का नाम दिया गया।

अनुसरण नहीं किया गया था और इसके बाद जनवरी 2016 में लेखापरीक्षा द्वारा इस मामले के बारे में बताए जाने पर ही फरवरी 2017 में लिखित पत्राचार किया गया था।

ii) हालांकि एएआई, राजमुंदरी, जिसे मई 2012 में चालू किया गया था, विद्युत् प्रभार की प्रतिपूर्ति की संस्वीकृति प्राप्त करने में विफल रहा, एएआई, कडप्पा विमान पत्तन, जहां 7 जून 2015 को विमान पत्तन को चालू किया गया था, को जून 2015 से मार्च 2016 के दौरान व्यय किए गए विद्युत् प्रभारों<sup>4</sup> की प्रतिपूर्ति के लिए जनवरी 2016 में जीओएपी, ऊर्जा, अवसंरचना और निवेश (विमान पत्तन) विभाग के सचिव की संस्वीकृति मिल गई थी। इसके बाद ही एएआई, राजमुंदरी ने कडप्पा विमान पत्तन को जारी किए गए आदेश के समान आदेश जारी करने के लिए फरवरी 2017 में जीओएपी के साथ मामला उठाया था। इसके बाद जीओएपी ने मार्च 2017 में भोगपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीआईएसीएल)<sup>5</sup> से टिप्पणियां मांगी। जीओएपी और एएआई, राजमुंदरी के साथ लंबे समय तक पत्राचार के बाद, बीआईएसीएल ने जीओएपी, ऊर्जा, अवसंरचना और निवेश (विमान पत्तन) विभाग के प्रधान सचिव को पांच वर्षों की अवधि के लिए विमान पत्तन द्वारा किए गए ₹6.36 करोड़ के विद्युत् प्रभारों की प्रतिपूर्ति के लिए सिफारिश की (जुलाई 2017)। हालांकि, मार्च 2019 में लेखापरीक्षा द्वारा फिर से इंगित किए जाने के बाद भी एएआई, राजमुंदरी द्वारा इस मुद्दे पर आंध्र प्रदेश विमान पत्तन विकास निगम लिमिटेड (एपीएडीसीएल)<sup>6</sup> या जीओएपी दोनों के साथ जुलाई 2017 के बाद आगे किसी पत्राचार का कोई अभिलेख नहीं था।

iii) लेखापरीक्षा में पाया गया कि विमान पत्तन के निदेशक, एएआई, राजमुंदरी द्वारा क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक, दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई को विद्युत् प्रभार की प्रतिपूर्ति का अनुसरण करने के लिए हस्तक्षेप करने के अनुरोध (23 जुलाई, 2013) के बावजूद भी न तो दक्षिणी क्षेत्र, चेन्नई के क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक द्वारा हस्तक्षेप/ अनुसरण करने के लिए कोई प्रमाणिक अभिलेख थे और न ही यह दिखाने के लिए कोई अभिलेख था कि मामला कॉर्पोरेट मुख्यालय को आगे भेज दिया गया था।

---

<sup>4</sup> जीओएपी ने अपने बाद के आदेशों के तहत एएआई, कडप्पा द्वारा अक्टूबर 2018 तक किए गए विद्युत् प्रभार की प्रतिपूर्ति को संस्वीकृति प्रदान की।

<sup>5</sup> आंध्र प्रदेश में हवाई अड्डों के त्वरित कार्यान्वयन के लिए जीओएपी द्वारा बनाया गया एक विशेष प्रयोजन वाहन।

<sup>6</sup> नवंबर 2017 में बीआईएसीएल का नाम बदलकर आंध्र प्रदेश एयरपोर्ट्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड कर दिया गया।

iv) हालांकि एमओयू में यह प्रावधान किया गया था कि पांच वर्ष की अवधि के अंत में एएआई और जीओएपी द्वारा रियायतों और छूटों की संयुक्त रूप से समीक्षा की जाएगी, बीआईएसीएल के साथ किए गए एक पत्राचार (11 जुलाई 2017) में जीओएपी के साथ चर्चा का उल्लेख करने के अलावा, इस मामले में जीओएपी के संबंधित विभाग के साथ कोई लिखित संवाद/चर्चा का कार्यवृत्त रिकॉर्ड पर नहीं पाया गया।

इस प्रकार, एएआई, राजमुंदरी द्वारा विद्युत् प्रभार की प्रतिपूर्ति का अनुसरण न करने के परिणामस्वरूप ₹6.36 करोड़ जीओएपी के पास लंबित हो गए।

क्षेत्रीय मुख्यालय (दक्षिणी क्षेत्र), एएआई ने उत्तर दिया (दिसंबर 2020) कि आंध्र प्रदेश राज्य से तेलंगाना राज्य के विभाजन के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि सरकारी तंत्र कार्यों के विभाजन में शामिल था और इसलिए इस मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। उत्तर में यह भी कहा गया कि इस मुद्दे को एक बार फिर विशेष मुख्य सचिव, अवसंरचना और निवेश विभाग, जीओएपी और मुख्य सचिव, जीओएपी के साथ अक्टूबर 2020/ नवंबर 2020 में उठाया गया था। कॉर्पोरेट मुख्यालय, एएआई, नई दिल्ली ने उन्हीं तथ्यों को दोहराया (फरवरी 2021)।

इस उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि जून 2015 में चालू किए गए कडप्पा विमान पत्तन को विद्युत् प्रभार की प्रतिपूर्ति के लिए जनवरी 2016 में जीओएपी से संस्वीकृति मिल गई थी। इसके अलावा, यह तथ्य रहा कि एएआई, राजमुंदरी का अनुसरण प्रभावी और निरंतर नहीं था क्योंकि जनवरी 2016 और मार्च 2019 में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद भी अक्टूबर 2013 से नवंबर 2016 और फिर जुलाई 2017 से सितंबर 2020 के बीच जीओएपी के साथ कोई पत्राचार नहीं हुआ था।

इस प्रकार, उचित अनुसरण की कमी के परिणामस्वरूप फरवरी 2021 तक अर्थात् विमान पत्तन के परिचालन के आठ वर्षों से अधिक समय तक आंध्र प्रदेश राज्य सरकार से ₹6.36 करोड़ के विद्युत् प्रभारों की वसूली नहीं हुई।

जनवरी 2021 में मंत्रालय को लेखापरीक्षा पैरा जारी किया गया था; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जुलाई 2021)।

### 9.3 रॉयल्टी की एकतरफा वृद्धि के कारण परिहार्य अतिरिक्त व्यय

करार की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एएआई द्वारा रॉयल्टी की एकतरफा वृद्धि 2 से 13 प्रतिशत तक हुई, जिसके परिणामस्वरूप ₹6.88 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ।

एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एएआई) ने कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल (एनएससीबीआई) एयरपोर्ट पर फ्लाइट किचन सेवाओं के निर्माण और परिचालन के लिए जून 2025 तक 30 वर्ष की अवधि के लिए पट्टे पर 6,750 वर्ग मीटर भूमि के आवंटन के लिए मेसर्स दी इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) के साथ करार किया (अक्टूबर 1996)। उपरोक्त पट्टे को बाद में आईएचसीएल की नियंत्रित कंपनी मेसर्स ताज सैट्स एयर कैटरिंग लिमिटेड (ताजसैट्स) के पक्ष में उन्ही नियमों और शर्तों पर दे दिया गया था (मार्च 2007)। उपर्युक्त करार की शर्तों के अनुसार आईएचसीएल/ ताजसैट्स को फ्लाइट किचन परिचालन से सकल टर्नओवर (जीटीओ) पर दो प्रतिशत की निर्धारित दर पर रॉयल्टी का भुगतान करना आवश्यक था। हालांकि, विभिन्न विमान पत्तन पर प्राप्त फीडबैक और मौजूदा परिदृश्य के आधार पर, एएआई ने अप्रैल 2008 से रॉयल्टी को 13 प्रतिशत की दर पर एकतरफा रूप से संशोधित कर दिया और मार्च 2017 तक इसका बीजक बनाया गया था।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- रॉयल्टी के उध्वगामी संशोधन को ताजसैट्स द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि यह करार की शर्तों के अनुसार नहीं था।
- एएआई के विधि विभाग ने मामले की जांच की (अप्रैल 2010) और एएआई द्वारा नियुक्त एक कानूनी सलाहकार से कानूनी राय ली (अगस्त 2010), दोनों ने राय दी कि मेसर्स ताजसैट्स द्वारा बढ़ी हुई रॉयल्टी का भुगतान न करना पट्टा करार का उल्लंघन नहीं था।
- उपर्युक्त के बावजूद, एएआई ने अप्रैल 2008 से मार्च 2017 तक जीटीओ के 13 प्रतिशत की दर से रॉयल्टी और उस पर लागू सेवा करों को शामिल करते हुए बीजक को तैयार करना जारी रखा। बीजक के रूप में सेवा कर की राशि भी सेवा कर प्राधिकरण के पास जमा कराई गई थी। इसके अलावा, एएआई ने कॉर्पोरेट कर के निर्धारण और भुगतान के उद्देश्य से अपनी कुल आय के हिस्से के रूप में 13 प्रतिशत की रॉयल्टी की कुल राशि पर विचार किया।



- एएआई ने 11 प्रतिशत (13 प्रतिशत - 2 प्रतिशत) की अंतर राशि रॉयल्टी के लिए ताजसैट्स पर तैयार किए गए बीजकों को वापस लेने और रॉयल्टी पर जमा किए गए सेवा कर के साथ अंतर राशि रॉयल्टी को बढ़े खाते में डालने का फैसला किया (सितम्बर 2019)।
- एएआई की एकतरफा कार्रवाई के परिणामस्वरूप सेवा कर (₹4.07 करोड़) और कॉर्पोरेट कर (₹2.81 करोड़ अर्थात् तत्कालीन कॉर्पोरेट कर दर - वर्तमान कॉर्पोरेट कर दर का अंतर) के भुगतान के प्रति ₹6.88 करोड़ का अतिरिक्त व्यय हुआ (*अनुलग्नक-V*), जिससे बचा जा सकता था, यदि ताजसैट्स पर एकतरफा रूप से बढ़ाई रॉयल्टी के साथ बीजक तैयार नहीं किए गए होते।

रॉयल्टी की एकतरफा वृद्धि और उक्त के तदनुरूपी आहरण के तथ्य को स्वीकार करते हुये (मार्च 2020), प्रबंधन ने बताया कि हालांकि सेवा कर के प्रतिदाय का दावा करने के लिए सीमा की अवधि समाप्त हो गई थी, फिर भी न्यायालय में एक रिट याचिका को बनाए रखा गया था। इसके अलावा, यह भी कहा गया था कि राजस्व के परावर्तन का चालू वर्ष के लाभ पर कॉर्पोरेट कर देयता को कम करने का प्रभाव पड़ेगा जिसके परिणामस्वरूप अंततः एएआई को कोई वित्तीय हानि नहीं होगी।

प्रबंधन का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि संबंधित विभाग से सेवा कर के प्रतिदाय की संभावना कम प्रतीत होती है क्योंकि एएआई निर्धारित समय सीमा अर्थात् एक वर्ष के भीतर इस तरह के प्रतिदाय का दावा करने में विफल रहा। सेवा कर के प्रतिदाय के लिए कोई न्यायालय केस दायर नहीं किया गया था और एएआई ने जनवरी 2021 में प्रतिदाय के लिए केवल सहायक कमिश्नर, जीएसटी से संपर्क किया था। इसके अलावा, उनकी यह प्रतिक्रिया तर्कसंगत नहीं है कि प्रतिदाय का दावा न्यायालय में बनाए रखा गया है, क्योंकि न्यायालय के निर्णयों ने प्रतिदाय का दावा करने के लिए निर्धारित सांविधिक समय सीमा को बरकरार रखा है जो तत्काल मामले में समाप्त हो गया है। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कर के संबंध में प्रबंधन उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राजस्व के परावर्तन के आधार पर कम कॉर्पोरेट कर देयता का लाभ उच्च दर पर भुगतान किए गए कॉर्पोरेट कर की पूरी राशि की वसूली नहीं करेगा क्योंकि बाद में कॉर्पोरेट कर की दर को कम कर दिया गया है। इस प्रकार, कॉर्पोरेट कर का कम भुगतान केवल ₹8.23 करोड़ था और कॉर्पोरेट कर के अधिक भुगतान के कारण ₹2.81 करोड़ (₹11.04 करोड़ - ₹8.23 करोड़) की शेष राशि की एएआई को हानि हुई थी।

इस प्रकार, करार की शर्तों का उल्लंघन करते हुए एएआई द्वारा रॉयल्टी की एकतरफा वृद्धि से सेवा कर (₹4.07 करोड़) के अतिरिक्त भुगतान और कथित रॉयल्टी पर कॉर्पोरेट कर (₹2.81 करोड़) के आधार पर ₹6.88 करोड़ का परिहार्य अतिरिक्त व्यय हुआ जो कभी प्राप्य नहीं था।

लेखापरीक्षा पैरा को नवंबर 2020 में मंत्रालय को जारी किया गया था; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जुलाई 2021)।

#### एयर इंडिया लिमिटेड

#### 9.4 एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा हटाए गए घटकों को लौटाने में देरी के कारण शास्ति का परिहार्य भुगतान

एयर इंडिया लिमिटेड ने रॉटेबल एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए मेसर्स बोइंग के साथ करार किया। करार के अनुसार, एयर इंडिया लिमिटेड को बोइंग द्वारा सेवायोग्य विनिमय घटक की सुपुर्दगी के बाद 10 कैलेंडर दिनों के भीतर मेसर्स बोइंग को घटक की जानकारी के साथ हटाए गए घटक को वापस करना था, इसमें विफल रहने पर विलंबित प्रतिदाय फीस देय है। मेसर्स बोइंग को हटाए गए घटकों को लौटाने में लगातार देरी के परिणामस्वरूप एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा ₹43.85 करोड़ की शास्ति का भुगतान किया गया।

एयर इंडिया लिमिटेड ने रॉटेबल एक्सचेंज प्रोग्राम (787 विमान घटक सेवा कार्यक्रम) के लिए मेसर्स बोइंग के साथ एक करार किया (दिसंबर 2015) और यह करार 6 जुलाई 2016 से प्रभावी हो गया।

करार के अनुसार, ग्राहक (एयर इंडिया लिमिटेड), बोइंग की विनिमय घटक सूची (सेवायोग्य विनिमय घटक) में विनिमय घटक के लिए एक हटाए गए घटक (एक योग्य विमान से हटाए गए अनुपयोगी विनिमय घटक) का आदान-प्रदान कर सकता है। मेसर्स बोइंग को विनिमय घटकों के लिए संबंधित मरम्मत, जाँच और संशोधन सेवाएं प्रदान करनी हैं। करार में विनिमय प्रक्रिया के अनुसार, एयर इंडिया लिमिटेड बोइंग की विनिमय घटक सूची से एक विनिमय घटक के लिए हटाए गए घटक का आदान-प्रदान करने के लिए एक आदेश (अनुच्छेद 3.1) प्रस्तुत कर सकती है। मेसर्स बोइंग को प्राथमिक केंद्र (लंदन) या किसी अन्य केंद्र में, जिसे मेसर्स बोइंग निर्धारित करेगा और एयर इंडिया लिमिटेड को पहले से सूचित करेगा, मेसर्स बोइंग द्वारा व्यवस्थित वाहक पर उपलब्ध कराकर विनिमय घटक (अनुच्छेद 3.2.2.1) को सुपुर्द करना है।

वापसी के समय के संबंध में अनुच्छेद 2.6.1 के अनुसार, एयर इंडिया लिमिटेड को बोइंग द्वारा सेवायोग्य विनिमय घटक को सुपुर्द करने के बाद 10 कैलेंडर दिनों के भीतर घटक जानकारी सहित प्रत्येक हटाए गए घटक को प्राथमिक केंद्र (लंदन) को सुपुर्द करना है। इसके अलावा, विलंबित वापसी फीस के संबंध में अनुच्छेद 3.3.5 में एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा 10 कैलेंडर दिनों की समय सीमा के बाद तब तक प्रति दिन लागू कार्यक्रम भाग संख्या के तत्कालीन वर्तमान मूल्य के एक प्रतिशत के बराबर विलंबित वापसी प्रभार का भुगतान करने का प्रावधान किया, जब तक कि मेसर्स बोइंग को हटाए गए घटक और घटक जानकारी दोनों प्राप्त नहीं होती। यदि मेसर्स बोइंग को विनिमय घटक के सुपुर्द होने के बाद 20 कैलेंडर दिनों के भीतर हटाया गया घटक और जानकारी प्राप्त नहीं हुई, तो एयर इंडिया लिमिटेड को मेसर्स बोइंग को पूर्वगामी विलंबित वापसी प्रभारों के साथ-साथ प्रतिस्थापन घटक के तत्कालीन वर्तमान मूल्य के 110 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ेगा।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

i) जुलाई 2016 से दिसंबर 2019 की अवधि के दौरान, एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा 10 दिनों की निर्धारित समय सीमा के अतिरिक्त हटाए गए घटक की विलंबित वापसी के कई मामले सामने आए। लेखापरीक्षा विश्लेषण से यह पता चला है कि शुरुआती अवधि (जुलाई 2016 से दिसंबर 2017) के दौरान विलंबित वापसी के 170 मामले सामने आए और 88 मामलों में देरी 30 दिन से अधिक रही जिसमें अधिकतम 214 दिनों की थी। हटाए गए घटकों की विलंबित वापसी के कारण शास्ति के प्रति संविदात्मक दायित्व, मेसर्स बोइंग द्वारा प्रस्तावित रियायतों और रियायतों के पश्चात शेष देय राशि नीचे दी गई है:

#### तालिका 9.1: शास्ति का विवरण

(मिलियन यूएस \$ में)

| विवरण                        | 2016 और 2017 | 2018   | 2019   | कुल     |
|------------------------------|--------------|--------|--------|---------|
| वास्तविक दायित्व             | 10.50        | 5.92   | 3.72   | 20.14   |
| मेसर्स बोइंग द्वारा रियायतें | (6.70)       | (4.69) | (2.88) | (14.27) |
| रियायतों के बाद शेष देयताएं  | 3.80         | 1.23   | 0.84   | 5.87    |

ii) एयर इंडिया लिमिटेड ने जुलाई 2016 से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए रियायती विलंबित वापसी फीस/ शास्ति का भुगतान नहीं किया। इसलिए मेसर्स बोइंग ने 31 जुलाई 2020 तक भुगतान प्राप्त नहीं होने पर रोटेबल एक्सचेंज कार्यक्रम के निलंबन की सूचना देते हुए एक पत्र (14 जुलाई 2020) दिया। परिणामस्वरूप, करार के अनुच्छेद 8.4.2 के अनुसार, बोइंग ने एयर इंडिया लिमिटेड को समापन का छह महीने का नोटिस भेजा

(1 अगस्त 2020)। नोटिस के अनुसार, मेसर्स बोइंग ने 16 अगस्त 2020 से पहले दी गई छूट वापस ले ली। अंत में, एयर इंडिया लिमिटेड ने अगस्त 2020 में जुलाई 2016 से दिसंबर 2019 की अवधि के लिए 5.87 मिलियन यूएस डॉलर का लंबित रियायती विलंबित वापसी फीस/ शास्ति का भुगतान किया। इस प्रकार, जैसा कि करार में यथा निर्धारित हटाए गए पुर्जों की वापसी के लिए समय सीमा का पालन न करने के कारण, एयर इंडिया लिमिटेड ने मेसर्स बोइंग को 5.87 मिलियन यूएस डॉलर (₹43.85 करोड़) की शास्ति का भुगतान किया।

एयर इंडिया लिमिटेड ने अपने उत्तर में स्वीकार किया (मार्च 2021) कि 5.87 मिलियन यूएस डॉलर की रियायती कुल विलंबित वापसी शास्ति का भुगतान किया जाना था और 10 दिनों के भीतर हटाए गए पुर्जों को लौटाने में शामिल कठिन गतिविधियों अर्थात्, प्रतिस्थापन के लिए विमान की अनुपलब्धता, सीमा शुल्क की निकासी और उपयोगकर्ताओं से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करने में देरी, को देरी के लिए जिम्मेदार ठहराया। एयर इंडिया लिमिटेड ने आगे कहा कि प्रत्येक कदम पर कार्यों की बारीकी से निगरानी के साथ, घटकों की वापसी की अवधि में सुधार हुआ है क्योंकि बाद के दो वर्षों (2018 और 2019) के लिए भुगतान की गई देय राशि में, प्रारंभिक अवधि (जुलाई 2016 से दिसंबर 2017) में भुगतान की गई देय राशि 3.80 मिलियन यूएस डॉलर की तुलना में कम होकर 2.07 मिलियन यूएस डॉलर तक रह गया था। यह भी कहा गया था कि रोटेबल एक्सचेंज कार्यक्रम को 2020 में न्यूनतम विलंबित वापसी के साथ जारी रखा गया।

उत्तर तर्कसंगत नहीं है, क्योंकि एयर इंडिया लिमिटेड करार में निर्धारित समय सीमा का पालन नहीं कर सकी। एयर इंडिया लिमिटेड को करार के अनुच्छेदों की जानकारी थी; एयर इंडिया लिमिटेड द्वारा 10 दिनों की समय सीमा को पारस्परिक बातचीत से तय और स्वीकार किया गया था और इस प्रकार, उचित कदम उठाने की आवश्यकता थी, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करना शामिल है कि शास्ति के भुगतान से बचने के लिए हटाए गए घटकों को समय पर लौटाया गया था। इस प्रकार, एयर इंडिया लिमिटेड को पुर्जों की वापसी के लिए संविदात्मक रूप से निर्धारित समयसीमा का पालन करने में इसकी असमर्थता के कारण 5.87 मिलियन यूएस डॉलर (₹43.85 करोड़) की शास्ति का भुगतान करना पड़ा था।

मंत्रालय को मई 2021 में लेखापरीक्षा पैरा जारी किया गया था; उनकी प्रतिक्रिया प्रतीक्षित थी (जुलाई 2021)।

## अध्याय X: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

### भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

#### 10.1 चार लेन की बीओटी (टोल) परियोजनाओं के रियायत करारों में असंगत खंड का अवधारण

एनएचएआई पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने में देरी के लिए दो संविदाओं में रियायत ग्राहियों से ₹12.36 करोड़ के हर्जाने का उदग्रहण करने में विफल रहा, क्योंकि एनएचएआई ने फीस की अधिसूचना जारी करने में भी देरी की थी जो रियायत करार की पूर्ववर्ती शर्तों में से एक थी। फीस अधिसूचना को जारी करना चार लेन की परियोजनाओं से संबंधित रियायत करारों में एक असंगत शर्त वाला पूर्ववर्ती खंड था क्योंकि वाणिज्यिक परिचालन तिथि प्राप्त करने पर टोल परिचालन को शुरू किया जाना था।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने मध्य प्रदेश राज्य में क्रमशः 15 जून 2015 और 27 अगस्त 2015 को एनएच-3 के शिवपुरी-गुना खंड के किमी 236.00 से किमी 332.100 तक चार लेन और ब्यौरा से देवास खंड में किमी 426.100 से किमी 566.450 तक चार लेन करने के लिए दो रियायत करार किए। परियोजनाओं की नियत तिथि<sup>1</sup> क्रमशः 25 जनवरी 2016 और 9 जुलाई 2016 घोषित की गई थी और निर्धारित पूर्णता तिथि क्रमशः 24 जुलाई 2018 और 6 जनवरी 2019 थी।

राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के उद्देश्य से, योजना आयोग ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) और एनएचएआई द्वारा उपयोग के लिए अप्रैल 2009 (दूसरा संस्करण) में राजमार्गों के निर्माण के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं के लिए आवेदन हेतु अवसंरचना पर एक समिति के अनुमोदन के साथ एक मॉडल रियायत करार को प्रकाशित किया। मॉडल रियायत करार, पूर्ववर्ती शर्त से संबंधित अनुच्छेद 4 के अनुसार, रियायत करार के तहत एनएचएआई और रियायतग्राही के अधिकार व दायित्व अनुच्छेद में निर्दिष्ट पूर्ववर्ती शर्तों से पूर्ण रूप से संतुष्टि के अधीन होंगे। एनएचएआई द्वारा पूरी की जाने वाली एक पूर्ववर्ती शर्त, 'फीस अधिसूचना जारी करना' है। इसके अलावा, मॉडल रियायत

<sup>1</sup> नियत तिथि, रियायत अवधि शुरू करने के साथ-साथ रियायत ग्राही को राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य शुरू करने का अधिकार प्राप्त करने की तिथि भी है।

करार के अनुच्छेद 4.2 और 4.3 में यह कहा गया है कि यदि एनएचएआई या रियायतग्राही, रियायत करार की किसी भी शर्त को पूरा करने में विफल रहा, तो वह हर्जाना के भुगतान के लिए उत्तरदायी होगा।

उपर्युक्त दो परियोजनाओं के संबंध में यह नोट किया गया था कि एनएचएआई ने रियायतग्राही द्वारा पूर्ववर्ती शर्तों को पूरा करने में देरी के आधार पर ₹12.36 करोड़<sup>2</sup> का हर्जाना उद्ग्रहीत नहीं किया (रियायत करार का अनुच्छेद 4.1.3) क्योंकि एनएचएआई ने प्रक्रियात्मक कमियों के कारण फीस अधिसूचना जारी करने में भी देरी की जोकि पूर्ववर्ती शर्तों में से एक थी (रियायत करार का अनुच्छेद 4.1.2)।

अभिलेखों की जांच से निम्नलिखित का पता चला:

(i) वाणिज्यिक परिचालन तिथि के संबंध में मॉडल रियायत करार के अनुच्छेद 15.1 के अनुसार, चार लेन को तब पूरा माना जाएगा, जब पूर्णता प्रमाण पत्र या अनंतिम प्रमाण पत्र<sup>3</sup>, जैसा भी मामला हो, अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के तहत जारी किया जाता है और तदनुसार परियोजना की वाणिज्यिक परिचालन तिथि वह तिथि होगी जिस पर ऐसा पूर्णता प्रमाण पत्र या अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। राजमार्ग परियोजना, वाणिज्यिक परिचालन तिथि पर वाणिज्यिक सेवा में प्रवेश करेगी जिस पर रियायतग्राही अनुच्छेद 27 के प्रावधानों के अनुसार फीस की मांग करने और एकत्र करने का हकदार होगा। इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि रियायतग्राही परियोजना के कम से कम 75 प्रतिशत निर्माण कार्य को पूर्ण करने पर या परियोजना के पूरे निर्माण कार्य को पूर्ण करने के बाद टोल परिचालन को शुरू करने का हकदार होगा। इसके अलावा, उपर्युक्त दोनों मामलों में उपयोगकर्ता फीस को एकत्र करने के लिए फीस अधिसूचना जारी करने की आवश्यकता, परियोजना की 75 प्रतिशत पूर्णता पर उत्पन्न होगी अर्थात् परियोजना के वाणिज्यिक परिचालन तिथि को या इसके बाद और निर्माण कार्य शुरू होने की तिथि से पहले नहीं। इसलिए, फीस अधिसूचना जारी करना उन चार लेन परियोजनाओं से संबंधित रियायत करारों में एक असंगत पूर्ववर्ती शर्त खंड था जिस पर वाणिज्यिक परिचालन तिथि प्राप्त करने पर टोल का परिचालन शुरू किया जाना था।

<sup>2</sup> बियारा से देवास खंड में 67 दिन की देरी के लिए ₹10.62 करोड़ और शिवपुरी-गुना खंड में 21 दिन की देरी के लिए ₹1.74 करोड़।

<sup>3</sup> परियोजना राजमार्ग के परिचालित हिस्से के लिए रियायतग्राही के अनुरोध पर अनंतिम प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, यदि परियोजना राजमार्ग की कुल लंबाई का कम से कम 75 प्रतिशत पूरा हो गया है।

(ii) उपरोक्त के संबंध में, नमूना जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने देखा कि अन्य रियायतग्राहियों के साथ किए गए छह रियायत करारों<sup>4</sup> में, एमओआरटीएच/एनएचएआई ने योजना आयोग के विचारों के अनुरूप फीस अधिसूचना जारी करने की पूर्ववर्ती शर्त को हटाकर परियोजना विशिष्ट आवश्यकता के अनुसार रियायत करारों में संशोधन किया था, जिसमें मॉडल रियायत करारों के अग्रेशन में यह बताया गया था कि एमओआरटीएच और एनएचएआई अपने विवेकाधिकार में इस मॉडल रियायत करार को संशोधन के साथ या संशोधन के बिना अपना सकते हैं। हालांकि, उपर्युक्त दोनों परियोजनाओं में, इस खंड को हटाया नहीं गया था।

इसलिए, रियायत करारों में पूर्ववर्ती शर्त के रूप में फीस अधिसूचना जारी करने से संबंधित खंड को हटाने में एमओआरटीएच/एनएचएआई के असंगत दृष्टिकोण के परिणामस्वरूप रियायतग्राही से ₹12.36 करोड़ की शास्ति का उदग्रहण नहीं किया।

प्रबंधन ने अपने उत्तर में कहा (अगस्त 2020) कि एनएचएआई द्वारा देय हर्जाना, दोनों मामलों में रियायतग्राही द्वारा पूर्ववर्ती शर्त की प्राप्ति में देरी के कारण हर्जाने से अधिक थी। इसके अलावा, वर्ग कोष्ठक के तहत फीस अधिसूचना जारी करने की पूर्ववर्ती शर्त को हटाने की व्यवस्था नहीं की गई थी, इसलिए इसे संशोधित नहीं किया गया था। मॉडल रियायत करारों के अनुसार, इस पूर्ववर्ती शर्त में किसी भी संशोधन/चूक को उचित नहीं माना गया था और यह रियायतग्राही को स्वीकार्य नहीं हो सकता है। फीस अधिसूचना के प्रकाशन में देरी प्रक्रियात्मक थी।

एमओआरटीएच ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार करते हुए कहा (मार्च 2021) कि लेखापरीक्षा का मत वैध है कि नियत तिथि घोषित करने के लिए इस पूर्ववर्ती शर्त की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि टोलिंग को वाणिज्यिक परिचालन तिथि के बाद ही शुरू किया जाएगा। लेकिन चूंकि यह प्रावधान मॉडल रियायत करार का हिस्सा है, इसलिए यदि आवश्यक हो तो केवल यथासमय पर मॉडल रियायत करार में संशोधन के समय ही सुधार किया जा सकता है। फीस अधिसूचना जारी करने की पूर्ववर्ती शर्त को वर्ग कोष्ठक के तहत प्रदान नहीं किया गया था, इसलिए यह संशोधन योग्य नहीं था। अब रियायत करारों को अधिकतर हाइब्रिड वार्षिकी आधार पर प्रदान किया जाता है और हाइब्रिड वार्षिकी आधार पर प्रदान की गई परियोजनाओं के लिए यह पूर्ववर्ती शर्त निर्धारित नहीं की जाती है। इस प्रकार,

<sup>4</sup> बदरपुर एलिवेटेड हाईवे., जम्मू से ऊधमपुर, चेन्नई से नाशरी, क्वाजिगुंड से बनिहाल, आगरा से अलीगढ़ और पानीपत से जालंधर

यह कहा जा सकता है कि इस संबंध में उपचारात्मक उपाय पहले ही किए जा चुके हैं। फीस अधिसूचना के प्रकाशन में देरी प्रक्रियात्मक थी और उस समय प्रचलित निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने से हुई थी।

तथापि, यह तथ्य रहा कि यह जानने के बावजूद कि फीस अधिसूचना जारी करने की यह पूर्ववर्ती शर्त असंगत थी, एनएचएआई द्वारा मॉडल रियायत करार में इसके संशोधन के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई है। परिणामस्वरूप, एनएचएआई रियायतग्राही की ओर से विलंब के बावजूद रियायतग्राही पर हर्जाना नहीं लगा सका और न ही वसूल कर सका। इसके अलावा, लेखापरीक्षा ने छह मामलों में नमूना जांच के आधार पर देखा कि एनएचएआई ने इस पूर्ववर्ती शर्त को हटा दिया था, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, लेकिन शिवपुरी-गुना और ब्यौवरा-देवास परियोजनाओं के दोनों रियायत करारों में इसे हटाने में विफल रहा। इसके अलावा मॉडल रियायत करार को अग्रेषित करने में योजना आयोग ने बताया था कि एमओआरटीएच और एनएचएआई अपने विवेकाधिकार से इस मॉडल रियायत करार को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के अपना सकते हैं।

इस प्रकार, दंडात्मक निहितार्थ वाली असंगत पूर्ववर्ती शर्त को पूरा करने में देरी होने के साथ-साथ न हटाये जाने के कारण, एनएचएआई रियायतग्राही पर रियायत करार का दंडात्मक प्रावधान लागू नहीं कर सका और उसे ₹12.36 करोड़ तक पारस्परिक रूप से हर्जाना माफ करने के लिए मजबूर किया गया।

#### **सिफारिश संख्या 11**

एनएचएआई रियायतग्राही को अनुचित लाभ न देने के लिए सभी बीओटी (टोल) परियोजनाओं में पूर्ववर्ती शर्त के रूप में फीस अधिसूचना जारी करने जैसे असंगत प्रावधानों में सुधार करने के लिए मॉडल रियायत करार की समीक्षा कर सकता है।

#### **10.2 सीवीसी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए करार में क्षति गणना खंड में पश्च संविदा संशोधन का सहारा लेकर रियायतग्राही को अनुचित लाभ देना**

एनएचएआई ने सीवीसी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए क्षति की गणना विधि को संशोधित करके रियायत करार में निर्दिष्ट दर से कम दर पर हर्जाना लगाकर रियायतग्राही को ₹10.94 करोड़ का अनुचित लाभ प्रदान किया।

केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) ने नवंबर 2002 में संविदाओं के प्रदान करने और निष्पादन में सामान्य अनियमितताओं और खामियों और उसके सुधार के लिए दिशा-निर्देशों पर एक



दस्तावेज प्रकाशित किया। सीवीसी ने पाया कि संविदा प्रदान किए जाने के बाद संविदाकारों को वित्तीय लाभ देने वाली संविदा शर्तों में वित्तीय निहितार्थ वाले संशोधनों/सुधारों को बाद में प्राधिकृत किया जाता है। सीवीसी ने आगे पाया कि संविदा के समापन के बाद, संविदा शर्तों/ विनिर्देशों में किसी भी छूट को गंभीर रूप से हतोत्साहित किया जाना चाहिए (खंड 22-पश्च संविदा प्रबंधन)।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने इंडस्ट्रीयल लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड द्वारा प्रचारित कंपनी वेस्ट गुजरात एक्सप्रेसवे लिमिटेड (डब्ल्यूजीईएल) के साथ रियायत करार किया था (मार्च 2005)। कार्यक्षेत्र में गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्ग-8बी पर निर्माण, प्रचालन एवं हस्तांतरण (बीओटी) के आधार पर मौजूदा 26 कि.मी. जैतपुर-गोंडल खण्ड सी-1 (117 कि.मी. से 143 कि.मी.) को चौड़ा करना (दो से चार लेन में), मौजूदा 32 कि.मी. गोंडल-राजकोट 4 लेन खण्ड सी-2 (143 कि.मी. से 175 कि.मी.) में सुधार, और मौजूदा 10 कि.मी. राजकोट बाईपास सेक्शन सी-3 (175 कि.मी. से 185 कि.मी.) का चौड़ीकरण (दो से चार लेन) शामिल था। खंड सी-2 के लिए वाणिज्यिक परिचालन तिथि (सीओडी) 26 अक्टूबर 2006 थी और खंड सी-1 और सी-3 के लिए 17 मार्च 2008 थी। करार के अनुसार, डब्ल्यूजीईएल को उपयोगकर्ताओं से टोल इकट्ठा करने के लिए 20 साल की रियायत अवधि की अनुमति दी गई थी।

रियायत करार का अध्याय IV “परियोजना विकास और परिचालन” से संबंधित है और अध्याय के खंड XVIII, 'परिचालन और रखरखाव' के निबंधन और शर्तें निर्धारित करता है। उप-खंड 18.3 में यह प्रावधान किया गया है कि रियायतग्राही प्रत्येक वर्ष के आरंभ से पहले एनएचएआई को, अनुरक्षण नियमावली और रियायत करार की अनुसूची 'एल' में उल्लिखित न्यूनतम रखरखाव आवश्यकताओं के अधीन परियोजना राजमार्ग को हर समय विनिर्देशों और मानकों के अनुरूप रखने के लिए परियोजना राजमार्ग के निवारक और अन्य अनुसूचित अनुरक्षण के अपने प्रस्तावित कार्यक्रम को प्रदान करेगा।

अनुसूची 'एल' के खंड 3.3.7 और 4.3.2.3 के अनुसार रियायतग्राही को सीओडी से हर पांच वर्षों में कम से कम एक बार आवश्यकतानुसार कैरिजवे के आवधिक रखरखाव करना आवश्यक था। यदि रियायतग्राही मानकों और विनिर्देशों के अनुसार परियोजना राजमार्ग का रख-रखाव करने में विफल रहता है, तो रियायत करार के खंड 18.12 में एनएचएआई को रियायतग्राही के जोखिम और लागत पर ऐसी मरम्मत और रखरखाव करने की अनुमति प्रदान की गई थी। यदि एनएचएआई ने करार के खंड 18.13 के अनुसार खंड 18.12 में

दिए गए विकल्प का प्रयोग नहीं करने का फैसला किया, तो एनएचएआई परियोजना राजमार्ग के परिचालन और रखरखाव में चूक के लिए, जिसकी गणना, चूक के ठीक होने की 30 दिनों की अवधि के बाद ठीक होने तक चूक के प्रत्येक दिन के लिए ₹10,000 या स्वतंत्र सलाहकार द्वारा अनुमानित इस तरह की मरम्मत की लागत के 0.1 प्रतिशत, जो भी अधिक है, की क्षति की वसूली कर सकता था। किसी भी पक्ष द्वारा दूसरे को देय क्षति, रियायत करार के खंड 1.2 (पी) में परिभाषित की गई थी क्योंकि पारस्परिक रूप से सहमत वास्तविक पूर्व अनुमानित हानि और क्षति को इसे प्राप्त करने के हकदार पक्ष द्वारा वहन और व्यय करने की संभावना है और शास्ति या निर्णीत हर्जाना के द्वारा नहीं।

डब्ल्यूजीईएल ने पहले पांचवें वर्ष के आवधिक रखरखाव को पूरा करने में देरी की और स्वतंत्र सलाहकार ने डब्ल्यूजीईएल से वसूल की जाने वाली क्षति का अनुमान लगाया, जैसा कि नीचे विस्तार में दिया गया है:

**तालिका 10.1: डब्ल्यूजीईएल से वसूल की जाने वाली अनुमानित क्षति**

| खंड        | सीओडी      | पांचवें वर्ष के रखरखाव के लिए नियत तिथि | पहले पांच वर्षों के रखरखाव में देरी |                     |
|------------|------------|---|-------------------------------------|---------------------|
|            |            | पहली नियत तिथि                          | निम्नलिखित पर समाप्त                | अनुमानित क्षति      |
| सी2        | 26.10.2006 | 26.10.2011                              | 31.03.2013                          | ₹13.41 करोड़*       |
| सी1 और सी3 | 17.03.2008 | 17.03.2013                              | 06.01.2014                          | ₹7.64 करोड़#        |
| <b>कुल</b> |            |   |                                     | <b>₹21.05 करोड़</b> |

\* स्वतंत्र सलाहकार, मेसर्स साई कंसल्टिंग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड द्वारा; नियमित रखरखाव लागत शामिल नहीं है।

# कंसल्टिंग इंजीनियर्स, मेसर्स फ्रिशमैन प्रभु द्वारा; स्वतंत्र सलाहकार की टिप्पणियों पर डब्ल्यूजीईएल की देरी से प्रतिक्रिया के लिए स्वतंत्र सलाहकार द्वारा अनुशंसित ₹4 लाख की शास्ति को छोड़कर।

डब्ल्यूजीईएल ने सलाहकारों द्वारा अनुशंसित क्षति का भुगतान नहीं किया और एनएचएआई के अध्यक्ष के साथ बैठक के लिए अनुरोध किया (अगस्त 2017)। सितंबर 2018 में हुई बैठक में, एनएचएआई ने फरवरी 2018 की एनएचएआई की 'आवधिक रखरखाव और क्षति की गणना/नीति दिशानिर्देश' के अनुसार क्षति की गणना का विकल्प प्रस्तुत किया। इन दिशा-निर्देशों में कहा गया कि क्षति मरम्मत कार्य की लागत पर लागू होनी चाहिए जो दिन-प्रतिदिन के आधार पर कम हो रही थी जब साइट पर कार्य किया जा रहा था। एनएचएआई ने इसे लागू किया और भुगतान की जाने वाली क्षति को ₹21.05 करोड़ से ₹10.11 करोड़ तक कम किया; डब्ल्यूजीईएल ने जुलाई 2019 में राशि प्रेषित की।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एनएचएआई ने रियायत करार में निर्दिष्ट हर्जाने से कम हर्जाना लगाकर रियायतग्राही को ₹10.94 करोड़ (₹21.05 करोड़ - ₹10.11 करोड़) का अनुचित लाभ दिया। फरवरी 2018 के एनएचएआई दिशानिर्देशों को लागू करने से क्षति का दावा ₹21.05 करोड़ से ₹10.11 करोड़ तक कम हो गया। लेखापरीक्षा का यह भी मानना है कि मार्च 2005 में की गई संविदा के लिए फरवरी 2018 के दिशा-निर्देशों के आधार पर क्षति की गणना में कार्यप्रणाली में संशोधन करना नवंबर 2002 में प्रकाशित सीवीसी दिशानिर्देशों का उल्लंघन था।

एनएचएआई/सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा (जुलाई 2020/जनवरी 2021) कि नीति दिशानिर्देशों में करार के किसी भी खंड को संशोधित नहीं किया गया; इसमें केवल यह स्पष्ट किया गया था कि विलंब अवधि की गणना कैसे की जानी चाहिए और यह क्षति मरम्मत कार्य की लागत पर लागू होनी चाहिए जो दिन-प्रतिदिन के आधार पर कम हो रही थी जब साइट पर नवीकरण कार्य किया जा रहा था।

एनएचएआई/मंत्रालय का उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि लगाए जाने वाले हर्जाने के संबंध में रियायत करार में स्पष्टता की कोई कमी नहीं थी। दूसरी ओर, क्षति की गणना की विधि में परिवर्तन संविदात्मक शर्तों में संशोधन/छूट के समान है जिसके परिणामस्वरूप अंततः रियायतग्राही को ₹10.94 करोड़ का वित्तीय लाभ दिया गया।

इस प्रकार, एनएचएआई ने निबंधन और शर्तों में पश्च संविदा छूट का सहारा लेकर रियायत करार में निर्दिष्ट से कम हर्जाना लगाकर रियायतग्राही को ₹10.94 करोड़ का अनुचित लाभ दिया जो सीवीसी के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन था।

### **सिफारिश संख्या 12**

एनएचएआई को संगठन के सर्वाधिक वित्तीय हित में संविदाओं का निष्पादन करते समय संविदात्मक शर्तों का पालन सुनिश्चित करना चाहिए और हर्जाने की गणना के संदर्भ में एनएचएआई के दिशा-निर्देशों को पूर्वव्यापी ढंग से लागू करने से बचना चाहिए।

## अध्याय XI: लेखापरीक्षा में बताए जाने पर सीपीएसई द्वारा वसूली और सुधार/परिशोधन

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एयर इंडिया लिमिटेड, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नॉदर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल रिफ़ैक्टरी कंपनी लिमिटेड, दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

### 11.1 लेखापरीक्षा में बताए जाने पर वसूली

15 सीपीएसई से संबंधित 23 मामलों में, लेखापरीक्षा में बताया गया कि वसूली के लिए ₹2,787.44 करोड़ की राशि देय थी। सीपीएसई के प्रबंधन ने ₹2,771.14 करोड़ रुपये की राशि वसूल की थी जैसा कि *अनुलग्नक-VI* में वर्णन किया गया है।

एयर इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियां, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, फेरो स्क्रेप निगम लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

### 11.2 लेखापरीक्षा में बताए जाने पर सुधार/परिशोधन

क) 'वित्तीय लेखाकरण और नियंत्रण, मानव पूंजी प्रबंधन और सामग्री प्रबंधन मॉड्यूल पर बल देने के साथ एयर इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों में लागू एसएपी-ईआरपी प्रणाली' की आईटी लेखापरीक्षा के दौरान की गई लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के आधार पर प्रबंधन ने कई सुधारात्मक कार्रवाई की। एसएपी-ईआरपी प्रणाली पर दी गई महत्वपूर्ण अभ्युक्तियाँ, जिन पर प्रबंधन द्वारा सुधारात्मक कार्रवाई की गई, वह (i) कर्मचारियों की अगली वेतन वृद्धि की तिथि का चित्रण न करना, (ii) धार्मिक संप्रदायों से संबंधित मास्टर कोड का दोहराव, (iii) बैंकों के एमआईसीआर कोड को गलत तरीके से लिया जाना, (iv) ईसीएस बैंक विवरण को कैप्चर करने के लिए बनाई गई अनुकूलित तालिका जेडएफ1074 में विसंगतियाँ, (v) शैक्षिक विवरणों को कैप्चर न करना, (vi) शैक्षणिक योग्यता की अधूरी रिपोर्ट का सृजन, (vii) सृजित की गई खरीद मांग सूची रिपोर्ट में अधूरी/गलत जानकारी, हैं।

ख) नमूना जांच के दौरान, निर्धारित नियमों के उल्लंघन और प्रणाली में कमियों से संबंधित मामलों का अवलोकन कर प्रबंधन के संज्ञान में लाया गया था। लेखापरीक्षा में बताए जाने पर प्रबंधन द्वारा जिन मामलों में सुधारात्मक कार्रवाई की गई थी, उन मामलों का ब्यौरा *अनुलग्नक-VII* में दिया गया है।

## अध्याय XII

### लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर अनुवर्ती कार्रवाई

सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पीएसयू के विभिन्न कार्यालयों और विभागों में अनुरक्षित लेखों एवं अभिलेखों की संवीक्षा प्रक्रिया के समापन को प्रस्तुत करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल लेखापरीक्षा परिणामों पर कार्यकारिणी से उचित एवं समय पर प्रतिक्रिया प्राप्त हो।

लोकसभा सचिवालय ने सभी मंत्रालयों को संसद के दोनों सदनों के पटल पर रखे गए सीएजी के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में निहित विभिन्न पैराग्राफों/ मूल्यांकनों पर उनके द्वारा की गई सुधारात्मक/ संशोधक कार्रवाई को दर्शाते हुए टिप्पणियां (लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित) प्रस्तुत करने का अनुरोध (जुलाई 1985) किया। ऐसी टिप्पणियों को उन पैराग्राफों/ मूल्यांकनों के संबंध में भी प्रस्तुत करना आवश्यक था, जिनका चयन विस्तृत जांच हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की समिति (सीओपीयू) द्वारा नहीं किया गया था। उपरोक्त निर्देशों को दोहराते हुए सीओपीयू ने अपनी द्वितीय रिपोर्ट (1998-99:बारहवीं लोकसभा) में सिफारिश की:


- प्रत्येक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) के संबंध में की गई कार्रवाई पर टिप्पणियों (एटीएन) की प्रस्तुति को मॉनीटर करने के लिए प्रत्येक मंत्रालय में एक मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ की स्थापना करना।
- विभिन्न मंत्रालयों के तहत कई पीएसयू के पैरा वाली रिपोर्ट के संबंध में एटीएन की प्रस्तुति को मॉनीटर करने के लिए सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) में एक मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ की स्थापना करना; और
- संसद में प्रस्तुत सीएजी के सभी प्रतिवेदनों के संदर्भ में लेखापरीक्षा द्वारा विधिवत पुनरीक्षित अनुवर्ती एटीएन सम्बंधित लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति की तिथि से छः माह के अन्दर समिति को प्रस्तुत करना।

उपरोक्त सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करते हुए, सीओपीयू ने अपने प्रथम प्रतिवेदन (1999-2000: तेरहवीं लोकसभा) में अपनी पूर्व सिफारिशों को दोहराया कि डीपीई को भिन्न-भिन्न उपक्रमों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में शामिल टिप्पणियों पर विभिन्न मंत्रालयों/ विभागों द्वारा की गई अनुवर्ती कार्रवाई को

मॉनीटर करने के लिए डीपीई में ही एक पृथक मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ स्थापित करना चाहिए। तदनुसार, संबद्ध प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों द्वारा एटीएन प्रस्तुत करने हेतु अनुवर्ती कार्रवाई को मॉनीटर करने के लिए अगस्त 2000 से डीपीई में एक मॉनीटरिंग प्रकोष्ठ कार्य कर रहा है। सीएजी के विभिन्न प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) पर एटीएन को प्रस्तुत करने के लिए संबंधित मंत्रालयों के अंदर भी निगरानी प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं।


लेखापरीक्षा समीक्षा से पता चला कि अनुस्मारकों के बावजूद विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत पीएसयू से संबंधित पिछले पांच वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (वाणिज्यिक) में शामिल 54 संव्यवहार लेखापरीक्षा/ अनुपालन लेखापरीक्षा पैराग्राफों/ समीक्षाओं और तीन निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर उपचारात्मक/ सुधारात्मक एटीएन, जांच हेतु लेखापरीक्षा को प्राप्त नहीं हुए थे जिनका **अनुलग्नक-VIII** में ब्यौरा दिया गया है।

नई दिल्ली  
दिनांक: 29 नवम्बर 2021

  
(आर जी विश्वनाथन)  
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
तथा अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली  
दिनांक: 29 नवम्बर 2021

  
(गिरीश चंद्र मुर्मू)  
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक





**अनुलग्नक**



## अनुलग्नक-I

(पैरा 2.4 में संदर्भित)

प्रोसेस गैस कम्प्रेसर्स के पावर टर्बाइनों और कंप्रेसर के ओवरहालिंग और वास्तविक रनिंग घंटों के लिए मानक घंटे दिखाने वाला विवरण

| क्रम संख्या | पीजीसी             | उप-उपकरण     | ओवरहाल के लिए मानक घंटे | रनिंग घंटे |
|-------------|--------------------|--------------|-------------------------|------------|
| 1           | एसएचजी पीजीसी ए    | पावर टर्बाइन | 100,000                 | 175,663    |
| 2           | एसएचजी पीजीसी बी   | पावर टर्बाइन | 100,000                 | 175,594    |
|             |                    | कंप्रेसर     | 50,000                  | 180,425    |
| 3           | एसएचजी पीजीसी सी   | पावर टर्बाइन | 100,000                 | 188,810    |
|             |                    | कंप्रेसर     | 50,000                  | 61,784     |
| 4           | एसएचजी पीजीसी डी   | पावर टर्बाइन | 100,000                 | 124,734    |
|             |                    | कंप्रेसर     | 50,000                  | 100,853    |
| 5           | एसएचजी पीजीसी ई    | पावर टर्बाइन | 100,000                 | 170,270    |
|             |                    | कंप्रेसर     | 50,000                  | 66,517     |
| 6           | एसएचजी पीजीसी एफ   | पावर टर्बाइन | 100000                  | 111,237    |
| 7           | एनक्यूपी पीजीसी ए  | पावर टर्बाइन | 100,000                 | 169,087    |
| 8           | आईसीपी पीजीसी बी   | पावर टर्बाइन | 100,000                 | 105,587    |
| 9           | एनक्यूजी पीजीसी ए  | पावर टर्बाइन | 100,000                 | 157,842    |
|             |                    | कंप्रेसर     | 50,000                  | 69,129     |
| 10          | एनक्यूपी पीजीसी बी | पावर टर्बाइन | 100,000                 | 175,818    |
|             |                    | कंप्रेसर     | 50,000                  | 107,075    |
| 11          | एनक्यूपी पीजीसी सी | पावर टर्बाइन | 100,000                 | 182,372    |
| 12          | आईसीपी पीजीसी सी   | कंप्रेसर     | 50,000                  | 71,448     |
| 13          | एनक्यूजी पीजीसी डी | कंप्रेसर     | 50,000                  | 84,995     |
| 14          | बीएचएस पीजीसी ए    | कंप्रेसर     | 50,000                  | 64,036     |
| 15          | एमएसपी पीजीसी ए    | कंप्रेसर     | 50,000                  | 116,275    |
| 16          | एसएचपी पीजीसी सी   | कंप्रेसर     | 50,000                  | 62,218     |

गैस प्रज्जवलन के मूल्यांकन के लिए परिकलन

(राशि ₹ में)

| वर्ष       | प्रज्जवलित गैस का मूल्य | प्रक्रिया विचलन के कारण कमी | गैस के प्रज्जवलन के कारण निवल हानि |
|------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| 2012-13    | 180,26,38,670           | 49,35,62,467.7              | 130,90,76,202                      |
| 2013-14    | 130,78,88,911           | 23,65,97,104.1              | 107,12,91,807                      |
| 2014-15    | 160,85,81,853           | 39,94,10,874.1              | 120,91,70,979                      |
| 2015-16    | 97,32,50,160            | 12,66,19,845.8              | 84,66,30,314                       |
| 2016-17    | 54,60,94,337            | 15,76,57,435.2              | 38,84,36,902                       |
| 2017-18    | 77,97,91,516            | 14,72,24,638.2              | 63,25,66,878                       |
| 2018-19    | 123,11,07,065           | 22,80,01,028.4              | 100,31,06,036                      |
| 2019-20    | 196,14,41,525           | 26,08,71,722.8              | 170,05,69,802                      |
| <b>कुल</b> | <b>1021,07,94,036</b>   | <b>204,99,45,116</b>        | <b>816,08,48,920</b>               |

₹1021.08 करोड़ - ₹205.00 करोड़ = ₹816.08 करोड़

**अनुलग्नक-II**  
(पैरा 2.6 में संदर्भित)

उन कुओं की सूची जहां बाम्बे हाई (बीएच) प्लेटफॉर्म और बेसिन और सैटेलाइट एसेट के वसई ईस्ट में महंगे प्रीमियम केसिंग पाइप का उपयोग किया गया था

| कुएं का नाम                         | एल-80 प्रीमियम केसिंग की लागत (₹ प्रति मीटर) | जगह में इस्तेमाल किए गए 13 करोड़ एल-80 प्रीमियम केसिंग की लागत (₹ प्रति मीटर) | उपयोग की गयी मात्रा (मीटर में) | एल-80 प्रीमियम केसिंग की लागत (₹ में) | जगह में उपयोग की गयी केसिंग की लागत (₹ में) | अंतर (₹ में)        |
|-------------------------------------|--|---|--------------------------------|---------------------------------------|---|---------------------|
| (1)                                 | (2)  | (3)   | (4)                            | (5 = 2X4)                             | (6 = 3X4)                                   | (7 = 6-5)           |
| बीएच#3एच                            | 4,263.53                                     | 13,979.18   | 394                            | 16,79,831                             | 55,07,797                                   | 38,27,966           |
| बीएच#4एच                            | 4,263.53                                     | 13,941.28   | 2,365                          | 1,00,83,248                           | 3,29,71,127                                 | 2,28,87,879         |
| बीएच#5एच                            | 4,263.53                                     | 13,941.28   | 2,380                          | 1,01,47,201                           | 3,31,80,246                                 | 2,30,33,045         |
| बीएच#5जेड                           | 4,263.53                                     | 13,979.18   | 1,701                          | 72,52,265                             | 2,37,78,585                                 | 1,65,26,321         |
| बीएच#6                              | 4,263.53                                     | 13,979.18   | 442                            | 18,84,480                             | 61,78,798                                   | 42,94,318           |
|                                     | 4,263.53                                     | 13,941.28   | 320                            | 13,64,330                             | 44,61,210                                   | 30,96,880           |
| <b>कुल बीएच प्लेटफॉर्म कुएं (क)</b> |  |   |                                |                                       |   | <b>7,36,66,609</b>  |
| वीएसईबी#3एच                         | 4,263.53                                     | 13,979.18   | 2,578                          | 1,09,91,380                           | 3,60,38,326                                 | 2,50,46,946         |
| वीएसईसी#2एच                         | 4,263.53                                     | 13,979.18   | 2,700                          | 1,15,11,531                           | 3,77,43,786                                 | 2,62,32,255         |
| वीएसईसी#3एच                         | 4,263.53                                     | 13,979.18   | 2,856                          | 1,21,76,642                           | 3,99,24,538                                 | 2,77,47,896         |
| वीएसईसी#5एच                         | 4,263.53                                     | 13,979.18   | 2,340                          | 99,76,660                             | 3,27,11,281                                 | 2,27,34,621         |
| वीएसईसी#11एच                        | 4,263.53                                     | 13,941.28   | 1,365                          | 58,19,718                             | 1,90,29,847                                 | 1,32,10,129         |
| वीएसईसी#16                          | 4,263.53                                     | 12,826.25   | 3,153                          | 1,34,42,910                           | 4,04,41,166                                 | 2,69,98,256         |
| <b>कुल वसई पूर्वी कुएं (ख)</b>      |  |   |                                |                                       |   | <b>14,19,70,103</b> |
| <b>कुल जोड़ (क) + (ख)</b>           |  |   |                                |                                       |   | <b>21,56,36,712</b> |

मान लीजिये ₹21.56 करोड़

## अनुलग्नक-III

(पैरा 4.6 में संदर्भित)

आईआरडीएआई की अधिसूचना पर या उससे पहले प्राप्त प्रस्तावों पर प्रीमियम का कम संग्रहण

| उत्पाद कोड     | वाहन श्रेणी कोड | पालिसियों की संख्या | वास्तव में प्रभारित प्रीमियम (प्रस्ताव की तारीख पर प्रचलित दर के आधार पर) (₹ में) | प्रभारित किया जाने वाला प्रीमियम (प्रीमियम की संशोधित दर के आधार पर) (₹ में) | कम प्रभारित प्रीमियम (₹ में) |
|----------------|-----------------|---------------------|---|--|------------------------------|
| <b>2016-17</b> |                 |                     |   |  |                              |
| मोट-पीआरडी-001 | निजी कारें      | 7,786               | 1,65,75,791   | 2,22,07,637  | 56,31,846                    |
| मोट-पीआरडी-003 | ए 1             | 1,534               | 3,02,57,400   | 3,68,80,570  | 66,23,170                    |
| मोट-पीआरडी-003 | ए2              | 144                 | 14,53,477   | 16,32,919  | 1,79,442                     |
| मोट-पीआरडी-003 | ए3 और ए4        | 92                  | 4,30,802  | 5,12,200   | 81,398                       |
| मोट-पीआरडी-004 | 4 बी            | 68                  | 84,184  | 88,876   | 4,692                        |
| मोट-पीआरडी-005 | 4सी             | 1,143               | 1,98,75,182   | 2,51,17,887  | 52,42,705                    |
| मोट-पीआरडी-006 | श्रेणी डी       | 581                 | 15,86,130   | 22,20,582  | 6,34,452                     |
| मोट-पीआरडी-002 | दुपहिया         | 12,563              | 67,50,756   | 77,96,948  | 10,46,192                    |
| <b>कुल</b>     |                 | <b>23,911</b>       | <b>7,70,13,722</b>  | <b>9,64,57,619</b>   | <b>1,94,43,897</b>           |
| <b>2017-18</b> |                 |                     |   |  |                              |
| मोट-पीआरडी-001 | निजी कारें      | 14,611              | 3,64,04,603   | 4,65,96,889  | 1,01,92,286                  |
| मोट-पीआरडी-003 | ए 1             | 1,367               | 3,21,10,835   | 4,11,10,523  | 89,99,688                    |
| मोट-पीआरडी-003 | ए2              | 104                 | 11,19,922   | 12,76,726  | 1,56,804                     |
| मोट-पीआरडी-004 | 4 बी            | 30                  | 34,428  | 44,070   | 9,642                        |
| मोट-पीआरडी-005 | 4सी             | 786                 | 1,74,79,450   | 2,24,23,355  | 49,43,905                    |
| मोट-पीआरडी-006 | श्रेणी डी       | 530                 | 20,19,810   | 25,85,272  | 5,65,462                     |
| मोट-पीआरडी-002 | दुपहिया         | 8,673               | 54,25,823   | 63,69,509  | 9,43,686                     |
| <b>कुल</b>     |                 | <b>26,101</b>       | <b>9,45,94,871</b>  | <b>12,04,06,344</b>  | <b>2,58,11,473</b>           |

| उत्पाद कोड                                | वाहन श्रेणी कोड | पालिसियों की संख्या | वास्तव में प्रभारित प्रीमियम (प्रस्ताव की तारीख पर प्रचलित दर के आधार पर) (₹ में) | प्रभारित किया जाने वाला प्रीमियम (प्रीमियम की संशोधित दर के आधार पर) (₹ में) | कम प्रभारित प्रीमियम (₹ में) |
|---|-----------------|---------------------|---|--|------------------------------|
| <b>2018-19</b>                            |                 |                     |   |  |                              |
| मोट-पीआरडी-003                            | ए 1             | 1,479               | 4,37,65,554   | 5,30,84,796  | 93,19,242                    |
| मोट-पीआरडी-003                            | ए2              | 36                  | 5,23,955  | 5,58,529   | 34,574                       |
| मोट-पीआरडी-004                            | 4 बी            | 80                  | 1,28,740  | 1,60,905   | 32,165                       |
| मोट-पीआरडी-005                            | 4सी             | 253                 | 14,09,788   | 16,49,143  | 2,39,355                     |
| मोट-पीआरडी-006                            | श्रेणी डी       | 743                 | 36,12,292   | 45,15,365  | 9,03,073                     |
| मोट-पीआरडी-002                            | दुपहिया         | 1,268               | 11,24,716   | 12,50,318  | 1,25,602                     |
| <b>कुल</b>                                |                 | <b>3,859</b>        | <b>5,05,65,045</b>  | <b>6,12,19,056</b>   | <b>1,06,54,011</b>           |
| <b>2016-17 से 2018-19 के लिए कुल</b>      |                 | <b>53,871</b>       | <b>22,21,73,638</b>   | <b>27,80,83,019</b>  | <b>5,59,09,381</b>           |
| <b>2019-20</b>                            |                 |                     |   |  |                              |
| मोट-पीआरडी-001                            | निजी कारें      | 20,747              | 5,01,45,919   | 5,63,32,270  | 61,86,351                    |
| मोट-पीआरडी-003                            | ए 1             | 2,321               | 6,84,66,640   | 7,36,42,250  | 51,75,610                    |
| मोट-पीआरडी-003                            | ए2              | 240                 | 25,72,080   | 29,59,119  | 3,87,039                     |
| मोट-पीआरडी-003                            | ए3 और ए4        | 21                  | 66,150  | 82,194   | 16,044                       |
| मोट-पीआरडी-004                            | 4 बी            | 43                  | 80,988  | 90,275   | 9,287                        |
| मोट-पीआरडी-005                            | 4सी             | 1,113               | 3,53,12,677   | 3,72,94,656  | 19,81,979                    |
| मोट-पीआरडी-006                            | श्रेणी डी       | 971                 | 59,09,585   | 66,16,655  | 7,07,070                     |
| मोट-पीआरडी-002                            | दुपहिया         | 21,734              | 1,59,41,306   | 1,69,77,885  | 10,36,579                    |
| <b>कुल</b>                                |                 | <b>47,190</b>       | <b>17,84,95,345</b>   | <b>19,39,95,304</b>  | <b>1,54,99,959</b>           |
| <b>2016-17 से 2019-20 के लिए कुल जोड़</b> |                 | <b>1,01,061</b>     | <b>40,06,68,983</b>   | <b>47,20,78,323</b>  | <b>7,14,09,340</b>           |

मान लीजिये ₹7.14 करोड़

**अनुलग्नक-IV**  
(पैरा 4.6 में संदर्भित)

**आईआरडीएआई अधिसूचना के बाद प्राप्त प्रस्तावों पर प्रीमियम का कम संग्रहण**

| उत्पाद कोड                                | वाहन श्रेणी कोड | पालिसियों की संख्या | वास्तव में प्रभारित प्रीमियम (पूर्व संशोधित दर के आधार पर) (₹ में) | प्रभारित किया जाने वाला प्रीमियम (संशोधित दर के आधार पर) (₹ में) | कम प्रभारित प्रीमियम (₹ में) |
|---|-----------------|---------------------|--|--|------------------------------|
| <b>2016-17</b>                            |                 |                     |  |  |                              |
| मोट-पीआरडी-003                            | ए 1             | 320                 | 47,88,793  | 78,78,910  | 30,90,117                    |
| मोट-पीआरडी-005                            | 4सी             | 14                  | 3,24,918   | 4,06,255   | 81,337                       |
| <b>कुल</b>                                |                 | <b>334</b>          | <b>51,13,711</b>   | <b>82,85,165</b>   | <b>31,71,454</b>             |
| <b>2017-18</b>                            |                 |                     |  |  |                              |
| मोट-पीआरडी-003                            | ए 1             | 31                  | 7,18,027   | 9,19,073   | 2,01,046                     |
| मोट-पीआरडी-003                            | ए2              | 2                   | 33,310   | 42,636   | 9,326                        |
| मोट-पीआरडी-004                            | 4 बी            | 2                   | 2,612  | 3,346  | 734                          |
| मोट-पीआरडी-005                            | 4सी             | 2                   | 79,714   | 1,02,022   | 22,308                       |
| <b>कुल</b>                                |                 | <b>37</b>           | <b>8,33,663</b>  | <b>10,67,077</b>   | <b>2,33,414</b>              |
| <b>2018-19</b>                            |                 |                     |  |  |                              |
| मोट-पीआरडी-003                            | ए 1             | 41                  | 12,48,759  | 15,16,189  | 2,67,430                     |
| मोट-पीआरडी-002                            | दुपहिया         | 2                   | 1,774  | 1,970  | 196                          |
| <b>कुल</b>                                |                 | <b>43</b>           | <b>12,50,533</b>   | <b>15,18,159</b>   | <b>2,67,626</b>              |
| <b>2019-20</b>                            |                 |                     |  |  |                              |
| मोट-पीआरडी-001                            | निजी कारें      | 3,779               | 89,21,928  | 1,00,20,082  | 10,98,154                    |
| मोट-पीआरडी-003                            | ए 1             | 42                  | 14,72,956  | 15,95,050  | 1,22,094                     |
| मोट-पीआरडी-003                            | ए2              | 4                   | 45,528   | 51,284   | 5,756                        |
| मोट-पीआरडी-005                            | 4सी             | 6                   | 2,20,736   | 2,32,492   | 11,756                       |
| मोट-पीआरडी-006                            | कक्षा डी        | 4                   | 24,460   | 27,388   | 2,928                        |
| मोट-पीआरडी-002                            | दुपहिया         | 15                  | 11,065   | 11,721   | 656                          |
| <b>कुल</b>                                |                 | <b>3,850</b>        | <b>1,06,96,673</b>   | <b>1,19,38,017</b>   | <b>12,41,344</b>             |
| <b>2016-17 से 2019-20 के लिए कुल जोड़</b> |                 | <b>4,264</b>        | <b>1,78,94,580</b>   | <b>2,28,08,418</b>   | <b>49,13,838</b>             |

मान लीजिये ₹0.49 करोड़



## अनुलग्नक-V

(पैरा 9.3 में संदर्भित)

सेवा कर और निगमित कर के परिहार्य भुगतान को दर्शाने वाले बयान

| बिलिंग अवधि   | विभेदक रॉयल्टी (सकल कुल बिक्री का @11 प्रतिशत) (₹ में) | अवधि के दौरान निगमित कर की दर | निगमित कर प्रदत्त (₹ में) | चालू निगमित कर दर | समायोजित अधिक निगमित कर (₹ में) | प्रदत्त परिहार्य निगमित प्रदत्त कर (हानि) (₹ में) | प्रदत्त सेवा कर (हानि) (₹ में) | सेवा कर और निगमित कर के कारण कुल हानि (₹ में) |
|---|--|-------------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|---|--------------------------------|---|
| (i)   | (ii)   | (iii)                         | (iv)                      | (v)               | (vi)                            | (vii)=(iv)-(vi)                                   | (viii)                         | (ix)=(vii)+(viii)                             |
| 2009-10 से पहले   | 321,02,572.00  | 0.34                          | 109,11,664.22             | 0.25              | 80,79,575.32                    | 28,32,088.90                                      | 39,13,979.00                   | 67,46,067.90                                  |
| 2009-10   | 284,77,891.00  | 0.34                          | 96,79,635.15              | 0.25              | 71,67,315.61                    | 25,12,319.54                                      | 29,33,221.00                   | 54,45,540.54                                  |
| 2010-11   | 297,40,973.00  | 0.33                          | 98,79,207.71              | 0.25              | 74,85,208.08                    | 23,93,999.62                                      | 30,63,320.00                   | 54,57,319.62                                  |
| 2011-12   | 351,03,098.00  | 0.32                          | 113,89,200.15             | 0.25              | 88,34,747.70                    | 25,54,452.44                                      | 37,12,096.00                   | 62,66,548.44                                  |
| 2012-13   | 341,36,141.00  | 0.32                          | 110,75,470.95             | 0.25              | 85,91,383.97                    | 24,84,086.98                                      | 42,19,227.00                   | 67,03,313.98                                  |
| 2013-14   | 354,29,916.00  | 0.34                          | 120,42,628.45             | 0.25              | 89,17,001.26                    | 31,25,627.19                                      | 43,79,136.00                   | 75,04,763.19                                  |
| 2014-15   | 405,53,444.00  | 0.34                          | 137,84,115.62             | 0.25              | 102,06,490.79                   | 35,77,624.83                                      | 50,12,406.00                   | 85,90,030.83                                  |
| 2015-16   | 426,57,754.00  | 0.35                          | 147,62,995.50             | 0.25              | 107,36,103.53                   | 40,26,891.98                                      | 60,14,060.00                   | 100,40,951.98                                 |
| 2016-17   | 486,44,576.00  | 0.35                          | 168,34,914.86             | 0.25              | 122,42,866.89                   | 45,92,047.97                                      | 74,17,665.00                   | 120,09,712.97                                 |
| <b>कुल</b>  | <b>32,68,46,365.00</b>                                 |                               | <b>11,03,59,832.60</b>    |                   | <b>8,22,60,693.14</b>           | <b>2,80,99,139.46</b>                             | <b>4,06,65,110.00</b>          | <b>6,87,64,249.46</b>                         |
| <b>कुल हानि = ₹6.88 करोड़ [सेवा कर (₹4.07 करोड़) और निगमित कर (₹2.81 करोड़) के अधिक भुगतान के कारण]</b> |  |                               |                           |                   |                                 |   |                                |   |

**अनुलग्नक-VI**  
**(पैरा 11.1 में संदर्भित)**  
**लेखापरीक्षा के बताए जाने पर वसूली**

(राशि ₹ लाख में)

| मंत्रालय/विभाग का नाम | सीपीएसई का नाम                                       | लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां संक्षेप में  | लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई वसूली की राशि | प्रबंधन द्वारा वसूली की गई राशि |
|-----------------------|--|---|--|---------------------------------|
| नागर विमानन           | भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण                          | निष्पादन संबंधी वेतन के भुगतान के संबंध में डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना                                   | 1083.00                                  | 801.00                          |
| नागर विमानन           | एयर इंडिया लिमिटेड                                   | सामान की मिसहैंडलिंग के लिए मैसर्स एयर इंडिया एसएटीएस एयरपोर्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से शास्ति की वसूली न होना। | 152.13                                   | 152.13                          |
| नागर विमानन           | एयर इंडिया लिमिटेड                                   | यात्री सेवा फीस के लिए डीआईएएल को अग्रिम भुगतान करने के बावजूद संग्रहण प्रभारों की कटौती न करना                     | 514.00                                   | 836.13                          |
| कोयला                 | सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड | कोयले के लक्षण वर्णन करने और धुलाई की क्षमता के परीक्षण के लिए उपयोग किए गए इंजीनियरिंग दिनों के प्रति वसूली न होना | 92.45                                    | 92.45                           |
| कोयला                 | ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड                           | कोयले के ग्रेड की गिरावट के कारण संविदाकार से हानि की वसूली न होना  | 216.31                                   | 194.00                          |
| कोयला                 | एनएलसी इंडिया लिमिटेड                                | ब्लास्टिंग प्रभारों पर जीएसटी का अनुद्ग्रहण   | 154.00                                   | 102.00                          |
| कोयला                 | नॉर्थ कोलफील्ड्स लिमिटेड                             | वन विभाग को पारगमन फीस के कारण अधिक भुगतान  | 1874.29                                  | 705.11                          |

| मंत्रालय/विभाग का नाम          | सीपीएसई का नाम                          | लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां संक्षेप में   | लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई वसूली की राशि | प्रबंधन द्वारा वसूली की गई राशि |
|--------------------------------|---|--|--|---------------------------------|
| कोयला                          | नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड             | रॉयल्टी पर उत्पाद शुल्क की वसूली न होना और ग्राहकों से भंडारण उत्पाद शुल्क छोड़ना                                      | 478.00                                   | 211.00                          |
| वित्तीय सेवाएं विभाग           | दि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड  | मोटर ओन डैमेज प्रीमियम का कम प्रभारित करना   | 1.17                                     | 8.11                            |
| वित्तीय सेवाएं विभाग           | यूनाइटेड इंडिया इश्योरेंस कंपनी लिमिटेड | एजेंट को कमीशन का अधिक भुगतान करना   | 56.21                                    | 23.78                           |
| भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम | हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड     | विदेश दौरे के बिलों को पारित करने में अनियमितताएं जिस के परिणामस्वरूप एचईसी लिमिटेड के कार्यकारियों को अधिक भुगतान हुआ | 1.55                                     | 1.48                            |
| भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम | हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड     | परिसमापन क्षति की वसूली न होना   | 405.71                                   | 402.44                          |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस    | ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड   | ताप्ती एवं पन्ना मुक्ता क्षेत्र के संबंध में परित्याग देयता की वसूली न होना  | 269740.00                                | 269740.00                       |
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस    | इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड           | बाहरी एजेंसियों से पानी की लागत की कम वसूली  | 105.00                                   | 105.00                          |
| विद्युत                        | दामोदर घाटी निगम                        | किराया/लाइसेंस फीस की वसूली न होना   | 29.00                                    | 12.76                           |
| विद्युत                        | दामोदर घाटी निगम                        | लाइसेंस फीस और विद्युत प्रभारों की वसूली न होना  | 19.00                                    | 34.00                           |

| मंत्रालय/विभाग का नाम   | सीपीएसई का नाम                          | लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां संक्षेप में  | लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई वसूली की राशि | प्रबंधन द्वारा वसूली की गई राशि |
|-------------------------|---|---|--|---------------------------------|
| विद्युत                 | पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | कार्यकारियों को डीपीई के दिशा निर्देशों के विरुद्ध दिए गए क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ता/ विशेष भत्ते की वसूली न करना          | 672.00                                   | 657.00                          |
| विद्युत                 | पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | उप विक्रेता को सीधे भुगतान पर ब्याज की वसूली न होना   | 148.00                                   | 193.00                          |
| विद्युत                 | पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड | मालसूची की हानि के कारण संविदाकार से वसूली न होना   | 244.00                                   | 244.00                          |
| सड़क परिवहन और राजमार्ग | भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण     | रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से निष्पादन सुरक्षा प्रस्तुत करने में देरी के लिए क्षति राशि की वसूली न होना            | 357.00                                   | 407.00                          |
| सड़क परिवहन और राजमार्ग | भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण     | राजमार्ग एपी-5 के ओवरले कार्यों में विलम्ब के लिए शास्ति की वसूली न होना  | 2359.00                                  | 1497.64                         |
| सड़क परिवहन और राजमार्ग | भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण     | भूमि के मुआवजे की गणना के लिए गलत औसत अपनाने के परिणामस्वरूप भूमि की हानि उठाने वालों के लिए भूमि मुआवजे का अधिक भुगतान | 0.00                                     | 677.32                          |
| इस्पात                  | सेल रेफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड          | आपूर्तिकर्ता से परिसमापन क्षति की वसूली न होना  | 41.95                                    | 17.13                           |
|                         |   | <b>कुल</b>  | <b>278744.00</b>                         | <b>277114.00</b>                |
|                         |   | <b>मान लीजिए</b>  | <b>2787.44 करोड़</b>                     | <b>2771.14 करोड़</b>            |

**अनुलग्नक-VII**  
(पैरा 11.2 में संदर्भित)

**लेखापरीक्षा के बताने पर सुधार/परिशोधन**

| मंत्रालय/विभाग का नाम       | सीपीएसई का नाम                       | संक्षेप में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां/सुझाव  | प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई  |
|-----------------------------|--------------------------------------|---|--|
| पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस | ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड | एमडब्ल्यूपी के लिए ब्लॉक सीवाई-ओएसएन-2000/2 के तहत बुक की गई देयता की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है और सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।       | प्रबंधन ने 2,19,492 अमेरिकी डॉलर की अधिक देयता को प्रतिवर्तित किया है।   |
| शिपिंग                      | कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड               | चिकित्सा बीमा दावे के माने जाने पर नीति का अभाव   | कंपनी ने वर्ष 2018-19 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट में चिकित्सा बीमा दावों के लेखांकन पर लेखांकन नीति का खुलासा किया है।                  |
| इस्पात                      | फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड            | कंपनी द्वारा पीआरपी के वितरण योग्य राशि की गणना में कर पूर्व लाभ (पीबीटी) तथा वृद्धिशील लाभ की गणना के लिए डीपीई के दिशानिर्देशों का पालन न करना। | प्रबंधन ने लेखापरीक्षा अभ्युक्ति को स्वीकार किया और 2018-19 के लिए निष्पादन संबंधित वेतन की गणना करते समय सुधारात्मक कार्रवाई की है। |

**अनुलग्नक-VIII**

(अध्याय XII में संदर्भित)

2020 तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (वाणिज्यिक) के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण जिसके लिए की गयी कार्रवाई टिप्पणी लंबित थी

| प्रतिवेदन संख्या और प्रतिवेदन का वर्ष       | प्रतिवेदन का नाम     | पैरा संख्या          |
|---|----------------------|----------------------|
| <b>नागरिक उड्डयन मंत्रालय</b>               |                      |                      |
| 2016 की 15                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा  | पैरा 2.3             |
| 2019 की 13                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा  | पैरा 1.1 से 1.6      |
| 2020 की 18                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा  | पैरा 2.1 से 2.4      |
| <b>कोयला मंत्रालय</b>                       |                      |                      |
| 2019 की 12                                  | निष्पादन लेखापरीक्षा |                      |
| 2019 की 13                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा  | पैरा 2.1 से 2.3      |
| 2020 की 18                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा  | पैरा 3.1 से 3.3      |
| <b>वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय</b>          |                      |                      |
| 2020 की 18                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा  | पैरा 4.1             |
| <b>वित्त मंत्रालय (वित्तीय सेवा विभाग)</b>  |                      |                      |
| 2016 की 15                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा  | पैरा 7.3             |
| 2017 की 9                                   | अनुपालन लेखापरीक्षा  | पैरा 7.1             |
| 2017 की 16                                  | निष्पादन लेखापरीक्षा |                      |
| 2018 की 11                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा  | पैरा 5.1             |
| 2019 की 13                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा  | पैरा 3.1 और 3.3      |
| 2020 की 18                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा  | पैरा 5.1 से 5.10     |
| <b>भारी उद्योग मंत्रालय</b>                 |                      |                      |
| 2017 की 29                                  | निष्पादन लेखापरीक्षा |                      |
| 2020 की 18                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा  | पैरा 6.1, 6.3 और 6.4 |
| <b>आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय</b>         |                      |                      |
| 2020 की 18                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा  | पैरा 7.1             |
| <b>खान मंत्रालय</b>                         |                      |                      |
| 2020 की 18                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा  | पैरा 8.1             |
| <b>पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय</b> |                      |                      |
| 2019 की 13                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा  | पैरा 6.7             |

| प्रतिवेदन संख्या और प्रतिवेदन का वर्ष       | प्रतिवेदन का नाम    | पैरा संख्या       |
|---|---------------------|-------------------|
| 2020 की 18                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा | पैरा 9.1 से 9.5   |
| <b>विद्युत मंत्रालय</b>                     |                     |                   |
| 2019 की 13                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा | पैरा 7.9          |
| 2020 की 18                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा | पैरा 10.2         |
| <b>पत्तन, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्रालय</b> |                     |                   |
| 2020 की 18                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा | पैरा 12.1         |
| <b>सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय</b>    |                     |                   |
| 2018 की 11                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा | पैरा 11.6         |
| 2019 की 13                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा | पैरा 8.1 और 8.3   |
| 2020 की 18                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा | पैरा 11.1 और 11.4 |
| <b>इस्पात मंत्रालय</b>                      |                     |                   |
| 2019 की 13                                  | अनुपालन लेखापरीक्षा | पैरा 10.5 और 10.6 |







© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)